दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

सितम्बर भाग-1

2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 7

- असम सरकार द्वारा NRC के पुनर्सत्यापन की मांग 7
- मिशन कर्मयोगी 8
- उप-श्रेणीकरण की अवधारणा और उप-श्रेणीकरण आयोग 10
- शासन कार्यों में अधिक भाषाओं के प्रयोग की आवश्यकता 11
- COVID-19 के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन: DSGE मॉडल 13
- मानसून सत्र में 'प्रश्नकाल' और 'शून्यकाल' पर प्रतिबंध 14
- आंध्रप्रदेश में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी 15
- प्रारंभिक बाल विकास की अवधारणा और महत्त्व 17
- स्थायी समितियों के कार्यकाल में विस्तार 18
- केशवानंद भारती वाद और 'मूल संरचना' का सिद्धांत 19
- गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी अंशदान पर सख्ती 21
- PG में सरकारी डॉक्टरों को दिया जाएगा आरक्षण: SC 23
- नीति आयोग का 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' 24
- दिल्ली मास्टर प्लान-2041 26
- भारत में टीकाकरण अभियान 27
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 29
- ब्रैडीकिनिन स्टॉर्म 30
- निजी कोचिंग की अवधारणा 31
- सिगरेट बट्स के निस्तारण हेतु दिशा निर्देशों की मांग 33
- आभासी न्यायालयों को जारी रखने के लिये लॉ पैनल की सिफारिश 34
- पैरोल एवं फर्लो के लिये संशोधित दिशा-निर्देश 36
- FCRA कानून एवं विदेशी अंशदान पर नियंत्रण 37
- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा COVID-19 के पश्चात् स्वास्थ्य प्रोटोकॉल जारी 39
- भविष्य निधि की ब्याज दर में कमी 40

आर्थिक घटनाक्रम 42

- GDP संबंधी आँकड़े और आर्थिक संकुचन के निहितार्थ 42
- RBI द्वारा तरलता पर दबाव में कमी के प्रयास 43

The Vision

नोट :

- भारत में जैविक कृषि: दशा व दिशा 45
- कोर अवसंरचना क्षेत्र में 9.6 की गिरावट 46
- समायोजित सकल राजस्व (AGR) चुकाने हेतु 10 वर्ष का समय 48
- स्वयं सहायता समूहों में NPA की समस्या 50
- वैश्विक नवाचार सूचकांक- 2020 51
- मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम 53
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन 54
- पुराने तापीय विद्युत संयंत्रों को बंद करने का सुझाव 57
- वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय घाटे का दायरा निर्धारण के लिये सिफारिश 59
- विदेशी मुद्रा भंडार का उच्चतम स्तर: कारण और महत्त्व 60
- अवसंरचना वित्तपोषण के लिये विकास वित्तीय संस्थान 61
- त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ जलमार्ग खोलना 62
- ईज 2.0 सूचकांक 64
- COVID-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिये RBI द्वारा एक संकल्प योजना 66
- कृषि लाभ और किसानों की आय 67
- रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि 69
- ऋण अधिस्थगन के प्रभावों के आकलन हेतु विशेष समिति 70
- ऋण पुनर्गठन पर कामथ समिति के सुझाव 71
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में संकुचन 73
- घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण 74
- मल्टी-कैप म्यूचुअल फंड्स संबंधी नियमों में परिवर्तन 76
- अनुदान की अनुपूरक मांग 77
- भारतीय इस्पात उद्योग: दिशा और दशा 79
- अगस्त माह के लिये थोक मूल्य एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 80

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **83**

- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और व्यापार अवरोध 83
- इंद्र-2020 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 84
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जीत 85
- चीन द्वारा अपने प्रभुत्त्व विस्तार हेतु गैर-सैन्य रणनीति का प्रयोग 86
- लोगों की समन्वित सीमा-पार आवाजाही पर G-20 सिद्धांत 88
- यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम 90
- रूस-जर्मनी के बीच तनाव 92
- भारत-चीन रक्षा मंत्रालय स्तरीय बैठक 94
- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और भारत 96
- भारत-जापान लॉजिस्टिक्स समझौता 97

नोट :

The Vision

- LAC पर तनाव कम करने के लिये 5 सूत्रीय योजना पर सहमति 98
- UK आंतरिक बाज़ार विधेयक , 2020 100
- तालिबान को लेकर भारत की बदलती रणनीति 101
- अमेरिका-मालदीव रक्षा सहयोग समझौता 103
- श्रीलंका का 20वाँ संविधान संशोधन: पृष्ठभूमि और आलोचना 104
- हाइब्रिड वारफेयर: अर्थ और उभरती चुनौती 106
- भारत-चीन सीमा विवाद के समाधान में SCO की भूमिका 108
- संयुक्त राज्य अमेरिका में पोस्टल वोटिंग 110

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **112**

- ड्राफ्ट 'डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर' 112
- हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल 114
- डिजिटल डिवाइड: कारण और प्रभाव 115
- ब्रह्मांड में विशालकाय रेडियो आकाशगंगाएँ 117
- COVID-19 वैक्सीन के चरण-3 में जटिलता 118

पर्यावरण एव पारिस्थितिकी **120**

- पर्यावरण प्रभाव आकलन मसौदा: महत्त्व और निहित समस्याएँ 120
- मृत प्रवाल' भित्तियों का महत्त्व 121
- प्रोजेक्ट डॉल्फिन और गंगा डॉल्फिन संरक्षण 123
- इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 124
- क्षोभमंडलीय ओज़ोन की सांद्रता में गिरावट 126
- राष्ट्रीय वन नीति, 1988 की समीक्षा 127
- PEDA द्वारा पराली का प्रबंधन 129
- वन क्षेत्रों में अन्वेषण हेतु अनिवार्य शुल्क में छूट 130

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **133**

- कोडागु में भूस्खलन 133
- 9 राज्यों में 22 बाँस क्लस्टर्स लॉन्च 134

सामाजिक न्याय **136**

- भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी से बाहर रख सकती है रेलवे 136

कला एवं संस्कृति **138**

- मोपला विद्रोही, स्वतंत्रता सेनानी नहीं: ICHR रिपोर्ट 138
- पत्रिका गेट' जयपुर 140

नोट :

आंतरिक सुरक्षा 141

- असम राइफल्स की दोहरी नियंत्रण संरचना 141
- रियल मैंगो: एक अवैध सॉफ्टवेयर 142
- वीआईपी सुरक्षा और संबंधित प्रावधान 144
- उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल 145

चर्चा में 147

- राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार-2020 147
- आंध्रप्रदेश में दुर्लभ शिलालेख 147
- मंगल ग्रह पर ड्रैगन जैसा पैटर्न 148
- 2400 वर्ष पुरानी मिस्र की ममी 148
- स्पेशल फ्रंटियर फोर्स 149
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक आयोग 150
- स्पॉट 150
- आयरन-60 151
- मास स्पेक्ट्रोमीटर 151
- स्पेसएक्स का पहला ध्रुवीय कक्षा मिशन 152
- सिंगिंग डॉग 152
- दो ब्लैक होल की टक्कर 153
- हरिकेन नाना 153
- 'एंटरप्रन्योर्स इन रेज़िडेंस' कार्यक्रम 154
- नोविचोक 155
- क्रसटेशिया 155
- ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की पाँचवीं बैठक 156
- नई हाइब्रिड जीवाणुशोधन तकनीक 157
- सौर ऊर्जा चालित स्प्रेयर 157
- मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन-किरण 158
- चंद्रयान-1 159
- व्यापार सुधार कार्य योजना 159
- स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 160
- राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन 160
- फेफड़ों के कैंसर के लिये नैदानिक चिकित्सा 161
- अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 162
- टाइफून हैशेन 163
- डोंगरिया कोंध 164
- फेफड़ों के कैंसर के लिये नैदानिक चिकित्सा 165

नोट :

दृष्टि The Vision

➢ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 166
➢ टाइफून हैशेन 166
➢ डोंगरिया कोंध 167
➢ दक्षिण अमेरिका की योनोमामी जनजाति 168
➢ पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 169
➢ संस्कृत ग्राम 169
➢ रोगन आर्ट 170
➢ फ्लाइंग वी एयरक्राफ्ट 170
➢ इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार-2019 171
➢ शिक्षक पर्व 172
➢ एआरआईएसई-एएनआईसी पहल 172
➢ श्वेत उल्लू 172
➢ फाइव स्टार विलेज स्कीम 173
➢ सरोद पोर्ट्स 174
➢ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिये डब्ल्यूएचओ का 73वाँ सत्र 175
➢ वैभव प्रोटानिल्ला 176
➢ स्टार्टअप परितंत्र के समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग 176
➢ जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढाँचा 179
➢ पलक्कडेंसिस 180
➢ यू. एस. विदेशी एजेंट अधिनियम 181
➢ इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स 181
➢ हिंदी दिवस- 2020 182
➢ सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मिडिएशन 183
➢ कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन 183
➢ प्रसाद योजना 184
➢ शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन गैस की खोज 185
➢ मेकेदातु परियोजना 186
➢ सरोगेट साइरस 186

विविध **187**

दृष्टि The Vision

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

असम सरकार द्वारा NRC के पुनर्सत्यापन की मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2019 में जारी 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' (National Register of Citizens- NRC) में शामिल 10-20% नामों के पुन: सत्यापन की अपनी मांग को दोहराया है।

प्रमुख बिंदु:

- जुलाई, 2019 में असम सरकार ने उच्चतम न्यायलय में एक हलफनामा (Affidavit) दायर किया था, जिसमें राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा से सटे ज़िलों से NRC में शामिल 20% नामों और शेष ज़िलों से 10% नामों के पुन: सत्यापन किये जाने की मांग की थी।
- हालाँकि असम के एनआरसी समन्वयक (NRC Coordinator) द्वारा 27% नामों के पुनर्सत्यापन की बात कहे जाने के बाद सर्वोच्च न्यायलय ने राज्य सरकार की मांग को खारिज कर दिया था।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 के एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने पुन: सत्यापन की संभावना का उल्लेख करते हुए कहा था कि वह NRC में शामिल 10% नामों को पुन: सत्यापित करने पर विचार कर सकता है।
- गौरतलब है कि अगस्त 2019 में प्रकाशित NRC में 19 लाख लोगों को इस रजिस्टर से बाहर कर दिया गया था।

NRC की प्रक्रिया का प्रभाव:

- असम सरकार द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत किये गए आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में राज्य में सक्रिय विदेशी अधिकरणों (Foreigners' Tribunals) द्वारा अब तक 1,36,149 लोगों को विदेशी नागरिक घोषित किया जा चुका है।
- साथ ही 13 मार्च, 2013 से लेकर 31 जुलाई 2020 के बीच केवल 227 विदेशी नागरिकों को निर्वासित किया गया है।
- गौरतलब है कि वर्तमान में असम राज्य में 100 विदेशी अधिकरण सक्रिय हैं।
- वर्तमान में कुल 425 लोगों को राज्य के 6 अलग-अलग निरोध केंद्र अथवा डिटेंशन सेंटर (Detention Centre) में रखा गया है।

पुनर्सत्यापन की आवश्यकता:

- राज्य सरकार ने लोगों द्वारा सही NRC की मांग को पुनर्सत्यापन का प्रमुख आधार बताया है।
- वर्तमान में NRC से बाहर 19 लाख लोगों को 'अस्वीकृति आदेश' (Rejection Order) भी नहीं जारी किया जा सका है।
  - गौरतलब है कि यह आदेश लोगों को अपने बहिष्कार के खिलाफ विदेशी अधिकरण में अपील की अनुमति प्रदान करेगा।
- सरकार के अनुसार, COVID-19 और राज्य में बाढ़ की चुनौतियों के कारण लोगों को 'अस्वीकृति आदेश' जारी करने की प्रक्रिया बाधित हुई है।

डी-वोटर की समस्या:

- असम सरकार के अनुसार, राज्य के विभिन्न विदेशी अधिकरणों के समक्ष 'संदिग्ध' (Doubtful) या 'डी-वोटर' (D-Voter) के 83,008 मामले लंबित हैं।
- डी-वोटर ऐसे लोगों की सूची है जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा विदेशी नागरिक होने के संदेह के आधार पर असम की मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है।
- ऐसे मामलों को विदेशी अधिकरणों के पास भेजा जाता है जो उनकी नागरिकता के संदर्भ में निर्णय लेती है।

नोट :

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' (National Register of Citizens- NRC):

- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या एनआरसी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारतीय नागरिकों के विवरण को शामिल किया गया है।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को सबसे पहले वर्ष 1951 में तैयार किया गया था।
- NRC को अद्यतन या अपडेट (Update) करने की प्रक्रिया वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद शुरू की गई।
- असम में NRC में ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो ये प्रमाणित कर सकें कि वे 24 मार्च, 1971 से पहले भारत के नागरिक रहें हों।

मिशन कर्मयोगी

चर्चा में क्यों ?

2 सितंबर, 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "मिशन कर्मयोगी" (Mission Karmayogi) राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (National Programme for Civil Services Capacity Building- NPCSCB) को शुरू करने की मंज़ूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

लक्ष्य:

- भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिये तैयार करना है।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से विशिष्ट भूमिका-दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे।

उद्देश्य:

- कार्य संस्कृति में परिवर्तन को व्यवस्थित रूप से जोड़कर, सार्वजनिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण कर और सिविल सेवा क्षमता के निर्माण के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर सिविल सेवा क्षमता में रूपांतरणकारी बदलाव करना ताकि नागरिकों को प्रभावकारी रूप से सेवाएँ मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य विशेषताएँ

- इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण-आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफार्म की स्थापना करके कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नानुसार होंगे:

1. 'नियम आधारित' मानव संसाधन प्रबंधन से 'भूमिका आधारित' प्रबंधन के परिवर्तन को सहयोग प्रदान करना। सिविल सेवकों को उनके पद की आवश्यकताओं के अनुसार आवंटित कार्य को उनकी क्षमताओं के साथ जोड़ना।
2. 'ऑफ साइट सीखने की पद्धति' को बेहतर बनाते हुए 'ऑन साइट सीखने की पद्धति' पर बल देना।
3. शिक्षण सामग्री, संस्थानों तथा कार्मिकों सहित साझा प्रशिक्षण अवसंरचना परितंत्र का निर्माण करना।
4. सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों तथा दक्षता के ढाँचे (Framework of Roles, Activities and Competencies-FRAC) संबंधी दृष्टिकोण के साथ अद्यतन करना और प्रत्येक सरकारी निकाय में चिन्हित FRAC के लिये प्रासंगिक अधिगम विषय-वस्तु का सृजन करना और प्रदान करना।
5. सभी सिविल सेवकों को आत्म-प्रेरित एवं अधिदेशित सीखने की प्रक्रिया पद्धति में अपनी व्यवहारात्मक, कार्यात्मक और कार्यक्षेत्र से संबंधित दक्षताओं को निरंतर विकसित एवं सुदृढ़ करने का अवसर उपलब्ध कराना।
6. प्रत्येक कर्मचारी के लिये वार्षिक वित्तीय अंशदान के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया के साझा एवं एक समान परिवेश तंत्र के सृजन और साझाकरण के लिये अपने-अपने संसाधनों को सीधे तौर पर निवेश करने हेतु सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा उनके संगठनों को समर्थ बनाना।

7. सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्ट-अप और एकल विशेषज्ञों सहित सीखने की प्रक्रिया संबंधी सर्वोत्तम विषय-वस्तु के निर्माताओं को प्रोत्साहित करना और साझेदारी करना।
8. क्षमता विकास, विषय-वस्तु निर्माण, उपयोगकर्ता फीडबैक और दक्षताओं की मैपिंग एवं नीतिगत सुधारों के लिये क्षेत्रों की पहचान संबंधी विभिन्न-पक्षों के संबंध में आईगॉट-कर्मयोगी द्वारा प्रदान किये गए आँकड़ों का विश्लेषण करना।

आईगॉट- कर्मयोगी प्लेटफॉर्म (iGOT-Karmayogi):

- यह भारत में दो करोड़ से भी अधिक कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिये व्यापक और अत्याधुनिक संरचना सुलभ कराएगा।
- इस प्लेटफॉर्म का विषय-वस्तु (कंटेंट) के संदर्भ में एक आकर्षक एवं विश्व स्तरीय बाज़ार के रूप में विकसित होने की उम्मीद है जहाँ सावधानीपूर्वक व्यवस्थित और पुनरीक्षित डिजिटल ई-लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
- क्षमता विकास के अलावा, सेवा मामलों जैसे कि परिवीक्षा अवधि के बाद पुष्टीकरण या स्थायीकरण, तैनाती, कार्य निर्धारण और रिक्तियों की अधिसूचना इत्यादि को अंततः प्रस्तावित दक्षता या योग्यता संरचना के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (NPCSCB) को निम्नलिखित संस्थागत ढाँचे के साथ शुरू किया जाएगा:

1. प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद:

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चयनित केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रख्यात सार्वजनिक मानव संसाधन पेशेवरों, विचारकों, वैश्विक विचारकों और लोक सेवा प्रतिनिधियों वाली एक सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद शीर्ष निकाय के तौर पर कार्य करेगी जो सिविल सेवा-सुधार कार्य और क्षमता विकास को कार्यनीतिक दिशा प्रदान करेगी।

2. क्षमता विकास आयोग:

- एक क्षमता विकास आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि सहयोगात्मक और सह-साझाकरण के आधार पर क्षमता विकास परिवेश या व्यवस्था के प्रबंधन और नियमन में एकसमान दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।
- आयोग की भूमिका निम्नानुसार होगी-
  - वार्षिक क्षमता विकास योजनाओं का अनुमोदन करने में PM सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद की सहायता करना।
  - सिविल सेवा क्षमता विकास से जुड़े सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यात्मक पर्यवेक्षण करना।
  - आंतरिक एवं बाह्य संकाय और संसाधन केंद्रों सहित साझा शिक्षण संसाधनों को सृजित करना।
  - हितधारक विभागों के साथ क्षमता विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय और पर्यवेक्षण करना।
  - प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, शिक्षण शास्त्र और पद्धति के मानकीकरण पर सिफारिशें पेश करना।
  - सभी सिविल सेवाओं में करियर के मध्य में सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये मानदंड निर्धारित करना।
  - सरकार को मानव संसाधन के प्रबंधन और क्षमता विकास के क्षेत्रों में आवश्यक नीतिगत उपाय सुझाना।

3. डिजिटल परिसंपत्तियों के स्वामित्व तथा प्रचालन, ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु एक प्रौद्योगिकीय प्लेटफार्म-विशेष प्रयोजन कंपनी:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन NPCSCB के लिये पूर्ण स्वामित्व वाली विशेष प्रयोजन कंपनी की स्थापना की जाएगी।
- SPV एक 'गैर-लाभ अर्जक' कंपनी होगी जो आईगॉट- कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का स्वामित्व रखेगी और प्रबंधन करेगी। SPV विषय-वस्तु बाज़ार का निर्माण और संचालन करेगी और यह विषय-वस्तु वैधीकरण, स्वतंत्र निरीक्षण आकलन एवं टेलीमिट्री डेटा उपलब्धता से संबंधित आईगॉट-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की प्रमुख व्यावसायिक सेवाओं का प्रबंधन भी करेगी। यह भारत सरकार की ओर से सभी बौद्धिक संपदा अधिकारों का स्वामित्व रखेगी।
- प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों का डैशबोर्ड अवलोकन सृजित करने के लिये आईगॉट- कर्मयोगी प्लेटफार्म के सभी उपयोगकर्ताओं (यूज़र) के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु एक समुचित निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा भी बनाई जाएगी।

4. कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समन्वयन इकाई:

- कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय इकाई गठित की जाएगी जिसमें चुनिंदा सचिव और कैडर को नियंत्रित करने वाले अधिकारी शामिल होंगे।

नोट :

वित्तीय निहितार्थ:

- लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के लिये वर्ष 2020-2021 से लेकर 2024-25 तक (5 वर्षों की अवधि के दौरान) 510.86 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।

उप-श्रेणीकरण की अवधारणा और उप-श्रेणीकरण आयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण के उप-श्रेणीकरण पर कानूनी बहस को पुन: शुरू कर दिया है। जहाँ एक ओर SC और ST के आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस हो रही है, वहीं लगभग तीन वर्ष पूर्व गठित एक आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-श्रेणीकरण का भी परीक्षण कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-श्रेणीकरण का परीक्षण करने हेतु गठित आयोग के कार्यकाल को 6 माह के लिये बढ़ा दिया था।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का उप-श्रेणीकरण

- नियमों के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को केंद्र सरकार के तहत नौकरियों और शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
- उप-श्रेणीकरण का प्रश्न इस धारणा से उत्पन्न होता है कि OBC की केंद्रीय सूची में शामिल 2,600 से अधिक समुदायों में से केवल कुछ ही संपन्न समुदाय इस 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पाए हैं।
- जब सरकार ने देश के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये आरक्षण की व्यवस्था की थी तो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भी अंदर आने वाले कुछ कमज़ोर वर्गों के लिये किसी भी प्रकार की कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण केवल कुछ खास और सामाजिक-आर्थिक रूप से संपन्न समुदायों तक ही सीमित हो कर रह गया।
- दरअसल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में इतने अधिक समुदाय (2,600 से अधिक) होने के कारण उनके बीच सामाजिक-आर्थिक अंतराल होना स्वाभाविक है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में ऐसे कई समुदाय हैं जो इस वर्ग के तहत आने वाले कुछ अन्य समुदायों की अपेक्षा सामाजिक-आर्थिक तौर पर अधिक संपन्न और उन्नत हैं।
- यही कारण है कि देश में OBC के उप-श्रेणीकरण अर्थात् सभी तक आरक्षण का लाभ पहुँचाने के लिये OBC के भीतर भी कुछ श्रेणियाँ बनाने की मांग बीते कई वर्षों से की जा रही है।

उप-श्रेणीकरण के परीक्षण हेतु आयोग

- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-श्रेणीकरण के परीक्षण हेतु सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने 11 अक्तूबर, 2017 से कार्य करना शुरू किया था।
- इस आयोग का गठन शुरुआत में 12 सप्ताह के कार्यकाल के लिये किया गया था, जिसे बाद में कई बार विस्तारित किया गया। आँकड़े बताते हैं कि नवंबर 2019 तक सरकार ने वेतन और अन्य खर्चों समेत आयोग पर 1.70 करोड़ रुपए खर्च किये हैं।

आयोग के विचारार्थ विषय (TOR)

आयोग का गठन मुख्यत: तीन विचारार्थ विषयों के साथ किया गया था, किंतु 22 जनवरी, 2020 को आयोग का चौथा विचारार्थ विषय शामिल किया गया।

- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों/समुदाओं के बीच आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की जाँच करना।
- OBC के भीतर उप-श्रेणीकरण के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक तंत्र, क्रियाविधि, मापदंड और पैरामीटर आदि का निर्माण करना।
- OBC की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों/समुदायों/उप-जातियों की पहचान करना और उन्हें संबंधित उप-श्रेणी में वर्गीकृत करना।
- OBC की केंद्रीय सूची में मौजूद विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना और किसी भी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता या विसंगति और वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटियों में सुधार की सिफारिश करना।

आयोग का अब तक का कार्य

- 30 जुलाई, 2019 को सरकार को लिखे अपने पत्र में आयोग ने कहा था उसने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट का मसौदा तैयार कर लिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस रिपोर्ट के व्यापक राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं और इसे न्यायिक समीक्षा का भी सामना करना पड़ सकता है।
- आयोग का वर्तमान कार्यकाल 31 जनवरी, 2021 को समाप्त हो रहा है यानी यदि कार्यकाल का विस्तार नहीं किया गया तो आयोग 31 जनवरी, 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आयोग के समक्ष चुनौतियाँ

- आयोग के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नौकरियों और दाखिलों में OBC समुदाय के प्रतिनिधित्त्व की तुलना करने के लिये आयोग के पास OBC समुदाय की आबादी से संबंधी आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
- विशेषज्ञों के अनुसार, इस संबंध में सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (Socio Economic and Caste Census-SECC) के आँकड़ों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।
- हालाँकि 31 अगस्त, 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी कि वर्ष 2021 की जनगणना में OBC से संबंधित डेटा एकत्रित किया जाएगा, किंतु इसके बाद से अब तक इस दिशा में कोई घोषणा नहीं हुई है।

आयोग का अब तक का अध्ययन

- वर्ष 2018 में आयोग ने विगत पाँच वर्षों में OBC कोटे के तहत दी गईं 1.3 लाख केंद्रीय नौकरियों और विगत तीन वर्षों में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, IITs, NITs, IIMs और AIIMS समेत विभिन्न केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में OBC कोटे के लिये गए दाखिले के आँकड़ों का विश्लेषण किया था और विश्लेषण में सामने आया था कि
  - 24.95 प्रतिशत नौकरियाँ और सीटें सिर्फ 10 OBC समुदायों के पास ही हैं;
  - 983 OBC समुदायों यानी कुल OBC समुदायों के 37 प्रतिशत समुदायों का नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में शून्य प्रतिनिधित्त्व है;
  - 994 OBC उप-जातियों का नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कुल 2.68 प्रतिशत का प्रतिनिधित्त्व है;
  - 97 प्रतिशत नौकरियाँ और शैक्षणिक संस्थानों की सीटें OBC की केंद्रीय सूची में शामिल 25 प्रतिशत जातियों/समुदायों/उप-जातियों के पास हैं;

केंद्रीय नौकरियों में OBC भर्ती का स्तर

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पास मौजूद आँकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार की ग्रुप-A की सेवाओं में OBC का प्रतिनिधित्त्व 13.01 प्रतिशत, ग्रुप-B में 14.78 प्रतिशत, ग्रुप-C (सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त) में 22.65 प्रतिशत और ग्रुप-C (सफाई कर्मचारी) में 14.46 प्रतिशत है।
- आँकड़े से पता चला कि 95.2 प्रतिशत प्रोफेसर, 92.9 प्रतिशत एसोसिएट प्रोफेसर और 66.27 प्रतिशत सहायक प्रोफेसर सामान्य श्रेणी से थे, इसमें जिसमें SC, ST और OBC समुदाय के वे लोग भी शामिल हैं, जो आरक्षण की सीमा में नहीं आते हैं।
  - इस प्रकार उच्च शिक्षण संस्थानों में SC, ST और OBC समुदाय का प्रतिनिधित्त्व काफी कम है।

शासन कार्यों में अधिक भाषाओं के प्रयोग की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने शासन कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं को भी शामिल किये जाने की आवश्यकता बताई है।

प्रमुख बिंदु:

- सरकार को अन्य भाषाओं को शासन कार्यों में शामिल करने के लिये 'राजभाषा अधिनियम' (Official Languages Act)- 1963 में संशोधन करने की आवश्यकता होगी।

- हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'पर्यावरणीय प्रभाव आकलन' (Environment Impact Assessment-EIA) अधिसूचना- 2020 का अनुवाद, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्णय दिया था।
- भारत संघ द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

जम्मू और कश्मीर में नवीन आधिकारिक भाषाएँ:

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं के रूप में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को मान्यता देने वाले विधेयक को मंज़ूरी दे दी है।
- इससे पहले राज्य में केवल अंग्रेजी और उर्दू को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त थी।
  - यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जम्मू-कश्मीर को दो भागों में विभक्त करने वाले जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक- 2019 को 5 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया था। इसमें लद्दाख को अलग कर केंद्रशासित क्षेत्र बनाया गया था।

राजभाषा अधिनियम-1963:

- राजभाषा अधिनियम, 1963 (वर्ष 1967 में संशोधन) निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये उपयोग की जाने वाली भाषाओं को निर्धारित करता है:
  - संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिये भाषा;
  - संसदीय कार्यवाही के लिये भाषा;
  - केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के लिये भाषा;
  - उच्च न्यायालयों में निश्चित उद्देश्य के लिये भाषा।

राजभाषा पर समिति:

- समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिये हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करे तथा आवश्यक सिफारिशों के साथ इसे राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपे।
- राष्ट्रपति द्वारा रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा तथा इसे सभी राज्य सरकारों को भेजा जाएगा।
- राजभाषा समिति में तीस सदस्य शामिल होते हैं। जिनमें से 20 सदस्य लोक सभा से तथा दस सदस्य राज्य सभा से होते हैं।
- सदस्यों का चुनाव 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली' के माध्यम से किया जाता है।

संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान के भाग-17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित उपबंध शामिल किये गए हैं। राजभाषा के उपबंध चार शीर्षकों; संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएँ, न्यायपालिका एवं विधि के पाठ एवं अन्य विशेष निर्देशों की भाषा के रूप में शामिल किये गए हैं।

संघ की भाषा:

- संविधान लागू होने के पंद्रह वर्षों (वर्ष 1950 से 1965 के बीच की अवधि) के बाद भी हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आधिकारिक रूप से जारी रहेगा। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:
  - संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिये भाषा।
  - संसदीय कार्यवाही संचालन की भाषा।

क्षेत्रीय भाषा:

- संविधान में राज्यों के लिये किसी विशेष भाषा का उल्लेख नहीं किया गया। किसी राज्य की विधायिका उस राज्य मे एक या अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव 'आधिकारिक भाषा' के रूप में कर सकती है।
- राज्यों द्वारा आधिकारिक भाषा का चुनाव संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक सीमित नहीं है।
- केंद्र तथा राज्यों अथवा दो या अधिक राज्यों के बीच संवाद के रूप में अंग्रेजी अथवा हिंदी (हिंदी के प्रयोग के लिये सहमति आवश्यक) का प्रयोग किया जा सकेगा।

नोट :

न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ:

- जब तक संसद अन्यथा उपबंध नहीं करती है:
  - न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय) की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी।
  - केंद्र स्तर पर विधेयकों, अधिनियम, अध्यादेश, नियमों, उप-नियमों की का आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में होगा।
- हालाँकि राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

विशेष निर्देश:

- संविधान में भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये कुछ विशिष्ट निर्देश यथा- भाषायी अल्पसंख्यकों की शिकायतों का निवारण, मातृभाषा में शिक्षा आदि दिये गए हैं।

आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएँ:

- संविधान की आठवीं सूची में 22 भाषाएँ (मूल रूप से 14) शामिल हैं। ये हैं- असमिया, बंगाली (बांग्ला), बोडो, डोगरी (डोंगरी), गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मैतेई (मणिपुरी), मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।

भारत में भाषायी विविधता:

- 'यूनेस्को' ने भारत को सबसे अधिक भाषाई रूप से विविध देशों में से एक के रूप में मान्यता दी है। जिसमें 22 अनुसूचित भाषाएँ, सैकड़ों स्थानीय भाषाएँ और बोलियाँ शामिल हैं।
- भाषा केवल संचार का एक साधन नहीं है, बल्कि वे भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और परंपराओं का प्रतीक हैं।

आगे की राह:

- सरकार को लोगों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिये। लोगों पर किसी एक भाषा को जबरदस्ती थोपने के किसी भी प्रयास को रोका जाना चाहिये।
- आधिकारिक कार्यों में आठवीं अनुसूची में शामिल अधिक-से-अधिक भाषओं के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये तथा स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने की दिशा में व्यापक मानव-कौशल को प्रोत्साहन देना चाहिये।
- कृत्रिम बुद्धिमता जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग प्राचीन क्षेत्रीय ग्रंथों के अनुवाद और डिजिटलीकरण के लिये किया जा सकता है।

COVID-19 के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन: DSGE मॉडल

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले COVID-19 और लॉकडाउन के संभावित प्रभावों का एक अस्थायी और अनुमानित मूल्यांकन प्रदान करने के लिये 'डायनेमिक स्टोकैस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम' (Dynamic Stochastic General Equilibrium- DSGE) मॉडल का उपयोग कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

DSGE मॉडल:

- DSGE मॉडलिंग समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थात् मैक्रो इकॉनॉमिक्स में प्रयुक्त होने वाली एक विधि है जो आर्थिक विकास और व्यापार चक्र एवं आर्थिक नीति के प्रभावों को समझाने के लिये एप्लाइड जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी (General Equilibrium Theory) तथा आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित इकोनोमेट्रिक मॉडल (Econometric Model) के माध्यम से आर्थिक घटनाओं को स्पष्ट करती है।
  - इकोनोमेट्रिक, आर्थिक संबंधों को अनुभवजन्य सामग्री प्रदान करने के लिये आर्थिक आँकड़ों हेतु सांख्यिकीय विधियों का अनुप्रयोग है।

- ◆ जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी एक व्यापक आर्थिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में बाज़ार के साथ मांग और आपूर्ति किस प्रकार गतिशील रूप से कार्य करती है और अंततः कीमतों के संतुलन यानी इक्विलिब्रियम में परिणत हो जाती है।
- RBI ने लोगों, फर्मों और सरकार को अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य वाहक माना है।
- लॉकडाउन के कारण, लोगों को घर पर रहना पड़ता है, जिससे फर्मों में श्रम की आपूर्ति कम हो जाती है और गैर-आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता के कारण खपत और आय में गिरावट आती है।

DSGE मॉडल के अंतर्गत संभावित स्थिति:

- पहला परिदृश्य लॉकडाउन-I, इसने श्रम आपूर्ति और इसकी उत्पादकता को कम करके अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष को बुरी तरह से प्रभावित किया।
- दूसरा परिदृश्य यानी लॉकडाउन-II, इसमें सीमांत लागत में वृद्धि हुई यानी किसी एक वस्तु या सेवा की एक और इकाई के उत्पादन में लगने वाली अतिरिक्त लागत।
  - ◆ पहले और दूसरे दोनों परिदृश्यों में मुद्रास्फीति की दर में कटौती होने की संभावना है।
  - ◆ पहले परिदृश्य में उत्पादन में हुई कटौती कम गंभीर है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण में हुई वृद्धि के कारण मांग में अधिक संकुचन दिखाई देता है।
  - ◆ दूसरे परिदृश्य में, कंपनियाँ उत्पादन पर अंकुश लगाएंगी क्योंकि लाभ प्रभावित होगा, मज़दूरी में कम वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था एक बड़े संकुचन के दौर से गुजरेगी।
  - ◆ हालाँकि लॉकडाउन के दौरान महामारी की चपेट में आए लोगों के ठीक होने की दर तीव्र है क्योंकि लॉकडाउन के अनुपालन के चलते लोग एक दूसरे के संपर्क में अधिक नहीं आ पाए।
- RBI ने उपरोक्त दोनों परिदृश्यों के लिये DSGE मॉडल की जाँच यह मानकर की है कि:
  - ◆ अगस्त 2020 की दूसरी छमाही में COVID-19 संक्रमण अपने चरम पर रहा।
  - ◆ जब अर्थव्यवस्था सबसे बुरी तरह प्रभावित होती है, तो उत्पादन अंतराल (वास्तविक और संभावित उत्पादन के बीच का अंतर) संभावित उत्पादन के लगभग 12% तक कम हो जाता है।
- दोनों लॉकडाउन की स्थितियों में, 2020-21 की अप्रैल-जून की तिमाही में आर्थिक गतिविधियाँ निचले स्तर पर पहुँच गई और फिर इसमें सुधार देखने को मिला।
- तीसरे परिदृश्य में जब सरकार लॉकडाउन लागू नहीं करती है, महामारी बहुत व्यापक रूप धारण करते हुए तेज़ी से फैलती है और जनवरी 2021 की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था की विकास दर बहुत धीमी गति से रिकवरी करती है।
  - ◆ यह स्थिति लगातार श्रम की कमी का कारण बनेगी और आपूर्ति के प्रभावित होने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी और उत्पादन में कमी आएगी।

मानसून सत्र में 'प्रश्नकाल' और 'शून्यकाल' पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा के सचिवों ने अधिसूचित किया है कि COVID-19 महामारी के चलते संसद के मानसून सत्र के दौरान 'प्रश्नकाल' नहीं होगा तथा 'शून्यकाल' प्रतिबंधों के साथ दोनों सदनों में होगा।

प्रमुख बिंदु:

- ये अधिसूचनाएँ 14 सितंबर से 1 अक्तूबर के बीच लागू रहेगी।
- विपक्षी सांसदों ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे वे सरकार से प्रश्न करने का अधिकार खो देंगे।

प्रश्नकाल:

- संसदीय प्रक्रिया नियमों में प्रश्नकाल उल्लिखित नहीं है।

- संसदीय कार्यवाही का पहला एक घंटा प्रश्नकाल के लिये निर्धारित होता है। इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्री सामान्यत: इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
- वर्ष 1991 के बाद से प्रश्नकाल के प्रसारण के साथ, प्रश्नकाल संसदीय कार्यप्रणाली का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन बन गया है।
- 'प्रश्नकाल' में पूछे गए प्रश्न निम्नलिखित श्रेणी के होते हैं:

तारांकित प्रश्न:

- ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप में दिया जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है।

अतारांकित प्रश्न:

- ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है।

अल्पसूचना प्रश्न:

- इस प्रकार के प्रश्नों को कम-से-कम 10 दिन का पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है, तथा प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है।

शून्यकाल:

- संसदीय प्रक्रिया नियमों में प्रश्नकाल के समान 'शून्यकाल' भी उल्लिखित नहीं है।
- यह संसदीय कार्यप्रणाली का अनौपचारिक साधन है, संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मामले को उठा सकते हैं।
- शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता होता है।
- संसदीय प्रक्रिया में यह 'नवाचार' भारत की देन है।

प्रश्नकाल और शून्यकाल का महत्त्व:

- पिछले 70 वर्षों में सांसदों ने सरकारी कामकाज पर प्रकाश डालने के लिये इन संसदीय साधनों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।
- सांसदों द्वारा इन साधनों का प्रयोग करके सरकार की अनेक वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया है।
- प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों से सरकारी कामकाज के बारे में आँकड़ों और जानकारी की सार्वजनिक डोमेन में उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।
- संसदीय नियम पुस्तिका में ये संसदीय प्रक्रिया साधन उल्लिखित नहीं होने के बावजूद इन्हें नागरिकों, मीडिया, सांसदों और पीठासीन अधिकारियों का व्यापक समर्थन प्राप्त है।

आगे की राह:

- सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है, इसलिये सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिये संसदीय कार्यवाही को निलंबित या बंद नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि यह संविधान की भावना के विरुद्ध होगा

आंध्रप्रदेश में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करने से इनकार कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी सरकार के कक्षा 1 से 6 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिये अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम बनाने के निर्णय पर रोक लगा दी गई थी।

प्रमुख बिंदु

- जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्त्व में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने उल्लेख किया कि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम की धारा 29(2) (F) के अनुसार, शिक्षा का माध्यम, जहाँ तक संभव हो, बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिये।

- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय, आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका पर पुन: अगले माह 25 सितंबर को सुनवाई करेगा।

पृष्ठभूमि

- सर्वप्रथम बीते वर्ष नवंबर माह में मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से अनिवार्य रूप से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी माध्यम शुरू करने का प्रस्ताव रखा था।
- जिसके बाद इस आदेश में कुछ संशोधन किया गया, जिसके मुताबिक पहले चरण में केवल कक्षा 1 से 6 को अंग्रेज़ी माध्यम में पढाए जाने की बात की गई।
- 23 जनवरी, 2020 को भविष्य के छात्रों के लिये इस कदम को क्रांतिकारी बताते हुए इस संबंध में एक विधेयक पारित कर दिया गया।
- इसके पश्चात् सरकार के इस विधेयक को चुनौती देते हुए आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई और इस मामले की सुनवाई के पश्चात् 15 अप्रैल, 2020 को, मुख्य न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी के नेतृत्त्व में आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया।
  - आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए तर्क दिया गया था कि कई अध्ययन दर्शाते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे तभी अधिक सीख पाते हैं जब उन्हें उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए।

आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय का मत

- आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि स्कूली शिक्षा में शिक्षा का माध्यम चुनने का विकल्प एक मौलिक अधिकार है। खंडपीठ ने माना कि नागरिक को शिक्षित करने के लिये शिक्षा के माध्यम का चयन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।
- उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि आंध्रप्रदेश सरकार का निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(G) का भी उल्लंघन करता है, चूँकि यह भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों के 'किसी भी पेशे को स्वतंत्रतापूर्वक अपनाने के अधिकार' का उल्लंघन करता है।
  - सर्वोच्च न्यायलय ने टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(G) के तहत शैक्षणिक संस्थान चलाने को एक पेशे के रूप में स्वीकार किया था।
- आंध्रप्रदेश शिक्षा अधिनियम, 1982 की धारा 7 के तहत भी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने और कला-कौशल आदि के महत्त्व के बारे में बात की गई है।
- इसके अलावा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में शिक्षा के माध्यम को बदलने की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास नहीं है।
  - बल्कि आंध्रप्रदेश शिक्षा अधिनियम, 1982 की धारा 7(3) और 7(4) के मुताबिक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) वह शैक्षणिक प्राधिकरण होगा, जो निर्धारित प्राधिकारी के साथ परामर्श करने के पश्चात् राज्य के विद्यालयों में बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन के साथ-साथ उसके पाठ्यक्रम, रूपरेखा और मूल्यांकन तंत्र का निर्धारण करेगा।

अंग्रेज़ी भाषा के पक्ष में तर्क

- कई लोग मानते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा बोलने और समझने की क्षमता एक व्यक्ति ऐसी कई नौकरियों के लिये योग्य बना देती है, जो अभी तक स्थानीय भाषी लोगों के लिये उपलब्ध नहीं हैं।
- प्राय: अंग्रेज़ी के ज्ञान की कमी के कारण सरकारी स्कूल के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेज़ी माध्यम के निजी स्कूल के छात्रों की तुलना में कमतर आंका जाता है।
- अधिकांश तकनीक और विज्ञान से संबंधित पुस्तकें अंग्रेज़ी भाषा में ही उपलब्ध हैं, साथ ही उच्च शिक्षा के अधिकांश विषय भी अंग्रेज़ी भाषा में ही पढाए जाते हैं। ऐसे में हिंदी अथवा किसी अन्य स्थानीय भाषा के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- वैश्विक भाषा होने के कारण अंग्रेज़ी छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम बनाती है।

स्थानीय भाषा के पक्ष में तर्क

- प्राय: मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा का उपयोग छात्रों के लिये सीखने की प्रक्रिया को अधिक परिचित, समझने योग्य तथा स्वीकार्य बना देता है। इससे छात्र सीखने की प्रकिया से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
- मातृभाषा का उपयोग करके छात्र स्वयं को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं और अपनी मातृभाषा में अपने अनुभवों, अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं।
- अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग प्राय: उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच एक अंतर पैदा कर देता है, कई बार यह भी देखने को मिलता है कि भाषाई विकलांगता (Linguistic Disability) के कारण वास्तविक प्रतिभा और योग्यता दबकर रह जाती है।

प्रारंभिक बाल विकास की अवधारणा और महत्त्व

चर्चा में क्यों?

गैर-सरकारी संगठन (NGO) मोबाइल क्रेच (Mobile Creches) द्वारा निर्मित और उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिज़ोरम बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल के मामले में शीर्ष पाँच राज्य हैं।

प्रमुख बिंदु

- मोबाइल क्रेच (Mobile Creches) द्वारा जारी 'स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इंडिया इन इंडिया' रिपोर्ट में दो प्रकार के इंडेक्स तैयार किये गए हैं- (1) यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स और (2) यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स।
  - यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स: यह इंडेक्स छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच स्वास्थ्य पोषण और ज्ञान-संबंधी विकास को मापता है, इस इंडेक्स सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का जबकि सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा है
  - इस इंडेक्स में ऐसे कुल आठ राज्यों की पहचान की गई है, जिन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और ज्ञान-संबंधी विकास के मामले में देश के औसत अंकों से भी कम अंक प्राप्त किये हैं, इन आठ राज्यों में- असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल हैं।
  - यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स: इस इंडेक्स के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले नीतिगत उपायों को समझने का प्रयास किया गया है।
  - इस इंडेक्स में बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पाँच नीतिगत उपायों यथा- गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मज़बूत करना, शिक्षा स्तर में सुधार करना, स्वच्छ जल आपूर्ति और लिंग समानता का प्रचार, को शामिल किया गया है।
  - इस इंडेक्स में केरल, गोवा, सिक्किम, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने शीर्ष पाँच स्थान प्राप्त किये हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जिन राज्यों ने पहले इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्होंने दूसरे इंडेक्स में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि पहले इंडेक्स में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य दूसरे इंडेक्स में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं।

बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की आबादी में छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या तकरीबन 13.1 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015-16 में पाँच वर्ष की आयु से कम उम्र के तकरीबन 21 प्रतिशत बच्चे अल्पपोषण से प्रभावित थे। वहीं 6 माह से 23 माह के बीच के 94.1 प्रतिशत बच्चों को पर्याप्त आहार प्राप्त नहीं हुआ था।
- नीति निर्माताओं द्वारा इस आयु समूह की उपेक्षा करना और इसके विकास पर ध्यान न देने का ही कारण है कि शिशु मृत्यु दर (IMR), बच्चों की देखभाल और उनके पोषण तथा विकास के मामले में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा नहीं रहा है।

प्रारंभिक बाल विकास की अवधारणा

- प्राय: बच्चों के विकास में बचपन के शुरुआती क्षण काफी महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं और उनका असर जीवन भर देखने को मिलता है। जन्म के पश्चात् शिशु का मस्तिष्क काफी तेज़ी से विकसित होता है और उसके शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकास में उल्लेखनीय भूमिका अदा करता है, इसलिये कई विशेषज्ञ प्रारंभिक बाल विकास (Early Childhood Development) की अवधारणा पर काफी ज़ोर देते हैं।

नोट :

- महत्त्व
  - युवा बच्चों को समग्र विकास का एक ठोस आधार प्रदान कर भविष्य में नए अवसरों का दोहन किया जा सकता है।
  - इससे गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन का विकास होता है।
  - इसके माध्यम से आम जन-जीवन के रहन-सहन के स्तर में बढ़ोतरी संभव है।
  - प्रारंभिक बाल विकास युवा अवस्था के लिये एक नींव के तौर पर कार्य करता है।

चुनौती

- बड़ी संख्या में भारतीय परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों को पोषण और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं और प्राय: अल्पपोषण और कुपोषण जैसी समस्याएँ भी इसी वर्ग के बीच देखी जाती हैं।
- गौरतलब है कि भारत में बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल और उनके पोषण पर ध्यान देने के लिये कई नीतियाँ और योजनाएँ यथा- एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS), राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2005 और राष्ट्रीय बाल देखभाल और शिक्षा नीति, 2013 आदि बनाई गई हैं। हालाँकि इन सब के बावजूद बच्चों के पोषण की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आ सका है।

सुझाव

- बच्चों के माता-पिता को स्वास्थ्य देखभाल, अनुकूल आहार और बच्चों को घर पर शुरुआती शिक्षा देने के लिये प्रशिक्षित किया जा सकता है।
- प्रारंभिक बाल विकास (ECD) के संबंध में केवल योजनाओं के निर्माण से ही सफलता प्राप्त नही की जा सकती है, बल्कि योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
  - बच्चों के लिये नीतिगत और कानूनी ढाँचे को मज़बूत करने की आवश्यकता है, साथ ही इससे अंत: परस्पर संबद्ध (Interconnect-ed) क्षेत्रों जैसे- मातृत्त्व और बाल स्वास्थ्य आदि में निवेश बढाने की आवश्यकता है।
- गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे परिवारों को इस संबंध में सक्षम बनाना केंद्र और राज्य सरकार का दायित्त्व है और उन्हें इस महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी को समझते हुए आवश्यक नीति का निर्माण करना चाहिये।

स्थायी समितियों के कार्यकाल में विस्तार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्यसभा सचिवालय द्वारा विभागीय स्थायी समितियों के कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष करने के लिये इससे संबंधित नियमों में बदलाव पर विचार किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि वर्तमान में राज्यसभा में कार्यरत सभी स्थायी समितियों का कार्यकाल 11 सितंबर, 2020 को समाप्त हो जाएगा और इसके पश्चात वे नए पैनल की स्थापना तक विचार-विमर्श नहीं कर सकेंगी।
- कई समिति अध्यक्षों के अनुसार, उनकी समिति के कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा COVID-19 महामारी के कारण नष्ट हो गया।
- इसी प्रकार कई अन्य समितियाँ अपनी रिपोर्ट पूरी नहीं कर सकी हैं। उदाहरण के लिये सूचना प्रौद्योगिकी पर बने एक पैनल द्वारा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सोशल मीडिया/ ऑनलाइन समाचार प्लेटफार्मों के दुरुपयोग (जिसमें इंटरनेट पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पर विशेष ज़ोर देते दिया गया) को रोकने के लिये विचार-विमर्श को पूरा नहीं किया जा सका है।
- ध्यातव्य है कि पैनल ने इसी मुद्दे पर हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक को समन (Summon) भेजा था।
- इसी प्रकार COVID-19 से निपटने की तैयारी पर बनी एक अन्य समिति अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी है।

समाधान:

- वर्तमान में इस चुनौती से निपटने के लिये दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
    1. वर्तमान पैनल के कार्यकाल को एक वर्ष के लिये बढ़ाया जाना।
    2. दो वर्ष के निर्धारित कार्यकाल के साथ नई समितियों का गठन करना।

स्थायी समितियों का महत्त्व:

- संसद के कार्यदिवसों में कमी और संसद में प्रस्तुत विधेयकों की संख्या अधिक होने से सदन में ही इन पर व्यापक चर्चा कर पाना बहुत कठिन है। ऐसे में स्थायी समितियाँ प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा और सुधारों के लिये एक मंच प्रदान करती हैं।
- संसदीय समितियाँ सरकार की नीतियों का परीक्षण कर उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं।

स्थायी समितियों से संबंधित दिशा निर्देशों का नया मसौदा:

- हाल ही में राज्यसभा सचिवालय द्वारा स्थायी समितियों के लिये दिशानिर्देशों का नया मसौदा तैयार किया गया है। इस मसौदे में कई महत्त्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किये गए हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-
    - किसी भी पैनल की बैठक से पहले कम-से-कम 15 दिन का नोटिस और 1/3 सदस्यों से इसकी पुष्टि की अनिवार्यता।
    - योग्यता, रुचियों और कार्यक्षेत्र के आधार पर सदस्यों का नामांकन।
    - साक्ष्य एकत्र करने और रिपोर्ट को अपनाने या उसके निर्धारण के लिये कम-से-कम 50% सदस्यों की उपस्थिति की अनिवार्यता।

संसदीय समितियाँ:

- भारत में आमतौर पर दो प्रकार की संसदीय समितियाँ होती हैं।
    - स्थायी समिति (Standing Committee)
    - तदर्थ समिति (Ad Hoc Committee)
- स्थायी समिति: स्थायी समितियों अनवरत रूप से कार्य करती रहती हैं, इनका गठन वार्षिक रूप से किया जाता है। वित्तीय समितियाँ, विभागीय समितियाँ आदि स्थायी समितियों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।
- तदर्थ समिति: तदर्थ या अस्थायी समितियों का गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिये किया जाता है। उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के पश्चात् संबंधित अस्थायी समिति को भी समाप्त कर दिया जाता है। अस्थायी समितियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-
    - जाँच समितियाँ
    - सलाहकार समितियाँ
- विभागीय समितियाँ: वर्तमान में ऐसी कुल समितियों की संख्या 24 है, इनमें से 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं।

सदस्य:

- प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 31 सदस्य (21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से) होते हैं। समिति में शामिल लोकसभा सदस्यों का मनोनयन लोकसभा स्पीकर तथा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है।
- कोई भी मंत्री किसी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत होने के लिये पात्र नहीं होता है।
- कार्यकाल: प्रत्येक स्थायी समिति का कार्यालय उसके गठन की तिथि से एक वर्ष के लिये होता है।

केशवानंद भारती वाद और 'मूल संरचना' का सिद्धांत

चर्चा में क्यों?

केरल स्थित एडनीर मठ (Edneer Mutt) के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का 79 वर्ष की आयु में केरल के कासरगोड (Kasaragod) स्थित आश्रम में निधन हो गया है। गौरतलब है कि स्वामी केशवानंद भारती द्वारा दायर याचिका में ही सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल, 1973 को संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था।

प्रमुख बिंदु

- 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' वाद (1973) में दिये गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संविधान की उस 'मूल संरचना' को निर्धारित किया गया, जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है।

केशवानंद भारती

- स्वामी केशवानंद भारती वर्ष 1961 से ही केरल के कासरगोड ज़िले में स्थित एडनीर मठ के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। केशवानंद भारती को केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती देने और सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक 'मूल संरचना' के सिद्धांत के लिये आज भी याद किया जाता है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा।
- इस मामले की सुनवाई के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ का गठन किया था, जो कि अब तक सबसे बड़ी खंडपीठ थी। इस मामले की सुनवाई कुल छह माह तक तकरीबन 68 कार्यदिवसों में पूरी की गई थी।

केशवानंद भारती वाद- पृष्ठभूमि

- किसी देश का संविधान उस देश का मूलभूत कानून होता है, इस दस्तावेज़ के आधार पर देश में अन्य सभी कानून बनाए और लागू किये जाते हैं।
- कई देशों के संविधानों में उसके कुछ विशिष्ट हिस्सों को संशोधन के प्रावधानों से सुरक्षा प्रदान की गई है, इन विशिष्ट हिस्सों को संविधान के अन्य हिस्सों की तुलना में खास दर्जा दिया गया है।
- भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने की संसद की शक्ति को लेकर बहस शुरू हो गई थी।
- स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने 'शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार वाद' (1951) और 'सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार वाद' (1965) में निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की।
- बाद के वर्षों में जब सत्तारुढ़ सरकार ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिये संविधान संशोधन जारी रखा तो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद (1967) में अपने पुराने निर्णयों को बदलते हुए निर्णय दिया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति नहीं है।
- 1970 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन सरकार ने 'आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970), 'माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ (1970) और पूर्व उल्लेखित गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद (1967) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये निर्णयों को बदलने के उद्देश्य से संविधान में कई महत्त्वपूर्ण संशोधन (24वाँ, 25वाँ, 26वाँ और 29वाँ) किये।
- इन सभी संशोधनों और गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में चुनौती दी गई। असल में इस मामले में एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती द्वारा याचिका के माध्यम से केरल सरकार के दो राज्य भूमि सुधार कानूनों से राहत की मांग की गई थी।
    - दरअसल 1970 के दौर में केरल की तत्कालीन सरकार द्वारा नागरिकों के बीच समानता स्थापित करने हेतु भूमि सुधार कानून लाए गए, इन कानूनों के तहत राज्य सरकार ने ज़मींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण कर लिया, इसी निर्णय के तहत एडनीर मठ की भूमि का भू अधिग्रहण कर लिया गया था। राज्य सरकार के इसी निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में चुनौती दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और संविधान की 'मूल संरचना'

- चूँकि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद में 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्णय लिया था, इसलिये केशवानंद भारती मामले की सुनवाई करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ का गठन किया गया।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13-सदस्यीय खंडपीठ के सदस्यों के बीच भारी वैचारिक मतभेद देखने को मिला और खंडपीठ ने 7-6 से निर्णय दिया कि संसद को संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने से रोका जाना चाहिये।

नोट :

- खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि संविधान के कुछ हिस्से इतने अंतर्निहित और महत्त्वपूर्ण हैं कि उन्हें संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियाँ प्रदान करता है, के तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है।

'मूल संरचना' का सिद्धांत

- 'मूल संरचना' के सिद्धांत की उत्पत्ति असल में जर्मनी के संविधान में पाई जाती है, जिसे नाज़ी शासन के बाद कुछ बुनियादी कानूनों की रक्षा के लिये संशोधित किया गया था।
    - जर्मनी में नाज़ी शासन के पूर्व के संविधान में संसद को दो-तिहाई बहुमत के साथ संविधान संशोधन की शक्ति दी गई थी और इन्ही प्रावधानों का उपयोग हिटलर द्वारा कई महत्त्वपूर्ण बदलाव करने के लिये किया गया था।
- इन्ही अनुभवों से सीखते हुए जर्मनी के नए संविधान में इसके कुछ विशिष्ट हिस्सों को संशोधित करने के लिये संसद की शक्तियों पर पर्याप्त सीमाएँ लागू की गई।
- भारत में मूल संरचना सिद्धांत के माध्यम से संसद द्वारा पारित सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा का आधार प्रस्तुत किया गया है।
- हालाँकि, बुनियादी संरचना क्या है, यह निरंतर विचार-विमर्श का विषय रहा है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने 'मूल संरचना' को परिभाषित नहीं किया, किंतु संविधान की कुछ विशेताओं को 'मूल संरचना' के रूप निर्धारित किया है, जिसमें संघवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा आदि शामिल हैं। तब से इस सूची का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।

निष्कर्ष

यद्यपि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती को केरल सरकार के कानूनों से तो राहत नहीं मिल सकी थी, किंतु इस मामले से भारतीय लोकतंत्र की जीत ज़रूर हुई थी। इस सिद्धांत के आलोचक इसे अलोकतांत्रिक सिद्धांत मानते हैं, क्योंकि यह न्यायाधीशों को जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के बनाए कानूनों को रद्द करने का अधिकार देता है। वहीं इसके समर्थकों का मत है कि यह सिद्धांत बहुसंख्यकवाद और अधिनायकवाद के विरुद्ध एक सुरक्षा उपकरण के रूप में कार्य करता है।

गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी अंशदान पर सख्ती

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम' (Foreign Contribution Regulation Act -FCRA) के तहत 6 'गैर-सरकारी संस्थाओं' (Non-Governmental Organizations or NGOs) का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जिन 6 NGOs के लाइसेंस रद्द किये गए हैं उनमें से 4 ईसाई संगठन (Christian Associations) हैं।
- इनमें से कई संगठनों के दानकर्त्ताओं के प्रभाव के संदर्भ में चिंताएँ व्यक्त की गई थी।
- इससे पहले वर्ष 2016 में भी FCRA के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण लगभग 20,000 गैर-सरकारी संस्थाओं के लाइसेंस रद्द कर दिये गए थे।
- ध्यातव्य है कि गैर-सरकारी संस्थाओं को विदेशी चंदा/अंशदान प्राप्त करने के लिये FCRA लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
- वर्तमान में देश में 22,457 NGOs या अन्य संगठन FCRA के तहत पंजीकृत हैं, जबकि वर्ष 2012 से अब तक 20,674 NGOs का FCRA लाइसेंस रद्द किया जा चुका है और 6,702 NGOs के FCRA लाइसेंस नवीनीकरण के अभाव में समाप्त को गए।

नोट :

प्रभावित संस्थाएँ और पृष्ठभूमि:

- एक्रियोसोकुलिस नॉर्थ वेस्टर्न गॉसनर इवैंजेलिकल (Ecreosoculis North Western Gossner Evangelical)- झारखंड
- एवैंजेलिकल चर्चेस एसोसिएशन (Evangelical Churches Association- ECA)- मणिपुर (वर्ष 1952 में स्थापित, यह एक वेल्श प्रेस्बिटेरियन मिशनरी से संबंधित है, जिसने 1910 में भारत का दौरा किया था।)
- नॉर्दर्न इवैंजेलिकल लूथरन चर्च (Northern Evangelical Lutheran Church)- झारखंड (वर्ष 1987 में स्थापित, यह लूथरन परंपरा पर आधारित विश्व के 99 देशों में फैले 148 चर्चों के समूह का हिस्सा है।)
- न्यू लाइफ फैलोशिप एसोसिएशन (New Life Fellowship Association- NLFA)- मुंबई (वर्ष 1964 में न्यूज़ीलैंड के न्यू लाइफ चर्च से मिशनरियों के आगमन के बाद इस संस्था ने भारत में 1960 के दशक में कार्य करना प्रारंभ किया।)
  - गृह मंत्रालय द्वारा 'राजनंदगाँव लेप्रोसी हॉस्पिटल एंड क्लीनिक' (Rajnandgaon Leprosy Hospital and Clinics) और 'डॉन बॉस्को ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी' नामक दो अन्य NGOs के FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।

FCRA लाइसेंस निरस्तीकरण से जुड़े पूर्व मामले:

- वर्ष 2017 में गृह मंत्रालय द्वारा अमेरिका के 'कंपैशन इंटरनेशनल' (Compassion International) नामक NGO को धार्मिक मतांतरण को बढ़ावा देने से संबंधित गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद संस्था को भारत में अपनी कार्यक्रमों को बंद करना पड़ा था।
- तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव के अनुसार, 'कंपैशन इंटरनेशनल' द्वारा FCRA के दिशा निर्देशों का सही से पालन नहीं किया जा रहा था।
- इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 में ही 'ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रपीज़' (Bloomberg Philanthropies) नामक अमेरिकी धर्मार्थ संगठन से अनुदान प्राप्त करने वाले दो अन्य NGOs के FCRA लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन को रद्द कर दिया गया था।
  - 'ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रपीज़' न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर और अरबपति माइकल ब्लूमबर्ग द्वारा स्थापित एक धर्मार्थ संस्थान है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री और न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने 'ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रपीज़' की सहायता से भारत में 'स्मार्ट सिटीज़' (Smart Cities) के निर्माण हेतु एक संयुक्त पहल की घोषणा की थी।

कारण:

- नवंबर 2019 में कुछ हिंदू समूहों ने NLFA पर धार्मिक मतांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था और इस संदर्भ में एक पुलिस शिकायत भी दायर की थी।
- गृह मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, 10 फरवरी 2020 को NLFA के FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था।

भारत में NGOs से जुड़ी समस्याएँ:

- वर्ष 2015 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) द्वारा सर्वोच्च न्यायलय को दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में सक्रिय कुल NGOs की संख्या लगभग 31 लाख बताई गई थी।
- देश में बड़ी संख्या में NGOs के कार्यों और वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में पारदर्शिता का अभाव पाया गया है।
- वर्ष 2015 में देश में सक्रिय कुल NGOs में से 10% से भी कम ने ही अपनी बैलेंस शीट और आय-व्यय विवरण को जमा करने से संबंधी अनिवार्यताओं को पूरा किया था।
- वर्ष 2017 में अनेक NGOs को लगातार 5 वर्षों तक अपने वार्षिक रिटर्न न दाखिल करने के कारण नोटिस जारी किया गया था।

गैर-सरकारी संस्था (Non-Governmental Organization or NGO):

- गैर-लाभकारी या गैर-सरकारी संस्थान या एनजीओ (NGO) से आशय ऐसी संस्थाओं से है जो न तो सरकार का हिस्सा होती हैं और न ही वे अन्य व्यावसायिक संस्थानों की तरह लाभ के उद्देश्य से कार्य करती हैं।
- भारत में 'धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863', सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882' आदि के तहत NGOs का पंजीकरण किया जाता है।

नोट :

विदेशी अंशदान:

- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत किसी व्यक्ति/संस्था/कंपनी आदि द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी विदेशी स्रोत से उपहार के रूप में प्राप्त कोई वस्तु, मुद्रा या प्रतिभूतियों (जिसका मूल्य उस तिथि को 25,000 रुपए से अधिक हो) को विदेशी अंशदान के रूप में परिभाषित किया गया है।

'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम' (Foreign Contribution Regulation Act -FCRA):

- किसी विदेशी नागरिक या संस्था द्वारा भारत में किसी NGO या अन्य संस्थाओं को दिये गए अंशदान को विनियमित करने के लिये वर्ष 1976 में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम लागू किया गया।
- वर्ष 2010 में इस अधिनियम में बड़े पैमाने पर सुधार किये गए।
- भारत में कार्यरत NGOs को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिये FCRA के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है।
- इस अधिनियम के तहत NGOs का FCRA लाइसेंस पाँच वर्ष के लिये वैध होता है।
- FCRA के तहत पंजीकरण के बगैर कोई भी NGO या अन्य संस्थान 25,000 रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता या कोई अन्य विदेशी अंशदान नहीं स्वीकार कर सकते।

आगे की राह:

- NGOs समाज में सरकार और निजी क्षेत्र की पहुँच से दूर रह गए लोगों तक मूलभूत सुविधाएँ पहुंचाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- ऐसे में सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी भी सामाजिक संस्था पर राजनीतिक दुर्भावना या कानूनों के दुरुपयोग के माध्यम से गलत कार्रवाई न की जाए।
- हाल के वर्षों में देश में NGOs की कार्यशैली से संबंधित अनियमितताओं को देखते हुए देश में NGOs के पंजीकरण के नियमों में आवश्यक सुधार किये जाने चाहिये।
- NGOs के अंशदान और वित्तीय व्यय के विवरण की नियमित जाँच की जानी चाहिये।

PG में सरकारी डॉक्टरों को दिया जाएगा आरक्षण: SC

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को सरकारी नौकरी कर रहे डॉक्टरों को मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) पाठ्यक्रम में प्रवेश में आरक्षण का लाभ देने की अनुमति प्रदान की है। सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह भी कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के पास PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये सरकारी नौकरी वाले डॉक्टरों (इन-सर्विस डॉक्टरों) को आरक्षण प्रदान करने या न करने की कोई शक्ति नहीं है।

प्रमुख बिंदु

- खंडपीठ ने कहा है कि इस तरह के आरक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाले MCI के नियम असंवैधानिक और मनमाने हैं। इन-सर्विस डॉक्टरों के लिये आरक्षण प्रदान करने का अधिकार राज्य विधायिका के पास है।
    - मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के पास PG कोर्सेज़ में दाखिले के लिये इन-सर्विस डाक्टरों को आरक्षण देने या नहीं देने की कोई शक्ति नहीं है। पीठ ने MCI के विषय में स्पष्ट किया कि यह एक संवैधानिक संस्था है और इसे आरक्षण संबंधी प्रावधान बनाने का कोई अधिकार नहीं है।
    - पीठ ने कहा कि एक राज्य के पास विधायी क्षमता और अधिकार है, राज्य को सूची-III की प्रविष्टि 25 के तहत स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिये प्रवेश का एक अलग स्रोत प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है।
        - सूची-III की प्रविष्टि 25: शिक्षा (तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित) संबंधी प्रावधान प्रविष्टि संख्या 63, 64, 65 के विषय हैं।

- संविधान संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों को सातवीं अनुसूची के तहत तीन स्तरों पर विभाजित करता है, जो सूची-I (संघ सूची), सूची-II (राज्य सूची) और सूची-III (समवर्ती सूची) में वर्णित हैं।
- पीठ ने राज्यों से PG की डिग्री पूरी करने के बाद इन-सर्विस डॉक्टरों द्वारा ग्रामीण/दूरस्थ सेवा में सेवा देने के लिये एक योजना तैयार करने को कहा है। साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि नीट PG कोर्सेज़ में दाखिले हेतु आरक्षण के लिये डॉक्टरों द्वारा दूरदराज़ या ग्रामीण इलाकों में 5 वर्ष तक काम करने का बॉण्ड साइन किया जाना अनिवार्य है।

पृष्ठभूमि:

- केरल, महाराष्ट्र, और हरियाणा के डॉक्टरों ने एक याचिका दायर की थी जिसमें MCI द्वारा तैयार किये गए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2000 की वैधता को चुनौती दी गई थी।
  - पीजी डिग्री पाठ्यक्रमों में सभी प्रवेश परीक्षाएँ NEET के माध्यम से आयोजित की जाती हैं और 50% सीटें अखिल भारतीय कोटा के माध्यम से भरी जाती हैं और शेष 50% राज्य कोटा से।
  - वर्तमान में PG डिप्लोमा कोर्सेज़ में होने वाले दाखिले के लिये 50 फीसदी सीटें सरकारी डाक्टरों के लिये आरक्षित की गई हैं लेकिन वहीं MCI नियमों के मुताबिक PG के डिग्री कोर्सेज़ में दाखिले हेतु सरकारी डाक्टरों के लिये आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।
  - PG के डिग्री कोर्सेज़ के लिये होने वाले दाखिले में 50 फीसद सीटें ऑल इंडिया कोटे से और 50 फीसदी सीटें स्टेट (राज्य) कोटे से भरी जाती हैं।
- डॉक्टरों का कहना है कि आरक्षण का लाभ मिलने से सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों को प्रोत्साहन मिलेगा।
  - सेवारत उम्मीदवारों को, उनके काम (ड्यूटी) के कारण, अध्ययन करने के लिये मुश्किल से समय मिल पाता है, ऐसे में उनके लिये सामान्य मेरिट वाले उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना बहुत कठिन हो जाता है।
- केंद्र सरकार और MCI ने यह कहते हुए इस दलील का विरोध किया कि इन-सर्विस उम्मीदवारों को कोर्स में प्रवेश का एक अलग स्रोत उपलब्ध कराने या आरक्षण देने से न केवल मेडिकल एजुकेशन के स्तर पर प्रभाव पड़ेगा बल्कि इससे MCI की अथॉरिटी भी प्रभावित होगी।

नीति आयोग का 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक'

चर्चा में क्यों?

'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Global Multidimensional Poverty Index- MPI) की निगरानी करने के लिये 'नीति आयोग' (NITI Aayog) द्वारा राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का निर्माण किया जा रहा है । नीति आयोग, भारत में MPI की निगरानी के लिये नोडल एजेंसी है।

प्रमुख बिंदु:

- वैश्विक MPI, भारत सरकार द्वारा पहचाने गए उन 29 चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों में से एक है, जिन्हें 'सुधार और विकास के लिये वैश्विक संकेतक' (Global Indices to Drive Reforms and Growth- GIRG) के रूप में जाना जाता है।
- GIRG में शामिल सूचकांक, महत्त्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के आधार पर भारत के प्रदर्शन का मापन और निगरानी करने में मदद करते हैं

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI):

- वैश्विक 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' 107 विकासशील देशों की बहुआयामी गरीबी मापने की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है
- इसे 'ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल' (OPHI) और 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (UNDP) द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया था।
- इसे प्रतिवर्ष जुलाई माह में संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास पर 'उच्च-स्तरीय राजनीतिक फोरम' (HLPF) में जारी किया जाता है।

नीति आयोग द्वारा MPI निगरानी फ्रेमवर्क की दिशा में कदम:

'बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति:

- नीति आयोग द्वारा MPI की निगरानी के लिये एक 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति' (Multidimensional Poverty Index Coordination Committee- MPICC) का गठन किया गया है।
- इस समिति में विद्युत, दूरसंचार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, आवास और शहरी मामले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे मंत्रालयों और विभागों के सदस्य शामिल हैं। इन मंत्रालयों/विभागों का चयन MPI सूचकांक में शामिल दस संकेतकों के आधार पर किया गया है।
- मंत्रालयों/विभागों के सदस्यों के अलावा OPHI और UNDP के विशेषज्ञ भी समिति को अपनी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे।

राष्ट्रीय MPI तथा पैरामीटर डैशबोर्ड:

- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंक तैयार करने के लिये नीति आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' तैयार किया जा रहा है।
- MPI में प्रदर्शन की निगरानी के लिये MPI पैरामीटर डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है।
- यह डैशबोर्ड पाँच बेंचमार्कों के आधार पर राज्यों की प्रगति का आकलन करेगा।
  - MPI के आयाम (शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर);
  - MPI के संकेतकों (10 संकेतकों);
  - उप-संकेतकों (प्रत्येक संकेतक में 13 उप-संकेतक),
  - आधार रेखा ['राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)- 4 के आधार पर निर्धारित]
  - राज्यों की वर्तमान स्थिति (संकेतकों के नवीनतम आउटकम सर्वे पर आधारित)

राज्य सुधार कार्य योजना (SRAP):

- MPI के अनुसार, राज्यों में आवश्यक सुधारों को लागू करने के लिये एक 'राज्य सुधार कार्य योजना' (State Reform Action Plan- SRAP) को क्रियान्वित किया जाएगा।
- SRAP को क्रियान्वित करने के लिये निम्नलिखित चरणबद्ध कदम उठाए जाएंगे:

1. MPI संकेतकों को उप-संकेतकों में विभाजित अर्थात संकेतकों का विसमूहन किया जाएगा।
2. संकेतकों से संबंधित योजनाओं के प्रदर्शन का मापन करना।
3. संबंधित योजना को क्रियान्वित करने वाले मंत्रालय/विभाग की पहचान करना।
4. विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों तथा अन्य हितधारकों से परामर्श करना।
5. लक्ष्य तथा समय-सीमा तय करना।
6. उच्च, माध्यम तथा निम्न वरीयताओं का निर्धारण करना।

राष्ट्रीय MPI निगरानी फ्रेमवर्क का महत्त्व:

- नीति आयोग का राष्ट्रीय MPI निगरानी फ्रेमवर्क 'सतत् विकास लक्ष्य'- 1, जो गरीबी को उसके सभी रूपों में हर जगह से खत्म करने पर बल देता है, के अनुरूप है।
- विश्व बैंक की गरीबी रेखा की अवधारणा की तुलना मे MPI, अधिक व्यापक दृष्टिकोण है, जो 'सामाजिक अवसंरचना' पर व्यय बढ़ाने की भारत की आवश्यकता के अनुकूल है। MPI का राष्ट्रीय मापन प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देगा।

निष्कर्ष:

- 'बहुआयामी गरीबी' के निर्धारण में आय ही एक मात्र संकेतक नहीं होता बल्कि अन्य सूचकों जैसे- खराब स्वास्थ्य, काम की खराब गुणवत्ता आदि पर भी ध्यान दिया जाता है। अत: MPI की बेहतर निगरानी से राष्ट्रीय विकसात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

नोट :

दिल्ली मास्टर प्लान-2041

चर्चा में क्यों?

दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority- DDA) द्वारा 'मास्टर प्लान फॉर दिल्ली- 2041' (Master Plan for Delhi 2041) पर सार्वजनिक परामर्श लिया जा रहा है, गौरतलब है कि 'मास्टर प्लान फॉर दिल्ली- 2041' अगले दो दशकों के लिये शहर के विकास का एक विज़न डॉक्यूमेंट है।

प्रमुख बिंदु:

- ध्यातव्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का वर्तमान 'मास्टर प्लान-2021' (Master Plan 2021) अगले वर्ष समाप्त हो जाएगा।
  - गौरतलब है कि दिल्ली के विकास के लिये पहला मास्टर प्लान 1 सितंबर, 1962 (वर्ष 1981 के परिपेक्ष्य में) को तथा दूसरा मास्टर प्लान 1 अगस्त, 1990 को जारी किया गया था।
- इस मसौदे में कई विशेषताएँ हैं परंतु इसमें जल स्रोतों और उसके आस-पास की भूमि पर विशेष ध्यान देकर शहर को नया आकार देने की बात कही गई है।
- मसौदे में जल स्रोतों और उसके आस-पास की भूमि से जुड़ी इसी नीति को 'ग्रीन-ब्लू पॉलिसी' (Green-Blue Policy) कहा गया है।
- DDA के अनुसार, नए मास्टर प्लान के अंतर्निहित मुख्य सिद्धांत स्थिरता, समावेशिता और निष्पक्षता हैं।

क्या है 'ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर?

- नीली अवसंरचना या ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर (Blue Infrastructure) से आशय नदियों, नहरों, तालाबों, वेटलैंड्स, बाढ़, और जल उपचार केंद्रों जैसे जल निकायों से है।
- वहीं पेड़, लॉन, झाड़ियों, पार्क, खेत, और जंगल आदि को हरी अवसंरचना या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर (Green Infrastructure) में शामिल किया गया है।
- यह शहरी नियोजन की एक अवधारणा है, जहाँ जल निकाय और भूमि 'अन्योन्याश्रित' (Interdependent) होते हैं तथा पर्यावरणीय एवं सामाजिक लाभ उपलब्ध कराते हुए एक दूसरे की सहायता से विकसित होते हैं।

कार्य योजना:

- DDA द्वारा इसके पहले चरण के तहत 'एजेंसियों की बहुलता' (Multiplicity of Agencies) (जैसे- दिल्ली जल बोर्ड, बाढ़ और सिंचाई विभाग, और नगर निगम आदि) की समस्या से निपटने की योजना बनाई जा रही है।
- इसके तहत DDA द्वारा पहले क्षेत्राधिकार से जुड़े मुद्दों पर, नालियों और उसके आस-पास के क्षेत्र पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा किये जा रहे काम पर जानकारी जुटाने का कार्य किया जाएगा।
- इसके पश्चात एक व्यापक नीति तैयार की जाएगी, जो सभी एजेंसियों के लिये एक सामान्य दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करेगी
  - उदाहरण के लिये-वर्तमान में दिल्ली में लगभग 50 बड़े नाले हैं जिनका प्रबंधन अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किया जाता है, इनकी खराब स्थिति और अतिक्रमण जैसी समस्याओं के कारण इनके आस-पास की भूमि भी प्रभावित होती है।
- DDA द्वारा अन्य एजेंसियों के सहयोग से इन्हें एकीकृत किया जाएगा और अनुपचारित अपशिष्ट जल के स्त्रोत की जाँच कर इन्हें प्रदूषण मुक्त किया जाएगा।

विकास के अन्य प्रयास:

- वर्तमान योजना के अनुसार, इन क्षेत्रों में योग, खेल , साइकिल चलाने और पैदल चलने की सुविधा, नौका विहार की सुविधा आदि के विकास का प्रयास किया जा सकता है।
- साथ ही इन क्षेत्रों में संग्रहालय, सूचना केंद्र, खुले थिएटर, ग्रीनहाउस, सामुदायिक सब्जी उद्यान, रेस्तरां आदि के विकास को इस परियोजना के हिस्से के रूप में प्रोत्साहित किया जा सकता है।

नोट :

- DDA के अनुसार, सार्वजनिक पहुंच की सीमा, वनस्पति का प्रकार, जल प्रबंधन आदि का निर्धारण अलग-अलग मामलों के आधार पर और वैज्ञानिक आकलन के माध्यम से किया जाएगा तथा इसके पश्चात एकीकृत गलियारों के आस-पास रियल स्टेट का विकास किया जाएगा।

लाभ:

- DDA के इस प्रयास के माध्यम से अलग-अलग निकायों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी।
- जल निकास बेहतर प्रबंधन और ग्रीन मोबिलिटी (Green Mobility) को बढ़ावा देने जैसे प्रयास 'संयुक्त राष्ट्र' द्वारा निर्धारित 'सतत् विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goal-SDG) को प्राप्त करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

चुनौतियाँ:

- DDA के लिये विभिन्न निकायों (दिल्ली जल बोर्ड, नगर निगम आदि) को इस परियोजना में हितधारकों के रूप में साथ लाना एक बड़ी चुनौती होगी, विशेषकर जब DDA के पास इन निकायों के ऊपर कोई पर्यवेक्षी शक्ति नहीं है।
- लंबे समय से खराब प्रबंधन और अतिक्रमण जैसी समस्याओं के कारण DDA के लिये नालों और अन्य जल निकायों की सफाई भी एक जटिल चुनौती होगी।
- इससे पहले भी DDA द्वारा यमुना नदी में कचरा पाटने की निगरानी के लिये एक विशेष कार्य बल का गठन किया गया था परंतु यह योजना सफल नहीं हो सकी।

आगे की राह:

- राष्ट्रीय राजधानी के विकास हेतु विभिन्न निकायों के बीच समन्वय बढ़ाना बहुत अधिक आवश्यक होगा।
- अपशिष्ट जल में प्रदूषण स्तर की जाँच और कचरे के प्रबंधन हेतु आधुनिक तकनीकों जैसे- सेंसर, ड्रोन कैमरे और सैटेलाइट आदि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- जल प्रदूषण और सतत् विकास की अन्य चुनौतियों के संदर्भ में जन जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority- DDA):

- दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना 'दिल्ली विकास अधिनियम, 1957' के तहत वर्ष 1957 में की गई थी।

उद्देश्य:

- दिल्ली के विकास हेतु एक मास्टर प्लान तैयार करना और इसके अनुरूप विकास को बढ़ावा देना।
- भवन, इंजीनियरिंग, खनन और अन्य कार्यों को पूरा करना।
- भूमि और अन्य संपत्ति के अधिग्रहण, धारण, प्रबंधन और निपटान आदि।

भारत में टीकाकरण अभियान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistics Office-NSO) द्वारा प्रकाशित 'हेल्थ इन इंडिया' रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पाँच में से दो बच्चे अपना टीकाकरण कार्यक्रम पूरा नहीं करते हैं।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार, अपना टीकाकरण अभियान पूरा न करने वाले अधिकांश बच्चे खसरे के विरुद्ध और आंशिक रूप से अन्य बीमारियों के विरुद्ध असुरक्षित हैं।
- देश की राजधानी में आधे से भी कम बच्चों को सभी आठ आवश्यक टीके दिये गए हैं, हालाँकि भारत में लगभग सभी बच्चों को तपेदिक और पोलियो का टीका प्राप्त हो रहा है।

नोट :

- देश में पाँच वर्ष से कम आयु के केवल 59.2 प्रतिशत बच्चे ही पूरी तरह से प्रतिरक्षित हैं, यह आँकड़ा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध डेटा से बिल्कुल अलग स्थिति प्रदर्शित करता है, जिसमें दावा किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये पूर्ण टीकाकरण कवरेज 86.7 प्रतिशत था।

पूर्ण टीकाकरण का अर्थ

- पूर्ण टीकाकरण का मतलब है कि एक बच्चा अपने जीवन के पहले वर्ष में कुल आठ टीकों की खुराक का एक समूह प्राप्त करे, इस समूह में शामिल हैं-
  - जन्म के कुछ समय बाद ही एकल खुराक के रूप में तपेदिक का बीसीजी टीका,
  - पोलियो टीका जिसकी पहली खुराक जन्म के समय दी जाती है,
  - चार सप्ताह के अंतराल पर दो और पोलियो टीके,
  - डिफ्थीरिया (Diphtheria), काली-खाँसी (Pertussis) और टेटनस (Tetanus) को रोकने के लिये टीके की तीन खुराकें
  - खसरे के टीके की एक खुराक
- रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में लगभग 97 प्रतिशत बच्चों को कम-से-कम एक टीका की खुराक प्राप्त हुई, जिसमें अधिकतर तपेदिक का बीसीजी टीका या जन्म के समय पोलियो का पहला टीका होता है, वहीं केवल 67 प्रतिशत बच्चों को ही खसरे का टीका प्राप्त होता है।
  - केवल 58 प्रतिशत लोगों को ही पोलियो के टीके की दो अन्य खुराकें और मात्र 54 प्रतिशत को डिफ्थीरिया (Diphtheria), काली-खाँसी (Pertussis) और टेटनस (Tetanus) से बचने के लिये टीके की खुराक प्राप्त होती है।
- राज्यों में, मणिपुर (75 प्रतिशत), आंध्रप्रदेश (73.6 प्रतिशत) और मिज़ोरम (73.4 प्रतिशत) ने पूर्ण टीकाकरण के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
- पूर्ण टीकाकरण के मामले में नगालैंड का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जहाँ केवल 12 प्रतिशत बच्चों को ही सभी टीकों की खुराक प्राप्त हुईं।
- ग्रामीण भारत में करीब 95 प्रतिशत नागरिक भारत में लगभग 86 प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण सरकार/सार्वजनिक अस्पताल में हुआ है।

टीकाकरण का महत्त्व

- टीकाकरण को उन सबसे अच्छे तरीकों में से एक के रूप में जाना जाता है जिससे हम आम लोगों, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को संक्रामक रोगों से बचाया जा सकता हैं।
- टीकाकरण अभियानों को सही ढंग से कार्यान्वित करने से उन सभी बीमारियों समाप्त करने में मदद मिल सकती है, जो वर्तमान में प्रसारित है अथवा भविष्य में फैल सकती है।
- टीकाकरण न केवल बच्चों को पोलियो और टेटनस जैसी घातक बीमारियों से बचाता है, बल्कि इसके माध्यम से खतरनाक बीमारियों को समाप्त कर अन्य बच्चों को भी इन बिमारियों से सुरक्षित रखता है।

भारत में टीकाकरण कार्यक्रम

- भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सर्वप्रथम वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 'एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइज़ेशन' (Expanded Programme of Immunization-EPI) के रूप में पेश किया गया था।
- वर्ष 1985 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme) कर दिया गया। इस कार्यक्रम के घोषित उद्देश्यों में शामिल है-
  - टीकाकरण कवरेज को तेज़ी से बढ़ाना।
  - सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना।
  - प्रदर्शन की निगरानी के लिये एक ज़िलेवार प्रणाली का निर्माण,
  - वैक्सीन के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- भारत का यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम (UPI) सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है, जो कि प्रति वर्ष 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है।
- पूर्व टीकाकरण के कवरेज को 90 प्रतिशत तक बढाने के लिये मिशन इंद्रधनुष (Mission Indradhanush) को लागू किया गया।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

चर्चा में क्यों?

10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana-PMMSY) का शुभारंभ किया। इस योजना के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने ई-गोपाला एप भी लॉन्च किया, जो किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिये एक समग्र नस्ल सुधार, बाज़ार और सूचना पोर्टल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मछली पालन और पशुपालन क्षेत्रों में भी कई पहलों की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
  - PMMSY मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत् विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक (5 वर्ष की अवधि के दौरान) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाना है।
  - इस योजना पर अनुमानत: 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
    - PMMSY के अंतर्गत 20,050 करोड़ रुपए का निवेश मत्स्य क्षेत्र में होने वाला सबसे अधिक निवेश है।
    - इसमें से लगभग 12,340 करोड़ रुपए का निवेश समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में लाभार्थी केंद्रित गतिविधियों पर तथा 7,710 करोड़ रुपए का निवेश फिशरीज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये प्रस्तावित है।
- लक्ष्य:
  - वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि करना,
  - वर्ष 2024-25 तक मत्स्य निर्यात से होने वाली आय को 1,00,000 करोड़ रुपए तक करना,
  - मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुनी करना,
  - पैदावार के बाद होने वाले नुकसान को 20-25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना
  - मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा करना।
- उद्देश्य:
  - आवश्यकतानुरूप निवेश करते हुए मत्स्य समूहों और क्षेत्रों के निर्माण पर केंद्रित।
  - मुख्य रूप से रोज़गार सृजन गतिविधियों जैसे समुद्री शैवाल और सजावटी मछली की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  - यह मछलियों की गुणवत्ता वाली प्रजातियों की नस्ल तैयार करने तथा उनकी विभिन्न प्रजातियाँ विकसित करने, महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के विकास और विपणन नेटवर्क आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा।
  - नीली क्रांति योजना की उपलब्धियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई नए हस्तक्षेपों की परिकल्पना की गई है जिसमें मछली पकड़ने के जहाज़ों का बीमा, मछली पकड़ने वाले जहाज़ों/नावों के उन्नयन हेतु सहायता, बायो-टॉयलेट्स, लवण/क्षारीय क्षेत्रों में जलीय कृषि, मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्टार्ट-अप्स, इन्क्यूबेटर्स, एक्वाटिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क और उनकी सुविधाओं का विस्तार, ई-ट्रेडिंग/विपणन, मत्स्य प्रबंधन योजना आदि शामिल है।

मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित अन्य उद्घाटन

- एक्वाटिक डिज़ीज़ रेफरल प्रयोगशाला
  - ये सुविधाएँ मत्स्य किसानों के लिये गुणवत्ता और सस्ती दर पर मत्स्य बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करके मत्स्य उत्पादन और उसकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगी और मछलियों के रोग निदान के साथ-साथ पानी और मिट्टी की परीक्षण सुविधाओं की आवश्यकता को भी पूरा करेंगी।
- ई-गोपाला एप
  - ई-गोपाला एप किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिये एक समग्र नस्ल सुधार, बाज़ार और सूचना पोर्टल है।

- यह निम्नलिखित पहलुओं पर समाधान प्रदान करेगा:
  - देश में पशुधन के सभी रूपों (वीर्य, भ्रूण, आदि) में रोग मुक्त जीवाणु (जर्मप्लाज़्म) को खरीदना और बेचना,
  - गुणवत्तापूर्ण प्रजनन सेवाओं की उपलब्धता (कृत्रिम गर्भाधान, पशु प्राथमिक चिकित्सा, टीकाकरण, उपचार आदि) और पशु पोषण के लिये किसानों का मार्गदर्शन करना,
  - उचित आयुर्वेदिक दवा/एथनो पशु चिकित्सा दवा का उपयोग करते हुए जानवरों का उपचार आदि की जानकारी देना।
  - पशु किसानों को अलर्ट भेजना (टीकाकरण, गर्भावस्था निदान आदि के लिये नियत तारीख पर)
  - किसानों को क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं और अभियानों के बारे में सूचित करना।

- वीर्य केंद्र (सीमेन स्टेशन)
  - प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के पूर्णिया में 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' के तहत स्थापित की गई अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वीर्य केंद्र (सीमेन स्टेशन) प्रमुख है।
  - बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 75 एकड़ भूमि पर 84.27 करोड़ रुपए के निवेश से यह केंद्र स्थापित किया गया है।
  - यह सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े वीर्य केंद्रों में से एक है जिसकी उत्पादन क्षमता 50 लाख वीर्य नमूना प्रति वर्ष है।
  - यह वीर्य केंद्र बिहार की स्वदेशी नस्लों के विकास एवं संरक्षण को भी नया आयाम देगा और इसके साथ ही पूर्वी एवं पूर्वोत्तर राज्यों की पशु वीर्य की मांग को पूरा करेगा।
- IVF (In vitro fertilization-IVF) लैब
  - शत-प्रतिशत अनुदान सहायता के ज़रिये देश भर में कुल 30 ETT और IVF लैब (प्रयोगशालाएँ) स्थापित की जा रही हैं।
  - ये लैब देशी नस्लों के बेहतरीन पशुओं का वंश बढ़ाने और इस प्रकार दूध उत्पादन एवं उत्पादकता को कई गुना बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
- कृत्रिम गर्भाधान में लिंग पृथक्कृत वीर्य का उपयोग
  - कृत्रिम गर्भाधारण 'AI' (Artificial Insemination) में लिंग पृथक्कृत वीर्य के उपयोग के ज़रिये केवल मादा बछड़ों का ही जन्म सुनिश्चित किया जा सकता है (90% से भी अधिक सटीकता के साथ)।
- किसान के घर की चौखट पर IVF तकनीक
  - इससे अत्यंत तीव्र दर से अधिक प्रजनन क्षमता वाले पशुओं की संख्या को कई गुना बढ़ाने की प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार होगा क्योंकि इस प्रौद्योगिकी के उपयोग से एक मादा एक वर्ष में 20 बछड़ों को जन्म दे सकती है।

ब्रैडीकिनिन स्टॉर्म

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका स्थित 'ओक रिज़ नेशनल लेबोरेटरी' (Oak Ridge National Laboratory- ORLN) के वैज्ञानिकों के समूह ने COVID-19 संक्रमण के कुछ मामलों में मरीज़ों के स्वास्थ्य में तीव्र गिरावट के लिये 'ब्रैडीकिनिन स्टॉर्म' (Bradykinin Storm) को उत्तरदायी बताया है।

प्रमुख बिंदु:

- 'ओक रिज़ नेशनल लेबोरेटरी' के कुछ वैज्ञानिकों ने एक सुपर कंप्यूटर के माध्यम से COVID-19 मरीज़ों के फेफड़ों से लिये गए नमूनों के डेटा अध्ययन के आधार पर मरीज़ों के स्वास्थ्य पर 'ब्रैडीकिनिन स्टॉर्म' के प्रभावों की जानकारी दी है।
- द साइंटिस्ट पत्रिका के अनुसार, 'रेडबाउड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, नीदरलैंड' के एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ 'फ्रैंक वैन डे वीरडोंक' और उनकी टीम ने एक अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने फेफड़ों में रक्त वाहिकाओं में रिसाव के लिये एक अनियंत्रित ब्रैडीकिनिन प्रणाली को मुख्य कारण बताया और यह भी अनुमान लगाया कि यह फेफड़ों में अतिरिक्त द्रव निर्माण के लिये उत्तरदायी हो सकता है।
- गौरतलब है कि इससे पहले वैज्ञानिकों ने COVID-19 संक्रमण के कुछ मामलों में मरीज़ों के स्वास्थ्य में गिरावट के लिये साइटोकिन स्टॉर्म (Cytokine Storm) की भूमिका के बारे में पुष्टि की थी।

क्या है ब्रैडीकिनिन?

- ब्रैडीकिनिन एक यौगिक है जो दर्द संवेदना और मानव शरीर में रक्तचाप को कम करने से संबंधित है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, 'SARS-CoV-2 मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिये ACE2 नामक एक मानव एंज़ाइम का प्रयोग करता है।
- ACE2 मानव शरीर में रक्तचाप को कम करता है और ACE नामक एक अन्य एज़ाइम के खिलाफ काम करता है।
- शोधकर्ताओं ने पाया कि COVID-19 वायरस मानव फेफड़ों में ACE एंजाइम के स्तर को बहुत ही कम कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप ACE2 के स्तर में वृद्धि होती है।
- यह प्रक्रिया एक श्रृंखला अभिक्रिया (Chain Reaction) के रूप में कोशिकाओं में ब्रैडीकाइनिन अणु के स्तर को बढ़ा देती है, जो ब्रैडीकाइनिन स्टॉर्म का कारण बनता है।

दुष्प्रभाव:

- ब्रैडीकिनिन रक्त वाहिकाओं के आकार में वृद्धि हो जाती है और उनमें रक्त का रिसाव होने लगता है, जिससे इसके आसपास के ऊतकों में सूजन हो जाती है।
- शोधकर्त्ताओं ने पाया कि ऐसे मरीज़ों में हायल्यूरोनिक एसिड (Hyaluronic Acid) नामक एक पदार्थ का स्तर बढ़ गया।
    - यह एसिड हाइड्रोजेल बनाने के लिये अपने वजन से 1000 गुना जल अवशोषित कर सकता है।
- ब्रैडीकिनिन स्टॉर्म के कारण मरीज़ के फेफड़ों में द्रव के रिसाव और हायल्यूरोनिक एसिड के मिलने से एक जेलो (Jello) जैसे पदार्थ का निर्माण होता है, जो गंभीर रूप से प्रभावित COVID-19 मरीज़ों में ऑक्सीजन के अपवर्तन को रोक देता है।
- मरीज़ों के फेफड़ों में इस द्रव का तीव्र संचय कभी-कभी वेंटिलेटर जैसी उन्नत गहन देखभाल प्रणालियों को भी प्रभावहीन बना देता है।
- ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के 'इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस' के निदेशक के अनुसार, ब्रैडीकिनिन स्टॉर्म की अवधारणा कुछ COVID-19 मरीज़ों के स्वास्थ्य में तीव्र गिरावट के संदर्भ में काफी हद तक सही प्रतीत होती है हालाँकि इसमें अभी और अधिक पुष्टि (प्रोटीन मापने के संदर्भ में) की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष:

COVID-19 महामारी और मानव शरीर पर इसके प्रभावों के बारे में अभी बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में बिना किसी प्रमाणिक वैक्सीन के इस बीमारी का इलाज अलग-अलग मरीज़ों के लक्षणों के आधार पर ही किया जा सकता है। COVID-19 संक्रमण के मामलों में 'ब्रैडीकिनिन स्टॉर्म' के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर मरीज़ों को लक्षित उपचार उपलब्ध कराने में सहायता प्राप्त हो सकती है हालाँकि इस संदर्भ में और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता होगी।

आगे की राह:

- वैज्ञानिकों ने COVID-19 के गंभीर प्रभावों को नियंत्रित करने के लिये ब्रैडीकिनिन मार्ग को लक्षित करते हुए चिकित्सीय हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का समर्थन किया है।
- मरीज़ों में ब्रैडीकिनिन के लक्षणों के आधार पर वर्तमान में उपलब्ध दवाओं के प्रयोग पर परीक्षण और शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निजी कोचिंग की अवधारणा

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (NSO) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पाँच में से एक छात्र निजी कोचिंग के साथ स्कूली शिक्षा को पूर्ण करता है। जून 2017 और जुलाई 2018 के बीच आयोजित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें दौर में परिवारों द्वारा शिक्षा से संबंधित उपभोग पर खर्च को लेकर सर्वेक्षण किया गया था।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- पूर्व-प्राथमिक और उससे ऊपर के स्तर पर लगभग 20% छात्र/छात्राएँ (21% छात्र और 19% छात्राएँ) निजी कोचिंग ले रहे थे।
- माध्यमिक स्तर पर निजी कोचिंग लेने वालों की संख्या अधिकतम (छात्रों का 31% और छात्राओं का 29%) थी।
- निजी कोचिंग की फीस माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा की कुल लागत का लगभग 20% है।
- रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में छात्र-छात्राएँ वास्तव में अपने नियमित स्कूल की तुलना में निजी कोचिंग पर अधिक खर्च करते हैं।

निजी कोचिंग से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- स्कूली शिक्षा के साथ निजी कोचिंग शिक्षा पर लागत में वृद्धि कर देती है। माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों का शिक्षा पर औसत वार्षिक व्यय 9,013 है, जिनमें से 4,078 नियमित स्कूल फीस के रूप में खर्च होता है। लगभग 1,632 रूपए या 18% से अधिक निजी कोचिंग में खर्च हो जाता है।
- निजी कोचिंग में ग्रामीण-शहरी तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर पर अंतर देखने को मिलता है। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शहरी और उच्च जातियों के बच्चे निजी कोचिंग का अधिक उपयोग करते हैं। अनुसूचित जनजाति समुदायों के सिर्फ 13.7% ग्रामीण लड़के और लड़कियों की तुलना में शहरी उच्च जाति के 52% से अधिक बच्चे निजी कोचिंग लेते हैं।
- छात्रों को पहले से ही स्कूल से प्रत्येक विषय के लिये होमवर्क मिल जाता है और अगर उन्हें कोचिंग कक्षाओं से भी होमवर्क मिलता है, तो वे अतिरिक्त होमवर्क के कारण बोझ महसूस करते हैं।
- कोचिंग संस्थान द्वारा प्रत्येक छात्र के लिये एक व्यक्तिगत अध्ययन पैटर्न का पालन करने और स्कूल द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये एक सामान्य पैटर्न का पालन करने से बच्चे दुविधा में रहते हैं।
- कोचिंग संस्थानों में बोर्ड परीक्षा, प्रवेश परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के लिये छात्रों को तैयार कर परस्पर प्रतिस्पर्द्धा कराने से बच्चों में चिंता और परीक्षा के प्रति तनाव उत्पन्न होता है।
- कोचिंग संस्थान में विभिन्न स्कूलों या शिक्षा बोड्र्स के बच्चे सम्मिलित होते हैं। सभी स्कूलों या बोड्र्स का शिक्षा पैटर्न एक जैसा नहीं है। प्रत्येक छात्र की अवधारणात्मक समझ को लेकर अपनी समस्याएँ होती हैं।

निजी कोचिंग के प्रति रुझान में वृद्धि के कारण

- स्कूली शिक्षा की निम्न गुणवत्ता के कारण अधिक संख्या में छात्र निजी कोचिंग और ट्यूशन पर निर्भर हो रहे हैं।
- माता-पिता द्वारा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अपनी सहायक शिक्षक की भूमिका को विभिन्न कारणों से नहीं निभा पाने के कारण वे अपने बच्चों को निजी कोचिंग/ट्यूशन पर भेजना प्रारंभ कर देते हैं।
- सूचना-केंद्रित पाठ्यक्रम और रटने की प्रवत्ति निजी कोचिंग को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारण हैं।
- शहरी क्षेत्रों में माता-पिता शैक्षिक और आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में होते हैं, जिसके कारण वे निजी कोचिंग की लागत वहन करने की स्थिति में होते हैं।
- सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे- मुद्दों के कारण मध्यम वर्ग के माता-पिता पर सामाजिक दवाब और अपने बच्चों की उपेक्षा के मामले में अपराध की भावना के कारण भी निजी कोचिंग को बढ़ावा मिलता है।
- एकल परिवार और दोहरी आय की परिघटना में वृद्धि के कारण आय में एवं बचत में वृद्धि ने बच्चों को ट्यूशन केंद्रों पर भेजने के लिये प्रेरित किया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की कमज़ोर आर्थिक स्थिति, माता-पिता की शिक्षा और आकांक्षाओं का निम्न स्तर तथा निजी कोचिंग केंद्रों की सीमित संख्या ऐसे क्षेत्रों में निजी कोचिंग के कम अनुपात के कुछ प्रमुख कारण हैं।
- इस प्रकार निजी कोचिंग्स की बढ़ती प्रवृत्ति सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रवृत्ति से मेल खाती है। केरल जहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र सामाजिक विकास के समान स्तर पर हैं, वहाँ निजी कोचिंग प्राप्त करने में कोई भौगोलिक असमानता नहीं दिखाई देती है।

नोट :

नई शिक्षा नीति एवं निजी कोचिंग्स

- कोचिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करने की बजाय नियमित रूप से मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 स्कूली बच्चों को निजी ट्यूशन और कोचिंग कक्षाओं से दूर रखना चाहती है।
- नई शिक्षा नीति में CBSE बोर्ड परीक्षाओं को और अधिक लचीला बनाने का प्रावधान किया गया है, जो एक बच्चे की आधारभूत क्षमताओं/दक्षताओं का परीक्षण करेगी।
- अगर नई शिक्षा नीति का ठीक से क्रियान्वयन होता है तो केवल वे ही संस्थान सफल होंगे जो अपने शिक्षकों को नए पाठ्यक्रमों और दृष्टिकोण में प्रशिक्षित करेंगे। अभी अधिकतर कोचिंग संस्थान विज्ञान और गणित तथा परीक्षा में अंक वृद्धि पर ही अधिक केंद्रित हैं।

आगे की राह

- कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने हेतु कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिये न्यूनतम मानक प्रदान करने वाले नियमों/योजना को लागू करके सरकार को विनियमन पर जोर देने की आवश्यकता है। वर्तमान में कोचिंग उद्योग बहुत वृद्धि कर चुका है और स्कूल शिक्षा प्रणाली के लिये एक चुनौती बन चुका है।

सिगरेट बट्स के निस्तारण हेतु दिशा निर्देशों की मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) को अगले तीन महीनों के अंदर बीड़ी और सिगरेट के बचे हुए टुकड़ों [ठूंठ या बट (Butt)] के निस्तारण हेतु दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- NGT का यह निर्देश 'डॉक्टर फॉर यू' नामक एक गैर-सरकारी संगठन (Non-Governmental Organisation- NGO) द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई के बाद आया है।
- इस संगठन ने सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के सेवन को प्रतिबंधित करने के साथ सिगरेट और बीड़ी के बचे हुए टुकड़ों के निस्तारण को विनियमित करने के लिये दिशा-निर्देशों के निर्धारण की मांग की थी।
- इससे पहले 'केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' ने कहा था कि 'सिगरेट बट' खतरनाक वस्तु के रूप में सूचीबद्ध नहीं हैं, हालाँकि 'केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय' का मानना है कि यह बायोडिग्रेडेबल (Biodegradable) नहीं हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट:

- इस संदर्भ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 20 अगस्त, 2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, अध्ययन के आधार पर पता चलता है कि सिगरेट बट में उपस्थित रसायनों की सांद्रता मानव और पर्यावरण के लिये विषाक्त नहीं है।
- गौरतलब है कि रैपिंग पेपर और रेयॉन के अतिरिक्त सलूलोज़ एसीटेट (Cellulose acetate) सिगरेट बट (95%) का एक प्रमुख घटक है।
- आमतौर पर सलूलोज़ एसीटेट की विषाक्तता से जुड़े आँकड़े या डेटा उपलब्ध नहीं होते हैं परंतु इसके अवक्रमण के अध्ययनों से पता चलता है कि यह लंबी अवधि तक बना रह सकता है।
- भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Toxicology Research- IITR) के एक अध्ययन के अनुसार, सिगरेट बट की सुरक्षा और विषाक्तता का सटीक अनुमान लगाने के लिये और शोध की आवश्यकता होगी, जिससे पर्यावरण और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर इसके खतरों का पता लगाया जा सके।

सुझाव:

- रिपोर्ट के अनुसार, जबतक सिगरेट बट के अवक्रमण और सुरक्षा से जुड़ा सटीक डेटा नहीं उपलब्ध होता है, तब तक सिगरेट बट्स या बचे हुए टुकड़ों को एकत्र कर सेलूलोज़ एसीटेट के पुनर्चक्रण को इस समस्या के तात्कालिक समाधान के रूप में अपनाया जा सकता है।

नोट :

- NCT की पीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों के थूकने और बीड़ी तथा सिगरेट के फेंके गए टुकड़ों के दुष्प्रभाव के अध्ययन के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर-मंत्रालयी या अंतर-विभागीय समिति का गठन किया जाना चाहिये।

तंबाकू सेवन पर नियंत्रण हेतु सरकार और अन्य संस्थाओं प्रयास:

- गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष 31 मई को 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (World Health Organisation- WHO) और वैश्विक स्तर पर इसके अन्य सहयोगियों द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस (World No Tobacco Day-WNTD) मनाया जाता है।
  - इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना और तंबाकू के सेवन में कमी लाना है।
  - वर्ष 2020 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय 'युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना' था।
- तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन: भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control - WHO FCTC) को अपनाया गया है।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में डिजिटल इंडिया पहल के तहत एम-सेसेशन (mCessation) कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
  - एम-सेसेशन, तंबाकू छोड़ने के लिये मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पहल है।
  - इसमें यह तंबाकू सेवन को छोड़ने के इच्छुक व्यक्ति और कार्यक्रम से जुड़े विशेषज्ञों के बीच दो-तरफा मैसेजिंग का उपयोग किया जाता है, और लोगों को व्यापक सहयोग प्रदान किया जाता है।
- भारत सरकार द्वारा मई 2003 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून पारित किया गया था।
  - इसका पूरा नाम सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों (विज्ञापनों का निषेध और व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 है।
- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (National Tobacco Control Programme- NTCP):
  - केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
  - इसका उद्देश्य तंबाकू के उपयोग के नुकसानदायक प्रभावों और तंबाकू नियंत्रण कानून के बारे में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करना तथा तंबाकू नियंत्रण कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना है।

आभासी न्यायालयों को जारी रखने के लिये लॉ पैनल की सिफारिश

चर्चा में क्यों?

कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभागीय स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि COVID-19 महामारी के पश्चात् भी आभासी न्यायालय (Virtual Courts) की कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिये। समिति का यह भी सुझाव है कि इसे सुविधाजनक बनाने के लिये कानून में आवश्यक बदलाव किये जाने चाहिये।

प्रमुख बिंदु

- समिति के अनुसार, न्यायालय 'एक स्थान से अधिक सेवा है'। अधिवक्ताओं को स्वयं को 'बदलते समय के साथ ढालना' चाहिये क्योंकि प्रौद्योगिकी आगामी समय में एक 'गेम चेंजर' के रूप में उभरेगी।
- आभासी अदालतों के समर्थन में कहा गया कि डिजिटल न्याय सस्ता और तीव्र होने के साथ-साथ स्थानीय और आर्थिक बाधाओं को दूर करने तथा गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
- सभी पक्षों की सहमति से मामलों की चिह्नित श्रेणियों के लिये महामारी की अवधि के पश्चात् भी आभासी न्यायालय की कार्यवाही जारी रखी जानी चाहिये।
- यह भी सुझाव दिया गया कि आभासी न्यायिक कार्यवाही को देश भर में स्थित विभिन्न अपीलीय न्यायाधिकरणों, जैसे- TDSAT, IPAB, NCLT आदि में स्थायी रूप से अपनाया जा सकता है, जिसमें पक्षों/अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है।

- पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि आभासी अदालतों में कुछ कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन वे वर्तमान परंपरागत न्याय प्रणाली में प्रगति की सूचक हैं, अत: इन्हें अपनाया जाना चाहिये।

आभासी न्यायालय के बारे में

- वर्तमान परिदृश्य में अभियोक्ता/वादी को अभियोग/वाद को ई-फाइलिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने के लिये सुविधा प्रदान की गई है। कोर्ट फीस या अर्थदंड का भुगतान भी https://vcourts.gov.in के माध्यम से किया जाता है।
- केस की स्थिति को सेवा वितरण के लिये बनाए गए विभिन्न चैनलों के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकता हैं।
- आभासी न्यायालय की अवधारणा का उद्देश्य अदालत में अभियोक्ता/वादी/अधिवक्ता की उपस्थिति को समाप्त करना और मामले का ऑनलाइन अधिनिर्णयन करना है।

संवैधानिक / वैधानिक प्रावधान

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 (4) में यह प्रावधान है कि खुली अदालत के अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा। ध्यातव्य है कि यह केवल 'निर्णय सुनाने के संदर्भ में है, मामले की सुनवाई के संदर्भ में नहीं'।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा- 327 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा- 153b में भी आपराधिक और सिविल मामलों में खुली अदालत की सुनवाई का प्रावधान है।

COVID-19 और आभासी न्यायालय

- देश के सर्वोच्च न्यायालय ने COVID-19 महामारी संकट के दौरान कानूनी और न्याय व्यवस्था का प्रबंधन करने के लिये आभासी न्यायिक कार्यवाही और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अपनाने के लिये अपनी सहमति दी थी।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तर्क दिया गया कि 'खुले न्यायालयों' की संवैधानिक शर्तों को पूरा करने के लिये भौतिक रूप से सुनवाई करना आवश्यक नहीं है। खुली अदालतें अपने भौतिक अस्तित्व में ऐसे समय में आई थी, जब तकनीक उतनी उन्नत अवस्था में नहीं थी।
- जस्टिस एन. वी. रमाना की अगुवाई में उच्चतम न्यायालय के सात न्यायधीशों की एक समिति ने COVID-19 मामलों में अत्यधिक वृद्धि और इसके खतरनाक परिणामों को देखते हुए आभासी न्यायालय की प्रणाली को जारी रखने का फैसला किया।
- इस दौरान अधिवक्ताओं ने आभासी स्क्रीन पर घर से ही काम किया तथा महत्त्वपूर्ण मामलों को ऑनलाइन सुना गया। इस दौरान न्यायालय द्वारा मामलों को दायर करने और न्यायिक प्रक्रियाओं के लिये ई-मेल और मैसेजिंग सेवाओं का उपयोग किया गया।

आभासी अदालतों की सीमाएँ

- आभासी न्यायालय की कार्यवाही के लिये बुनियादी ढाँचे की कमी एक प्रमुख समस्या है। अधिवक्ताओं का दावा है कि 50 प्रतिशत से अधिक अधिवक्ताओं के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि यह 'तकनीकी के जानकार अधिवक्ताओं' के अधिक पक्ष में है।
- खुले न्यायालयों में अधिवक्ताओं के पास न्यायाधीशों की मनोदशा को समझ कर उन्हें समझाने का बेहतर मौका होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई अधिवक्ताओं के साथ-साथ न्यायाधीशों पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालती है, क्योंकि इसके माध्यम से दर्ज साक्ष्य, जैसे- चेहरे के भाव और मुद्राएँ आदि गैर-मौखिक संकेतों को विकृत किया जा सकता है।
- ऑनलाइन कार्यवाही में भाग लेने के लिये इंटरनेट की आवश्यक न्यूनतम गति 2mbps /sec होनी चाहिये और यह गति केवल 4G में उपलब्ध है। TRAI के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 तक केवल 436.12 मिलियन उपयोगकर्ताओं के पास ही 4G सेवा की उपलब्धता है।

आगे की राह

- अदालत की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आभासी कोर्ट रूम की तकनीक को अपनाना वर्तमान महामारी के संकट के समय में अधिक महत्त्वपूर्ण है।
- आभासी कोर्ट रूम की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखने के लिये पर्याप्त अवसंरचना का विकास किया जाना चाहिये। न्याय प्रशासन में तकनीकी नवाचारों को एक प्रगतिशील, संरचित और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

नोट :

पैरोल एवं फर्लो के लिये संशोधित दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने मॉडल जेल मैनुअल, 2016 (Model Prison Manual, 2016) में पैरोल (Parole) एवं फर्लो (Furlough) से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को एक एडवाइज़री जारी करते हुए संशोधित दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिये कहा है। जिसमें मंत्रालय ने तर्क दिया है कि 'पैरोल पर रिहाई एक पूर्ण अधिकार नहीं है यह एक 'रियायत' मात्र है अत: राज्यों को अपनी मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा करनी चाहिये।

संशोधित दिशा-निर्देश:

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को पैरोल एवं फर्लो (Furlough) पर उन कैदियों को रिहा नहीं करने का आदेश दिया है जिन्हें राज्य या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये खतरा माना जाता है।
  - सजा के एक तरीके के अलावा कारावास का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों से समाज की रक्षा करना भी है इसलिये पैरोल पर रिहाई एक पूर्ण अधिकार नहीं बल्कि एक रियायत मात्र है इसलिये कैदियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने तथा समाज को और अधिक नुकसान से बचाने के बीच एक संतुलन स्थापित किया जाना आवश्यक है।
- इस प्रकार के पैरोल के लाभ एवं हानि के बारे में राज्यों के पैरोल नियमों की समीक्षा की जाएगी।
- पैरोल एवं फर्लो (Furlough) को नियमित कार्यक्रम का विषय नहीं माना जा सकता है और अधिकारियों एवं व्यवहार विशेषज्ञों की एक समिति कैदियों विशेष रूप से यौन अपराध एवं हत्या, बाल अपहरण, हिंसा आदि जैसे गंभीर अपराधों के लिये सजा पाने वाले, के संबंध में निर्णय ले सकती है।
- मनोवैज्ञानिक/अपराधविज्ञानी/सुधारक प्रशासन विशेषज्ञों को समीक्षा बोर्ड या समिति में सदस्य के रूप में शामिल करना जो कैदियों को पैरोल एवं फर्लो (Furlough) की छूट का निर्णय करती है।

पृष्ठभूमि:

- COVID-19 महामारी के मद्देनज़र जेलों में भीड़भाड़ से बचने के लिये सरकार पर कैदियों को रिहा करने का दबाव है। इससे पहले भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी COVID-19 के प्रकोप के कारण जेलों, सुधार घरों एवं निवारक केंद्रों पर COVID-19 निवारक उपायों पर आदेश जारी किया है।
  - उल्लेखनीय है कि जेल, राज्य सूची का विषय है और सभी राज्यों में कैदियों के अच्छे आचरण के आधार पर पैरोल, फर्लो (Furlough), माफी एवं समय से पहले रिहाई के अपने-अपने नियम हैं।
- केंद्रीय गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देश पैरोल एवं फर्लो (Furlough) पर जारी किये गए कई कैदियों की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में आए हैं जिनमें से कुछ जेल से बाहर अपराधों में लिप्त पाए गए हैं।

पैरोल (Parole):

- यह एक कैदी को सजा के निलंबन के साथ रिहा करने की व्यवस्था है। इसमें कैदी की रिहाई सशर्त होती है जो आमतौर पर कैदी के व्यवहार पर निर्भर करती है, जिसमें समय-समय पर अधिकारियों को रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है।
- पैरोल एक अधिकार नहीं है, इसे एक विशिष्ट कारण के लिये कैदी को दिया जाता है जैसे- परिवार में किसी अपने की मृत्यु या करीबी रिश्तेदार की शादी आदि।
- इसमें एक कैदी को पैरोल देने से मना भी किया जा सकता है यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि दोषी को रिहा करना समाज के हित में नहीं है।

फर्लो (Furlough):

- कुछ महत्त्वपूर्ण अंतरों के साथ यह पैरोल के समान है। इसे लंबी अवधि के कारावास के मामलों में दिया जाता है। एक कैदी को दी गई फर्लो (Furlough) की अवधि को उसकी सजा की छूट के रूप में माना जाता है।
- पैरोल के विपरीत इसे एक कैदी के अधिकार के रूप में देखा जाता है। इसे समय-समय पर बिना किसी कारण के कैदी को दिया जाता है जिससे कैदी परिवार एवं सामाजिक संबंधों को बनाए रखने और जेल में बिताए लंबे समय के बुरे प्रभावों का मुकाबला करने में सक्षम हो सके।
- यद्यपि पैरोल एवं फर्लो (Furlough) दोनों को कैदी की सुधार प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। ये प्रावधान जेल प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से पेश किये गए थे।
    - पैरोल एवं फर्लो (Furlough) को जेल अधिनियम 1894 (Prisons Act of 1894) के तहत सृजित किया गया है।

आगे की राह:

- राज्य अधिकारियों हेतु यह सुनिश्चित करने के लिये उनके दिशा-निर्देशों की समीक्षा करना आवश्यक है कि उन्हें (कैदियों) राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के इरादे से पैरोल, फर्लो (Furlough) और समय से पहले रिहाई आदि के माध्यम से कैदियों को दी जाने वाली सुविधा एवं रियायत का दुरुपयोग न हो सके।

FCRA कानून एवं विदेशी अंशदान पर नियंत्रण

चर्चा में क्यों?

इस वर्ष 13 गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लाइसेंस को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 के तहत निलंबित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय को आदिवासी क्षेत्रों में FCRA के दायरे में आने वाले कई NGOS के कामकाज के बारे में 'गंभीर प्रतिकूल इनपुट' प्राप्त हुए थे। झारखंड में काम करने वाले कम से कम दो NGOs के लाइसेंस निलंबित कर दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

क्या है FCRA?

- FCRA विदेशी अंशदान को नियंत्रित कर यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे अंशदान आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।
- वर्ष 1976 में FCRA को पहली बार अधिनियमित किया गया था। वर्ष 2010 में विदेशी अंशदान को विनियमित करने के लिये नए उपायों को अपनाने के पश्चात् इसे संशोधित किया गया।
- FCRA विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी संघों (Associations), समूहों (Groups) और NGOs पर लागू होता है। ऐसे सभी NGOs के लिये FCRA के तहत स्वयं को पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।
- प्रारंभ में पंजीकरण पाँच वर्ष के लिये वैध होता है, लेकिन सभी मानदंडों का पालन करने पर तत्पश्चात् इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
- पंजीकृत संघ/संगठन सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिये विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं।
- वर्ष 2015 में गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार, NGOs को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विदेशी धन की स्वीकृति से भारत की संप्रभुता और अखंडता, किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध एवं सांप्रदायिक सद्भाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना नहीं है।
- विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी NGOs को ऐसे राष्ट्रीयकृत या निजी बैंकों में खातों का संचालन करना होगा, जिनके पास वास्तविक समय के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों तक पहुँच उपलब्ध कराने के लिये कोर बैंकिंग सुविधाएँ हों।

विदेशी अंशदान प्राप्त करने पर प्रतिबंध

- विधायिका और राजनीतिक दलों के सदस्य, सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और मीडियाकर्मी आदि को किसी भी प्रकार के विदेशी अंशदान को प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।

- हालाँकि वर्ष 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से गृह मंत्रालय ने वर्ष 1976 के FCRA कानून में संशोधन किया, जिससे राजनीतिक दलों को एक विदेशी कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी या 50% अथवा उससे अधिक भारतीय शेयरों वाली विदेशी कंपनी से धन प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), एक सार्वजनिक वकालत समूह, ने वर्ष 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कॉन्ग्रेस पर विदेशी धन स्वीकार करके FCRA मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।
- दोनों पक्षों ने वर्ष 2014 में दान को अवैध करार देने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। बाद में FCRA में भूतलक्षी संशोधन के पश्चात् याचिका वापस ले ली गई।

विदेशी अंशदान प्राप्त करने के अन्य विकल्प

- विदेशी योगदान प्राप्त करने का दूसरा तरीका 'पूर्व अनुमति' के लिये आवेदन करना है। यह आवेदन विशिष्ट गतिविधियों या परियोजनाओं को पूरा करने के लिये एक विशिष्ट अंशदानकर्ता से एक विशिष्ट राशि की प्राप्ति के लिये दिया जाता है।
- इसके लिये संघ/संगठन को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-25 के तहत पंजीकृत होना चाहिये। राशि और उद्देश्य को निर्दिष्ट करने वाले विदेशी अंशदानकर्ता से प्रतिबद्धता का एक प्रमाण-पत्र भी आवश्यक है।
- वर्ष 2017 में गृह मंत्रालय ने तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों पर सांसदों के साथ लॉबी करने के लिये 'विदेशी निधियों' का उपयोग करने के आधार पर 'पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया' (PHFI) को FCRA के तहत निलंबित कर दिया। PHFI द्वारा सरकार को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् इसे 'पूर्व अनुमति' श्रेणी में रखा गया था।

पंजीकरण का निलंबन/रद्द किया जाना

- गृह मंत्रालय द्वारा खातों के निरीक्षण के दौरान या एक संघ/संगठन के कामकाज के खिलाफ कोई प्रतिकूल इनपुट प्राप्त होने पर प्रारंभ में 180 दिनों के लिये FCRA पंजीकरण को निलंबित किया जा सकता है।
- जब तक कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक संघ/संगठन कोई भी नया अंशदान प्राप्त नहीं कर सकता है। साथ ही वह गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना नामित बैंक खाते में उपलब्ध राशि के 25% से अधिक का उपयोग नहीं कर सकता है।
- गृह मंत्रालय ऐसे संगठन के पंजीकरण को रद्द कर सकता है। पंजीकरण रद्द करने की तारीख से तीन वर्ष तक पंजीकरण या 'पूर्व अनुमति' देने के लिये पात्र नहीं होगा।

पूर्व में निलंबन

- गृह मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, उल्लंघन, जैसे- विदेशी अंशदान का दुरुपयोग, अनिवार्य वार्षिक रिटर्न न जमा करना और अन्य उद्देश्यों के लिये विदेशी फंड काआदि कारणों से, वर्ष 2011 के पश्चात् से 20,664 संघों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया।
- 11 सितंबर, 2020 तक 49,843 FCRA-पंजीकृत संघ हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अंशदानकर्ता

- सरकार ने विदेशी अंशदान कर्त्ताओं, जैसे- अमेरिका स्थित कम्पैशन इंटरनेशनल, फोर्ड फाउंडेशन, वर्ल्ड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी पर भी शिकंज़ा कसा है।
- अंशदानकर्ताओं को गृह मंत्रालय की मंज़ूरी के बिना संघों/संगठनों को धन भेजने से रोकने के लिये 'वॉच लिस्ट या ' पूर्व अनुमति' श्रेणी में रखा गया है।

नोट :

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा COVID-19 के पश्चात् स्वास्थ्य प्रोटोकॉल जारी

चर्चा में क्यों?

COVID-19 तथा अन्य रोगों से अधिक गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्तियों के ठीक होने की अवधि अधिक लंबी हो सकती है। COVID-19 के पश्चात् भी ठीक होने वाले सभी मरीज़ों की आगे की जाँच (Follow-up) और उनकी सेहत की देखभाल के लिये एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'COVID-19 के पश्चात् अपनाए जाने वाले उपचार प्रबंधन प्रोटोकॉल' को जारी किया है।

प्रमुख बिंदु:

- गंभीर COVID-19 से ठीक हो चुके मरीज़ों में थकान, शरीर में दर्द, खाँसी, गले में खराश, साँस लेने में कठिनाई सहित विभिन्न प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं।
- यह COVID-19 से ठीक हो चुके मरीज़ों के उपचार प्रबंधन के लिये एक एकीकृत समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- इस प्रोटोकॉल का उपयोग निवारक/उपचारात्मक चिकित्सा के रूप में करने के लिये नहीं है।

व्यक्तिगत स्तर पर

- COVID-19 से बचने के लिये निर्दिष्ट उपयुक्त व्यवहार, जैसे-चेहरे पर मास्क लगाना, हाथ और श्वसन स्वच्छता, सामाजिक दूरी बनाए रखना, आदि जारी रखे जाने चाहिये।
- पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीना।
- आयुष चिकित्सक द्वारा बताई गई रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने वाली आयुष दवाइयाँ लेना।
- स्वास्थ्य ठीक होने पर नियमित रूप से घरेलू काम करना। पेशेवर काम को श्रेणीबद्ध तरीके से फिर से शुरू किया जाना चाहिये।
- हल्का/मध्यम व्यायाम, योगासन, प्राणायाम और ध्यान का दैनिक अभ्यास तथा चिकित्सक द्वारा बताए गए श्वसन संबंधी व्यायाम करना।
- सुबह/शाम को आरामदायक गति से चलते हुए टहलना और आसानी से पचने वाले संतुलित पौष्टिक, ताज़े पके हुए नरम आहार का सेवन करना।
- पर्याप्त नींद लेना और आराम करना। धूम्रपान और शराब के सेवन से बचना।
- COVID-19 और सह-रुग्णता के लिये डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित दवाइयाँ लेना तथा ली जा रही सभी दवाइयों (एलोपैथिक/आयुष) के बारे में चिकित्सक को सूचित करना।
- तापमान, रक्तचाप, रक्त शर्करा और ऑक्सीमेट्री आदि पर स्व-स्वास्थ्य निगरानी रखना।
- सूखी खाँसी/गले में खराश होने पर नमक मिले हुए गर्म पानी से गरारे करना और भाप से साँस लेना।
- तीव्र बुखार, साँस की समस्या, SPO2 <95%, सीने में असहनीय दर्द, भ्रम की स्थिति, आँखों की कमज़ोरी जैसे शुरुआती चेतावनी लक्षणों पर नज़र रखना।

सामुदायिक स्तर पर

- COVID-19 से ठीक होने वाले व्यक्तियों द्वारा आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, समुदाय के प्रभावी लोगों तथा धार्मिक नेताओं आदि के साथ अपने सकारात्मक अनुभव साझा करने चाहिये, जिससे इसके साथ जुड़े हुए मिथकों और कलंक को दूर किया जा सके।
- COVID-19 से ठीक होने और पुनर्वास की प्रक्रिया के लिये समुदाय आधारित स्व-सहायता समूहों, नागरिक समाज और योग्य पेशेवरों की सहायता लेना।
- सहकर्मियों, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, परामर्शदाताओं से मनोसामाजिक और यदि आवश्यक हो तो मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवा लेना।
- सामाजिक दूरी जैसी सभी आवश्यक सावधानियों के साथ योग, ध्यान आदि के समूह-सत्रों में भाग लेना।

नोट :

स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में

- अस्पताल से छुट्टी मिलने के 7 दिनों के भीतर उसी अस्पताल से पहला फॉलो-अप (शारीरिक/टेलीफ़ोनिक) करवाना, जहाँ उपचार हुआ हो।
- पहले फॉलो-अप के पश्चात् का उपचार/आगे की जाँच निकटतम योग्य एलोपैथिक/आयुष चिकित्सक/चिकित्सा प्रणाली के अन्य चिकित्सा केंद्र में हो सकती हैं। कई तरह की चिकित्सा पद्धति वाली दवाइयाँ एक साथ लेने से बचना चाहिये, क्योंकि इससे शरीर पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं।
- जिन मरीज़ों का घर पर ही उपचार किया गया है, वे लगातार लक्षण दिखाई देने पर निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केंद्र जा सकते हैं।
- गंभीर देखभाल सहायता की आवश्यकता वाले मामलों में और अधिक सतर्कता के साथ आगे की जाँच की ज़रूरत होगी।

भविष्य निधि की ब्याज दर में कमी

चर्चा में क्यों?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation-EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees) ने वर्ष 2019-20 के लिये 8.5 प्रतिशत की ब्याज दर को दो हिस्सों में विभाजित करने की सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय न्यासी बोर्ड का हालिया निर्णय
  - कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण उत्पन्न हुई असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इसी वर्ष मार्च माह में EPFO के सदस्यों को मिलने वाले ब्याज को 8.65 प्रतिशत से घटाकर 8.50 प्रतिशत करने और इसे दो हिस्सों में विभाजित करने की सिफारिश की थी।
  - सिफारिश के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने छह करोड़ से अधिक ग्राहकों के खाते में तत्काल 8.15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगा, जबकि शेष 0.35 प्रतिशत ब्याज का भुगतान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में निवेश के एक हिस्से की बिक्री से जमा किया जाएगा, जिसे 31 दिसंबर, 2020 तक उनके खाते में जमा किया जाएगा।
  - इसका अर्थ है कि वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने छह करोड़ से अधिक सदस्यों को ब्याज का केवल आंशिक यानी तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए का ही भुगतान कर सकता है, जबकि शेष राशि यानी तकरीबन 2,700 करोड़ रुपए का भुगतान तरलता की कमी के कारण दिसंबर माह तक किया जाएगा।
  - उल्लेखनीय है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा सिफारिश की गई 8.5 प्रतिशत की ब्याज दर विगत सात वर्ष के सबसे निचले स्तर पर है।
  - वहीं यदि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) इकाइयों में निवेश को बेचने से अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होता है, तो 8.15 प्रतिशत की ब्याज दर वित्तीय वर्ष 1977-78 की 8 प्रतिशत की ब्याज दर के बाद से सबसे कम होगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की निवेश प्रणाली

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने संपूर्ण कोष का उपयोग ऋण विलेखों (Debt Instruments) और इक्विटी में निवेश करके आय अर्जित करने के लिये करता है। अनुमान के मुताबिक बीते वित्तीय वर्ष कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कुल कोष तकरीबन 13-14 लाख करोड़ रुपए था।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने 15 प्रतिशत कोष को इक्विटी में निवेश करता है, जबकि यह शेष कोष को ऋण विलेखों में निवेश करता है।
- ऋण विलेखों में इतने अधिक निवेश का कारण है कि यह संगठन को काफी अधिक आय अर्जित करने में मदद करता है, जबकि इक्विटी के साथ शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिम होते हैं।

प्रभाव

- कई जानकारों का मानना है कि यदि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा ब्याज दर में कमी की जाती है, तो कई सदस्य अपना पैसा वापस निकालने पर विचार कर सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो संगठन को अधिक वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- हालाँकि वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि हमे EPFO से केवल तभी पैसे निकालने चाहिये, जब हमें उनकी आवश्यकता हो। ध्यातव्य है कि भारत में EPFO में किये जाने वाले निवेश को सेवानिवृत्ति के बाद उपलब्ध एक विकल्प के रूप में देखा जाता है।

EPFO से पैसे निकालने संबंधी नियम

- नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति यदि दो माह से अधिक समय तक बेरोज़गार रहता है तो वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से अपनी पूरी राशि प्राप्त कर सकता है।
- इसके अलावा एक व्यक्ति होम लोन के मूल धन को चुकाने, चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति, घर का नवीनीकरण, घर के नवीनीकरण, शादी और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिये अपनी निवेश की गई राशि वापस ले सकता है।
    - विदित हो कि होम लोन के मूल धन के भुगतान के लिये राशि निकलने हेतु आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने अपनी पाँच वर्ष की सेवाएँ पूरी की हों।
- नियमों के मुताबिक यदि किसी के पास दो माह से रोज़गार नहीं है और वह भविष्य निधि (PF) से अपना धन वापस निकलता है तो उसे किसी भी प्रकार का कर भुगतान नहीं करना पड़ेगा वहीं यदि कोई व्यक्ति निरंतर पाँच वर्ष तक कार्यावधि पूरी करने के पश्चात् भविष्य निधि (PF) से पैसे निकालता है तो भी उसे किसी प्रकार का कर भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
- हालाँकि, यदि कोई पाँच वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले अपना धन वापस लेता है, तो उसे 10 प्रतिशत की दर से TDS का भुगतान करना पड़ेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक सेवानिवृत्ति निधि निकाय है जो भारत में सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करता है।
- यह संगठन सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को लागू करता है।
- यह संगठन श्रम और रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। सदस्यों और वित्तीय लेन-देन के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है।

आर्थिक घटनाक्रम

GDP संबंधी आँकड़े और आर्थिक संकुचन के निहितार्थ

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office-NSO) द्वारा जारी हालिया आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में रिकॉर्ड 23.9 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया गया है, जो कि बीते एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे खराब प्रदर्शन है।

प्रमुख बिंदु

- सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत में इस वर्ष अप्रैल, मई और जून माह में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य बीते वर्ष अप्रैल, मई और जून माह में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से 23.9 प्रतिशत कम है।
- आँकड़ों का विश्लेषण बताता है कि भारत, कोरोना वायरस (COVID-19) से सबसे अधिक प्रभावित कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
    - ध्यातव्य है कि मौजूदा महामारी का केंद्र माने जाने वाले चीन ने बीते दिनों अपनी अर्थव्यवस्था के पहली तिमाही संबंधी आँकड़े जारी किये थे, जिसमें चीन के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 3.2 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की गई थी, इस प्रकार चीन इस महामारी के प्रभाव से उबरने वाला पहला देश देश बन गया है।
    - वहीं ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में भी संकुचन देखा गया है। अप्रैल-जून तिमाही की अवधि के दौरान ब्रिटेन ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 20.4 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया, जबकि जर्मनी ने अपनी अर्थव्यवस्था में लगभग 10.1 प्रतिशत संकुचन रिकॉर्ड किया है।

सभी प्रमुख संकेतकों में संकुचन

- अर्थव्यवस्था में विकास के लगभग सभी प्रमुख संकेतक गहरे संकुचन की ओर इशारा कर रहे हैं। जहाँ एक ओर मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कोयले के उत्पादन में 15 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया गया, वहीं इसी अवधि के दौरान सीमेंट के उत्पादन और स्टील के उपभोग में क्रमश: 38.3 प्रतिशत और 56.8 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया गया।
- पहली तिमाही के दौरान कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में 2 प्रतिशत की कमी देखने को मिली, जबकि बीते वर्ष इसी अवधि के दौरान उपभोक्ताओं की संख्या में 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।
- इसी वर्ष की पहली तिमाही के दौरान महामारी का सबसे अधिक प्रभाव वाहनों की बिक्री और हवाईअड्डों पर आने वाले यात्रियों की संख्या पर देखने को मिला और इस दौरान वाहनों की बिक्री में लगभग 84.8 प्रतिशत और हवाईअड्डों पर आने वाले यात्रियों की संख्या में 94.1 प्रतिशत की कमी देखने को मिली।

आँकड़ों का निहितार्थ

- अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत समेत विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं में हो रहा संकुचन स्पष्ट तौर पर वायरस के प्रभाव को रोकने के लिये लागू किये गए लॉकडाउन का एक गंभीर प्रभाव है, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में महामारी की शुरुआत से पूर्व भी मंदी देखी जा रही थी, जिसमें इन आँकड़ों में भी अपनी भूमिका अदा की है।
- अर्थव्यवस्था में संकुचन अनुमान से काफी अधिक है, इसलिये संपूर्ण वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) संबंधी आँकड़े भी काफी खराब रह सकते हैं, जो कि स्वतंत्रत भारत के इतिहास में भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे खराब स्थिति होगी।
- सकल मूल्य वर्धित (GVA) के मामले में कृषि को छोड़कर अर्थव्यवस्था के अन्य सभी क्षेत्रों की आय में गिरावट देखने को मिली।
    - सकल मूल्य वर्धित किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों, यथा- प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है।

नोट :

- साधारण शब्दों में कहा जाए तो GVA से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल निष्पादन और आय का पता चलता है।

- इस तिमाही के दौरान महामारी का सबसे अधिक प्रभाव निर्माण (50 प्रतिशत संकुचन), विनिर्माण (39 प्रतिशत संकुचन), खनन (23 प्रतिशत संकुचन) और व्यापार, होटल तथा अन्य सेवा (47 प्रतिशत संकुचन) क्षेत्रों पर देखने को मिला।
  - यह भी ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि उपरोक्त सभी ऐसे क्षेत्र हैं जो देश में अधिकतम नए रोज़गार पैदा करने में मदद करते हैं।
  - ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त क्षेत्रों में तेज़ी से संकुचन हो रहा है अर्थात् उत्पादन और आय में गिरावट हो रही है, तब आने वाले समय में पहले से कार्य कर रहे लोगों को अपना रोज़गार खोना पड़ सकता है और नए लोगों को भी इन क्षेत्रों में काम नहीं मिलेगा।
- सबसे बड़ी बात यह है कि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था से संबंधित गुणवत्तापूर्ण डेटा एकत्रित करना काफी चुनौतीपूर्ण है, इसलिये कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति इससे भी खराब हो सकती है।

संकुचन का कारण

- किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग यानी अर्थव्यवस्था की GDP, मुख्य तौर पर विकास के चार कारकों से उत्पन्न होती है। इसमें निजी उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली मांग या खपत (C) विकास का सबसे बड़ा कारक है।
  - इसमें दूसरा और तीसरा कारक क्रमश: निजी क्षेत्र के व्यवसायों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली मांग (I) है और सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मांग (G) हैं।
  - इसमें चौथा महत्त्वपूर्ण कारक है शुद्ध निर्यात (NX), जिसकी गणना भारत के कुल निर्यात से कुल आयात को घटाने के पश्चात् की जाती है।

इस प्रकार कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) = C + I + G + NX

- आँकड़े बताते हैं कि इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण माने जाने वाले निजी उपभोग (C) में कुल 27 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था के दूसरे सबसे बड़े कारक निजी व्यवसायियों द्वारा किये गए निवेश (I) में कुल 47 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है।
  - इस प्रकार अर्थव्यवस्था के दो सबसे महत्त्वपूर्ण कारकों में संकुचन देखने को मिला है।
- वहीं अर्थव्यवस्था के दो अन्य कारकों यथा- सरकार द्वारा किये गए निवेश (G) और शुद्ध निर्यात (NX) में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है, किंतु वह इतनी नहीं है कि अर्थव्यवस्था को नुकसान की भरपाई कर सके।

आगे की राह

- जब आय में तेज़ी से गिरावट होती है तो निजी उपभोग अथवा खपत में भी गिरावट होती है, इसी प्रकार जब निजी खपत में गिरावट होती है तो निजी व्यवसाय निवेश करना बंद कर देते हैं और चूँकि ये दोनों स्वैच्छिक निर्णय हैं इसलिये आम लोगों को न तो अधिकाधिक खर्च करने के लिये मज़बूर किया जा सकता है और न ही निजी व्यवसायों को निवेश करने के लिये।
- ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा किये जाने वाला निवेश (G) अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिये एकमात्र साधन प्रतीत होता है। इस प्रकार मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने के लिये सरकार को अधिक-से-अधिक खर्च करना होगा। इस कार्य के लिये सरकार या तो सड़कों और पुलों के निर्माण, वेतन भुगतान और प्रत्यक्ष मौद्रिक भुगतान आदि का प्रयोग कर सकती है।
- पर यहाँ समस्या यह है कि सरकार के पास खर्च करने के लिये पैसे ही नहीं हैं, COVID-19 महामारी ने पहले ही सरकार के राजस्व को पूरा समाप्त कर दिया है और सरकार को कर के माध्यम से भी कुछ खास राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है।
- ऐसे में सरकारों को अपने राजस्व को पूरा करने तथा महामारी के प्रभाव से निपटने के लिये नए और अभिनव उपायों की आवश्यकता होगी।

RBI द्वारा तरलता पर दबाव में कमी के प्रयास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'भारतीय रिजर्व बैंक' (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा वित्तीय बाज़ार में तरलता बढ़ाने के लिये अनेक मौद्रिक नीति उपायों की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु:

विशेष खुला बाज़ार परिचालन (Open Market Operations-OMO):

- आरबीआई द्वारा 'ऑपरेशन ट्विस्ट' (Operation Twist) के तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि की विशेष 'खुला बाज़ार परिचालन' (OMO) के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) की खरीद और बिक्री की जाएगी।
  - 'ऑपरेशन ट्विस्ट' के अंतर्गत केंद्रीय बैंक दीर्घ अवधि के सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने के लिये अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग करता है, जिससे लंबी अवधि के ऋणपत्रों पर ब्याज दरों के निर्धारण में आसानी होती है।
- इसमें 10,000 करोड़ रुपए की दो समान अंश राशि के शामिल है। प्रथम अंश 10 सितंबर, 2020 को और दूसरी अंश राशि 17 सितंबर, 2020 को जारी की जाएगी।
- इससे पूर्व में 27 अगस्त को आरबीआई द्वारा विशेष 'खुला बाज़ार परिचालन' का प्रयोग किया गया था, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री एक साथ की गई थी।

आवधिक रेपो परिचालन (Term Repo Operations):

- आरबीआई सितंबर के मध्य में फ्लोटिंग दरों पर (प्रचलित रेपो दर पर) 1 लाख करोड़ रुपए की कुल राशि के लिये 'आवधिक रेपो परिचालन' का भी आयोजन करेगा।
- आवधिक रेपो परिचालन का उद्देश्य आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाना है।
- जिन बैंकों ने 'दीर्घावधि रेपो परिचालन' (Long-term Repo Operations- LTRO) के तहत धन का लाभ उठाया था, वे परिपक्वता से पहले इन लेनदेन को बदलने का विकल्प चुन सकते हैं।
- बैंक, जिसने पहले LTRO के तहत 5.15 प्रतिशत की दर पर आरबीआई से उधार लिया था, वे इसे लौटाकर मौजूदा रेपो दर पर अर्थात 4 प्रतिशत की दर पर से उधार ले सकते हैं।
  - इससे इन बैंकों की ब्याज देयता कम हो जाएगी।

दीर्घावधि रेपो परिचालन (Long Term Repo Operation- LTRO):

- LTRO, मौद्रिक नीति को क्रियान्वित करने और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिये एक तंत्र है।
- LTRO एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को एक से तीन वर्ष की अवधि के लिये ऋण प्रदान करता है तथा कोलेटरल के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को लंबी अवधि के लिये स्वीकार करेगा।
- LTRO के माध्यम से फंड रेपो रेट पर प्रदान किया जाता है।

हेल्ड-टू-मेच्योरिटी (HTM) प्रतिभूति:

- परिपक्वता तक स्वामित्व रखने के लिये हेल्ड-टू-मेच्योरिटी (HTM) प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है। उदाहरण के लिये एक कंपनी का प्रबंधन उस बॉण्ड में निवेश कर सकता है जिसे वे परिपक्वता पर रखने की योजना बनाते हैं।
- आरबीआई ने परिपक्वता (Held to Maturity- HTM) श्रेणी के लिये अधिक अवसर उपलब्ध कराने की घोषणा की है।
- बैंक 1, सितंबर 2020 से अपने नवीन सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) के अधिग्रहण को पार्क करने के लिये इसका उपयोग कर सकते हैं।
- वर्तमान में बैंकों को अपनी 'शुद्ध मांग और समय देयता' (Net Demand and Time Liability- NDTL) का 18 प्रतिशत या 'वैधानिक तरलता अनुपात' (Statutory Liquidity Ratio) (सरकारी प्रतिभूति और राज्य विकास ऋण सहित) के तहत बनाए रखना होता है।
- वर्तमान में HTM श्रेणी में कुल 25 प्रतिशत तक निवेश किया जा सकता है।
  - आरबीआई ने बैंकों को इस सीमा को पार करने की अनुमति दी है।

आरबीआई द्वारा अपनाए गए उपायों का महत्त्व:

- आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम बाज़ार-से-बाज़ार प्रोविजनिंग की चिंताओं को संबोधित करते हैं।
- HTM पर आरबीआई के कदम बैंकों को केंद्र सरकार तथा राज्यों को के लिये उधार कार्यक्रम में सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) को स्वीकार करने को बढ़ावा देंगे।

नोट :

- हाल ही में मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण से संबंधित चिंताओं और सरकार की राजकोषीय स्थिति के कारण बाज़ार की धारणा प्रभावित हुई है।
- अत: बाज़ार की स्थिति में सुधार करने और अनुकूल वित्तीय स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आरबीआई द्वारा इन उपायों की घोषणा की गई है।

निष्कर्ष:

- मौद्रिक नीति उपायों के माध्यम से आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता लाने और वित्तपोषण की स्थिति सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जो भारत की लगातार गिरती अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने के दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

भारत में जैविक कृषि: दशा व दिशा

चर्चा में क्यों ?

वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण पूरे विश्व में बेहतर स्वास्थ्य व सुरक्षित भोजन की मांग में वृद्धि हुई है। भारत जैविक कृषकों की संख्या के मामले में प्रथम तथा जैविक कृषि क्षेत्रफल के मामले में 9वें स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- सिक्किम पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्य भी इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास कर कर रहे हैं।

जैविक कृषि:

- जैविक कृषि (ऑर्गेनिक फार्मिंग) कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग किया जाता है तथा जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिये फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है।
- जैविक कृषि में मिट्टी, पानी, रोगाणुओं और अपशिष्ट उत्पादों, वानिकी और कृषि जैसे प्राकृतिक तत्त्वों का एकीकरण शामिल है।

जैविक कृषि के उद्देश्य:

- यह कृषि-आधारित उद्योग के लिये भोजन और फीडस्टॉक की बढ़ती आवश्यकता के कारण प्राकृतिक संसाधनों के सतत् उपयोग के लिये आदर्श पद्धति है।
- यह सतत् विकास लक्ष्य-2 के अनुरूप है जिसका उद्देश्य 'भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और बेहतर पोषण और कृषि को बढ़ावा देना' है।

भारत में जैविक कृषि की संभावना:

- उत्तर-पूर्व भारत पारंपरिक रूप से जैविक कृषि के अनुकूल रहा है और यहाँ रसायनों की खपत देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत कम है।
- वर्तमान सरकार द्वारा जनजातीय और द्वीपीय क्षेत्रों में भी कृषि के जैविक तरीकों को आगे बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- भारत वैश्विक 'जैविक बाज़ारों' में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है। भारत से प्रमुख जैविक निर्यातों में सन बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधे, चावल और दालें रहे हैं।
- वर्ष 2018-19 में विगत वर्ष की तुलना में 50% की वृद्धि के साथ जैविक निर्यात लगभग 5151 करोड़ रुपए रहा है।

सरकार की पहल

'मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन' (MOVCD):

- मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन (MOVCD-NER) एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (CSS) है। यह सतत् कृषि के लिये राष्ट्रीय मिशन (NMSA) के तहत एक उप-मिशन है।
- इसे वर्ष 2015 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में प्रारंभ किया गया था।

- यह योजना जैविक उत्पादन का 'प्रमाण' प्रदान करने ग्राहकों में उत्पाद के प्रति विश्वास पैदा करने के दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

'परंपरागत कृषि विकास योजना' (PKVY):

- परंपरागत कृषि विकास योजना को वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था जो 'सतत् कृषि के लिये राष्ट्रीय मिशन' (NMSA) के उप मिशन 'मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन' (Soil Health Management- SHM) का एक प्रमुख घटक है।
- PKVY के तहत जैविक कृषि में 'क्लस्टर दृष्टिकोण' और 'भागीदारी गारंटी प्रणाली' (Participatory Guarantee System-PGS) प्रमाणन के माध्यम से 'जैविक ग्रामों' के विकास को बढ़ावा दिया जाता है।
  - 'भागीदारी गारंटी प्रणाली' (Participatory Guarantee System-PGS) और 'जैविक उत्पादन के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम' (National Program for Organic Production- NPOP) के तहत प्रमाणन को बढ़ावा दे रही हैं।

एक ज़िला- एक उत्पाद योजना:

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विशेष उत्पादों की अधिक दृश्यता और बिक्री को प्रोत्साहित करना है, ताकि ज़िला स्तर पर रोज़गार पैदा हो सके।
- एक ज़िला- एक उत्पाद (One district - One product) योजना ने छोटे और सीमांत किसानों को जैविक कृषि के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में मदद की है।

जैविक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म:

- जैविक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म www.jaivikkheti.in को सीधे खुदरा विक्रेताओं के साथ-साथ थोक खरीदारों के साथ जैविक किसानों को जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है।

निष्कर्ष:

- भारत में प्राकृतिक खेती कोई नई अवधारणा नहीं है। अत: अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में उत्पादकों की अधिक जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने से भारतीय जैविक किसान जल्द ही वैश्विक कृषि व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम होंगें।

कोर अवसंरचना क्षेत्र में 9.6 की गिरावट

चर्चा में क्यों ?

जुलाई 2020 में आठ कोर अवसंरचना क्षेत्रों के आउटपुट में 9.6% की गिरावट देखी गई है। यह संकुचन पिछले पाँच महीनों से जारी है।

प्रमुख बिंदु:

- विगत वर्ष जुलाई माह में आठ कोर क्षेत्र के उत्पादन में 2.6% की वृद्धि देखी गई थी।
- जुलाई 2020 में, उर्वरक क्षेत्र के अलावा सभी सात कोर क्षेत्रों- कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सीमेंट और विद्युत, में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।
- स्टील के उत्पादन में सबसे ज्यादा (16.5%) गिरावट देखी गई। इसके बाद रिफाइनरी उत्पादों (13.9%) में गिरावट देखी गई है।
- न्यूनतम गिरावट (2.3%) विद्युत क्षेत्र में देखी गई है।

क्रय प्रबंधक सूचकांक पर विनिर्माण का प्रदर्शन:

- 'क्रय प्रबंधक सूचकांक' (Purchasing Managers' Index- PMI) अगस्त माह में पिछले महीने की तुलना में 46 अंक से बढ़कर 52 हो गया है। जो लगातार चार महीनों के संकुचन के बाद विनिर्माण क्षेत्र में परिचालन स्थितियों में सुधार का संकेत है।
  - यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि अप्रैल 2020 से पूर्व, पिछले 32 महीनों से विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक में निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी।
- भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के 'क्रय प्रबंधक सूचकांक' में सकारात्मक संकेतों के बावजूद इस क्षेत्र में 'नौकरियों की छंटनी' जारी है।

क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Managers' Index- PMI):

- PMI को 'आपूर्ति प्रबंधन संस्थान' (Institute for Supply Management- ISM) द्वारा मासिक रूप से संकलित और जारी किया जाता है।
  - ISM, विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आपूर्ति प्रबंधन संघ है।
- 'क्रय प्रबंधक सूचकांक' (PMI) व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है, जिसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों दोनों शामिल हैं।
- यह एक सर्वेक्षण-आधारित प्रणाली है, जिसमें उत्तरदाताओं (Respondents) से कुछ प्रमुख व्यावसायिक क्रियाओं के प्रति उनकी धारणा में आए बदलाव (Changes in Their Perception) के बारे में पूछा जाता है।
- PMI की गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिये अलग-अलग की जाती है, उसके बाद एक समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है।

PMI का महत्त्व:

- PMI को आमतौर पर महीने की शुरुआत में जारी कर दिया जाता है। यह IIP द्वारा जारी मासिक आँकड़ों से पहले उपलब्ध कर दिया जाता है, इसलिये इसे आर्थिक गतिविधि का एक अच्छा संकेतक माना जाता है।
- PMI को 0 से 100 तक के सूचकांक पर मापा जाता है। 50 से ऊपर का आँकड़ा व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार या विकास को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का आँकड़ा संकुचन (गिरावट) को प्रदर्शित करता है।

अवसंरचना संकुचन के कारण:

- अवसंरचना क्षेत्र में संकुचन का कारण मुख्यत: स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, और सीमेंट के उत्पादन में गिरावट का होना है।
- COVID-19 महामारी के कारण वैश्विक और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों से आर्थिक संसाधनों की गतिशीलता में बाधा लगातार बनी हुई है।
- जुलाई माह में ईंधन के उच्च मूल्य, देश के कुछ हिस्सों में नए सिरे से लॉकडाउन को लगाने, और तेज़ मानसून के कारण परिवहन, औद्योगिक और निर्माण की गतिविधियाँ प्रभावित हुई है, जिसके कारण स्थानीय मांग में कमी देखी गई है।

आठ कोर उद्योग:

- आठ कोर क्षेत्र के उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत शामिल हैं।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production-IIP) में आठ कोर उद्योगों का योगदान 40.27 प्रतिशत है।
- आठ प्रमुख उद्योगों का उनके भार का घटता क्रम: रिफाइनरी उत्पाद> विद्युत> इस्पात> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक।

उद्योग	भार (प्रतिशत में)
पेट्रोलियम और रिफाइनरी उत्पादन	28.04
विद्युत उत्पादन	19.85
इस्पात उत्पादन	17.92
कोयला उत्पादन	10.33
कच्चा तेल उत्पादन	8.98
प्राकृतिक गैस उत्पादन	6.88
सीमेंट उत्पादन	5.37
उर्वरक उत्पादन	2.63

नोट :

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production-IIP):

- 'औद्योगिक उत्पादन सूचकांक' अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में एक निश्चित समय अवधि में विकास दर को प्रदर्शित करता है।
- इसका संकलन तथा प्रकाशन मासिक आधार पर 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय', 'सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय' द्वारा किया जाता है।
- IIP एक समग्र संकेतक है जो वर्गीकृत किये गए उद्योग समूहों की वृद्धि दर को मापता है जिनमें शामिल है:
  - व्यापक क्षेत्र (Broad sectors)- खनन, विनिर्माण और विद्युत।
  - उपयोग आधारित क्षेत्र (Use-based Sectors)- मूलभूत वस्तुएँ, पूँजीगत वस्तुएँ और मध्यवर्ती वस्तुएँ।
- IIP के आकलन के लिये आधार वर्ष 2011-2012 है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का महत्व:

- इसका उपयोग नीति-निर्माण के लिये वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक सहित अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
- IIP, त्रैमासिक और अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुमानों की गणना के लिये अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है।

समायोजित सकल राजस्व (AGR) चुकाने हेतु 10 वर्ष का समय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायलय ने दूरसंचार कंपनियों को अपने बकाया 'समायोजित सकल राजस्व' (Adjusted Gross Revenue-AGR) को चुकाने के लिये 10 वर्ष का समय देने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु:

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय COVID-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए लिया है।
- गौरतलब है कि मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को AGR के बकाया भुगतान हेतु 20 वर्ष का समय देने का सुझाव दिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों को अपने कुल बकाया AGR की 10% राशि 31 मार्च 2021 तक जमा करनी होगी।
- इसके बाद दूरसंचार कंपनियाँ बची हुई राशि वर्ष 2021 से वर्ष 2031 के बीच कर वार्षिक (प्रतिवर्ष 31 मार्च को) रूप से कर सकेंगी।
  - गौरतलब है कि वर्तमान में देश में दूरसंचार क्षेत्र की अलग-अलग कंपनियों का बकाया AGR लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
- किसी भी वर्ष में देय राशि के भुगतान में देरी या चूक होने पर संबंधित कंपनी पर जुर्माने के साथ यह न्यायालय के आदेश की अवमानना के तहत दंडनीय भी होगा।
- अगले 10 वर्षों के दौरान दूरसंचार कंपनियों और दूर-संचार विभाग को प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को न्यायालय के आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट देनी होगी।
- इस मामले में दूरसंचार कंपनियों (जिनका AGR बकाया है) के प्रबंध निदेशकों को चार सप्ताह के अंदर एक व्यक्तिगत गारंटी देनी होगी।
- इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायलय ने 'दिवाला और दिवालियापन संहिता' (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC) के तहत स्पेक्ट्रम की बिक्री के संदर्भ में 'राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण' (National Company Law Appellate Tribunal-NCLAT) को अगले दो माह के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि:

- गौरतलब है कि 'राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994' के तहत देश में दूरसंचार क्षेत्र के उदारीकरण के पश्चात एक निश्चित शुल्क के भुगतान के आधार पर दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस जारी किये गए।

- हालाँकि वर्ष 1999 में सरकार ने एकमुश्त शुल्क के दबाव से बचने के लिये कंपनियों को राजस्व साझा करने का विकल्प उपलब्ध कराया।
- इसके तहत कंपनियों को वार्षिक लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में अपने समायोजित सकल राजस्व (AGR) का एक हिस्सा सरकार के साथ साझा करना था।
- दूरसंचार कंपनियों के सकल राजस्व की गणना दूरसंचार विभाग और दूरसंचार कंपनियों के बीच हुए लाइसेंस समझौते के आधार पर की जाती है, इसके साथ ही लाइसेंस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप कुछ कटौतियों के पश्चात AGR की गणना की जाती है।
- इसके आधार पर लाइसेंस शुल्क (License Fee- LF) और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (Spectrum Usage Charges-SUC) को क्रमश: कंपनी के AGR का 8% (LF)और 3-5% (SUC) निर्धारित किया गया था।

AGR विवाद:

- दूर-संचार विभाग के अनुसार, AGR की गणना में दूर संचार कंपनियों द्वारा सभी स्रोतों से प्राप्त राजस्व को शामिल किया जाना चाहिये, जिनमें गैर-दूरसंचार संबंधी स्रोतों से प्राप्त राजस्व जैसे- कंपनी द्वारा जमा राशि पर प्राप्त ब्याज या संपत्ति की बिक्री से प्राप्त धन आदि शामिल हैं।
- वर्ष 2005 में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Cellular Operators Association of India-COAI) ने सरकार द्वारा दी गई AGR की इस परिभाषा को चुनौती दी।
- वर्ष 2015 में 'दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील प्राधिकरण' (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal- TDSAT) ने दूरसंचार कंपनियों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और कहा कि पूंजीगत प्राप्तियों तथा गैर-प्रमुख स्रोतों से प्राप्त राजस्व जैसे- किराया, अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ, लाभांश, ब्याज आदि को AGR से बाहर रखा जाएगा।
- 24 अक्तूबर, 2019 को उच्चतम न्यायालय ने AGR के संदर्भ में दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई परिभाषा का समर्थन करते हुए सभी कंपनियों को कुल बकाया AGR, बकाया राशि पर जुर्माना और विलंब के लिये जुर्माने पर ब्याज भी जमा करने का आदेश दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को यह राशि जमा करने के लिये तीन माह का समय दिया था।

निर्णय का प्रभाव:

- सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय वर्तमान में वित्तीय चुनौतियों से जूझ रही कई दूरसंचार कंपनियों के लिये एक बड़ी राहत होगी।
- इस निर्णय के पश्चात दूर-संचार क्षेत्र के बड़े विवाद के समाधान के साथ ही सरकार को भी बकाया धन प्राप्त हो सकेगा।
- उदाहरण के लिये भारती एयरटेल के कुल 36,000 करोड़ रुपए के AGR में से 21,000 करोड़ रुपए बकाया हैं, अत: उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय के तहत कंपनी को 31 मार्च तक लगभग 2,160 करोड़ रुपए के बाद प्रतिवर्ष लगभग 19,440 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा।
- हालाँकि वोडाफोन-आइडिया के लिये अभी भी लगभग 58,000 करोड़ के AGR का भुगतान एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि अब तक कंपनी द्वारा अपने कुल बकाया AGR में से मात्र 7850 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
- बकाया राशि की भुगतान अवधि को 10 वर्ष तक बढ़ाए जाने से कंपनियों को 5G जैसी नवीन तकनीकों में निवेश के लिये धन जुटाने में आसानी होगी।

चुनौतियाँ:

- वोडाफोन जैसी कुछ दूर-संचार कंपनियों के अनुसार, वे वर्तमान में बकाया AGR के भुगतान पर नई बैंक गारंटी देने की स्थिति में नहीं हैं।
- गौरतलब है कि वोडाफोन और आइडिया ने इससे पहले बकाया AGR के भुगतान हेतु 15 वर्ष की अवधि दिये जाने की मांग की थी।
- दूरसंचार कंपनियों पर बढ़ते आर्थिक दबाव के कारण भविष्य में फोन और इंटरनेट रिचार्ज की दरों में वृद्धि हो सकती है।

आगे की राह:

- वर्तमान समय में देश के विकास में फोन और इंटरनेट की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण हो गई है, इसके साथ ही आने वाले दिनों में देश में 5G की शुरुआत के दौरान स्थानीय कंपनियों का मज़बूत होना अत्यधिक आवश्यक है।

नोट :

- दूरसंचार क्षेत्र में कई कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा से सरकार को आर्थिक लाभ के साथ लोगों को भी कम कीमत पर नवीन तकनीकों का लाभ मिल सकेगा।
- वर्तमान में दूरसंचार कंपनियों के आर्थिक दबाव को देखते हुए सरकार को जुर्माने की राशि में कटौती पर विचार करना चाहिये।

दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील प्राधिकरण (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal- TDSAT):

- दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2000 में 'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997' में संशोधन के माध्यम से की गई थी।
- TDSAT की स्थापना का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा हेतु अपीलों और विवादों के निपटारों के साथ दूरसंचार क्षेत्र के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करना था।

संरचना:

- TDSAT में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- TDSAT का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च नयायालय का मुख्य नयायाधीश (सेवारत अथवा सेवानिवृत्त) होना चाहिये।

कार्य:

- TDSAT 'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997' (संशोधित), 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008' और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करता है।
- TDSAT के अधिकार क्षेत्र में दूरसंचार, प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी और एयरपोर्ट टैरिफ से जुड़े मामले आते हैं।

स्वयं सहायता समूहों में NPA की समस्या

चर्चा में क्यों?

बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups-SHGs) को दिया गया ऋण तेज़ी से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Non-Performing Assets-NPA) में परिवर्तित हो रहा है, इस समस्या के मद्देनज़र केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों से ज़िलेवार NPAs की निगरानी करने और बकाया राशि की वसूली के लिये आवश्यक उपाय करने को कहा है।

प्रमुख बिंदु

- दरअसल ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा की जा रही थी, इसी मिशन के तहत सरकार स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को बैंकों से जोड़कर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- बैठक के दौरान स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा लिये गए ऋण के वापस न आने अर्थात् उनके गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में परिवर्तित हो जाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई।

स्वयं सहायता समूहों में NPAs की समस्या

- आँकड़े बताते हैं कि कुछ राज्यों में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा बैंकों से लिया गया एक-चौथाई से अधिक ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) में परिवर्तित हो चुका है।
- मार्च माह के अंत तक देश भर के तकरीबन 54.57 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs) पर 91,130 करोड़ रुपए बकाया थे, जिसमें से जिनमें से 2,168 करोड़ रुपए अर्थात् 2.37 प्रतिशत NPAs के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं।
    - यह आँकड़ा वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में देश भर के स्वयं सहायता समूहों द्वारा लिये गए ऋणों के NPAs में समग्र तौर पर 0.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के विश्लेषण में सबसे खराब प्रदर्शन अरुणाचल प्रदेश का रहा, जहाँ स्वयं सहायता समूहों द्वारा लिये गए ऋण का 43.34 प्रतिशत हिस्सा NPA के रूप में परिवर्तित हो गया।

- उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों द्वारा लिये गए ऋण का 36.02 प्रतिशत हिस्सा मार्च 2020 के अंत तक NPA में परिवर्तित हो गया, जबकि बीते वर्ष वर्ष की शुरुआत में यह केवल 22.16 प्रतिशत था।
- उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब और उत्तराखंड का स्थान है, जहाँ स्वयं सहायता समूहों द्वारा लिये गए ऋण का क्रमशः 19.25 प्रतिशत और 18.32 प्रतिशत हिस्सा NPA में परिवर्तित हो गया। इनके बाद हरियाणा का स्थान है जहाँ स्वयं सहायता समूहों का 10.18 प्रतिशत ऋण NPA में बदल गया।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण

- समन्वय का अभाव: विशेषज्ञ मानते हैं कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच समन्वय का अभाव उस समूह के डिफॉल्टर होने का सबसे बड़ा कारण है।
  - कई बार यह भी देखा गया है कि समूह के नेता बिना समूह को सूचित किये ऋण ले लेते हैं और ऋण चुकाने की उनकी असमर्थता पर पूरे समूह को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है।
- ऋण माफी की उम्मीद: कई बार स्वयं सहायता समूह सरकार द्वारा ऋण माफी की घोषणा का इंतज़ार करते रहते हैं और प्रायः इस इंतज़ार में उनके द्वारा लिया गया ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में परिवर्तित हो जाता है।
- पारिवारिक विवाद: स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रायः तब भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जब उनके परिवार के सदस्य कुछ विशिष्ट मामलों खासतौर पर वित्तीय मामलों में उनके साथ सहयोग नहीं करते हैं।
- प्राकृतिक आपदा: प्राकृतिक आपदाएँ जैसे- सूखा, अत्यधिक वर्षा, बाढ़, भूकंप आदि भी स्वयं सहायता समूहों के बढ़ते NPA का एक कारण हो सकते हैं, क्योंकि इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण ग्रामीणों की आय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और वे ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं।
- इसके अलावा विवाह, समारोह और चिकित्सीय आपात स्थिति आदि पर व्यय करने हेतु लिया गया ऋण भी प्रायः गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल जाता है, इसका मुख्य कारण यह है कि इस प्रकार के खर्चों से ग्रामीणों की कोई आय नहीं होती है।

स्वयं सहायता समूह और उसका महत्त्व

- सरल शब्दों में कहें तो स्वयं सहायता समूह (SHG) कुछ ऐसे लोगों का एक अनौपचारिक संघ होता है जो अपनी रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिये स्वैच्छा से एक साथ आते हैं।
- सामान्यतः एक ही सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का ऐसा स्वैच्छिक संगठन स्वयं सहायता समूह (SHG) कहलाता है, जिसके सदस्य एक-दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं।
- स्वयं सहायता समूहों में सामान्यतः 10-20 सदस्य होते हैं। प्रायः कम सदस्यों वाले समूह को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि अधिक सदस्यों वाले समूह में सभी सदस्य सक्रिय रूप से समूह की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाते हैं।
- स्वयं सहायता समूह (SHG) ग्रामीण भारत में दहेज और शराबबंदी जैसी प्रथाओं का मुकाबला करने के लिये सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं।
- स्वयं सहायता समूहों के गठन से समाज और परिवार में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और महिलाओं के आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हुई है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक- 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक- 2020 (Global Innovation Index-GII) में भारत को 48वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) में शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization-WIPO) द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक का यह 13वाँ संस्करण है।
- वैश्विक नवाचार सूचकांक- 2020 में स्विट्ज़रलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि स्वीडन और अमेरिका को क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं ब्रिटेन और नीदरलैंड इस सूचकांक में क्रमश: चौथे और पाँचवे स्थान पर मौजूद हैं।
  - शीर्ष 10 स्थानों पर उच्च आय वाले देशों के वर्चस्व है।
- आय समूह के आधार पर शीर्ष 3 नवाचार अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं:
  - हाई इनकम: स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और अमेरिका
  - अपर मिडिल इनकम: चीन, मलेशिया, बुल्गेरिया
  - लोअर मिडिल इनकम: वियतमान, यूक्रेन, इंडिया
  - लो इनकम: तंज़ानिया, रवांडा, नेपाल
- इस सूचकांक में चीन को 14वाँ, नेपाल को 95वाँ, श्रीलंका को 101वाँ, पाकिस्तान को 107वाँ, बांग्लादेश को 116वाँ और म्याँमार को 129वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- 131 देशों के इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान यमन को प्राप्त है।

भारत के संदर्भ में

- भारत ने बीते एक दशक में देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। लगभग 50000 स्टार्ट-अप्स के साथ भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्ट-अप अर्थव्यवस्था है।
- इस वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) में भारत की रैंकिंग में 4 स्थानों का सुधार हुआ है और बीते वर्ष 2019 की रैंकिंग में भारत को 52वाँ स्थान प्राप्त हुआ था।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2015 में इस सूचकांक में भारत को 81वाँ स्थान प्राप्त हुआ था।
- रिपोर्ट के अनुसार, लोअर मिडिल इनकम समूह में भारत नवाचार के क्षेत्र में कार्य करने वाला तीसरा सबसे बेहतरीन देश बन गया है, इस प्रकार बीते कुछ वर्षों में नवाचार के संदर्भ में भारत की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।
- भारत, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ITC) सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातक जैसे नवाचार संकेतकों में शीर्ष 10 देशों में शामिल है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और भारतीय विज्ञान संस्थान-बंगलूरू (IIS-Bengaluru) जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रकाशित वैज्ञानिक अध्ययनों का ही नतीजा है कि भारत लोअर मिडिल इनकम वाले समूह में उच्चतम नवाचार गुणवत्ता वाला देश है।
- इस संबंध में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, भारत सरकार के तहत आने वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और अंतरिक्ष विभाग जैसे निकायों ने राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII)

- वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) की शुरुआत वर्ष 2007 में ऐसे तरीकों को खोजने के उद्देश्य से हुई थी, जो समाज में नवाचार की समृद्धि को बेहतर ढंग से समझाने में समर्थ हों।
- वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष कॉर्नेल यूनिवर्सिटी (Cornell University), इन्सीड बिज़नेस स्कूल (INSEAD Business School) और संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा किया जाता है।
- इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है।

महत्त्व

  - विभिन्न देशों के नीति निर्माता अपनी आर्थिक नीति के निर्माण के लिये नवाचार को भी एक कारक के रूप में देखते हैं।

- वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को उनके नवाचार प्रदर्शन का आकलन करने की अनुमति देता है और साथ ही प्रदर्शन में सुधार करने के लिये एक प्रतिस्पर्द्धी माहौल भी तैयार करता है।

आगे की राह

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा जारी रिपोर्ट में नीति आयोग द्वारा बीते वर्ष जारी भारत नवाचार सूचकांक को देश के सभी राज्यों में नवाचार के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है।
- भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक में अपनी रैंकिंग में सुधार लाने के लिये ऊँचे लक्ष्य के साथ अपने प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को तभी पूरा किया जा सकता है, जब भारत अपनी स्थिति को बेहतर करते हुए वैज्ञानिक हस्तक्षेपों को विकसित करने में वैश्विक महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करेगा।
- अत: आवश्यक है कि भारत के नीति-निर्माता देश में नवाचार को लेकर उल्लेखनीय बदलाव लाने का प्रयास करें और अगले वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में शामिल होने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने 'मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (Merchandise Exports from India Scheme-MEIS) के तहत प्राप्त कुल लाभों की उच्चतम सीमा लागू करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु:

- MEIS योजना के तहत किसी आयात निर्यात कोड (Import Export Code- IEC) धारक को दिया जाने वाला कुल लाभ 01 सितंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान किये गए निर्यातों के प्रति IEC पर 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा।

आयात निर्यात कोड (Import Export Code- IEC):

- यह कोड केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Union Ministry of Commerce and Industry) के विदेश व्यापार महानिदेशक (Director General of Foreign Trade) द्वारा जारी किया जाता है।
- IEC एक 10-अंकीय कोड है जिसकी वैधता जीवन भर की है।
- मुख्य रूप से आयातक, आयात निर्यात कोड के बिना माल आयात नहीं कर सकते हैं और इसी तरह, निर्यातक व्यापारी IEC के बिना निर्यात योजना आदि के लिये DGFT से लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
- कोई भी IEC धारक जिसने 01 सितंबर, 2020 से पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं किया है या एक सितंबर या उसके बाद नई IEC प्राप्त की है, वे MEIS के तहत कोई भी दावा प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे।
- उपरोक्त उच्चतम सीमा अधोमुखी संशोधन के अधीन होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 01 सितंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान MEIS के तहत कुल दावा राशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित 5000 करोड़ रुपए के निर्धारित आवंटन से अधिक न हो।
- MEIS, विश्व व्यापार संगठन (WTO) की अनुपालक नहीं है और MEIS योजना के वापस आने से एक नई योजना का मार्ग प्रशस्त होगा।
- भारत सरकार ने एक नई डब्ल्यूटीओ-अनुपालन योजना (WTO-Compliant Scheme) की घोषणा की है जिसका नाम निर्यात किये जाने वाले उत्पादों को निर्यात शुल्क और कर में छूट (Remission of Duties or Taxes on Export Product-RoDTEP) है।

'मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (Merchandise Exports from India Scheme- MEIS):

- MEIS को विदेशी व्यापार नीति: 2015-20 के तहत 1 अप्रैल, 2015 को शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य MSME क्षेत्र द्वारा उत्पादित/निर्मित उत्पादों सहित भारत में उत्पादित/निर्मित वस्तुओं/उत्पादों के निर्यात में शामिल अवसंरचनात्मक अक्षमताओं एवं संबंधित लागतों की भरपाई करना है।
- MEIS के तहत, भारत सरकार उत्पाद एवं देश के आधार पर शुल्क लाभ प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत पुरस्कार वास्तविक रूप से मुक्त बोर्ड मूल्य (2%, 3% एवं 5%) के प्रतिशत मूल्य के रूप में देय हैं और मूल सीमा शुल्क सहित कई शुल्कों के भुगतान के लिये 'MEIS ड्यूटी क्रेडिट पत्रक' (MEIS Duty Credit Scrip) को स्थानांतरित या उपयोग किया जा सकता है।
- MEIS ने विदेश व्यापार नीति 2009-14 में मौजूद अन्य पाँच समान प्रोत्साहन योजनाओं को प्रतिस्थापित किया है:
  - फोकस प्रोडक्ट स्कीम (FPS)
  - फोकस मार्केट स्कीम (FMS)
  - मार्केट लिंक्ड फोकस मार्केट स्कीम (MLFMS)
  - अवसंरचना प्रोत्साहन योजना
  - विशेष कृषि ग्रामीण योजना (VKGUY)

चिंताएँ:

- MEIS की जगह नई योजना लाने के लिये डेटा की कमी: RoDTEP के तहत दरों को अंतिम रूप देने के लिये वित्त मंत्रालय ने पूर्व वाणिज्य एवं गृह सचिव जी. के. पिल्लई (G. K. Pillai) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है किंतु लगातार स्थानीय लॉकडाउन, परिवहन की अनुपलब्धता एवं लेखा परीक्षकों के गैर-कामकाज के कारण डेटा प्रदान करने में उद्योग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज़ेशन' (Federation of Indian Export Organisations- FIEO) का मानना है कि सितंबर-दिसंबर, 2020 के दौरान निर्यात उन आदेशों पर आधारित है जिन्हें मौजूदा MEIS लाभ में फैक्टरिंग के बाद पहले ही अपनाया गया था।
  - ये लाभ निर्यात प्रतिस्पर्द्धा का हिस्सा हैं और इसलिये अचानक परिवर्तन निर्यातकों के वित्तीय हितों को प्रभावित करेगा क्योंकि खरीदार अपनी कीमतों में संशोधन नहीं करेंगे।

'फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज़ेशन' (FIEO):

- यह वैश्विक बाज़ार के उद्यम क्षेत्र में भारतीय उद्यमियों की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी।
- यह भारत में निर्यात संवर्द्धन परिषदों, सामुदायिक बोर्डों एवं विकास प्राधिकरणों का एक सर्वोच्च निकाय है।
- यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, बंदरगाहों, रेलवे एवं सभी निर्यात व्यापार सुविधाओं में लगे हुए समुदायों के बीच महत्त्वपूर्ण इंटरफेस प्रदान करता है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने 'स्टार्ट अप' (Start Up) और कृषि क्षेत्र सहित कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजी की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending- PSL) संबंधी संशोधित दिशा निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- RBI द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायरे का विस्तार करते हुए इसमें स्टार्टअप के लिये 50 करोड़ रुपए तक का वित्तपोषण और कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा चालित पंप तथा संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के हेतु ऋण को भी शामिल कर दिया गया है।
- 'छोटे और सीमांत किसानों' (Small and Marginal Farmers) तथा 'कमज़ोर वर्गों' के लिये निर्धारित लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है।
- RBI द्वारा PSL प्रावधानों में हालिया संशोधन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के लिये ऋण सीमा को बढ़ा कर दोगुना कर दिया गया है।
- इसके साथ ही RBI द्वारा PSL के तहत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे (आयुष्मान भारत सहित) के लिये ऋण सीमा को भी दोगुना कर दिया गया है।
- RBI के अनुसार, संशोधित PSL दिशा निर्देश के माध्यम से ऋण उपलब्धता की कमी वाले क्षेत्रों में क्रेडिट पहुँच को बेहतर बनाने में सहायता प्राप्त होगी।
- RBI द्वारा PSL दिशा निर्देशों में परिवर्तनों का उद्देश्य इसे उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है।
- इससे पहले PSL दिशा निर्देशों की समीक्षा अप्रैल 2015 में व्यावसायिक बैंकों और मई 2018 में 'शहरी सहकारी बैंकों' (Urban Cooperative Banks- UCBs) के लिये की गई थी।

कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधार:

- RBI द्वारा 'किसान उत्पादक संगठनों' (Farmers Producers Organisations- FPOs) और कृषि क्षेत्र में सक्रिय 'किसान उत्पादक कंपनियों' (Farmers Producer Companies- FPCs) के लिये ऊँची ऋण सीमा का निर्धारण किया गया है।
- साथ ही FPOs और FPCs के लिये उनकी उपज के पूर्व निर्धारित मूल्य पर विपणन का प्रावधान भी किया गया है।
- कृषि क्षेत्र के लिये प्रति इकाई ऋण की सीमा 2 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है।
- RBI द्वारा इस सुधारों के तहत छोटे और सीमांत किसानों तथा कमज़ोर वर्गों के लिये निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ाया गया है।
- RBI के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान गैर-व्यावसायिक किसानों के लिये निर्धारित ऋण वितरण का लक्ष्य के तहत 'समायोजित निवल बैंक ऋण' (Adjusted Net Bank Credit-ANBC) या 'ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र की समतुल्य राशि' (Credit Equivalent Amount of Off-Balance Sheet Exposure-CEOBE) का 12% (जो भी अधिक हो) लागू होगा।

छोटे और सीमांत किसानों का निर्धारण:

- RBI द्वारा 1 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को सीमांत किसान (Marginal Farmers) तथा 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को छोटे किसानों (Small Farmers) के रूप में परिभाषित किया गया है।

नवीकरणीय ऊर्जा:

- RBI द्वारा PSL के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित ऋण की सीमा को दोगुना कर दिया गया है।
- RBI के अनुसार, सौर तथा जैव-ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, पवन चक्की (Windmill), सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्र, गैर-पारंपरिक ऊर्जा-आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे- स्ट्रीट लाइट प्रणाली और दूरदराज़ के गांव के विद्युतीकरण आदि से जुड़ी परियोजनाएँ PSL के तहत ऋण प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी।
- इसके तहत ऋण की अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है।
- साथ ही व्यक्तिगत परिवारों के लिये अधिकतम ऋण की सीमा 10 लाख रुपए होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र:

- RBI ने स्वास्थ्य अवसंरचनाओं में सुधार (आयुष्मान भारत सहित) हेतु ऋण सीमा को दोगुना कर दिया है।

नोट :

- RBI द्वारा PSL प्रावधानों में किये गए हालिया परिवर्तन के पश्चात टीयर II से टीयर VI (Tier II to Tier VI) केंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के निर्माण के लिये ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है।

क्षेत्रीय असमानता से संबंधित सुधार:

- RBI द्वारा ऋण वितरण के संदर्भ में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये संशोधित PSL दिशा निर्देशों के माध्यम से कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार किये गए हैं।
- इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता के आधार पर ज़िलों की सूची तैयार की जाएगी।
- इसके आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संदर्भ में कम ऋण प्रवाह वाले ज़िलों के लिये एक प्रोत्साहन फ्रेमवर्क का निर्माण किया जाएगा।
- इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से ऐसे चिन्हित ज़िलों जहाँ प्रति व्यक्ति PSL 6000 रुपए से कम होगा उनमें वृद्धिशील प्राथमिकता प्राप्त ऋण पर उच्च भारांश (125%) लागू होगा।
- साथ ही ऐसे ज़िले जिनमें प्रति व्यक्ति PSL 25000 रुपए से अधिक होगा उनमें वृद्धिशील प्राथमिकता प्राप्त ऋण पर कम भारांश (90%) लागू होगा।
- इसके माध्यम से कम 'प्रति व्यक्ति PSL' वाले देश के लगभग 184 ज़िलों को लाभ प्राप्त होगा।
- RBI द्वारा दोनों श्रेणियों के बैंकों की सूची जारी कर दी गई है। यह सूची वित्तीय वर्ष 2023-24 तक वैध रहेगी, जिसके बाद इसकी पुन: समीक्षा की जाएगी।
- जो ज़िले इन दोनों सूचियों में नहीं शामिल हैं उन्हें पूर्व की तरह 100% भारांश प्राप्त होता रहेगा।

लाभ:

- RBI द्वारा PSL में सुधारों की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 23% की गिरावट देखी गई है।
- PSL के तहत अलग-अलग क्षेत्रों के लिये ब्याज की दर भिन्न होती है परंतु सामान्य ऋण की तुलना में यह अधिक सस्ता और सुलभ माना जाता है।
- RBI के अनुसार , इसके माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों तथा कमज़ोर वर्गों के लिये ऋण की उपलब्धता बढ़ेगी, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े बुनियादी ढांचे के लिये ऋण को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
- RBI के इस कदम से ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी।
- वर्तमान में COVID-19 के दौरान स्वास्थ्य चुनौतियों को देखते हुए स्वास्थ्य अवसंरचना पर ऋण सीमा को बढ़ाए जाने से देश में प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य तंत्र को मज़बूती प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण :

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्रों से है जिन्हें भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा देश की बुनियादी ज़रूरतों के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण माना जाता है तथा इसके कारण उन्हें अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है।
- RBI द्वारा जारी PSL की सूची में निम्नलिखित 8 क्षेत्र शामिल हैं।
- कृषि, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम', निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्य।
- RBI के प्रावधानों के अनुसार, सभी व्यावसायिक बैंकों (स्थानीय और विदेशी) के लिये अपने कुल 'समायोजित निवल बैंक ऋण' (Adjusted Net Bank Credit- ANBC) का 40% PSL के लिये निर्धारित करना अनिवार्य है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और छोटे वित्तीय बैंकों को अपने ANBC का 70% PSL के लिये आवंटित करना अनिवार्य है।

नोट :

पुराने तापीय विद्युत संयंत्रों को बंद करने का सुझाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में क्लाइमेट रिसर्च होराइज़न (Climate Research Horizon) नामक शोध संस्थान द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के 11 राज्यों में 20 वर्ष से पुराने तापीय विद्युत संयंत्रों को बंद करने से सरकार को अगले पाँच वर्षों में 53,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है।

प्रमुख बिंदु:

- शोधकर्ताओं के अनुसार, पुराने संयंत्रों बंद करने से सरकार को दो तरीके से लाभ होगा-
  - पुराने तापीय विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जन कम करने के लिये मरम्मत और अतिरिक्त उपकरण के खर्च से मुक्ति
  - नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों की कम लागत से होने वाली बचत।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में COVID-19 महामारी के दौरान विद्युत मांग में आई गिरावट के बीच पुराने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को बंद करने और निर्माणाधीन संयंत्रों के निर्माण कार्य को रोक कर 1.45 लाख करोड़ रुपए की बचत की जा सकती है।
- COVID-19 महामारी के कारण विद्युत मांग में गिरावट और राजस्व उगाही से जुड़ी समस्याओं के कारण विद्युत वितरण कंपनियों का बकाया बढ़कर 114,733 करोड़ रुपये हो गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय चुनौतियों को दूर करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उदय योजना (Ujwal Discom Assurance Yojana- UDAY) जैसे प्रयासों के बाद भी उनकी स्थिति और अधिक बिगड़ती गई है।
- गौरतलब है कि वर्तमान में भारत में कुल उत्पादित विद्युत का लगभग 53% कोयला आधारित संयंत्रों से ही आता है।
- इस विश्लेषण में 11 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) को शामिल किया गया था।
- गौरतलब है कि पूरे देश में विद्युत वितरण कंपनियों या डिस्कॉम (Discom) द्वारा कुल बकाया राशि का लगभग आधा इन्हीं 11 राज्यों से है।

विद्युत् क्षेत्र की वर्तमान समस्याएँ:

- वित्तीय चुनौती:
  - वर्तमान में देश में अधिशेष विद्युत् उत्पादन क्षमता होने के बावजूद भी कई डिस्कॉम वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहीं हैं।
  - विद्युत वितरण कंपनियों को पूर्व निर्धारित अतार्किक दरों पर अपनी सेवाएँ देनी पड़ती है।
  - विद्युत वितरण कंपनियों के लिये अपने ग्राहकों के एक विशेष वर्ग को कम दरों या मुफ्त में विद्युत् आपूर्ति की अनिवार्यता कंपनियों की प्रगति के लिये एक बड़ी बाधा रही है।
  - वित्तीय कमी के कारण कई सरकारी संस्थाओं से विद्युत कंपनियों को भुगतान में देरी इस समस्या को और बढ़ा देती है।
- बिजली चोरी :
  - हाल के वर्षों में देश के सभी हिस्सों में विद्युत मीटर अनिवार्य किये जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है परंतु अभी भी बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी और कृषि के लिये मुफ्त बिजली से जुड़ी योजनाएँ आदि विद्युत् क्षेत्र के आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण हैं।

विद्युत क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव:

- COVID-19 महामारी और इसके प्रसार को रोकने के लिये लागू लॉकडाउन के कारण औद्योगिक गतिविधियों के बंद होने से देश भर में विद्युत की मांग में भारी गिरावट देखी गई है।

आवश्यकता से अधिक ऊर्जा उत्पादन:

- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, कई राज्यों में अनुमान के आधार पर विद्युत् संयंत्रों की स्थापना की गई है, जो उनकी वास्तविक आवश्यकता से बहुत अधिक है।

नोट :

- अधिशेष विद्युत उत्पादन के कारण कई संयंत्रों को 'संयंत्र भार घटक' (Plant Load Factor- PLF) से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 66,000 मेगावाट क्षमता के तापीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना का कार्य चल रहा है।
- वहीं 29,000 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्रों की स्थापना प्रस्ताव/अनुमति के चरण पर है।

सुझाव:

- पुराने तापीय विद्युत संयंत्रों को बंद करने की प्रक्रिया तेज़ करना।
- कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के नए प्रस्ताव या शुरूआती चरण के संयंत्रों का निर्माण स्थगित करना।
- मध्यस्थता और बातचीत के माध्यम से डिस्कॉम के लिये निश्चित लागत दायित्त्वों को कम करना।
- कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत मांग को पूरा करने के लिये सामुदायिक सौर फीडरों की स्थापना को बढ़ावा देना।

लाभ:

- वर्तमान में कोयला आधारित विद्युत् परियोजनाओं की औसत लागत 4 रुपए प्रति यूनिट है और आमतौर पर इसमें वृद्धि देखने को मिलती है।
- जबकि नए सौर ऊर्जा संयंत्रों की बोली 3 रुपए प्रति यूनिट से भी कम ही रही है।
- साथ ही इससे हानिकारक गैसों के उत्सर्जन की समस्या को भी नियंत्रित करने में सहायता प्राप्त होगी।

सरकार के प्रयास:

- केंद्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को अपना बकाया चुकाने के लिये 1 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज जारी करने की तैयारी की जा रही है।
- फरवरी 2020 में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (National Clean Air Programme-NCAP) के मापदंडों को पूरा न करने वाले पुराने और प्रदूषणकारी विद्युत् संयंत्रों को बंद करने का सुझाव दिया था।
- केंद्र सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के दौरान 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिये 90 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई।
- द्वारा जून, 2020 में विद्युत् मंत्रालय द्वारा वास्तविक समय में विद्युत् खरीद के लिये 'रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट' (Real Time Electricity Market-RTEM) की शुरुआत की गई।

चुनौतियाँ:

- रिपोर्ट के अनुसार, विद्युत् संयंत्रों को बंद करने से कुछ अल्पकालिक नुकसान (जैसे- करदाताओं की आय की क्षति, सरकारी संयंत्रों को उम्मीद से पहले बंद करना आदि) का सामना करना पड़ सकता है।
- परंतु इस कदम से उपभोक्ताओं और विद्युत वितरण कंपनियों को होने वाली बचत पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।
- वर्तमान में देश की कुल ऊर्जा ज़रुरत को पूरा करने के लिये आवश्यक नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के विकास में बहुत समय और धन लग सकता है, साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त विद्युत का सुरक्षित भंडारण भी एक बड़ी चुनौती है।

आगे की राह:

- वर्तमान में कृषि और घरेलू क्षेत्र में बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने और ऊर्जा स्त्रोत के विकेंद्रीकरण के लिये सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- विद्युत वितरण कंपनियों के बकाया धन की समस्या के साथ इस क्षेत्र के सतत विकास के लिये निश्चित देय राशि के स्थान पर अनुबंध और अन्य वित्तीय सुधारों पर विचार किया जाना चाहिये।
- विद्युत उत्पादन में नवीन किफायती तकनीकों को अपनाने के साथ इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिये निज़ी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

नोट :

- क्रॉस सब्सिडी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिये 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' (DBT) और 'स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम' (Smart Meter National Programme-SMNP) जैसे प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय घाटे का दायरा निर्धारण के लिये सिफारिश

चर्चा में क्यों?

वित्त आयोग के सलाहकार पैनल के कई सदस्यों ने COVID-19 महामारी के कारण वैश्विक अनिश्चितताओं में वृद्धि को देखते हुए केंद्र और राज्यों के राजकोषीय घाटे का एक सीधा लक्ष्य रखने के बजाय एक सीमा (Range) निर्धारण पर विचार करने का सुझाव दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह सुझाव राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में ऋण के अनुपात के लक्ष्य का एक दायरा निर्धारित करने के लिये दिया गया है।
- उदाहरण के लिये राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3 प्रतिशत न होकर 3.5 से 5 प्रतिशत के बीच हो सकता है। यह मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित खुदरा मुद्रास्फीति (4%+-2) के समान होगा।
- राजकोषीय घाटे को सीधे लक्ष्य की बजाय एक दायरे में रखने के लिये राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन (FRBM) कानून में संशोधन करना होगा।
- वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार द्वारा FRBM कानून में प्रदान की गई 0.5 प्रतिशत की छूट के लिये पिछले वर्ष और चालू वित्त वर्ष के लिये राहत का प्रावधान किया गया था। इससे राजकोषीय घाटे का लक्ष्य इन दो वर्षों में GDP का क्रमशः 3.8 प्रतिशत एवं 3.5 प्रतिशत रखा गया।
- 15वाँ वित्त आयोग वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिये अपनी रिपोर्ट 30 अक्तूबर, 2020 तक सौंपेगा।

क्या है FRBM कानून?

- उल्लेखनीय है कि देश की राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिये तथा सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नज़र रखने के लिये राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन (FRBM) कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया था तथा जुलाई 2004 में इसे प्रभाव में लाया गया था।
- यह सार्वजनिक कोषों तथा अन्य प्रमुख आर्थिक कारकों पर नज़र रखते हुए बजट प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। FRBM के माध्यम से देश के राजकोषीय घाटों को नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई थी, जिसमें वर्ष 1997-98 के बाद भारी वृद्धि हुई थी।
- केंद्र सरकार ने FRBM कानून की नए सिरे से समीक्षा करने और इसकी कार्यकुशलता का पता लगाने के लिये एन. के. सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था।

मौद्रिक नीति समिति

- मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 27 जून, 2016 को किया गया था।
- वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 (RBI अधिनियम) में संशोधन किया गया, ताकि मौद्रिक नीति समिति को वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया जा सके।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य RBI से होते हैं और अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है।
- रिज़र्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं।

आगे की राह

- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के पहले तीन महीनों (अप्रैल-जून) के लिये केंद्र का राजकोषीय घाटा 6.62 लाख करोड़ रुपए पहुँच गया, जो कि इस वर्ष के लिये बजटीय लक्ष्य रूपए 7.96 लाख करोड़ का 83% है।
- COVID-19 जैसी महामारी में राजकोषीय अनिश्चितताओं का बढ़ना स्वाभाविक है। अत: राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को एक दायरे में रखना केंद्र और राज्य सरकारों को राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति के क्रम में लचीलापन प्रदान करेगा।

विदेशी मुद्रा भंडार का उच्चतम स्तर: कारण और महत्त्व

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 4 सितंबर को जारी आँकड़ों के अनुसार, सप्ताह के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) का भंडार $ 3.883 बिलियन बढ़ कर $ 541.431 बिलियन के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। 5 जून, 2020 को समाप्त सप्ताह में पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $ 500 बिलियन को पार कर गया।

प्रमुख बिंदु:

विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) भंडार

- किसी देश/अर्थव्यवस्था के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा उसकी विदेशी मुद्रा संपत्ति/भंडार कहलाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन के लिये निर्मित नीतियों में समर्थन और विश्वास बनाए रखने जैसे उद्देश्यों के लिये रखे जाते हैं। संकट के समय जब उधार लेने तक पहुँच कम हो जाती है, तो विदेशी मुद्रा तरलता बनाए रखते हुए इस संकट को अवशोषित करने में मदद करती है।
- किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित 4 तत्त्व शामिल होते हैं-
  - विदेशी परिसंपत्तियाँ (विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉण्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा में)
  - स्वर्ण भंडार
  - IMF के पास रिज़र्व कोष (Reserve Trench)
  - विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights-SDR)

अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के कारण

- विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का प्रमुख कारण भारतीय स्टॉक बाज़ार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि है। विदेशी निवेशकों ने पिछले कई महीनों में कई भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी हासिल की है।
- मार्च महीने में ऋण और इक्विटी के प्रत्येक खण्डों में से 60000 करोड़ रूपए निकालने के पश्चात् इस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में कायापलट की उम्मीद से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाज़ारों में वापसी की है।
- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के कारण तेल के आयात बिल में कमी आने से विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इसी तरह विदेशी प्रेषण और विदेश यात्राएँ बहुत कम हो गई हैं।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 20 सितंबर, 2019 को कॉर्पोरेट कर की दरों में कटौती की घोषणा के साथ ही फोरेक्स रिज़र्व में वृद्धि होना शुरू हो गया था।
- सोने की बढ़ती कीमतों ने केंद्रीय बैंक को समग्र विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद की है।

महत्त्व

- विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक को देश के बाह्य और आंतरिक वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में बहुत आसानी होती है।
- यह आर्थिक मोर्चे पर किसी भी संकट की स्थिति में एक वर्ष के लिये देश के आयात बिल को कवर करने के लिये पर्याप्त है।

- बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार ने डॉलर के मुकाबले रूपए को मज़बूत करने में मदद की है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 15 प्रतिशत है।
- यह सरकार को अपनी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं और बाहरी ऋण दायित्त्वों को पूरा करने में मदद कर सकने के साथ ही राष्ट्रीय आपदाओं या आपात स्थितियों के लिये एक रिज़र्व बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

आगे की राह

- निवेश प्रतिबंधों को कम करके FDI को और अधिक उदार बनाया जाना चाहिये। चालू खाते में और अधिक उदारीकरण किया जा सकता है।
- बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए धन का उपयोग किया जा सकता है, जिससे अधिक रिटर्न प्राप्त किया जा सके।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण, विदेशी वित्तीय बाज़ारों में निवेश या महंगे बाह्य ऋण के पुनर्भुगतान के लिये भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

अवसंरचना वित्तपोषण के लिये विकास वित्तीय संस्थान

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार देश के अवसंरचना क्षेत्रों की दीर्घकालिक वित्तपोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institute-DFI) शुरू करने की योजना बना रही है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि इस प्रस्तावित विकास वित्तीय संस्थान (DFI) द्वारा 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline- NIP) के तहत पहचानी गई सामाजिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाएगा।
  - बीते दिनों आर्थिक मामलों के तत्कालीन सचिव अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कार्य दल ने वित्त वर्ष 2019-25 के लिये NIP पर अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की थी।
  - इस उच्च स्तरीय कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में आगामी पाँच वित्तीय वर्षों अर्थात वर्ष 2020 से वर्ष 2025 की अवधि के दौरान सड़कों, रेलवे, ऊर्जा और शहरी क्षेत्रों की 'अवसंरचना' (Infrastructure) पर 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया था।

विकास वित्तीय संस्थान (DFI) का स्वरूप

- वित्त मंत्रालय द्वारा अभी तक इस नए विकास वित्तीय संस्थान (DFI) का स्वरूप तय नहीं किया गया है, इस संबंध में दो प्रकार के विकास वित्तीय संस्थान (DFI) गठित किये जा सकते हैं:
  - या तो यह पूर्णत: सरकार के स्वामित्त्व में होगा,
  - या फिर इसे निजी क्षेत्र का स्वरूप दिया जाएगा, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत तक सीमित होगी।

सरकार का पूर्ण स्वामित्त्व

- यदि विकास वित्तीय संस्थान (DFI) पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, तो इससे फंड जुटाना काफी आसान हो जाएगा।
- सरकार द्वारा विकास वित्तीय संस्थान (DFI) की प्रतिभूतियों को वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के पात्र बनाया जा सकता है। जिससे बैंकों को विकास वित्तीय संस्थान (DFI) द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ खरीदने तथा अपने SLR दायित्त्वों को पूरा करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, प्रत्येक बैंक को अपनी शुद्ध माँग और समय देयताओं (Net Demand and Time Liabilities-NDTL) का 18 प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित और तरल संपत्ति जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियाँ, नकदी और सोना आदि में बनाए रखने की आवश्यकता है।

- हालाँकि यहाँ समस्या यह है कि विकास वित्तीय संस्थान (DFI) का वरिष्ठ प्रबंधन सदैव नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller & Auditor General of India-CAG) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission-CVC) की जाँच के अधीन रहेगा, जिससे उसके लिये स्वतंत्र रूप से कार्य करना काफी मुश्किल होगा।

निजी क्षेत्र का स्वरूप

- नए विकास वित्तीय संस्थान (DFI) के गठन के लिये आवश्यक होगा कि सरकार उसके नियंत्रण और संचालन से आवश्यक दूरी बनाए रखे और उसे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से परियोजनाओं को लागू करने और उन्हें निष्पादित करने की छूट देनी होगी।
- इस स्वरूप में विकास वित्तीय संस्थान CAG और CVC जैसी संस्थानों के भय के बिना कार्य कर सकेगा, हालाँकि यहाँ समस्या यह है कि इस संस्थान को आवश्यक फंड जुटाने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

नए विकास वित्तीय संस्थान की आवश्यकता

- विशेषज्ञों के अनुसार, भारत के अवसंरचना क्षेत्र में वित्तपोषण की भारी कमी मौजूद है। वहीं बैंक भी इस प्रकार की परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने में असमर्थ हैं।
  - ध्यातव्य है कि भारतीय बैंक पहले से ही गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) की समस्या का सामान कर रहे हैं।
  - बीते दिनों भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि अब भारतीय उद्योगों को अपनी अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये नए तरीके खोजने होंगे, क्योंकि बैड लोन से जूझ रहे बैंक उन्हें आवश्यक वित्त प्रदान करने में असमर्थ हैं।
- यदि भारत को 8-10 प्रतिशत की दर से वृद्धि करनी है तो विभिन्न परियोजनाओं के लिये जाने वाले ऋण में 12-14 प्रतिशत वृद्धि होनी आवश्यक है।
- चूँकि अवसंरचना परियोजनाओं को लंबी अवधि के लिये वित्तपोषण की आवश्यकता होती है और निवेश की मात्रा भी काफी अधिक मात्रा में होती है इसलिये नए विकास वित्तीय संस्थान (DFI) का गठन एक महत्त्वपूर्ण विचार हो सकता है।

विकास वित्तीय संस्थान (DFI)

- विकास वित्तीय संस्थान (DFI) मुख्य रूप से विकास और अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने हेतु स्थापित एक विशिष्ट संस्थान होती है, जिसका गठन सामान्यत: विकासशील देशों में दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने हेतु किया जाता है।
- विकास वित्तीय संस्थान (DFI) प्राय: सामाजिक लाभ के साथ लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देने के लिये ब्याज की कम और स्थिर दरों पर ऋण प्रदान करते हैं।
- यह वाणिज्यिक परिचालन मानदंडों के बीच एक संतुलन बनाता है, जिसमें एक ओर वाणिज्यिक बैंक की गतिविधियाँ और दूसरी ओर विकास संबंधी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं।
- यह वाणिज्यिक बैंकों की तरह केवल ऋण ही नहीं देता, बल्कि यह अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास में सहायक के रूप में भी कार्य करते हैं।

त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ जलमार्ग खोलना

चर्चा में क्यों?

त्रिपुरा ने सिपाहीज़िला के सोनमुरा से बांग्लादेश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है। बांग्लादेश के मुंशीगंज बंदरगाह से 50 MT सीमेंट के साथ एक बड़ी नाव 5 सितंबर को ट्रायल रन के हिस्से के रूप में सोनपुरा पहुँची। इसके साथ ही इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना और इसकी व्यापार क्षमता के बारे में भी सवाल उपन्न हुए हैं।

परियोजना के बारे में

- यह जलमार्ग भारत में अगरतला से लगभग 60 किलोमीटर दूर सोनमुरा को बांग्लादेश में चटगाँव के डौकंडी से जोड़ता है।
- यह पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें गुमटी नदी को इंडो-बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में मंज़ूरी दी गई है।
- भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित 'अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल' दीर्घकालिक व्यापार सुनिश्चितता की दिशा में किया गया प्रोटोकॉल है। यह समझौता किसी तीसरे देश में भी माल परिवहन की अनुमति देता है।
- इस प्रोटोकॉल पर पहली बार वर्ष 1972 (बांग्लादेश की आज़ादी के तुरंत बाद) में हस्ताक्षर किये गए थे। अंतिम बार वर्ष 2015 में पाँच वर्षों के लिये नवीनीकरण किया गया था।
- समझौते का प्रत्येक पाँच वर्षों की अवधि के बाद स्वचालित रूप से नवीनीकरण किया जाता है।

त्रिपुरा के लिये इसके अर्थ

- प्रस्तावित जलमार्ग परियोजना त्रिपुरा की गुमटी नदी को बांग्लादेश की मेघना नदी से जोड़ती है। इससे पड़ोसी देश के आशुगंज बंदरगाह तक पहुँच बनाई जा सकेगी।
- वर्ष 1995 में त्रिपुरा का सीमा पार से व्यापार शुरू हुआ। वर्तमान में राज्य प्रतिवर्ष 30 करोड़ रूपए मूल्य की वस्तुएँ और सामग्री निर्यात करता है, लेकिन 645 करोड़ रूपए का आयात करता है।
- यह भारी व्यापार घाटा बांग्लादेश में असामान्य रूप से उच्च आयात शुल्क तंत्र के कारण है। निर्यात के लिये दी गई वस्तुओं की सूची में राज्य में कई वस्तुओं की अनुपस्थिति है। इसके अलावा बंदरगाह प्रतिबंध भी प्रमुख कारण है।
- कोलकाता से गुवाहाटी होकर अगरतला की दूरी 1650 किलोमीटर है, जबकि कोलकाता से होकर अगरतला की दूरी मात्र 620 किलोमीटर है। जलमार्ग से वस्तुओं की आवाजाही में 25-30% की बचत होने का अनुमान है।
- इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना को BJP-IPFT सरकार द्वारा त्रिपुरा को उत्तर-पूर्व के प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करने के लिये एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- अखौरा एकीकृत चेक पोस्ट सोनमुरा जेट्टी के व्यापार की मात्रा से 150 गुना अधिक आयात करता है। राज्य में छह अन्य भूमि क्रॉसिंग भी हैं। इसलिये जलमार्ग परियोजना की व्यापार मात्रा कम होने से बड़े पैमाने पर स्थानीय रोज़गार सृजन होने पर अभी संशय है। यह भी उल्लेखनीय है कि नदी मार्ग पूरे वर्ष चालू नहीं रहेगा।
- इस योजना में सोनमुरा से लेकर बांग्लादेश में आशुगंज नदी बंदरगाह तक छोटे जहाज़ और नौकाओं के लिये रास्ता बनाने के लिये नदी किनारे ड्रेज़िंग करना भी शामिल है। नदी की उथली गहराई और निरंतर अवसादन को देखते हुए योजना में ड्रेज़िंग को आवश्यक माना गया है।
- आयातित सामानों के सीमा शुल्क की जाँच के लिये एक टर्मिनल भवन भी बनाने की योजना थी। सामान को चढाने और उतारने के लिये स्थायी जेट्टी के निर्माण में बहुत अधिक समय लगने के कारण त्रिपुरा ने 4 जुलाई को एक अस्थायी जेट्टी का निर्माण किया। अन्य बुनियादी ढाँचे का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बनाया जाना शेष है।

गुमटी नदी

- गुमटी नदी त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में दुम्बुर से निकलती है।
- यह त्रिपुरा और बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी है। नदी पर दुम्बुर के पास एक बाँध का निर्माण किया गया है।

मेघना नदी

- सुरमा-मेघना नदी प्रणाली के एक हिस्से के रूप में मेघना नदी का निर्माण बांग्लादेश के किशोरगंज ज़िले में सुरमा और कुशियारा नदियों के संगम से होता है।
- मेघना चांदपुर ज़िले में अपनी प्रमुख सहायक नदी पद्मा से मिलती है। मेघना की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ धलेश्वरी, गुमटी और फेनी हैं।

आगे की राह

- इस नए प्रोटोकॉल मार्ग का परिचालन बांग्लादेश के साथ समग्र द्विपक्षीय व्यापार को और सुविधाजनक बनाने के अलावा, परिवहन को एक किफायती, तीव्र, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल मोड प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के स्थानीय समुदायों को काफी आर्थिक लाभ होगा।

नोट :

- यह त्रिपुरा और भारत एवं बांग्लादेश के आर्थिक केंद्रों के साथ सटे राज्यों की कनेक्टिविटी में सुधार करने के साथ-साथ दोनों देशों के पहाड़ी इलाकों के विकास में भी मदद करेगा।

ईज 2.0 सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 'ईज़ 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक' (EASE 2.0 Banking Reforms Index) में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks- PSBs) को सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- EASE2.0 सूचकांक में 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों' में पहले तीन स्थानों पर क्रमशः बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (पंजाब नेशनल बैंक में विलय से पूर्व) को सम्मानित किया गया।
- 'सुधार दर्ज करने' (Top Improver) की श्रेणी में शीर्ष के तीन बैंकों में 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र', 'सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया' और कॉर्पोरेशन बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय से पूर्व) को क्रमशः पहला,दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।
- मार्च 2019 और मार्च 2020 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में 37%की वृद्धि देखी गई है साथ ही इसी दौरान PSBs का औसत ईज़ सूचकांक स्कोर 49.2 से बढ़कर 67.4 (100 में से) हो गया है।
- इस दौरान ईज़ सुधार एजेंडे के छह विषयों में बैंकों द्वारा उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है, जिसमें से सबसे अधिक सुधार 'ज़िम्मेदार बैंकिंग', 'प्रशासन एवं एचआर', 'एमएसएमई के लिये उद्यमी मित्र के रूप में PSBs' (PSBs as Udyamimitra for MS-MEs) और 'ऋण वितरण' जैसे विषयों में देखने को मिला है।
- इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने ईज़ सुधारों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा शुरू की गई डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा का उद्घाटन किया।

'ईज़ बैंकिंग सुधार सूचकांक' (EASE Banking Reforms Index):

- ईज़ (Enhanced Access and Service Excellence-EASE) सूचकांक 'भारतीय बैंक संघ' (Indian Banks' Association-IBA) और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (Boston Consulting Group- BCG) के सहयोग से तैयार किया जाता है।
- ईज़ सुधारों (EASE Reforms) का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks) में संस्थागत रूप से स्पष्ट एवं स्मार्ट बैंकिंग प्रणाली को लागू करना है।
- ईज़ बैंकिंग सुधार सूचकांक की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी।
- ईज़ 2.0 में 6 विषयों (जिम्मेदार बैंकिंग, ग्राहक जवाबदेही, उद्यममित्र के रूप में पीएसबी, गहन वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण प्रशासन एवं एचआर) को शामिल किया गया था।

प्रमुख सुधार और उपलब्धियाँ (मार्च 2018 से मार्च 2020 के बीच) :

- लगभग 4 करोड़ सक्रिय मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग उपभोक्ताओं के साथ मोबाइल तथा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय लेन-देन में 140% की वृद्धि।
- डिजिटल माध्यमों से वित्तीय लेन-देन में लगभग 50% की वृद्धि।
- वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय बैंक कॉल सेंटर्स में तेलुगु, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगाली जैसी 13 क्षेत्रीय भाषाओं में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान।
- शिकायत निवारण औसत समय लगभग 9 दिनों से घटाकर 5 दिन करने में सफलता।
- समर्पित विपणन बल और बाहरी साझेदारी के माध्यम से ग्राहक संपर्क में महत्त्वपूर्ण सुधार। समर्पित विपणन कर्मचारियों की संख्या 8,920 से बढ़कर 18,053 हो गई है।

- PSBs द्वारा लगभग 23 करोड़ मूल बचत खाता ग्राहकों को RuPay क्रेडिट कार्ड जारी किये गए हैं।
- PSBs द्वारा खाता खोलना, नकद जमा, नकद निकासी, धन हस्तांतरण जैसी 23 शाखा-समतुल्य सेवाएँ बैंक मित्रों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध कराई गई हैं।

ऋण वितरण संबंधी सुधार:

- समर्पित सेल्सफोर्स और मार्केटिंग समझौतों के माध्यम से खुदरा और MSME ऋण वितरण में लगभग पांच गुना वृद्धि (1.5 लाख से बढ़कर 8.3 लाख ऋण)।
- खुदरा ऋण प्राप्त करने के लिये लगने वाले औसत समय में 67% कम की कमी (औसत 30 दिनों से घटाकर लगभग 10 दिन)।
- PSBs द्वारा ऋण की शीघ्र वसूली के लिये ऑनलाइन ओटीएस (OST), e-Bक्रय, ई-डीआरटी (e-DRT) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया गया है, वर्तमान में 88% वन टाइम सेटलमेंट की निगरानी समर्पित आईटी सिस्टम के द्वारा की जाती है।
- PSBs द्वारा MSME और खुदरा क्षेत्र में डिजिटल ऋण उपलब्ध कराने के लिये psbloansin59minutes.com और 'व्यापार प्राप्य बट्टाकरण प्रणाली' (Trade Receivables Discounting System- TReDS) जैसे नए माध्यमों को अपनाया गया है।
- अधिकांश PSBs द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System- EWS) को अपनाया गया है, इसके माध्यम से बैंक समय रहते दबावग्रस्त खातों (Stressed Accounts) पर कार्रवाई करने में सक्षम हुए हैं।

COVID-19 से निपटने में PSBs की भूमिका:

- COVID-19 के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में वित्तीय आपूर्ति को सुनिश्चित करने में PSBs ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- COVID-19 के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में 80,000 से अधिक बैंक शाखाएँ सक्रिय रहीं, साथ ही माइक्रो एटीएम के माध्यम से आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar Enabled Payment System- AEPS) के लेन-देन में तीन गुना वृद्धि देखी गई।
- लगभग 75,000 से अधिक बैंक मित्रों के माध्यम से बैंकिंग पहुँच को बढ़ाया गया।

स्मार्ट और तकनीकी सक्षम बैंकिंग:

- PSBs द्वारा सूक्ष्म उद्यमों और ग्राहकों के लिये डिजिटल व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने हेतु 'ई-शिशु मुद्रा' (eShishu Mudra) योजना की शुरुआत की गई है।
- PSBs ने फिनटेक और ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से ग्राहक-ज़रुरत के आधार पर ऋण सेवाओं की शुरुआत की है।

बैंकों की वित्तीय स्थिति पर ESAE सुधारों का प्रभाव:

- EASE सुधारों के लागू होने के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर-निष्पादित संपत्तियों की दर में गिरावट देखने को मिली है (मार्च-2018 के 68.96 लाख करोड़ रुपए से घटकर मार्च-2020 में 6.78 लाख करोड़ रुपए)।
- वित्तीय गड़बड़ियों के मामलों में गिरावट।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 2.27 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी।
- संपत्ति गुणवत्ता में सुधार [सकल एनपीए अनुपात 7.97% (मार्च 2018) से घटकर 3.75% (मार्च 2020) हो गया]।
- शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action-PCA) ढाँचे के तहत कुल PSBs की संख्या घटकर मात्र 3 रह गई।

डोरस्टेप बैंकिंग सेवा (Doorstep Banking Service):

- केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इस अवसर पर ईज़ सुधारों के तहत डोरस्टेप बैंकिंग सेवा का अनावरण भी किया गया।
- डोरस्टेप बैंकिंग सेवा के तहत ग्राहकों को कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से उनके घर तक बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

नोट :

- इसके तहत वर्तमान में केवल गैर-वित्तीय सेवाएँ, जैसे-चेक/डिमांड ड्राफ्ट, आयकर रिटर्न/ जीएसटी चालान, खाता विवरण, गैर-व्यक्तिगत चेक बुक की डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद की डिलीवरी आदि उपलब्ध कराई जाएंगी।
- वित्तीय सेवाओं की शुरुआत अक्टूबर 2020 से की जाएगी।
- ये सेवाएँ देश भर के 100 केंद्रों पर चयनित सेवा प्रदाताओं द्वारा तैनात डोरस्टेप बैंकिंग एजेंटों द्वारा प्रदान की जाएंगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ग्राहक बहुत ही कम शुल्क पर इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

निष्कर्ष :

ईज़ सुधारों के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है। किसी भी देश के विकास में बैंकों की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण होती है। नवीन तकनीकों और स्थानीय भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देकर अधिक-से-अधिक लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिये।

COVID-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिये RBI द्वारा एक संकल्प योजना

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 26 क्षेत्रों में COVID-19 के मद्देनज़र तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिये पाँच वित्तीय अनुपात (Fi¬nan¬cial Ra¬tios) और क्षेत्र-विशिष्ट सीमाएँ निर्दिष्ट की हैं।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय रिज़र्व बैंक की यह संकल्प योजना (Resolution Plan) के.वी. कामथ समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

के.वी. कामथ समिति:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने COVID-19 से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन पर के. वी. कामथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
- इस समिति को कॉर्पोरेट ऋणों के एकमुश्त पुनर्गठन के लिये मापदंडों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था।
- इस समिति ने उन सभी खातों के लिये क्षेत्र-विशिष्ट संकल्प योजना तैयार की है जिनके पास कुल 1500 करोड़ रुपए या इससे अधिक का ऋण बकाया है।
- COVID-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन में विचार किये जाने वाले पाँच वित्तीय अनुपात निम्नलिखित हैं:

a. समायोजित मूर्त निवल मूल्य और कुल व्यक्तिगत देयता अनुपात (Total Outside Liability to Adjusted Tangible Net Worth Ratio-TOL/TNW): यह अनुपात लंबी अवधि के ऋण, अल्पकालिक ऋण, वर्तमान देनदारियों एवं प्रावधानों को जोड़कर इसमें कर देयता को घटाने के बाद प्राप्त निवल परिणाम में निवेश एवं ऋण के मूर्त निवल मूल्य से विभाजित करने के बाद प्राप्त होता है। यह कंपनी के कुल निवल मूल्य पर कंपनी के वित्तीय लाभ उठाने का संकेत देता है।

b. कुल ऋण और EBIDTA अनुपात (To¬tal debt to EBIDTA Ratio): यह अनुपात कुल ऋण में ब्याज, मूल्यह्रास, कर एवं परिशोधन से पहले अर्जित की गई आय (Earnings Before Interest, Depreciation, Taxes and Amor-tisation- EBIDTA) से विभाजित करने से प्राप्त परिणाम को दर्शाता है। यह अनुपात किसी कंपनी की नकद स्थिति को उसके ऋण का भुगतान करने का संकेत देता है। उच्च अनुपात का मतलब है कि कंपनी अधिक लाभ की स्थिति में है।

c. चालू अनुपात (Cur¬rent Ra¬tio): यह अनुपात चालू संपत्ति (Cur¬rent As¬sets) में चालू देनदारियों (Cur¬rent Li¬a¬bil¬i¬ties) से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। चालू अनुपात एक वर्ष के अंतर्गत कंपनी के अल्पकालिक ऋण एवं अन्य देनदारियों का भुगतान करने की क्षमता को इंगित करता है।

d. ऋण सेवा कवरेज अनुपात (Debt Ser¬vice Cov¬er¬age Ra¬tio): यह चालू ऋण का भुगतान करने के लिये उपलब्ध नकदी को दर्शाता है।

e. औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात (Av¬er¬age Debt Ser¬vice Cov¬er¬age Ra¬tio)

- RBI द्वारा निर्दिष्ट 26 क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, बिजली, पर्यटन, सीमेंट, रसायन, रत्न एवं आभूषण, लॉजिस्टिक्स, खनन, विनिर्माण, रियल एस्टेट एवं शिपिंग आदि शामिल हैं।
- इस ढाँचे के तहत RBI की यह योजना केवल उन उधारकर्त्ताओं के लिये लागू होती है जो COVID-19 से प्रभावित हुए हैं।
  - केवल वे उधारकर्त्ता जिन्हें एक मानक के तहत 1 मार्च, 2020 तक 30 दिनों से कम बकाया के साथ वर्गीकृत किया गया था, RBI के इस फ्रेमवर्क के तहत पात्र हैं।
  - इस संकल्प योजना में उधारकर्त्ता की COVID-19 के पहले की संचालन एवं वित्तीय स्थिति तथा उनके संचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन पर COVID-19 के प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाएगा।

श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण (Graded Ap-proach):

- ऋण देने वाली संस्थाएँ अपने विवेकानुसार, इस योजना को लागू करते समय उधारकर्त्ताओं पर COVID-19 प्रभाव की गंभीरता के आधार पर एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण अपना सकती हैं।
  - कामथ समिति की सिफारिशों के अनुसार, इन्हें निम्न, मध्यम एवं गंभीर श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है।
  - निम्न एवं मध्यम तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिये सरलीकृत पुनर्गठन किया जा सकता है जबकि गंभीर तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के मामलों में व्यापक पुनर्गठन की आवश्यकता होगी।

पृष्ठभूमि:

- RBI ने अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में COVID-19 से प्रभावित कंपनियों को राहत देने के लिये कई कदम उठाए हैं।
  - इसने ऋणदाताओं को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किये बिना ऋण के एकमुश्त पुनर्गठन की अनुमति दी है।
- इसने उधारदाताओं को 1 मार्च से 31 मई, 2020 के मध्य जारी होने वाली वाली मासिक किस्तों (EMI) पर तीन महीने के लिये ऋण स्थगन की अनुमति दी। बाद में, इसे 31 अगस्त, 2020 तक तीन महीने के लिये बढ़ा दिया गया।
- 'इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च' (India Ratings and Research) की एक रिपोर्ट के अनुसार, रियल एस्टेट, एयरलाइंस, होटल एवं अन्य क्षेत्रों से ऋण के एक उच्च अनुपात का पुनर्गठन किया गया था जिसमें सबसे बड़ा योगदान बुनियादी ढाँचे, बिजली एवं विनिर्माण से था।
  - इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो भारत के क्रेडिट बाज़ार के बारे में क्रेडिट राय प्रदान करती है।
- इस रणनीति के तहत बैंकों द्वारा 8.4 लाख करोड़ रुपए तक के ऋण पुनर्गठन की संभावना है।
- वित्त वर्ष 2021 में कॉरपोरेट क्षेत्र से पुनर्गठन मात्रा बैंकिंग ऋण की 3% से 5.8% के बीच हो सकती है जिसकी राशि 3.3-6.3 लाख करोड़ रुपए होगी।
- RBI की इस घोषणा के बाद कम-से-कम 210,000 करोड़ रुपए (बैंक ऋण का 1.9%) के गैर-कॉर्पोरेट ऋणों के पुनर्गठन की संभावना है जो अन्यथा गैर-निष्पादित परिसंपत्ति श्रेणी में चले गए होंगे।

आगे की राह:

- ऋण पुनर्गठन एक अस्थायी कदम होना चाहिये क्योंकि इसे लंबे समय तक जारी रखने से मुद्रास्फीति में वृद्धि, मुद्रा संकट एवं खराब ऋणों के संचय के कारण वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। यह महत्त्वपूर्ण है कि COVID-19 के बाद विनियामक उपायों को बहुत सावधानीपूर्वक एवं व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाना चाहिये जिससे वित्तीय क्षेत्र नए मानदंडों के रूप में नियामक छूटों पर भरोसा किये बिना सामान्य कामकाज पर लौट सके।

कृषि लाभ और किसानों की आय

चर्चा में क्यों?

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा बागवानी फसलों और 25 प्रमुख क्षेत्रों के एक विस्तृत विश्लेषण में यह संकेत दिया गया है कि खरीफ (ग्रीष्मकालीन फसल) के सीज़न (वर्ष 2020) में प्रति हेक्टेयर लाभप्रदता में सुधार होगा

प्रमुख बिंदु

- कृषि क्षेत्र में लाभ की संभावना: COVID-19 के कारण अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुँची है, ऐसे में केवल कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र रहा है, जिसे सबसे कम नुकसान हुआ है। मानसून सत्र मंग अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे उत्पादन और मुनाफे को बढ़ावा मिलेगा, विशेषकर धान की फसल को।
  - किसानों की सहायतार्थ सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी कोष के रूप में और 2 लाख करोड़ रुपए रियायती ऋण के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं।
  - कृषि क्षेत्र में 2019-2020 की अंतिम तिमाही में 5.9% की वृद्धि देखी गई।
- किसानों की आय पर प्रभाव: कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार, कुल लाभ में वृद्धि के बावजूद, प्रति व्यक्ति (प्रति किसान) आय में गिरावट होने की संभावना है।
  - COVID-19 के कारण कृषि क्षेत्र में विपरीत प्रवास 'रिवर्स माइग्रेशन' देखने को मिला है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।
  - सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जुलाई 2020 की अवधि में कृषि क्षेत्र में 14.9 मिलियन रोज़गार उत्पन्न हुए।
- किसानों की कम आय के पीछे संभावित कारण:
  - रिवर्स माइग्रेशन: COVID महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के कारण, बड़ी संख्या में लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में वापस लौट गए, ऐसे में मनरेगा एवं कृषि के अलावा उनके पास कोई महत्त्वपूर्ण काम नहीं है।
  - रोज़गार के विकल्प के रूप में कृषि: सामान्य तौर पर, लोग बेहतर भुगतान वाले रोज़गार की तलाश में (ज़्यादातर लोग स्वेच्छा से) खेती छोड़कर शहरों की ओर रूख करते हैं। लेकिन, ऐसे लोग जिनका गैर-कृषि रोज़गार COVID के कारण नष्ट हो गया है, उनके कृषि क्षेत्र की ओर रूख करने की संभावना अधिक है।
    - CMIE आँकड़ों से पता चलता है कि 2019-20 में 111.3 मिलियन लोगों ने कृषि को अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में घोषित किया है। मार्च 2020 तक यह संख्या बढ़कर 117 मिलियन हो गई, जबकि जून में यह 130 मिलियन तक पहुँच गई।
  - श्रम की मांग: अगस्त में बुवाई का मौसम समाप्त होने तक, कृषि क्षेत्र में श्रम की मांग निरंतर बनी रही।
    - इसका अर्थ है, भले ही कृषि लाभ में वृद्धि हो, लेकिन इससे ग्रामीण मांग को पुनर्जीवित करने में कोई विशेष मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वर्ष बहुत अधिक संख्या में लोग कृषि आय पर निर्भर हैं।
  - ग्रामीण भारत में COVID-19 के मामलों में वृद्धि: इससे फसलों की कटाई और आपूर्ति श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी:
  - क्या कृषि उत्पादन में वृद्धि का अर्थ किसानों की आय में वृद्धि भी है, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत हद तक किसानों द्वारा बेचे जाने वाले कृषि उत्पादों से प्राप्त कीमतों पर निर्भर करता है।
  - जहाँ एक ओर अनाज की कीमतों में सकारात्मक मुद्रास्फीति देखने को मिली हैं, वहीं दूसरी ओर अधिकांश अन्य खाद्य समूहों, जैसे कि फल और सब्ज़ियाँ, अंडे, मुर्गी और मछली आदि की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है।
- सरकार द्वारा उठाए गए कदम:
  - मई 2020 में आत्मनिभर भारत योजना के तहत लाए गए तीन अध्यादेशों- किसानों की उपज के व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) का अध्यादेश, कृषि सेवाओं एवं मूल्य आश्वासन पर किसानों की सहमति (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) संबंधी अध्यादेश तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश; किसानों को 'मेरी फसल, मेरा अधिकार' का लाभ देंगे और उनकी उपज के लिये उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करेंगे।
  - कोल्ड चेन (शीत श्रृंखला), प्रशीतित परिवहन आदि की स्थापना के लिये प्रधान मंत्री द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष *Agriculture Infrastructure Fund) का शुभारंभ किया गया है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिये बेहतर कीमत प्रदान की जा सके।
    - हालाँकि अभी इन संरचनात्मक सुधारों को भारत के ग्रामीण परिवेश को पुनर्जीवित करने में एक लंबा मार्ग तय करना होगा।

आगे की राह

- ITC लिमिटेड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा शुरू की गई 'ई-चौपाल' जैसी पहल, जो ग्रामीण भारत को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के पक्षों पर बल देती है ताकि एक प्रभावी कृषि परिवेश तैयार करते हुए कृषि उपज के लिये मूल्य निर्धारण जैसी सुविधाओं को पारदर्शी बनाया जा सके साथ ही इस कार्य में तकनीकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके, को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।
- सरकार को CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पैन इंडिया नेटवर्क को समेकित करने के प्रयास करने चाहिये। साथ ही सरकार को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सड़क नेटवर्क, संचार और बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये ताकि ग्रामीण आबादी भी शहरी क्षेत्र के बराबर गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सके। इससे रोज़गार के अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन में भी कमी आएगी।

रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा क्षेत्र के लिये एक नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंज़ूरी दी है, इस नीति में ऑटोमैटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- नई नीति के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% करने के साथ इसमें 'राष्ट्रीय सुरक्षा' की शर्त को भी जोड़ा गया है।
- इस शर्त के अनुसार, रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) के आधार पर जाँच के अधीन होगा साथ ही सरकार के पास रक्षा क्षेत्र में किसी भी ऐसे विदेशी निवेश की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित होगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।
    - गौरतलब है कि मौजूदा नीति में रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों में ऑटोमैटिक रूट के तहत 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दी गई है, जबकि इससे अधिक के निवेश के लिये सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होती है।
- नई नीति के तहत 'राष्ट्रीय सुरक्षा' की यह शर्त रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिये पहले से मौजूद चार शर्तों (जिसमें सुरक्षा मंज़ूरी और रक्षा मंत्रालय के कुछ दिशा निर्देश शामिल हैं) से अलग होगी।

उद्देश्य:

- पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में देश की स्थानीय विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिये कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं।
- रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की शर्तों में छूट देकर केंद्र सरकार का लक्ष्य विदेशी मूल उपकरण निर्माता कंपनियों को भारत में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिये प्रोत्साहित करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
- केंद्र सरकार द्वारा देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिये वर्ष 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के कारोबार के साथ 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।

भारतीय रक्षा क्षेत्र:

- एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019 तक एयरोस्पेस और जहाज़ निर्माण उद्योग के साथ रक्षा उद्योग का कारोबार लगभग 80,000 करोड़ रुपए का बताया गया था।
- हालाँकि इसमें लगभग 80% (63,000 करोड़ रुपए) हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (Public Sector Undertaking- PSU) की है।

सरकार के प्रयास:

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने 'रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत' नामक एक ऑनलाइन सेमिनार को संबोधित करते हुए रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने, नवीन स्वदेशी तकनीकी विकसित करने और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दोहराया था।

नोट :

- सरकार द्वारा रक्षा उत्पादों की खरीद के संदर्भ में एक नकारात्मक आयात सूची (Negative Imports List) जारी करने के साथ घरेलू उद्योग से पूंजी अधिग्रहण के लिये एक समर्पित बजट घोषणा की गई थी।
- सरकार द्वारा अगस्त 2020 में जारी 'रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्द्धन नीति (Defence Production & Export Promotion Policy- DPEPP) 2020' का मसौदा जारी किया गया था।
    - इस मसौदे में विदेशी कंपनियों को रक्षा विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ने के लिये प्रोत्साहित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को मज़बूत करने के लिये रक्षा क्षेत्र में FDI शर्तों को आसान बनाने की बात कही गई थी।

निष्कर्ष:

हाल के वर्षों में भारतीय रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है, परंतु आज भी देश के रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक कंपनियों का ही एकाधिकार रहा है। वर्तमान में वैश्विक बाज़ार में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिये रक्षा क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ नवोन्मेष को बढ़ावा देना बहुत ही आवश्यक है। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकती है, हालाँकि वर्तमान में COVID-19 के कारण देश के आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट के बीच बड़े निवेश का लक्ष्य आसान नहीं होगा।

ऋण अधिस्थगन के प्रभावों के आकलन हेतु विशेष समिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के मद्देनज़र घोषित छह महीने की अधिस्थगन अवधि (Moratorium Period) के दौरान ऋण पर ब्याज और उपचित ब्याज (Interest Accrued) पर ब्याज में छूट देने के आर्थिक प्रभावों का आकलन करने के लिये तीन-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

- उपचित ब्याज (Interest Accrued) ऋण से प्राप्त होने वाली ब्याज की वह राशि होती है, जिसे अभी तक एकत्र नहीं किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) राजीव महर्षि की अध्यक्षता में गठित यह तीन-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर ऋण अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज़ पर छूट देने के आर्थिक प्रभावों की समीक्षा करेगी।
- पूर्व CAG राजीव महर्षि के अलावा इस समिति में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य रविंद्र एच. ढोलकिया और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) तथा आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के पूर्व प्रबंध निदेशक बी. श्रीराम को भी शामिल किया गया है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा गठित यह समिति बैंकों तथा अन्य हितधारकों से विचार-विमर्श कर एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी

समिति के विचारार्थ विषय

- भारतीय अर्थव्यवस्था और देश की वित्तीय स्थिरता पर कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी से संबंधित ऋण स्थगन के तहत दी गई छूट के प्रभावों का आकलन करना।
- समाज के विभिन्न वर्गों पर वित्तीय दबाव को कम करने हेतु आवश्यक उपाय अपनाने का सुझाव देना।

पृष्ठभूमि

- ध्यातव्य है कि कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए 27 मार्च, 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों द्वारा दिये गए ऋण के भुगतान पर 90 दिनों (1 मार्च से 31 मई तक) के अस्थायी स्थगन की घोषणा की थी, इस अवधि को बाद में 31 अगस्त तक बढ़ा दिया था।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा घोषित इस कदम का प्राथमिक उद्देश्य महामारी के दौरान उधारकर्त्ताओं को राहत प्रदान करना था, जिसके लिये इसके तहत ब्याज की राशि और मूल राशि दोनों को कवर किया गया था।

- ऋण स्थगन को किसी भी प्रकार से ऋण माफी के रूप में नहीं देखा जा सकता है और न ही इसके तहत ब्याज भुगतान पर कोई स्थायी छूट दी जाती है, किंतु यह तनावग्रस्त ग्राहकों को अपने खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में परिवर्तित हुए बिना या उनके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित किये बिना ऋण और ब्याज चुकाने के लिये अतिरिक्त समय प्रदान करता है।

ऋण स्थगन का प्रभाव

- उधारकर्त्ताओं के लिये: देश भर में लागू किये गए लॉकडाउन के कारण देश के अधिकांश उद्योगों और व्यवसायों की आय में भारी गिरावट देखी गई थी, जिसके कारण उनके लिये ऋण का पुनर्भुगतान करना काफी मुश्किल हो गया था। इस प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा घोषित ऋण स्थगन अवधि के कारण न केवल उधारकर्त्ताओं को राहत मिली है, बल्कि इससे बैंकों के NPA में वृद्धि की संभावना को भी कम किया गया है।
- बैंकों के लिये: रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित ऋण स्थगन ने कारण बैंकों और ऋण संस्थानों के नकदी प्रवाह को प्रभावित किया है, कोई RBI की घोषणा के कारण बैंकों को तकरीबन छह माह तक किसी भी प्रकार का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, हालाँकि रिज़र्व बैंक ने यह घोषणा करते हुए बैंकों के लिये नकद आरक्षित अनुपात (CRR) की आवश्यकता को कम कर दिया था, जिसके कारण बैंकों को अतिरिक्त तरलता प्राप्त हुई थी।
    - प्रत्येक बैंक को अपने कुल कैश रिज़र्व का एक निश्चित हिस्सा रिज़र्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात (CRR) कहा जाता है।

ऋण पुनर्गठन पर कामथ समिति के सुझाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में के. वी. कामथ की अध्यक्षता में बनी एक पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने COVID-19 महामारी के कारण आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे कॉरपोरेट ऋणधारकों के ऋण के एकमुश्त पुनर्गठन हेतु आवश्यक मापदंडों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि अगस्त 2020 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा COVID-19 महामारी के कारण हुई आर्थिक गिरावट के चलते कॉरपोरेट ऋणधारकों के ऋण पुनर्गठन हेतु आवश्यक मापदंड निर्धारित करने के लिये इस समिति का गठन किया गया था।
- इस समिति को 1,500 करोड़ रुपए या इससे अधिक के ऋण वाले ऋणधारकों के ऋण पुनर्गठन के लिये वित्तीय मापदंडों हेतु क्षेत्र विशेष के आधार पर बेंचमार्क का सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था।
- इस पहल के तहत सिर्फ उन्हीं कर्जदारों को ऋण पुनर्गठन की सुविधा दी जाएगी जो COVID-19 महामारी के कारण प्रभावित हुए हैं, COVID-19 से पहले के डिफॉल्ट हुए लोन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
- कामथ समिति के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण व्यावसायिक क्षेत्र का 15.52 लाख करोड़ रुपए का ऋण जोखिम में आ गया है, जबकि 22.20 लाख करोड़ रुपए का व्यावसायिक ऋण इस महामारी से पहले ही जोखिम/खतरे की श्रेणी में था।
- समिति के अनुसार, खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, सड़क और वस्त्र उद्योग जैसे क्षेत्रों से संबंधित कंपनियों पर COVID-19 महामारी के कारण दबाव बढ़ा है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (Non Banking Financial Company-NBFC), बिजली, इस्पात, रियल एस्टेट और निर्माण जैसे क्षेत्र COVID-19 महामारी से पहले ही दबाव में चल रहे थे।

प्रस्तावित सुझाव:

- समिति ने कुल 26 क्षेत्रों में ऋण के पुनर्गठन के लिये 5 वित्तीय अनुपातों और क्षेत्र-विशिष्ट सीमाएँ निर्धारित की हैं।
- ये 5 वित्तीय अनुपात निम्नलिखित हैं-

1. समायोजित मूर्त निवल मूल्य और कुल व्यक्तिगत देयता अनुपात
2. कुल ऋण और EBIDTA अनुपात (To¬tal debt to EBIDTA Ratio)

नोट :

3. ऋण सेवा कवरेज अनुपात (Debt Service Coverage Ratio- DSCR)
4. चालू अनुपात (Cur¬rent Ra¬tio)
5. औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात (Average Debt Service Coverage Ratio- ADSCR)

- RBI द्वारा बड़े पैमाने पर समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।
- RBI द्वारा प्रत्येक वित्तीय अनुपात के लिये क्षेत्र- विशिष्ट सीमा का निर्धारण कर लिया गया है।
- इन मापदंडों का निर्धारण क्षेत्र विशेष पर COVID-19 महामारी के प्रभाव की गंभीरता के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिये- इस महामारी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित रियल स्टेट क्षेत्र को ऋण पुनर्गठन के लिये सर्वोच्च EBIDTA अनुपात (स्वीकृति योग्य) प्रदान किया गया है।

क्रियान्वयन:

- इस योजना के तहत उन्हीं ऋणों के पुनर्गठन की अनुमति दी गई है जिन्हें 1 मार्च, 2020 तक मानकों के अनुरूप सही पाया गया था।
- बैंक RBI के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को प्रस्तुत करेंगे, इसके साथ ही खुदरा ऋणों के पुनर्गठन के लिये भी व्यापक दिशा निर्देश निर्धारित किये जाएंगे।
- ऐसे मामले जिनमें एक से अधिक ऋणदाता शामिल होंगे उनमें ऋण पुनर्गठन से पहले 'इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट' (Inter-Creditor Agreement- ICA) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
- इस रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क को 31 दिसंबर, 2020 से पहले शुरू किया जाएगा और इसे शुरू करने की तारीख से 180 दिनों से पहले लागू किया जाएगा।
- ऋण का पुनर्गठन बची हुई अवधि को अधिकतम दो वर्षों (अधिस्थगन के साथ या बगैर) तक बढ़ाकर किया जा सकता है साथ ही इसमें ऋण को इक्विटी में बदलने का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है।

ऋण न चुकाने की स्थिति में:

- निगरानी अवधि के दौरान ऋणधारक द्वारा किसी भी ऋणदाता (ICA में शामिल) के साथ डिफॉल्ट की स्थिति में 30 दिन की समीक्षा अवधि शुरू हो जाएगी।
- यदि ऋणधारक इस अवधि के अंत तक डिफॉल्ट बना रहता है तो उस स्थिति में ऋणदाताओं द्वारा उस संपत्ति को NPA घोषित कर दिया जाएगा

अन्य प्रयास:

बैंको द्वारा खुदरा ऋणधारकों और छोटी इकाइयों के लिये भी अलग-अलग योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स (India Ratings) के अनुसार, बैकों द्वारा दिये गए लगभग 2.10 लाख करोड़ के गैर-व्यावसायिक ऋण (बैंकिंग ऋण का 1.9%) के भी पुनर्गठन की संभावना है, यदि इस ऋण का पुनर्गठन नहीं किया जाता है तो ये ऋण गैर-निष्पादित संपत्तियों (Non-Performing Assets- NPA) में बदल सकते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों पर COVID-19 महामारी का प्रभाव:

- फार्मा, टेलीकॉम, आईटी, ब्रोकरेज सर्विसेज, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, चीनी और उर्वरक आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर COVID-19 महामारी का प्रभाव सबसे कम देखने को मिला है।
- जबकि पर्यटन, होटल, रेस्तरां, निर्माण, अचल संपत्ति, विमानन, शिपिंग, मीडिया और मनोरंजन आदि इस महामारी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं।
- COVID-19 महामारी के कारण प्रभावित हुए 15.5 लाख करोड़ के बैंक ऋण में सबसे अधिक खुदरा और थोक व्यापार से संबंधित (कुल लगभग 5.42 लाख करोड़) हैं।
- इसके साथ ही सड़क क्षेत्र में 1.94 लाख करोड़ रुपए और कपड़ा उद्योग में 1.89 लाख करोड़ रुपए के ऋण प्रभावित हुए हैं।
- इसके अतिरिक्त COVID-19 महामारी के कारण कुछ अन्य क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं जिन्हें बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया गया था, इनमें इंजीनियरिंग (1.18 लाख करोड़ रुपए), पेट्रोलियम और कोयला उत्पादन (73,000 करोड़ रुपए), बंदरगाह (64,000 करोड़ रुपए), सीमेंट (57,000 करोड़ रुपए), रसायन (54,000 करोड़ रुपए) और होटल और रेस्तरां (46,000 करोड़ रुपए) आदि शामिल हैं।

नोट :

प्रभाव:

- पूर्व में सरकार द्वारा ऋण-पुनर्गठन की घोषणाओं (वित्तीय वर्ष 2008-11 और वित्तीय वर्ष 2013-19) के परिणामों के बाद पुनर्गठन तंत्र की प्रभावशीलता के संदर्भ में कुछ चिंताएँ व्यक्त की गई थी, क्योंकि ऋण पुनर्गठन के बाद भी इनमें से अधिकांश संपत्तियाँ NPA में बदल गई थी।
  - गौरतलब है कि RBI द्वारा 1 अप्रैल, 2015 को 'कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन (Corporate Debt Restructuring- CDR) योजना' को बंद कर दिया गया था, कई बड़े कॉर्पोरेट्स के प्रमोटर इसका लाभ लेकर बैंक फंड का दुरुपयोग कर रहे थे जिससे उनकी इकाइयों को नुकसान उठाना पड़ा।
  - इसके तहत कई कंपनियाँ बैंकों से एक से अधिक बार अपने ऋण का पुनर्गठन कराने में सफल रहीं थी, इनमें से कुछ वर्तमान में दिवालियापन की प्रक्रिया में हैं।
  - RBI द्वारा इसके बाद तीन अन्य ऋण पुनर्गठन योजनाओं की शुरुआत की गई परंतु इन योजनाओं को भी या तो सही से लागू नहीं किया गया या ऋणधारकों द्वारा इनका भी दुरुपयोग किया गया।
- हालाँकि RBI द्वारा इस बार ऋण के पुनर्गठन के लिये निर्धारित समय-सीमा और बाहरी पुनरीक्षण जैसे कई सुरक्षात्मक प्रावधान किये गए हैं परंतु इस योजना की सफलता बड़े पैमाने पर देश की अर्थव्यवस्था के सुधार पर निर्भर करेगी।
  - ध्यातव्य है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 23% की गिरावट देखी गई थी।
- रेटिंग इंडिया के अनुसार, इन ऋणों में से लगभग 53% के NPA में बदलने की संभावना अधिक है, बचे हुए 47% ऋण पर जोखिम कम है परंतु इसकी प्रगति भी COVID-19 महामारी और अर्थव्यवस्था की गति पर निर्भर करेगी।

निष्कर्ष:

RBI द्वारा ऋण पुनर्गठन की सुविधा देने से COVID-19 के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालाँकि ऋण पुनर्गठन को एक अस्थायी समाधान के तौर पर देखा जाना चाहिये, साथ ही नियामकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कंपनियों द्वारा ऋण पुनर्गठन के प्रावधानों का दुरुपयोग न किया जाए।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में संकुचन

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी हालिया आँकड़ों के अनुसार, विनिर्माण, खनन, पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट के कारण जुलाई माह में लगातार पाँचवीं बार औद्योगिक उत्पादन में 10.4 प्रतिशत का संकुचन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी आँकड़े बताते हैं कि अप्रैल-जुलाई की अवधि में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में बीते वर्ष इसी अवधि की तुलना में संचयी रूप से 29.2 प्रतिशत का संकुचन हुआ, जबकि वर्ष 2019 की अप्रैल-जून तिमाही में इसमें 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
- बीते वर्ष अकेले जुलाई माह में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 4.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।
- उपभोक्ता गैर-टिकाऊ (Consumer Non-Durables) वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों जैसे- विनिर्माण, खनन, प्राथमिक वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं आदि पर कोरोना वायरस महामारी और उसके कारण लागू किये गए लॉकडाउन का प्रभाव देखने को मिला है, जबकि केवल उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली।

कारण

- सरकार द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के प्रसार को रोकने के लिये लागू किये गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र मार्च, 2020 के अंत से ही बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और संस्थान सही ढंग से संचालित नहीं हो पा रहे हैं।

- संचालित न होने के कारण सीधा प्रभाव इन संस्थानों और प्रतिष्ठान के उत्पादन पर पड़ा है।
- हालाँकि देशव्यापी लॉकडाउन की समाप्ति के बाद से औद्योगिक गतिविधियाँ अब पुन: शुरू हो रही हैं, किंतु हालिया आँकड़ों से पता चलता है कि मई और जून माह में देखी गई तेज़ रिकवरी अब कुछ हद तक सपाट होती जा रही है, इसका मुख्य कारण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय स्तर पर लागू किये गए लॉकडाउन हो सकते हैं। इन्ही बाधाओं के कारण आर्थिक गतिविधियों की क्रमिक रिकवरी संभव नहीं हो पा रही है।

निहितार्थ

- औद्योगिक उत्पादन में हो रही गिरावट जुलाई माह के अन्य सभी संकेतकों जैसे रोज़गार और विनिर्माण आदि के अनुरूप ही है।
  - आईएचएस मार्किट इंडिया (IHS Markit India) द्वारा जारी मासिक सर्वेक्षण के अनुसार, जुलाई 2020 में विनिर्माण क्षेत्र के 'क्रय प्रबंधक सूचकांक' (Purchasing Manager's Index- PMI) में गिरावट दर्ज की गई थी। जुलाई 2020 में क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) 46 अंक पर पहुँच गया था, जबकि जून माह में यह 47.2 अंक पर था।
  - ध्यातव्य है कि इस सूचकांक में 50 से अधिक अंक विस्तार का संकेत देते हैं, जबकि 50 से कम अंक संकुचन का संकेत देते हैं।
- अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि जुलाई और अगस्त माह में भी सभी आर्थिक संकेतक सपाट ही दिखाई दे रहे हैं।
- वितीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के पहले माह यानी जुलाई में औद्योगिक उत्पादन में हो रहा संकुचन, वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) संबंधी आँकड़ों को भी प्रभावित करेगा।
  - ध्यातव्य है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP में 23.9 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया गया है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

- यह सूचकांक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि खनिज खनन, बिजली, विनिर्माण आदि के विकास का विवरण प्रस्तुत करता है।
- इसके अंतर्गत किसी समीक्षाधीन अवधि, आमतौर पर कोई विशिष्ट माह, के दौरान औद्योगिक उत्पादन और क्षेत्र विशिष्ट के प्रदर्शन को मापा जाता है।
- इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- इसे अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक संकेतक माना जाता है।
- जिस माह के लिये इस सूचकांक की गणना की जा रही है उसकी समाप्ति के बाद सूचकांक संबंधी डेटा के प्रकाशन में छह सप्ताह का अंतराल होता है।

घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण

चर्चा में क्यों?

कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण प्रभावित हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्व की कमी केंद्र सरकार को और अधिक उधार लेने के लिये मजबूर कर सकती है, किंतु सरकार के लिये घाटे का मुद्रीकरण (Monetising) करना अंतिम उपाय के तौर पर भी देखा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- आधिकारिक बयान के अनुसार, मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिये उधार संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अधिकारियों द्वारा इस माह के अंत में की जाएगी, वहीं अधिकारियों द्वारा घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण की संभावना पर भी चर्चा की गई है।

नोट :

अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति

- तकरीबन चार माह तक देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बावजूद भी भारत कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर बना हुआ है, और इस महामारी तथा लॉकडाउन के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियाँ रुक गई हैं, जिससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
- हालिया आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में रिकॉर्ड 23.9 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया गया है, जो कि बीते एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे खराब प्रदर्शन है।
- अर्थव्यवस्था में विकास के लगभग सभी प्रमुख संकेतक गहरे संकुचन की ओर इशारा कर रहे हैं। जहाँ एक ओर मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कोयले के उत्पादन में 15 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया गया, वहीं इसी अवधि के दौरान सीमेंट के उत्पादन और स्टील के उपभोग में क्रमशः 38.3 प्रतिशत और 56.8 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया गया।
- इसके अलावा देश में रोज़गार की स्थिति भी अच्छी नहीं है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अप्रैल-अगस्त माह के दौरान लगभग 21 मिलियन वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी है।

घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण

- इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत सरकार प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ व्यवहार करती है और उसे सरकारी बॉण्ड्स (Government Bonds) के बदले में नई मुद्रा छापने के लिये कहती है।
  - नई मुद्रा छापने के बदले में RBI को सरकारी बॉण्ड्स प्राप्त होते हैं जो कि RBI की परिसंपत्ति हैं।
- इस प्रकार सरकार के पास खर्च करने के लिये आवश्यक नकदी आ जाती है, जिसे वह विभिन्न जन कल्याण कार्यक्रमों पर प्रयोग कर सकती है।
- मौजूदा महामारी के दौर में कई विश्लेषण सरकार के घाटे को पूरा करने के लिये प्रत्यक्ष मुद्रीकरण को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु सरकार इस विकल्प को सबसे अंतिम उपाय के रूप में ही देखेगी, क्योंकि इसके साथ निहित समस्याएँ सरकार को इसका प्रयोग न करने के लिये मजबूर कर रही हैं।

निहित समस्याएँ

- सैद्धांतिक तौर पर निजी मांग में गिरावट की स्थिति में घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण की व्यवस्था सरकार को समग्र मांग बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है, जिससे इस व्यवस्था से मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है।
- यद्यपि कुछ हद तक मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था के लिये सही माना जाता है, किंतु यदि सही ढंग से निगरानी न की जाए तो इस व्यवस्था से अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- इस प्रकार उच्च मुद्रास्फीति और उच्च सार्वजनिक ऋण अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं।
- प्रायः सरकारी तंत्र को खर्च करने के मामले में अप्रभावी और भ्रष्ट माना जाता है, जिसके कारण सरकार के पास राजस्व होने के बावजूद भी यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उसका लाभ देश के सभी आम नागरिकों को मिल सकेगा।

निष्कर्ष

महामारी के प्रभाव के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा है, और अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र उत्पादन और राजस्व की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें अधिक-से-अधिक खर्च करने के लिये मजबूर नहीं किया सकता है, ऐसे में सरकार द्वारा किये जाने वाला निवेश अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिये एकमात्र साधन प्रतीत होता है, किंतु सरकार के पास इतनी राशि नहीं है कि वह खर्च कर सके, इसलिये प्रत्यक्ष मुद्रीकरण को एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, हालाँकि इसके साथ निहित समस्याएँ काफी गंभीर हैं और उन पर सही ढंग से विचार करना आवश्यक है। अन्य विकल्पों के तौर पर सरकार अप्रत्यक्ष मुद्रीकरण जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMOs) का प्रयोग कर रही है।

मल्टी-कैप म्यूचुअल फंड्स संबंधी नियमों में परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI) ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए म्यूचुअल फंड्स की मल्टी-कैप स्कीमों (Multi-Cap Schemes) में निवेश की एक सीमा निर्धारित कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- परिवर्तित नियम
    - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा निर्धारित नए नियमों के अनुसार, मल्टी-कैप म्यूचुअल फंड्स स्कीमों को अपनी कुल संपत्ति का तकरीबन 75 प्रतिशत हिस्सा इक्विटी (Equities) और उससे संबंधित अन्य वित्तीय उपकरणों में ही निवेश करना होगा।
    - मौजूदा नियमों के अनुसार, मल्टी-कैप म्यूचुअल फंड्स स्कीमों को अपनी कुल संपत्ति का तकरीबन 65 प्रतिशत हिस्सा इक्विटी (Equities) और इक्विटी से संबंधित अन्य वित्तीय उपकरणों में ही निवेश करना होता है।
    - इसके अलावा SEBI ने यह भी निर्धारित किया है कि इक्विटी और इक्विटी संबंधित अन्य वित्तीय उपकरणों में 75 प्रतिशत का न्यूनतम निवेश किस तरह से किया जाएगा। SEBI के अनुसार,
        - लार्ज कैप कंपनियों में न्यूनतम निवेश: 25 प्रतिशत
        - मिड कैप कंपनियों में न्यूनतम निवेश: 25 प्रतिशत
        - स्मॉल कैप कंपनियों में न्यूनतम निवेश: 25 प्रतिशत
    - वर्तमान नियमों के अनुसार, मल्टी-कैप म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर अपनी पसंद के अनुसार, किसी भी प्रकार की कंपनी (लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप) में निवेश कर सकते थे।
- उल्लेखनीय है कि इस वर्ष दिसंबर माह तक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) द्वारा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की अगली सूची जारी की जाएगी, जिसके एक माह के भीतर म्यूचुअल फंड्स हाउसों को नए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, जिसका अर्थ है कि उन्हें 31 जनवरी, 2021 तक का समय प्रदान किया है।

लार्ज कैप कंपनियाँ: बाज़ार पूंजीकरण के मामले में शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध 1 से 100वें स्थान की कंपनियाँ, लार्ज कैप कंपनियों की श्रेणी में आती हैं। ये कंपनियाँ पूंजी के मामले में भारत की सबसे मज़बूत कंपनियाँ होती हैं और ट्रैक-रिकॉर्ड काफी अच्छा होता है।

मिड कैप कंपनियाँ: बाज़ार पूंजीकरण के मामले में शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध 101 से 250वें स्थान की कंपनियाँ, मिड कैप कंपनियों की श्रेणी में आती हैं।

स्मॉल कैप कंपनियाँ: बाज़ार पूंजीकरण के मामले में शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध 251वें स्थान के बाद मौजूद सभी कंपनियाँ, मिड कैप कंपनियों की श्रेणी में आती हैं।

इन परिवर्तनों के कारण

- इस प्रकार के निर्णय का मुख्य कारण है कि मल्टी-कैप म्यूचुअल फंड्स के अधिकांश फंड मैनेजरों का झुकाव लार्ज कैप कंपनियों की तरह ज़्यादा दिखाई देता है, और वह अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा लार्ज कैप कंपनियों में ही निवेश करते हैं।
    - अनुमान के अनुसार, मल्टी-कैप म्यूचुअल फंड्स स्कीमों के प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा लार्ज कैप कंपनियों में, 25 प्रतिशत प्रतिशत हिस्सा मिड कैप कंपनियों और 10 प्रतिशत हिस्सा स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश किया गया है।
- इस प्रकार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) अपने नए नियमों के माध्यम से म्यूचुअल फंड के निवेश को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में संतुलित करने का प्रयास कर रहा है।

लार्ज कैप कंपनियों में अत्यधिक निवेश का कारण

- इसका मुख्य कारण है कि लार्ज कैप कंपनियाँ एक समय विशिष्ट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही होती हैं, जिससे निवेशकों को काफी लाभ मिलता है।

- वर्तमान समय में अधिकांश फंड मैनेजर बड़ी संख्या में लार्ज कैप कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मौजूदा महामारी के दौरान निवेश को सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय बड़ी और सुरक्षित कंपनियों में निवेश करना है।

इस निर्णय का प्रभाव

- यदि किसी भी म्यूचुअल फंड्स हाउस ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में से प्रत्येक में 25 प्रतिशत से कम अथवा अधिक निवेश किया है तो उन्हें अपने निवेश पोर्टफोलियो को पुन: संतुलित करना होगा, और प्रत्येक में 25-25-25 प्रतिशत निवेश करना होगा।
- इसका अर्थ है कि अब फंड मैनेजरों को लार्ज कैप कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी बेचनी होगी और मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी खरीदनी होगी।
- इस निर्णय से मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की स्थिति में सुधार आने की उम्मीद की जा सकती है, इससे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के बाज़ार मूल्य में वृद्धि हो सकती है।
- हालाँकि इससे निवेशकों को मिलने वाले लाभ में कुछ कमी देखी जा सकती है, क्योंकि इस निर्णय के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स हाउसों को अच्छा प्रदर्शन करने वाली लार्ज कैप कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचनी होगी और मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदनी होगी।

म्यूचुअल फंड

- म्यूचुअल फंड एक प्रकार का सामूहिक निवेश होता है। निवेशकों के समूह मिलकर अल्पावधि के निवेश या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।
- म्यूचुअल फंड में एक फंड प्रबंधक होता है, जो इस पैसे को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करने के लिये अपने निवेश प्रबंधन कौशल का उपयोग करता है।

मल्टी-कैप म्यूचुअल फंड्स

- सरल शब्दों में मल्टी-कैप म्यूचुअल फंड्स विविधतापूर्ण इक्विटी फंड होते हैं, जिसके तहत अलग-अलग बाज़ार पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है।
- इसके तहत निवेश उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अलग-अलग अनुपात में अलग-अलग कंपनियों में निवेश किया जाता है।
- ध्यातव्य है कि लंबी अवधि में मल्टी

अनुदान की अनुपूरक मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये 2.35 लाख करोड़ रूपए के सकल अतिरिक्त व्यय हेतु संसद की मंज़ूरी मांगी गई है।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने 14 सितंबर, 2020 को लोकसभा में चालू वित्तीय वर्ष के लिये अनुपूरक मांगों का विवरण प्रस्तुत किया है।
- 2.35 लाख करोड़ रूपए के सकल अतिरिक्त व्यय में निवल नकद व्यय लगभग 1.67 लाख करोड़ रुपए है।
- इसमें बाकी के धन का प्रावधान अन्य मंत्रालयों या विभागों की बचत या वसूलियों से किया जाएगा।
- COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई आपातकाल जैसी स्थिति के कारण सरकार के व्यय में वृद्धि हुई है
- केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राजस्व घाटा अनुदान के तहत अतिरिक्त आवंटन प्रदान करने के लिये 44,340 करोड़ रुपए के खर्च की स्वीकृति की मांग की गई है।

नोट :

मनरेगा के लिये:

- केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग में से 40,000 करोड़ रुपए 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' (MANREG A) या मनरेगा योजना के लिये निर्धारित किया है।
  - गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मनरेगा के लिये अतिरिक्त व्यय की घोषणा की गई थी।
  - इस अतिरिक्त फंड के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष के मनरेगा का बजट 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच जाएगा।
- इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana- PMJDY) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Scheme- NSAP) के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिये 33,771.48 करोड़ रुपए के व्यय की मंज़ूरी की मांग की गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु:

- केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक मांगों के तहत सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु 20,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है।
- गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में केंद्र सरकार द्वारा बैंक पुनर्पूंजीकरण के लिये कोई धन आवंटित नहीं किया गया था, परंतु COVID-19 महामारी के नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए जुलाई 2020 में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता को रेखांकित किया था।
- इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा COVID-19 महामारी के नियंत्रण के लिये 6,852 करोड़ रुपए की मांग के साथ सरकारी अस्पतालों के लिये आवश्यक सामग्री और मशीनरी खरीदने के लिये अतिरिक्त मांग भी शामिल है।

अनुपूरक अनुदान:

- किसी वर्ष के लिये सरकार द्वारा निर्धारित व्यय को पूरा करने के लिये आवश्यक अतिरिक्त अनुदान को अनुपूरक अनुदान कहा जाता है।
- जब संसद द्वारा अधिकृत अनुदान आवश्यक व्यय से कम हो जाता है तो उस स्थिति में संसद के समक्ष अतिरिक्त अनुदान के लिये एक अनुमान प्रस्तुत किया जाता है।
- अनुपूरक अनुदान को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले संसद में प्रस्तुत और पारित (संसद द्वारा) किया जाता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-115 के तहत अतिरिक्त या अधिक अनुदान (Additional or Excess Grants) के साथ अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया है।

अन्य अनुदान:

- अतिरिक्त अनुदान: अतिरिक्त अनुदान उस समय प्रदान किया जाता है जब सरकार को उस वर्ष के वित्तीय विवरण में परिकल्पित/अनुध्यात की गई सेवाओं के अतिरिक्त किसी नई सेवा के लिये धन की आवश्यकता होती है।
- अधिक अनुदान (Excess Grant): यह उस समय प्रदान किया जाता है जब किसी सेवा पर उस वित्तीय वर्ष में निर्धारित (उस वर्ष में संबंधित सेवा के लिये) या अनुदान किये गए धन से अधिक व्यय हो जाता है।
- लेखानुदान (Votes on Account): यदि केंद्र सरकार पूरे वर्ष के स्थान पर कुछ ही महीनों के लिये संसद से जरूरी खर्च हेतु अनुमति प्राप्त करनी होती है तो उस स्थिति में सरकार लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट पेश कर सकती है। अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्यौरा पेश करती है जबकि लेखानुदान में सिर्फ खर्च के लिये संसद से मंज़ूरी ली जाती है।
- प्रत्यानुदान (Vote of Credit): यदि किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण मांग को बजट में इस प्रकार नहीं रखा जा सकता जिस प्रकार सामान्यतया बजट में अन्य मांगों को रखा जाता है, तो ऐसी मांगो की पूर्ति के लिये प्रत्यानुदान दिया जाता है।
- अपवादानुदान (Exceptional Grant): यह किसी विशेष उद्देश्य के लिये प्रदान किया जाता है।
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद-116 के तहत लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान का निर्धारण किया गया है।

नोट :

भारतीय इस्पात उद्योग: दिशा और दशा

चर्चा में क्यों?

लोकसभा में प्रस्तुत किये गए लिखित जवाब में केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में भारतीय इस्पात उद्योग ने अपनी क्षमता, उत्पादन, निर्यात और बिक्री में लगातार वृद्धि की है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि बीते कुछ वर्षों में भारत के इस्पात उद्योग के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि देखने को मिली है, और अप्रैल-अगस्त, 2020 की अवधि के दौरान, वित्तीय वर्ष 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में भारत से इस्पात के निर्यात में 153 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

समग्र विकास में इस्पात उद्योग का महत्त्व

- इस्पात को आधुनिक विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण उत्पादों में से एक माना जाता है और यह किसी भी औद्योगिक राष्ट्र के लिये रणनीतिक दृष्टि से काफी अनिवार्य भूमिका अदा करता है।
- निर्माण और औद्योगिक मशीनरी से लेकर उपभोक्ता उत्पादों तक इस्पात का उपयोग विभिन्न स्थानों पर देखा जा सकता है।
- किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिये एक जीवंत घरेलू इस्पात उद्योग का होना काफी आवश्यक है, क्योंकि यह निर्णय, बुनियादी ढाँचे, मोटर वाहन, पूंजीगत वस्तुओं, रक्षा, रेल आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिये महत्त्वपूर्ण इनपुट होता है।
- वर्तमान समय में इस्पात संभवत: सबसे अधिक पुनर्नवीनीकृत (Recycled) होने वाली सामग्री है, और इसकी इस पुनर्चक्रण प्रकृति के कारण इसे पर्यावरणीय रूप से स्थायी आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
- भारत का इस्पात उद्योग काफी विशाल है, जिसके कारण यह काफी बड़ी मात्रा में रोज़गार सृजन भी करता है।

भारतीय इस्पात उद्योग

- भारतीय इस्पात उद्योग को देश के औद्योगिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, और इसी महत्ता के कारण आज़ादी के बाद से भारतीय इस्पात उद्योग ने काफी विकास किया है।
- अनुमान के मुताबिक, आज़ादी के समय भारतीय इस्पात उद्योग का उत्पादन तकरीबन 1 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) था, जो कि वर्तमान में 142 मीट्रिक टन प्रति वर्ष पर पहुँच गया है।
- भारत का इस्पात उद्योग एक पूर्णत: स्थापित उद्योग है और बीते कुछ वर्षों में इसमें निरंतर वृद्धि देखी गई है। बीते छह वर्षों में भारत में तैयार इस्पात की मांग में 6.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है, और वर्ष 2018-19 में यह 99 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) पर पहुँच गई है।
- भारत में वर्ष 2018-19 में कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता तकरीबन 142.236 मिलियन टन थी जबकि कच्चे इस्पात का उत्पादन लगभग 110.921 मिलियन टन हुआ था।
- इस प्रकार उत्पादन में हो रही निरंतर वृद्धि ने भारत को वैश्विक इस्पात उद्योग में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया है। आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत विश्व भर में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया के कुल इस्पात उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी तकरीबन 6.1 प्रतिशत है।
- वहीं तैयार इस्पात के उपभोग के मामले में भी भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और वर्ष 2018 के दौरान भारत तैयार इस्पात का पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता था।
- भारत में तैयार इस्पात की प्रतिव्यक्ति खपत वर्ष 2014-15 के दौरान 60.8 किलोग्राम थी, जो कि वर्ष 2018-19 में बढ़कर 74.1 किलोग्राम हो गई। ध्यातव्य है कि इस्पात की प्रतिव्यक्ति खपत किसी भी देश में सामाजिक-आर्थिक विकास और आम लोगों के जीवन स्तर का सूचक होती है।

भारतीय इस्पात उद्योग- चुनौतियाँ

- वित्त: इस्पात उद्योग एक पूंजी प्रधान उद्योग है। अनुमानत: 1 टन स्टील बनाने की क्षमता स्थापित करने के लिये तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। आमतौर पर इस प्रकार का वित्तपोषण उधार ली गई राशि के माध्यम से किया जाता है। किंतु भारत में चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों की अपेक्षा वित्त की लागत काफी अधिक है जो कि इस उद्योग के विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आई है। इसके कारण इस्पात के कुल उत्पादन की अंतिम लागत में लगभग तकरीबन 30-35 अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होती है।

नोट :

- लॉजिस्टिक्स: अधिकांश भारतीय इस्पात निर्माताओं के लिये लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं का प्रबंधन करना काफी कठिन, चुनौतीपूर्ण और महँगा होता है। इस्पात के निर्णय के लिये मुख्यत: लौह अयस्क और कोयले की आवश्यकता होती है, और ये दोनों ही थोक वस्तुएँ हैं और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है, इसके अलावा तैयार इस्पात को उपभोक्ताओं तक पहुँचाना भी काफी कठिन कार्य होता है।
- उत्पादन क्षमता का अल्प-उपयोग: भारत में इस्पात की उत्पादन क्षमता का कम उपयोग भी एक महत्त्वपूर्ण समस्या है, उदाहरण के लिये वित्त वर्ष 2018-19 में भारत में इस्पात उत्पादन की क्षमता तकरीबन 142.236 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष थी, किंतु इस दौरान 110.921 मीट्रिक टन उत्पादन ही हो सका, इस प्रकार इस अवधि के दौरान आवश्यक क्षमता का केवल 78 प्रतिशत उपयोग ही हो सका।
- पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: पर्यावरण संबंधी चिंताएँ लगातार केंद्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करती जा रही हैं, हालाँकि भारत के भविष्य के लिये यह एक अच्छी खबर है, किंतु ये चिंताएँ कई उद्योगों के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, जिनमें इस्पात उद्योग भी शामिल है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017

- इस्पात मंत्रालय से मंज़ूरी प्राप्त करने के पश्चात् राष्ट्रीय इस्पात नीति को 8 मई, 2017 को यह सुनिश्चित करने के लिये अधिसूचित किया गया था कि भारतीय इस्पात उद्योग आधुनिक भारत की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने और भारत के स्थायी विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका अदा कर सके।
- इस नीति के तहत भारत में वर्ष 2030-31 तक 300 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन कर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी इस्पात उद्योग का निर्माण करना है।
- यह नीति उत्पादकों को नीति समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करके इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित करती है।
- नीति में उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव इस्पात, विद्युत-इस्पात और विशेष इस्पात की कुल मांग को 100 प्रतिशत स्वदेश में ही पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- नई इस्पात नीति में घरेलू इस्पात उत्पादकों के लिये गुणवत्ता मानकों का विकास भी शामिल किया गया है जिससे उच्च श्रेणी के इस्पात का उत्पादन हो सके।

आगे की राह

- भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिये इस्पात केंद्रित क्षेत्रों जैसे सभी के लिये आवास, शत-प्रतिशत विद्युतीकरण, पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति आदि में भारी निवेश किया जाएगा।
- इस्पात क्षेत्र में वृद्धि की अपार संभावनाएँ हैं और आने वाले समय इसकी घरेलू मांग में भी वृद्धि होगी। इसलिये यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि घरेलू इस्पात उद्योग इस मांग को पूरा करने में सक्षम हो।
- भारत के उद्योग के विकास में अभी भी कई बाधाएँ मौजूद हैं, जिन्हें जल्द-से-जल्द संबोधित कर उद्योग का विकास सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है।

अगस्त माह के लिये थोक मूल्य एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

चर्चा में क्यों?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office-NSO) ने अगस्त 2020 (अनंतिम) माह के लिये ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index-CPI) और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (Consumer Food Price Index-CFPI) जारी किये हैं। इसके अतिरिक्त उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अगस्त, 2020 (अनंतिम) और जून 2020 (अंतिम) के लिये थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index-WPI) जारी किये गए हैं।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

- WPI के अनंतिम आँकड़ें देश भर में चयनित विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर संकलित कर प्रत्येक माह की 14 तारीख (या अगले कार्य दिवस) को जारी किये जाते हैं।
- 10 सप्ताह के पश्चात् सूचकांक को अंतिम रूप देकर अंतिम आँकड़े जारी किये जाते हैं।
- वार्षिक WPI पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अगस्त, 2020 के दौरान जुलाई, 2019 की तुलना में 0.16% (अनंतिम) रही, जबकि इससे पिछले वर्ष इसी माह यह 11.17% थी।
- विभिन्न जिंस समूहों के सूचकांक में उतार-चढ़ाव:

1. प्राथमिक वस्तुएँ (भारांक=22.6%): इस प्रमुख समूह का सूचकांक जुलाई माह के 143.7 अंक (अंतिम) से 1.81% की वृद्धि के साथ अगस्त माह में 146.3 अंक (अनंतिम) हो गया। जुलाई माह की तुलना में अगस्त माह के दौरान खनिजों (10.21 %), कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (4.72%), गैर खाद्य उत्पादों (3.06 %) और खाद्य उत्पादों (0.93%) की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई।
2. ईंधन और बिजली (भारांक=13.15%): इस समूह का सूचकांक जुलाई माह के 90.7 अंक (अंनतिम) से 0.77% की वृद्धि के साथ अगस्त माह में 91.4 अंक (अनंतिम) हो गया। अगस्त माह में खनिज तेल की कीमतों में जुलाई माह की तुलना में 1.30% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं कोयला और बिजली के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
3. विनिर्मित उत्पाद (भारांक=64.23%): इस सूचकांक में अगस्त माह के दौरान 0.59% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 119.3 अंक हो गया। 11 समूहों की कीमतों में अगस्त माह के दौरान वृद्धि देखी गई, वहीं इस अवधि के दौरान 10 समूहों में गिरावट दर्ज की गई ।
4. WPI खाद्य सूचकांक (भारांक 24.38%): इस खाद्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तु समूह की 'खाद्य वस्तुएँ' और निर्मित उत्पाद समूह के 'खाद्य उत्पाद' शामिल हैं। WPI खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर जुलाई के 4.32% से घटकर अगस्त माह में 4.07% हो गई।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

- मूल्य डेटा आमतौर पर चयनित 1,114 शहरी बाज़ारों और 1,181 गाँवों से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक साप्ताहिक रोस्टर पर NSO के फील्ड ऑपरेशन डिविज़न के फील्ड कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत दौरे के माध्यम से एकत्रित किया जाता है।
- अगस्त माह के दौरान NSO द्वारा 96.1% गाँवों और 96.4% शहरों से वस्तुओं के मूल्य एकत्रित किये गए।
- समय के साथ धीरे-धीरे महामारी संबंधी विभिन्न प्रतिबंध हटने और गतिविधियों की पुन: शुरुआत होने से मूल्य डेटा की उपलब्धता में भी सुधार हुआ है।
- देश में उपभोक्ताओं मध्य सामाजिक-आर्थिक विषमता को देखते हुए पहले चार उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का प्रयोग किया जाता था-
  - औद्योगिक मज़दूरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW)
  - नॉन-मैनुअल इम्प्लॉयी के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-UNME)
  - खेतिहर मज़दूरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL)
  - ग्रामीण क्षेत्र के मज़दूरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-RL)
- वर्ष 2011-12 में सरकार द्वारा नवीन उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की घोषणा की गई-
  - ग्रामीण बाज़ारों के लिये CPI-ग्रामीण (CPI-R)
  - शहरी बाज़ारों के लिये CPI-शहरी (CPI-U)
  - उपर्युक्त दोनों के संयुक्त आँकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय बाजार के लिये CPI-संयुक्त (CPI-C)
- नवीन सूचकांकों को और बेहतर बनाने के लिये इनमें वर्ष 2015 में पुन: संशोधन किये गए और आधार वर्ष 2010=100 से परिवर्तित कर 2012=100 कर दिया गया।

नोट :

CPI (सामान्य) और CFPI पर आधारित मुद्रास्फीति दरें (% में)

सूचकांक	अगस्त. 2020 (अनंतिम)			जुलाई 2020 (अंतिम)		
	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
CPI (सामान्य)	6.66	6.80	6.69	6.76	6.70	6.73
CFPI	9.11	8.82	9.05	9.47	8.99	9.27

CPI (सामान्य) और CPFI में मासिक परिवर्तन

सूचकांक	ग्रामीण			शहरी			संयुक्त		
	सूचकांक मूल्य		% परिवर्तन	सूचकांक मूल्य		% परिवर्तन	सूचकांक मूल्य		% परिवर्तन
	अगस्त, 2020	जुलाई,2020		अगस्त, 2020	जुलाई, 2020		अगस्त, 2020	जुलाई, 2020	
CPI (सामान्य)	155.4	154.7	0.45	154.0	152.9	0.72	154.7	153.9	0.52
CFPI	155.7	154.9	0.52	161.6	160.1	0.94	157.8	156.7	0.0

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और व्यापार अवरोध

चर्चा में क्यों ?

भारत और अमेरिका समेत 18 देशों के आर्थिक एवं व्यापार मंत्रियों ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) में सहमति व्यक्त की कि कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के प्रभाव को कम करने के लिये लागू किये गए व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों का पारदर्शी और अस्थायी होना अनिवार्य है।

प्रमुख बिंदु

- 8वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मामले के मंत्रियों की बैठक (EAS-EMM) के बाद जारी किये गए बयान के अनुसार, बैठक में शामिल सभी भागीदारों ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के प्रसार को रोकने के लिये लागू किये गए उपायों से वैश्विक और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में अनावश्यक अवरोध या व्यवधान उत्पन्न नहीं होने चाहिये।
- इस बैठक में 10 आसियान सदस्य देशों तथा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया, न्यूज़ीलैंड, रूस और अमेरिका के आर्थिक मंत्रियों ने हिस्सा लिया।
- बैठक में हिस्सा लेने वाले देशों ने आर्थिक विकास में तेज़ी लाने, आपूर्ति श्रृंखला तथा बाज़ार की स्थिरता को बनाए रखने और पूर्वी एशिया में महामारी के पश्चात् आर्थिक लचीलेपन को मज़बूत करने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया।
- इसके अतिरिक्त इस दौरान भागीदार देशों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के अवसरों के दोहन के महत्त्व पर भी चर्चा की।

कोरोना वायरस और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

- ध्यातव्य है कि वर्तमान में संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस महामारी के कारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। अब तक कुल 25 मिलियन लोग इस घातक वायरस की चपेट में आ चुके हैं और इसके कारण लाखों लोगों की मौत हो चुकी है।
- मानव संसाधन की इस गंभीर क्षति के अलावा संपूर्ण विश्व को आर्थिक मोर्चे पर भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष अप्रत्याशित चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं, और इनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भारी नुकसान हुआ है।
- विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO) की मानें तो इस वर्ष वैश्विक व्यापार में 13 से 32 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।
- गौरतलब है कि महामारी की शुरुआत के बाद से ही कई देश में उत्पादन या तो पूर्णत: या fi आंशिक रूप से बंद कर दिया गया था, ऐसे में उन देशों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिनकी आपूर्ति श्रृंखला काफी हद तक चीन जैसे देश पर निर्भर थी।
- इसके अलावा विश्व के अधिकांश देशों द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके कारण स्वयं देश के अंदर भी उत्पादन बंद हो गया था।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit)

- यह एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के 18 देशों के नेताओं द्वारा संचालित एक विशिष्ट मंच है जिसका गठन क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्य से किया गया था।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) को आम क्षेत्रीय विषयों, राजनीति, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर सामरिक वार्ता तथा सहयोग के लिये एक मंच के रूप में विकसित किया गया है जो क्षेत्रीय निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इस संबंध में ईस्ट एशिया ग्रुपिंग (East Asia Grouping) की अवधारणा पहली बार वर्ष 1991 में मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत की थी परंतु पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) इसकी स्थापना वर्ष 2005 में की गई।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में 10 आसियान सदस्य देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया, न्यूज़ीलैंड, रूस और अमेरिका भी शामिल हैं।

इंद्र-2020 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास

चर्चा में क्यों?

बहुराष्ट्रीय त्रिकोणीय सर्विस अभ्यास- कवकाज़- 2020 (Kavkaz- 2020) में शामिल न होने के निर्णय के पश्चात् जल्द ही भारतीय नौसेना, रूस की नौसेना के साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, इंद्र-2020 (Indra-2020) का आयोजन करेगी।

प्रमुख बिंदु

- यह युद्धाभ्यास कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी की शुरुआत के पश्चात् पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होगा।
- इससे पूर्व व्लादिवोस्तोक में आयोजित होने वाले इंद्र-2020 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास को कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था।

इंद्र युद्धाभ्यास-2020

- इंद्र सैन्य अभ्यास शृंखला की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी और भारत के पश्चिमी और पूर्वी, दोनों तटों पर मई 2003 में पहले भारत-रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया था।
  - वर्ष 2017 में रूस के व्लादिवोस्टोक में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें दोनों देशों की थल, वायु एवं जल सेनाओं ने भाग लिया।
- 4 और 5 सितंबर, 2020 को आयोजित होने वाले इंद्र-2020 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में रूस की नौसैनिक की ओर से तीन नौसैनिक जहाज़ हिस्सा लेंगे, वहीं भारत की ओर से भी इस अभ्यास में कुछ नौसैनिक जहाज़ और विमान हिस्सा लेंगे।
- इंद्र-2020 (Indra-2020) द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के हिस्से के रूप में उड़ान भरने, सतह और हवाई लक्ष्यों पर गन फायरिंग और ट्रैकिंग आदि गतिविधियों के कार्यान्वयन की योजना बनाई गई है।

उद्देश्य:

- इस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक कौशल, अनुभव और सैन्य तकनीक को साझा करना है।
- इसके अलावा यह सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देगा।
  - भारत अपने समावेशी इंडो-पैसिफिक कंस्ट्रक्ट के सिद्धांत के आधार पर भारत-प्रशांत क्षेत्र में रूस के साथ एक साझेदारी विकसित करने का इच्छुक है।

कवकाज़ अभ्यास और इसमें शामिल न होने के कारण

- यह एक रणनीतिक कमांड-पोस्ट अभ्यास है, जिसे काकेशस- 2020 (Caucasus-2020) के रूप में भी जाना जाता है।
- यह त्रि-सेवा अभ्यास रूसी सेना द्वारा प्रति चार वर्ष में किया जाने वाला अभ्यास का हिस्सा है। यह अभ्यास पूर्व में वर्ष 2012 और वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2020 का अभ्यास दक्षिणी रूस के अस्त्राखान प्रांत (Astrakhan province) में आयोजित किया जाएगा।
- 15 से 27 सितंबर, 2020 को आयोजित होने वाले इस अभ्यास में 'शंघाई सहयोग संगठन' (SCO) के सदस्य देश और अन्य मध्य एशियाई देश भाग लेंगे।
- भारत ने आधिकारिक रूप से मौजूदा महामारी को अभ्यास में हिस्सा न लेने का कारण बताया है, किंतु इसके पीछे अनेक कूटनीतिक कारकों को ज़िम्मेदार माना जा रहा है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि इस अभ्यास में चीन, तुर्की और पाकिस्तान भी हिस्सा ले रहे हैं, और इन देशों के साथ बीते कुछ दिनों में भारत के संबंध काफी तनावपूर्ण रहे हैं।

नोट :

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जीत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council- UNSC) ने पाकिस्तान द्वारा दो भारतीय नागरिकों को 'यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति' (UNSC 1267 Sanctions Committee) के तहत आतंकवादी घोषित किये जाने के प्रयास को रद्द कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस समिति ने 2 सितंबर, 2020 को 'अंगारा अप्पाजी' और 'गोविंद पटनायक' नामक दो भारतीय नागरिकों को आतंकवादी घोषित किये जाने की पाकिस्तान की मांग को रद्द कर दिया है।
- पाकिस्तान ने इन दो भारतीय नागरिकों पर एक चार सदस्यीय अफगानिस्तान आधारित 'भारतीय आतंकी सिंडिकेट' (Indian Terror Syndicate) का हिस्सा होने का आरोप लगाया था।
- पाकिस्तान के अनुसार, ये भारतीय नागरिक प्रतिबंधित आतंकी समूहों 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (Tehreek e Taliban Pakistan- TTP) और 'जमात-उल-अहरार' (Jamaat-Ul-Ahrar- JuA) को पाकिस्तान में हमले करने के लिये संगठित कर रहे थे।
- UNSC में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, जर्मनी और बेल्जियम ने इन दो भारतीयों को आतंकवादी घोषित किये जाने पर रोक लगा दी है।

पूर्व प्रयास:

- इससे पहले पाकिस्तान द्वारा दो अन्य भारतीयों (वेणुमाधव डोंगरा और अजॉय मिस्त्री) को इस समिति के तहत आतंकवादी घोषित किये जाने की मांग की गई थी।
- हालाँकि वेणुमाधव डोंगरा के नाम पर अमेरिका द्वारा 19 जून तथा अजॉय मिस्त्री के नाम पर 16 जुलाई को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, जर्मनी एवं बेल्जियम द्वारा रोक लगा दी गई थी।
  - गौरतलब है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्राँस 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' के स्थाई सदस्य हैं जबकि जर्मनी तथा बेल्जियम अस्थाई सदस्य हैं।
- पूर्व में इन्हीं पाँच देशों ने पाकिस्तान को 'अंगारा अप्पाजी' और 'गोविंद पटनायक' पर लगाए गए आरोपों के संदर्भ में साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग करते हुए इनके नामों पर अस्थाई रोक लगा दी थी।
- पाकिस्तान ने हाल ही में दावा किया कि उसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की 'आतंकवादी गतिविधियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा' नामक रिपोर्ट पर सुरक्षा परिषद की खुली बहस में एक बयान दिया था, जिसमें उसने भारत पर "चार प्रकार के आतंकवाद" का आरोप लगाया था।
- हालाँकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अध्यक्ष ने पाकिस्तान के पत्र का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान UNSC का सदस्य नहीं है।

कारण:

- भारतीय अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान का यह कदम एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसके माध्यम से वह वर्ष 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के कार्यकाल के शुरू होने से पहले विवाद फैलाने का प्रयास कर रहा है।
- साथ ही पाकिस्तान इन प्रयासों के माध्यम से भारत द्वारा मई 2019 में 'यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति' के तहत 'जैश-ए-मोहम्मद' प्रमुख मसूद अज़हर को वैश्विक आतंकवादी नामित करने में सफल होने का बदला लेना चाहता है।

प्रभाव:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को पाकिस्तान के प्रस्ताव के खिलाफ मिला इन पाँच देशों का समर्थन सुरक्षा परिषद और वैश्विक राजनीति में भारत की मज़बूत होती पहुँच का संकेत है।

नोट :

- पाकिस्तान द्वारा भारतीय नागरिकों पर लगाए गए आरोपों के रद्द होने से विश्व के समक्ष उसकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

चुनौतियाँ:

- पाकिस्तान द्वारा भारतीय नागरिकों पर लगाए गए आरोपों को रद्द करने में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्राँस प्रमुख थे जो इस बात का संकेत है कि सुरक्षा परिषद के अन्य दो स्थायी सदस्यों चीन और रूस ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को रोकने का प्रयास नहीं किया।

'यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति' (UNSC 1267 Sanctions Committee):

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की '1267 प्रतिबंध समिति' को 'अल कायदा प्रतिबंध समिति' (Al Qaida Sanctions Committee) या 'आईएसआईएल (दा'एश)' [ISIL (Da'esh)] के नाम से भी जाना जाता है।
- इस समिति की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव-1267 (वर्ष 1999) के आधार पर की गई थी।
- इस समिति में UNSC के सभी 15 सदस्य शामिल होते हैं और सर्वसम्मति से अपना निर्णय लेते हैं।
- यह समिति UNSC प्रस्ताव के मानदंडों के अनुरूप संबंधित व्यक्तियों और समूहों को चिन्हित करने तथा उन पर प्रतिबंधों के कार्यान्वयन की देखरेख का कार्य करती है।
- यह समिति प्रतिबंधों के कार्यान्वयन पर सुरक्षा परिषद को वार्षिक रिपोर्ट देती है।

आगे की राह:

- UNSC में पाकिस्तान के प्रस्ताव के खिलाफ भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, जर्मनी और बेल्जियम जैसे देशों का समर्थन मिलना भारतीय विदेशी नीति की एक बड़ी सफलता है, हालाँकि भारत को अधिक-से-अधिक देशों के बीच अपनी पहुँच को मज़बूत करने का प्रयास करना चाहिये।
- अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध तथा भारतीय सीमा पर चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत और अमेरिकी के संबंध और अधिक मज़बूत हुए हैं, हालाँकि वर्तमान स्थिति में भारत को अमेरिका और रूस के साथ संबंध संतुलन को बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना होगा।

चीन द्वारा अपने प्रभुत्त्व विस्तार हेतु गैर-सैन्य रणनीति का प्रयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस के रक्षा विभाग से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट में चीन द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और अपने प्रभुत्त्व विस्तार हेतु सैन्य अड्डों के विस्तार तथा गैर-सैन्य रणनीतियों के प्रयोग की बात कही गई है।

प्रमुख बिंदु:

- अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी 'डीओडी चीन सैन्य शक्ति रिपोर्ट-2020' (DOD China Military Power Report-2020) के अनुसार, चीनी नेताओं द्वारा चीन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये सशस्त्र संघर्ष जैसी रणनीति का उपयोग किया जाता है।
  - रिपोर्ट में इस संदर्भ में भारत और भूटान सीमा पर चीन के विवाद का उदाहरण दिया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, चीन अपनी सैन्य शक्ति के प्रभाव को अधिक दूरी तक स्थापित करने के लिये देश के बाहर मज़बूत सैन्य अड्डों को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।
- इस रिपोर्ट में कई सैन्य आधुनिकीकरण क्षेत्रों में चीनी सेना को अमेरिकी सेना के बराबर (कम-से-कम) ही उन्नत बताया गया है, जिसमें जहाज़ निर्माण (Shipbuilding), भूमि आधारित पारंपरिक बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल तथा एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली आदि शामिल हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, चीन अपनी पहल/उपक्रमों की आलोचनाओं को नियंत्रित करने के लिये बहुपक्षीय संगठनों का भी उपयोग करता है।

गैर-युद्ध सैन्य गतिविधियों का प्रयोग:

- इस रिपोर्ट में गैर-युद्ध सैन्य गतिविधियों (Non War Military Activities- NWMA) को चीनी सेना द्वारा प्रयोग किये जाने वाले दो प्रकार (दूसरा युद्ध) के सैन्य अभियानों का हिस्सा बताया गया है।

- रिपोर्ट के अनुसार, NWMA के तहत विशेष तौर पर ऐसी गतिविधियों/ऑपरेशन को शामिल किया जा सकता है जिसमें चीनी सेना अपने देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु दूसरे देशों या इकाइयों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष से नीचे रहते हुए धमकियों या हिंसा का प्रयोग करती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों तथा अन्य देशों के साथ ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है।
- चीन द्वारा ऐसी रणनीति के प्रयोग का उदाहरण दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में अपने क्षेत्रीय और समुद्री दावों के साथ-साथ भारत और भूटान के साथ चीन की सीमा पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
- रिपोर्ट में वर्ष 2009 में अमेरिका के निगरानी जहाज़ 'यूएसएनएस इंपेकेबल' (USNS Impeccable) के साथ गतिरोध और वर्ष 2012 के 'स्कारबोरो रीफ गतिरोध' (Scarborough Reef standoff) में 'पीपुल्स आर्म्ड फोर्सेस मैरीटाइम मिलिशिया' (People's Armed Forces Maritime Militia- PAFMM) की भूमिका को रेखांकित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी सेना का विस्तार:

- रिपोर्ट में इस बात की भी संभावना व्यक्त की गई है कि चीन अपनी थल , वायु और नौसैनिक सेनाओं को अतिरिक्त सैन्य रसद सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये 'जिबूती' (Djibouti) के अतिरिक्त अन्य नये विदेशी सैन्य अड्डों की स्थापना की योजना बना रहा है।
- चीन द्वारा सैन्य अड्डे की स्थापना हेतु म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, सेशेल्स, तंजानिया, अंगोला और ताजिकिस्तान जैसे देशों के चुनाव की संभावना व्यक्त की गई है।

विकास योजनाओं और आर्थिक प्रभाव का प्रयोग:

- रिपोर्ट के अनुसार, 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना' (Belt and Road' initiative- BRI) के माध्यम से अन्य देशों में भी (चीन के अतिरिक्त) चीन की सैन्य पहुँच का विस्तार होगा।
  - रिपोर्ट के अनुसार, चीन कई अन्य मामलों में दूसरे देशों का समर्थन प्राप्त करने के लिये BRI और अन्य परियोजनाओं से उन देशों पर प्राप्त अपने आर्थिक प्रभाव का उपयोग करता है। उदाहरण के लिये-उइगर मुस्लिमों (Uighur Muslim) के संदर्भ में कई मुस्लिम और गैर-मुस्लिम देशों ने चीन सरकार की हिंसक कार्रवाई को अनदेखा किया है।
- साथ ही चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल देशों में भी अपने घरेलू नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम 'बाइडू' (BeiDou) के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है

बहुपक्षीय संगठनों का प्रयोग:

- रिपोर्ट के अनुसार, चीन बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रयोग अपने राजनीतिक प्रभाव को मज़बूत और नए अवसरों को उत्पन्न करने, अपने विकास के हितों को आगे करने तथा ऐसे रणनीतिक संदेशों को बढ़ावा देने के लिये करता है जो इसे एक जिम्मेदार विश्व स्तरीय राष्ट्र के रूप में चित्रित करते हैं।
- इस संदर्भ में रिपोर्ट में 'ब्रिक्स' (BRICS) और 'शंघाई सहयोग संगठन' (Shanghai Cooperation Organization-SCO) का उदाहरण दिया गया है।

भारत चीन विवाद:

- इस रिपोर्ट में वर्ष 2019 के दौरान भारत-चीन सीमा पर विवादित क्षेत्र में द्विपक्षीय सैन्य गतिविधियों का जिक्र है जिसमें दोनों देशों ने तनाव को बढ़ने से रोके रखा।
  - गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में वर्ष 2019 की गतिवधियों की चर्चा की गई है अत: इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के हालिया तनाव को शामिल नहीं किया गया है।

निष्कर्ष:

- यह रिपोर्ट हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में चीन की बढ़ती आक्रामकता से जुड़े तथ्य प्रस्तुत करती है
- पिछले कुछ वर्षों में चीन की गैर-सैन्य गतिविधियों के तहत दक्षिण चीन सागर में इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित अन्य आसियान (ASEAN) देशों की समुद्री सीमा के साथ प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के समुद्री क्षेत्र में चीनी मछुआरों की सक्रियता में वृद्धि देखने को मिली है।

नोट :

- इसके साथ ही चीन BRI परियोजना के साथ अन्य विकास योजनाओं के लिये भी कई देशों को ऋण उपलब्ध करा कर वहाँ की स्थानीय राजनीति में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाया है या कई मामलों में परियोजनाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया है, श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर चीन का कब्ज़ा इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
- वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन विवाद के साथ भूटान सीमा पर चीन का हस्तक्षेप क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को दर्शाता है।

आगे की राह:

- हिंद-महासागर क्षेत्र के साथ ही विश्व के अन्य हिस्सों में चीन की बढ़ती सैन्य और गैर-सैन्य गतिविधियाँ क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं स्थिरता की स्थापना के संदर्भ में एक बड़ी चिंता का विषय है।
- दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को नियंत्रित करने के लिये क्षेत्र के देशों को साथ मिलकर सहयोग बढ़ाना चाहिये तथा 'संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि' (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS), 1982 के तहत सभी देशों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- हिंद महासागर में चीन के हस्तक्षेप को नियंत्रित करने के लिये भारत को अमेरिका, रूस ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के सहयोग से अपनी नौसैनिक गतिविधियों में वृद्धि करनी चाहिये।
  - भारत द्वारा मालाबार नौसैनिक अभ्यास , भारत और जापान की नौ-सेनाओं द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास तथा भारत एवं रूस की नौसेनाओं के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र-2020 (Indra-2020) आदि का आयोजन इस दिशा में लिये गए सकारात्मक निर्णय हैं।
- हाल के वर्षों में चीन द्वारा सैन्य हथियारों के विकास को नियंत्रित करने के लिये चीन को 'नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि' (Strategic Arms Reduction Treaty-START) जैसी शस्त्र नियंत्रण संधि में शामिल किया जाना चाहिये, साथ ही वैश्विक शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिये चीन को भी इस पहल में अपना सहयोग देना चाहिये।

लोगों की समन्वित सीमा-पार आवाजाही पर G-20 सिद्धांत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित 'G-20 विदेश मंत्रियों की बैठक' में भारत ने 'लोगों की समन्वित सीमा-पार आवाजाही पर G-20 सिद्धांत' (G20 Principles on Coordinated Cross-Border Movement of People) के स्वैच्छिक विकास का प्रस्ताव रखा है।

प्रमुख बिंदु:

- सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्चुअल बैठक में चर्चा का मुख्य विषय COVID-19 महामारी के दौरान सीमा-पार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करने पर रहा ।
- इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री ने तीन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 'लोगों की समन्वित सीमा-पार आवाजाही पर G-20 सिद्धांत' के स्वैच्छिक विकास का प्रस्ताव रखा।
  1. परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण और परीक्षण परिणामों की सार्वभौमिक स्वीकार्यता।
  2. क्वारंटीन प्रक्रियाओं का मानकीकरण।
  3. आवाजाही और पारगमन प्रोटोकॉल का मानकीकरण।
- इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्री ने विश्व के सभी देशों से विदेशी छात्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने और विदेशों में फंसे हुए समुद्री नाविकों को उनके देश पहुँचाने की सुविधा उपलब्ध करने का आग्रह किया।
- इस बैठक में शामिल सभी विदेश मंत्रियों ने COVID-19 महामारी के दौरान सीमा-पार गतिविधियों के प्रबंधन से प्राप्त अपने राष्ट्रीय अनुभवों को भी साझा किया।
- भारतीय विदेश मंत्री ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिये G-20 देशों को एक साथ लाने में सऊदी अरब के प्रयासों की सराहना की।

- बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने समूह के देशों को 'वंदे भारत मिशन' (Vande Bharat Mission) और भारत में फंसे विदेशी नागरिकों तथा विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिये 'ट्रैवल बबल' (Travel Bubble) सहित भारत सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों से अवगत कराया।

वैश्विक यातायात पर COVID-19 का प्रभाव:

- COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिये विश्व के अधिकांश देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय यातायात तथा माल परिवहन पर बड़े पैमाने पर रोक लगा दी गई थी।
- COVID-19 के प्रसार के नियंत्रण हेतु वैश्विक स्तर पर लागू लॉकडाउन का प्रभाव अर्थव्यवस्था के साथ-साथ वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर भी देखने को मिला है।

लाभ:

- G-20 देशों के बीच COVID-19 परीक्षण के मानकीकरण और सार्वभौमिक स्वीकार्यता से देशों के बीच पारदर्शिता तथा परस्पर आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी।
- साथ ही आवाजाही और पारगमन प्रोटोकॉल के मानकीकरण से देशों के बीच COVID-19 के प्रसार के खतरे को कम करते हुए नियंत्रित रूप में लोगों का आवागमन तथा व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

COVID-19 और G-20:

- COVID-19 महामारी की शुरुआत के समय से ही G-20 द्वारा इस चुनौती से निपटने हेतु कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
- मार्च 2020 में आयोजित G-20 की वर्चुअल बैठक में समूह के देशों ने 'COVID- 19 एकजुटता प्रतिक्रिया कोष' (COVID-19 Solidarity Response Fund) में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जमा करने की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की थी।
- इसके साथ ही मई और जुलाई में अलग-अलग बैठकों में समूह के देशों के बीच खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समन्वय जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई।

आगे की राह:

- वर्तमान में COVID-19 की किसी प्रमाणिक वैक्सीन की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सहयोग के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा और जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
- COVID-19 महामारी के कारण विश्व स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला को गंभीर क्षति हुई है, G-20 देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुन: गति प्रदान करने के लिये सीमापार व्यापार के संचालन हेतु सहयोग बढ़ाना चाहिये।
- COVID-19 के कारण हुई आर्थिक क्षति के प्रभावों को कम करने के लिये छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

G-20 समूह:

- G-20 समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों का समूह है।
- G-20 की स्थापना वर्ष 1997 के पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट के बाद वर्ष 1999 में यूरोपीय संघ और विश्व की 19 अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों गवर्नरों तथा वित्त मंत्रियों के एक फोरम के रूप में की गई थी।
- इस समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- G-20 एक फोरम मात्र है, यह किसी स्थायी सचिवालय या स्थायी कर्मचारी के बिना कार्य करता है, प्रति वर्ष G-20 सदस्य देशों के बीच से इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।
- वर्तमान में G-20 की अध्यक्षता सऊदी अरब (1 दिसंबर, 2019 से 30 नवंबर, 2020 तक) के पास है।

नोट :

उद्देश्य:
- वैश्विक आर्थिक स्थिरता, सतत् विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समूह के सदस्यों के बीच नीतिगत समन्वय स्थापित करना।
- आर्थिक जोखिम को कम करने और भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकने के लिये वित्तीय विनियमन (Financial Regulations) को बढ़ावा देना।
- एक नए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे (New International Financial Architecture) का निर्माण करना।

यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम (US-India Strategic Partnership Forum-USISPF) के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन (Annual Leadership Summit) को संबोधित किया।

प्रमुख बिंदु:
- यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम (US-India Strategic Partnership Forum- USISPF), एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी।
- इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य द्विपक्षीय एवं रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करना है।
- इस संगठन का मुख्य लक्ष्य नीतिगत तरीके से दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को मज़बूत करना है जो आर्थिक विकास, उद्यमशीलता, रोज़गार-सृजन एवं नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिये प्रेरित करेगा।
- इसके अतिरिक्त व्यापारिक एवं आपसी सहयोग को बढ़ावा देना एवं सार्थक अवसर उत्पन्न करने में सक्षम बनाना जिससे नागरिकों के जीवन को सकारात्मक रूप से बदला जा सके।
- 31 अगस्त, 2020 से शुरू हुए इस 5 दिवसीय सम्मेलन की थीम 'संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत के सामने मौजूद नई चुनौतियाँ' (US-India Navigating New Challenges) है।
- वर्ष 2019 में माल एवं सेवाओं के संदर्भ में समग्र यूएसए-भारत द्विपक्षीय व्यापार 149 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
- यूएसए ऊर्जा निर्यात, दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों में वृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।
- रक्षा, व्यापार, वाणिज्यिक विमान सेवाएँ, तेल और कोयला, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में भारत में अमेरिकी निवेश के लिये प्रचुर संभावनाएँ हैं, जबकि भारत के लिये अमेरिकी बाज़ार में मोटर-वाहन, फार्मा, समुद्री उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी तथा यात्रा सेवाओं को बढ़ावा देने के अवसर हैं।

  यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम के 6 स्तंभ:
  1. व्यावसायिक नीति की सिफारिश (BUSINESS POLICY ADVOCACY)
  2. विधायी संबंध (LEGISLATIVE AFFAIRS)
  3. बी-बी-जी अवसर (B-B-G OPPORTUNITIES)
  4. समावेशी विकास (INCLUSIVE DEVELOPMENT)
  5. सामरिक सहयोग (STRATEGIC ENGAGEMENT)
  6. शिक्षा, नवाचार एवं उद्यम (EDUCATION INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP)

'साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी' प्लेटफॉर्म
[South Asia Women in Energy (SAWIE) Platform]:
- यू.एस. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (U.S. Agency for International Development- USAID) और यू.एस. इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (U.S. India Strategic Partnership Forum- USISPF) ने दक्षिण एशिया में ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तीकरण एवं लैंगिक सुग्राहीकरण (Gender Sensitization) को बढ़ावा देने के लिये आधिकारिक तौर पर 'साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी' (South Asia Women in Energy- SAWIE) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।

यू.एस. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (U.S. Agency for International Development- USAID):

- USAID संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो मुख्य रूप से नागरिक विदेशी सहायता एवं विकास सहायता के लिये ज़िम्मेदार है।
- यह दुनिया की सबसे बड़ी आधिकारिक सहायता एजेंसियों में से एक है।
- अमेरिकी कॉन्ग्रेस ने 4 सितंबर, 1961 को विदेशी सहायता अधिनियम (Foreign Assistance Act) पारित किया जिसने अमेरिकी विदेशी सहायता कार्यक्रमों को पुनर्गठित किया एवं आर्थिक सहायता के लिये एक एजेंसी के निर्माण को अनिवार्य बनाया और 3 नवंबर, 1961 को USAID अस्तित्त्व में आई।
- यह पहला अमेरिकी विदेशी सहायता संगठन है जिसका प्राथमिक लक्ष्य दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान देना था।

पूर्वी भू-मध्य सागर में रूस का नौसैनिक अभ्यास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भू-मध्य सागर में रूस द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि वर्तमान में पूर्वी भू-मध्य सागर क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की खोज करने के अधिकार को लेकर तुर्की और इसके तटीय पड़ोसियों ग्रीस तथा साइप्रस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है।
- तुर्की की तरफ से जारी नौवहन नोटिस के अनुसार, इस रूसी नौसैनिक अभ्यास का आयोजन 8-22 सितंबर, 2020 और 17-28 सितंबर के बीच भू-मध्य सागर के क्षेत्रों में किया जाएगा।
- तुर्की की यह घोषणा अमेरिका के उस बयान के बाद आई है जिसमें उसने साइप्रस पर लगे 33 वर्ष पुराने हथियार प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने की घोषणा की थी।
- तुर्की की इस घोषणा पर रूस ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

कारण:

- विशेषज्ञों के अनुसार, रूस पूर्वी भू-मध्य सागर में एक मज़बूत नौसैनिक उपस्थिति रखता है और समय-समय पर नौसैनिक गतिविधियों का आयोजन करता रहता है।
- रूस द्वारा पूर्वी भू-मध्य सागर में नौसैनिक अभ्यास के इस कदम को अमेरिका द्वारा साइप्रस पर हथियार प्रतिबंध हटाने के निर्णय के जवाब क्षेत्र में अपने प्रभुत्त्व और हस्तक्षेप की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है।

हथियार प्रतिबंध पर आंशिक छूट:

- अमेरिका के अनुसार, साइप्रस को गैर-घातक उपकरणों की खरीद की अनुमति प्रदान करने के लिये इस प्रतिबंध को एक वर्ष (नवीनीकरण के विकल्प के साथ) के लिये हटाया जा रहा है।
- ध्यातव्य है कि अमेरिका द्वारा साइप्रस पर वर्ष 1987 में लगाए गए इस प्रतिबंध का उद्देश्य हथियारों की होड़ को रोकना था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा साइप्रस के पुन: एकीकरण के प्रयासों के लिये बाधा उत्पन्न कर सकता था।
- यह प्रतिबंध ग्रीक बाहुल्य आबादी वाले दक्षिणी साइप्रस पर लागू था।

तुर्की का पक्ष :

- तुर्की ने अमेरिका द्वारा साइप्रस पर हथियार प्रतिबंध हटाए जाने के संदर्भ में असंतोष व्यक्त किया है।
- तुर्की के अनुसार, अमेरिका का यह कदम तुर्की-अमेरिका 'गठबंधन की भावना' (spirit of alliance) के खिलाफ है।
- तुर्की ने यह भी चेतावनी दी है कि अमेरिका के इस निर्णय से साइप्रस के पुन: एकीकरण के प्रयासों को क्षति पहुँचेगी।

नोट :

The Vision

पृष्ठभूमि:

- पिछले कुछ वर्षों में तुर्की इस क्षेत्र खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की खोज को लेकर काफी आक्रामक हुआ है, जो क्षेत्र के अन्य देशों के साथ तुर्की के तनाव का सबसे बड़ा कारण बन गया है।
- हाल ही में इस विवादित क्षेत्र में तुर्की-ग्रीस गतिरोध में हुई वृद्धि के बीच दोनों देशों के युद्दपोतों की सक्रियता भी बढ़ गई है।
- पिछले दिनों तनाव को बढ़ता हुआ देख फ्राँस ने भी इस क्षेत्र में ग्रीस के समर्थन में अपने युद्ध पोत तैनात कर दिये थे।

रूस-तुर्की संबंध:

- हाल के वर्षों में तुर्की और रूस के बीच सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई है।
- सीरिया में सैन्य उपस्थिति के मामले में दोनों देशों के बीच समन्वय देखने को मिला है।
- तुर्की ने रूस से 'एस-400 मिसाइल प्रणाली' (S-400 Missile System) की खरीद की है साथ ही वह एक रूस निर्मित परमाणु उर्जा संयंत्र की स्थापना की योजना पर कार्य कर रहा है।
- गौरतलब है कि तुर्की 'उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन' या नाटो (NATO) समूह का सक्रिय सदस्य है।

भारत पर प्रभाव:

- भू-मध्य सागर क्षेत्र में अस्थिरता का प्रभाव यहाँ रह रहे अप्रवासी भारतीयों के दैनिक जीवन और उनकी आजीविका पर पड़ सकता है, जो वर्तमान में COVID-19 महामारी के बीच एक बड़ी समस्या हो सकती है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत द्वारा कुल आयातित खनिज तेल में लगभग 4.5% भू-मध्य सागर क्षेत्र से था, ऐसे में भारत की ऊर्जा ज़रूरतों पर वर्तमान गतिरोध का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- परंतु भारत के लिये तेल आयात के दौरान किसी एक देश पर निर्भरता को कम करने और तेल आयात स्रोतों के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से क्षेत्र की स्थिरता बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
- पिछले कुछ वर्षों में तुर्की कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने और भारत के कई अन्य आतंरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है।
- वर्तमान क्षेत्र के तनाव में रूस की भागीदारी से भारत के लिये किसी पक्ष का समर्थन का निर्णय और अधिक जटिल हो जाएगा।

तुर्की-साइप्रस विवाद और साइप्रस विभाजन :

- वर्ष 1974 में साइप्रस में ग्रीस समर्थक समूह के तख्तापलट के बाद तुर्की ने ग्रीस पर हमला कर दिया और तबसे यह द्वीपीय देश दो हिस्सों में विभाजित है।
- दक्षिण के ग्रीक बाहुल्य भाग की सरकार को ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है जबकि उत्तर के तुर्क बाहुल्य क्षेत्र को सिर्फ तुर्की से एक स्वतंत्र देश की मान्यता प्राप्त है।
- वर्तमान में उत्तरी साइप्रस में तुर्की के 35,000 से अधिक सैनिक तैनात हैं।

निष्कर्ष:

भू-मध्य सागर के इस विवादित क्षेत्र की जटिल भौगोलिक अवस्थिति, सीमाओं के निर्धारण में स्पष्टता के अभाव और ऊर्जा संसाधनों पर अधिकार की होड़ के बीच यह क्षेत्र वर्तमान में वैश्विक राजनीति में विवाद का एक नया केंद्र बन गया है। इस विवाद में अन्य देशों के शामिल होने के साथ-साथ यह समस्या और अधिक जटिल होती जा रही है। ऐसे में इस क्षेत्र के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिये इस विवाद के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुपक्षीय प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

रूस-जर्मनी के बीच तनाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूस और जर्मनी के बीच रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी (Alexei Navalny) को जहर देने को लेकर तनाव गहरा गया है।

- उपरोक्त संदर्भ में जर्मनी ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है जिसके प्रत्युत्तर में रूस ने जर्मनी पर इस मामले की जाँच में देरी करने का आरोप लगाया है।

प्रमुख बिंदु:

- अलेक्सी नवलनी, रूस के विपक्षी नेता और भ्रष्टाचार-विरोधी प्रचारक हैं। गौरतलब है कि अलेक्सई नवलनी (Alexei Navalny) बर्लिन के एक अस्पताल में कोमा में है।
- जर्मनी ने दावा किया है कि अलेक्सई नवलनी को जहर देने के लिये सोवियत युग के नोविचोक नामक एक नर्व एजेंट (विषाक्त जहर) का प्रयोग किया गया था।
  - यह जर्मनी की तरफ से अब तक लगाए गए सबसे मज़बूत आरोपों में से एक है कि इस घातक पदार्थ (नोविचोक) का उपयोग रूसी अधिकारियों द्वारा अतीत में भी किया गया है।
- जर्मनी जो वर्तमान में यूरोपीय संघ (European Union) का अध्यक्ष है, ने कहा है कि यदि रूस अलेक्सई नवलनी मामले में स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है तो वह यूरोपीय संघ की बैठक में रूस के खिलाफ संभावित प्रतिबंधों पर चर्चा करेगा।
  - विश्लेषक अनुमान लगा रहे है कि यूरोपीय संघ 'नॉर्ड स्ट्रीम 2' (Nord Stream 2) पर प्रतिबंधों को लेकर चर्चा कर सकता है जो रूसी सरकार की एक महत्त्वपूर्ण ऊर्जा निर्यात परियोजना है।

'नॉर्ड स्ट्रीम 2' (Nord Stream 2):

- इस ऊर्जा निर्यात परियोजना के तहत बाल्टिक सागर (Baltic Sea) के माध्यम से रूस से जर्मनी तक लगभग 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन का निर्माण करना है।

बाल्टिक सागर (Baltic Sea):

- बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की ही एक शाखा है जो डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड, रूस और उत्तर व मध्य यूरोपीय मैदान से घिरा हुआ है।

बाल्टिक देश:

- बाल्टिक देशों में यूरोप का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं।
- बाल्टिक देश पश्चिम और उत्तर में बाल्टिक सागर से घिरे हुए हैं जिसके नाम पर क्षेत्र का नाम रखा गया है।
- वर्ष 1991 में इन देशों की चुनी हुई तत्कालीन सरकारों ने जनता के भारी समर्थन के साथ सोवियत संघ सोशलिस्ट रिपब्लिक (Union of Soviet Socialist Republics-USSR) से स्वतंत्रता की घोषणा की।
- बाल्टिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध नहीं है। हालाँकि एस्टोनिया खनिज तेल उत्पादक है लेकिन इस क्षेत्र में खनिज और ऊर्जा संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है।
- इस परियोजना का निर्माण पहले से ही निर्मित नॉर्ड स्ट्रीम के साथ-साथ किया जाएगा जिससे बाल्टिक सागर के माध्यम से प्रति वर्ष 110 बिलियन क्यूबिक मीटर तक गैस की मात्रा को दोगुनी हो जाएगी।

लाभ:

- इस परियोजना का उद्देश्य यूरोप को स्थायी गैस आपूर्ति प्रदान करना है जबकि इस परियोजना के माध्यम से रूस को प्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय गैस बाज़ार तक पहुँचने का अवसर मिल जाएगा।
- इस परियोजना का प्रस्तावित मार्ग तीन अन्य देशों फिनलैंड, स्वीडन एवं डेनमार्क के प्रादेशिक जल एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone- EEZ) से होकर गुजरता है।
  - इन देशों की सरकारों एवं स्थानीय अधिकारियों को पाइपलाइन में निवेश एवं रोज़गार से आर्थिक रूप से लाभ होगा।

नोट :

सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ और आलोचना:

- इस परियोजना की संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के पूर्वी पड़ोसियों जैसे- पोलैंड एवं चेक गणराज्य आदि ने आलोचना की है।
    - इन देशों का मानना है कि साझा बाज़ार के लिये रूस पर निर्भरता यूरोपीय संघ के रणनीतिक हितों के लिये खतरा है।
- यह पाइपलाइन रूस को बाल्टिक सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने और विभिन्न देशों के नौसैनिक जहाज़ों की गतिविधियों से संबंधित सैन्य सूचनाएँ प्रसारित करने में सक्षम बनाएगी।

भारत-चीन रक्षा मंत्रालय स्तरीय बैठक

चर्चा में क्यों

4 सितंबर 2020 को मास्को (रूस) में भारत-चीन के मध्य शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के समय रक्षा मंत्री स्तर की बैठक हुई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक का महत्त्व: पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सीमा विवाद के शुरू होने के बाद से भारत और चीन के मध्य यह पहली उच्च स्तरीय राजनीतिक आमने-सामने की बैठक हुई।
- भारत ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ सभी बिंदुओं पर यथास्थिति की बहाली के लिये ज़ोर दिया और सैनिकों की शीघ्र वापसी के लिये आह्वान किया।
- पृष्ठभूमि:
    - भारतीय और चीनी सेनाएँ पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी में गतिरोध की स्थिति में हैं।
        - पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर कार्रवाई न केवल क्षेत्रीय लाभ के लिये है, बल्कि इस संसाधन-समृद्ध झील पर अधिक वर्चस्व से संबंधित विवाद है।
        - पैंगोंग त्सो को ऊपरी तौर पर फिंगर एरिया के रूप में देखा जाता है - सिरिजाप श्रृंखला (झील के उत्तरी किनारे पर) से विस्तृत आठ चट्टानों का एक समूह।
    - हाल के वर्षों में भारत ने जो बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ शुरू की हैं, उसके कारण लद्दाख की गलवान घाटी में गतिरोध बढ़ गया है। भारत एक रणनीतिक महत्त्व की सड़क, दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (डीएसडीबीओ) का निर्माण कर रहा है जो गलवान घाटी के माध्यम से चीन के नज़दीकी क्षेत्र को हवाई पट्टी से जोड़ती है।
    - चीन क्षेत्र में किसी भी भारतीय निर्माण का विरोध करता है। गलवान क्षेत्र में एक गतिरोध वर्ष 1962 के युद्ध के सबसे बड़े उत्तेजक कारणों में से एक था।

वास्तविक नियंत्रण रेखा

- LAC वह सीमांकन है जो भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। भारत LAC को 3,488 किमी. लंबा मानता है, जबकि चीन इसे लगभग 2,000 किमी. लंबा मानता है।
- इसे तीन क्षेत्रों में बाँटा गया है:
    - पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में नियंत्रण रेखा का सीमांकन करता है।
    - मध्य क्षेत्र उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ।
    - लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र।
- लद्दाख में भारत-चीन LAC वर्ष 1962 के युद्ध के बाद चीन द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमित किये गये क्षेत्र का एक परिणाम है।

SCO में भारत का वक्तव्य

- शांति एवं समृद्धि: भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के मध्य शांतिपूर्ण, स्थिर एवं सुरक्षित क्षेत्र पर बल दिया।

नोट :

- इस क्षेत्र में समृद्धि एवं स्थिरता, विश्वास और सहयोग, गैर-आक्रामकता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति सम्मान, एक-दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशीलता तथा मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान की माँग करती हैं।
  - भारत एक वैश्विक सुरक्षा ढाँचे के विकास के लिये प्रतिबद्ध है जो मुक्त, पारदर्शी, समावेशी, नियम आधारित एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार होगा।
  - क्षेत्रीय स्थिति
  - अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति
    - एससीओ सदस्य देशों के मध्य औपचारिक समझौते पर पहुँचने के लिये अफगानिस्तान पर एससीओ संपर्क समूह उपयोगी है।
    - वर्ष 2005 में इसकी कल्पना की गई थी और वर्ष 2017 में उप विदेश मंत्रियों के स्तर पर इसे कार्रवाई के लिये लाया गया था।
    - यह समूह सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों में सहयोग बढ़ाने के लिये संयुक्त कार्यों की परिकल्पना करता है।
  - खाड़ी क्षेत्र: भारत ने खाड़ी देशों से "आपसी सम्मान, संप्रभुता एवं एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप" पर आधारित संवाद द्वारा उनके मध्य मतभेदों को हल करने का आह्वान किया।
- आतंकवाद: भारत आतंकवाद के सभी रूपों एवं आविर्भाव की निंदा करता है, और आतंकवाद प्रस्तावकों की निंदा करता है तथा भारत पारंपरिक, गैर-पारंपरिक दोनों खतरों से निपटने के लिये संस्थागत क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता पर बल देता है - इन सबसे भी ऊपर भारत आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और अंतरराष्ट्रीय अपराध पर बल देता है।

शंघाई सहयोग संगठन

- इसका गठन वर्ष वर्ष 2001 में हुआ था और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है।
- भौगोलिक विस्तार: एससीओ एक महत्त्वपूर्ण संगठन है जिसका एक विशाल भौगोलिक विस्तार है और मध्य एशिया, दक्षिण-एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - यह एक प्रमुख यूरेशियाई संगठन है जो विश्व की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
  - यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है।
- सदस्य राष्ट्र: एससीओ में भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित आठ सदस्य राष्ट्र हैं एवं चार पर्यवेक्षक राष्ट्र- अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं।
  - रूस के आग्रह पर भारत वर्ष 2017 में एससीओ में शामिल हुआ और चीन ने पाकिस्तान के प्रवेश के साथ एससीओ में भारत के प्रवेश को संतुलित किया।
- स्थायी निकाय: संगठन के दो स्थायी निकाय हैं - बीजिंग (चीन) स्थित SCO सचिवालय और ताशकंद (उजबेकिस्तान) में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति।
- महत्त्व: इसमें उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन को संतुलित करने की क्षमता है।
- अधिदेश: SCO का एक उभरता अधिदेश है जो इसके आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन होने के कारण शुरू हुआ।

आगे की राह

- अप्रैल 2020 में, भारत और चीन ने अपने 70 साल के राजनयिक संबंधों को पूरा किया। दोनों पक्षों को स्वीकार करना चाहिये कि स्थिति संकटपूर्ण है, और विशेष रूप से हाल के दिनों में विश्वास-योग्य तंत्र के दशकों का श्रम व्यर्थ हुआ है।
- एससीओ के मंच के माध्यम से, भारत के पास भारतीय विदेश नीति के वास्तविक मूल्यों को उजागर करने का एक स्पष्ट अवसर है।

नोट :

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और भारत

चर्चा में क्यों?

इंडो-पैसिफिक यानी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्राँस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- विदेश मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी बयान के अनुसार, बैठक के दौरान मुख्य तौर पर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- इसके अलावा बैठक में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के मद्देनज़र समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला बनाने पर भी चर्चा की गई।
  - समुद्री सुरक्षा सहयोग के अंतर्गत मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA), पारस्परिक रसद समर्थन और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मैत्रीपूर्ण देशों की क्षमता निर्माण में सहायता जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- बैठक में तीनों पक्षों ने कोरोनावायरस महामारी के संदर्भ में उभरती चुनौतियों पर भी चर्चा की, जिसमें हिंद महासागर के देशों पर महामारी का वित्तीय प्रभाव भी शामिल है।
- तीनों देशों ने वार्षिक आधार पर इस वार्ता को जारी रखने की भी बात की है।

महत्त्व

- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में फ्राँस और ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रमुख भागीदार हैं और इस बैठक से तीनों देशों को विगत वर्षों में द्विपक्षीय माध्यम से हासिल हुई प्रगति को और आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ।
- ऑस्ट्रेलिया और फ्राँस, इंडो-पैसिफिक तथा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिये प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में सामने आए हैं और बीते कुछ वर्षों में तीनों देशों के सहयोग में, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में, काफी वृद्धि हुई है।
  - उदाहरण के लिये भारत ने दोनों देशों (फ्राँस और ऑस्ट्रेलिया) के साथ रसद समझौते (Logistics Agreements) किये हैं।
- ध्यातव्य है कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार का सामना करने के लिये भारत, फ्राँस और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि इन देशों के पास चीन की चुनौती का सामना करने के लिये पर्याप्त क्षमता मौजूद है।
- यह त्रिपक्षीय वार्ता 'क्वाड' (Quad) देशों- जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं- के अतिरिक्त है जिससे यह चीन के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध निर्मित हो रहे वैश्विक गठबंधन को अधिक कूटनीतिक शक्ति प्रदान करेगा।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का अर्थ

- जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हिंद (Indo) यानी हिंद महासागर (Indian Ocean) और प्रशांत (Pacific) यानी प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है, उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Area) कहते हैं। वहीं इस क्षेत्र में शामिल देशों को 'इंडो-पैसिफिक देशों' की संज्ञा दी गई है।
- यद्यपि यह अभी विकास की प्रक्रिया से गुज़र रही एक अवधारणा है, किंतु कई विश्लेषक इस अवधारणा को पश्चिम से पूर्व की ओर सत्ता तथा प्रभाव के स्थानातंरण की तरह देखते हैं।
- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का भौगोलिक प्रसार अभी तक सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग हितधारकों ने इसे अलग-अलग तरह से मान्यता दी है।
  - उदाहरण के लिये अमेरिका के लिये यह क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है, जो कि यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड की भौगोलिक सीमा है, जबकि भारत के लिये इसमें पूरा हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर शामिल है।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का महत्त्व

- वर्तमान में हम कह सकते हैं कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र विश्व में आर्थिक विकास का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बना हुआ है। विश्व की चार बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ यथा- अमेरिका, चीन, जापान और भारत इसी क्षेत्र में स्थित हैं, जो कि इस क्षेत्र की महत्ता को काफी अधिक बढ़ा देते हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र या तो विश्व के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने वाले एक इंजन के तौर पर कार्य कर सकता है या फिर विश्व की अर्थव्यवस्था के विध्वंसक के रूप में कार्य कर सकता है।
- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र संपूर्ण विश्व में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में अनिवार्य भूमिका अदा कर सकता है।
- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश (चीन), सबसे अधिक आबादी वाला लोकतांत्रिक देश (भारत) और सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम बहुल राज्य (इंडोनेशिया) शामिल हैं, जिसके कारण यह देश भू-राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
  - दुनिया की दस सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से सात इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शामिल हैं, यही कारण है कि अमेरिका के मतानुसार, 'इंडो-पैसिफिक क्षेत्र अमेरिका के भविष्य के लिये सबसे अधिक परिणामी क्षेत्र है।'

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की अभी तक कोई स्पष्ट परिभाषा मौजूद नहीं है और सभी देश अपने-अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रख कर इसे परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं।
- जानकारों का मानना है कि विगत कुछ वर्षों में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र अमेरिका और चीन की प्रतिद्वंद्विता का एक नया केंद्र बिंदु बन गया है, इस क्षेत्र की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं (अमेरिका और चीन) के बीच व्यापार युद्ध तथा तकनीकी प्रतिस्पर्द्धा के कारण इस क्षेत्र के अन्य देशों और संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

भारत और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र

- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के कई देश खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडोनेशिया आदि भारत की भूमिका को इस क्षेत्र में काफी महत्त्वपूर्ण मानते हैं। ये सभी देश दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन का मुकाबला करने के लिये भारत को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं।
- हालाँकि भारत इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करने को तत्पर है, भारत के लिये इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का अर्थ एक मुक्त, खुले और समावेशी क्षेत्र से है।
- भारत हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सभी देशों और उन सभी देशों को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की परिभाषा में शामिल करता है, जिनके हित इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।
- इस प्रकार भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की अमेरिकी परिभाषा का अनुपालन नहीं करता है, जिसका एकमात्र लक्ष्य चीन की प्रभाव को सीमित करना अथवा समाप्त करना है।

भारत-जापान लॉजिस्टिक्स समझौता

चर्चा में क्यों?

भारत और जापान ने भारत के सशस्त्र बलों तथा जापान के आत्मरक्षा बलों के मध्य आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान (Mutual Logistics Support Arrangement- MLSA) के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं। इस अनुबंध पर भारत के रक्षा सचिव और जापान के राजदूत ने हस्ताक्षर किये।

समझौते के प्रमुख बिंदु

- द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधियों, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के ऑपरेशन, मानवतावादी अंतर्राष्ट्रीय राहत और पारस्परिक रूप से सहमत अन्य गतिविधियों में संलग्न रहते हुए आपूर्ति और सेवाओं के परस्पर प्रावधान से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिये एक सक्षम ढाँचे की स्थापना की जा सकेगी।

नोट :

- यह अनुबंध भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच अंत:सक्रियता बढ़ाने के साथ-साथ दोनों देशों के मध्य विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा गतिविधियों में वृद्धि करेगा।
- अनुबंध में सम्मिलित आपूर्ति और सेवाओं में भोजन, पानी, परिवहन (एयरलिफ्ट भी सम्मिलित), पेट्रोलियम, कपड़े, संचार, चिकित्सा सेवाएँ, सुविधाओं और घटकों का उपयोग एवं मरम्मत तथा रखरखाव सेवाएँ आदि सम्मिलित हैं।
- यह समझौता 10 वर्ष तक लागू रहेगा। इसके पश्चात् 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वचालित रूप से बढ़ा दिया जाएगा, अगर दोनों में से कोई पक्ष इसे समाप्त करने का निर्णय नहीं लेता है।

भारत के अन्य देशों के साथ लॉजिस्टिक्स समझौते

- भारत द्वारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, ओमान और सिंगापुर के साथ इसी तरह के आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के (MLSA) समझौते किये गए हैं।
- भारत वर्ष 2016 में अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) में शामिल हुआ, जो भारत को जिबूती, डिएगो गार्सिया, गुआम और सुबिक की खाड़ी में पहुँच प्रदान करता है।
- वर्ष 2018 में भारत ने फ्राँस के साथ भी इसी तरह का समझौता किया था। मेडागास्कर और जिबूती के निकट रीयूनियन द्वीप समूह में फ्रांसीसी नौसेना बेस स्थिति के कारण यह भारतीय नौसेना को दक्षिण-पश्चिमी हिन्द महासागर क्षेत्र में पहुँच प्रदान करता है।
- ऑस्ट्रेलिया के साथ MLSA भारत को दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र के साथ-साथ पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की पहुँच बढ़ाने में मदद करेगा।

MLSAs की भारत के लिये महत्ता

- अगस्त 2017 में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाने के पश्चात् से ही चीन हिंद महासागर क्षेत्र में तीव्र विस्तार की रणनीति अपना रहा है। चीन की इस विस्तारवाद की रणनीति की पृष्ठभूमि में भारत के लिये इस प्रकार के समझौते महत्त्वपूर्ण हैं।
- चीन निश्चित रूप से अपनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों के लिये पाकिस्तान में कराची और ग्वादर बंदरगाहों तक पहुँच रखता हैं। यह कंबोडिया, वानुअतु और अन्य देशों में सैन्य बेस बनाने के लिये भी प्रयास कर रहा है ताकि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को और अधिक मज़बूत किया जा सके।
- भारत के करीब किसी भी समय हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन के छह से आठ युद्धपोत तैनात हैं। अपने नौसैनिक बलों का आधुनिकीकरण करते हुए चीन ने लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों और एंटी-शिप क्रूज़ मिसाइलों से लेकर पनडुब्बियों तथा विमानवाहक पोतों तक पिछले छह वर्षों में 80 से अधिक युद्धपोतों का संचालन किया है।

आगे की राह

- समुद्री क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिये फोकस का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (MDA) को बढ़ाने के लिये दोनों देशों ने भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JMSDF) के बीच गहन सहयोग के लिये कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किये हैं।
- विदेशी नौसेनाओं के साथ अधिक बातचीत और अभ्यास करने के कारण लॉजिस्टिक्स समझौतों का सर्वाधिक लाभ नौसेना को होता है। उच्च सागरों पर काम करते समय या मानवीय सहायता मिशन के दौरान ईंधन, भोजन और अन्य आवश्यकताओं का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

LAC पर तनाव कम करने के लिये 5 सूत्रीय योजना पर सहमति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (Line of Actual Control- LAC) पर लगभग 4 महीने से चल रहे तनाव को कम करने के लिये एक पाँच-सूत्री योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत और चीन के विदेश मंत्री ने रूस में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) की विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग एक द्विपक्षीय बैठक में सीमा विवाद पर बातचीत की।
- इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है।
- सीमा पर तनाव को कम करने के लिये दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत योजना के पाँच बिंदु निम्नलिखित हैं -

1. मतभेदों को विवाद न बनने देना: दोनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों पक्षों को भारत-चीन संबंधों के विकास पर शीर्ष नेताओं के बीच हुई सहमतियों (वुहान और महाबलीपुरम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन) से मार्गदर्शन लेना चाहिये जिसमें मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना भी शामिल है।
2. सीमा से सेनाओं को पीछे लाना: दोनों विदेश मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। अत: दोनों पक्षों के सीमा सैनिकों को संवाद जारी रखना चाहिये, साथ ही उन्हें शीघ्र ही पीछे हटना चाहिये और तनाव कम करना चाहिये।
3. भारत-चीन सीमा प्रोटोकॉल का पालन : दोनों पक्षों को भारत-चीन सीमा मामलों पर सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने पर भी सहमति व्यक्त की गई जो तनाव को आगे बढ़ा सकती है।
4. संवाद जारी रखना: दोनों पक्षों ने सीमा से जुड़े मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधियों (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी) के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही भारत-चीन सीमा मामलों पर 'परामर्श और समन्वय हेतु कार्य तंत्र' (Working Mechanism for Consultation and Coordination- WMCC) की बैठकों को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई। गौरतलब है कि WMCC की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी।
5. परस्पर विश्वास बढ़ाने के लिये नए कदम उठाना: दोनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, दोनों पक्षों को सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को बढ़ाने के लिये नए विश्वास निर्माण उपायों (Confidence Building Measures) पर कार्य में तेज़ी लानी चाहिये।

भारत सरकार का पक्ष:

- इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री ने वर्ष 1976 में दोनों देशों के बीच राजदूत स्तर के संबंधों की बहाली और वर्ष 1981 की सीमा वार्ता के बाद से दोनों देशों के संबंधों की मज़बूती में हुई वृद्धि को रेखांकित किया।
- भारतीय विदेश मंत्री ने LAC पर भारी संख्या में चीनी सैनिकों और सैन्य उपकरणों की उपस्थिति पर चिंता व्यक्त की और इसे वर्ष 1993 और वर्ष 1996 के समझौतों का उल्लंघन बताया।
    - गौरतलब है कि वर्ष 1993 के समझौते के तहत दोनों देशों द्वारा LAC पर सेना की उपस्थिति को कम-से-कम करने और शांति तथा स्थिरता बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की गई थी।
    - वर्ष 1996 के समझौते के तहत LAC पर शांति बनाए रखने के अन्य प्रयासों के साथ बड़े हथियारों [जैसे-युद्धक टैंक, इन्फैंट्री लड़ाकू वाहन, बंदूकें (हॉवित्ज़र सहित) 75 मिमी या बड़े कैलिबर, 120 मिमी या बड़े कैलिबर के मोर्टार, सतह से सतह पर मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें आदि] को सीमित करने की बात कही गई थी।
- भारतीय पक्ष ने स्पष्ट किया कि सीमा पर पूर्व के सभी समझौतों के पालन की उम्मीद करता है और सीमा पर यथास्थिति बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास का भारत द्वारा समर्थन नहीं किया जाएगा।
- साथ ही इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि भारतीय सैनिकों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी समझौतों और प्रोटोकॉलों का गहराई से पालन किया गया है।

परिणाम :

- दोनों पक्षों के विदेश मंत्रियों की बैठक का उद्देश्य 'सेनाओं को पीछे लाने के सिद्धांतों और लक्ष्यों' पर सहमति स्थापित करना था, जिसे प्राप्त कर लिया गया है।

नोट :

- हालाँकि दोनों पक्षों के बीच शांति और स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि सीमा पर दोनों देशों की सेनाएँ कितनी जल्दी अपनी सामान्य चौकियों पर लौटती हैं।
  - गौरतलब है कि कई स्थानों पर दोनों देशों की सामान्य चौकियों की दूरी लगभग 25-30 किमी है।

चीन के रवैये में बदलाव का कारण:

- भारत-चीन सीमा पर हालिया तनाव की स्थिति की शुरुआत के साथ ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चीन को विश्वास था कि भारत के पास LAC पर चीन के दावों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
- चीन का यह मत उसके द्वारा शुरूआती महीनों में सेना को पीछे न ले जाने, उपेक्षापूर्ण कूटनीतिक रवैये और सीमा पर आक्रामकता में वृद्धि से भी स्पष्ट होता है।
- हालाँकि इस दौरान भारत द्वारा चीन से 'पूर्ववत स्थिति' बनाए रखने की मांग का तब तक कोई प्रभाव नहीं हुआ जबतक भारतीय सेना ने आगे बढ़कर कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्ज़ा करते हुए चीनी सेना को चुनौती दी।
  - इसके साथ ही भारत द्वारा चीन पर कई प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए, जैसे-चीनी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर सख्ती, सार्वजनिक खरीद नियमों में परिवर्तन और चीनी मोबाइल एप पर प्रतिबंध आदि।
- विशेषज्ञों के अनुसार, भारत द्वारा चीनी आक्रामकता का जवाब देने की राजनीतिक इच्छाशक्ति और इसका समर्थन करने की सैन्य क्षमता के प्रदर्शन ने संभवत: चीन को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिये विवश किया।

चुनौतियाँ:

- इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा पर तनाव कम करने की बात स्वीकार की परंतु किसी भी वक्तव्य में दोनों पक्षों द्वारा सेनाओं को 'पूर्व स्थिति' या अप्रैल के तनाव के पहले के स्थान पर लौटने की बात को स्पष्ट नहीं किया गया है।

आगे की राह:

- पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच विदेश मंत्रियों की इस बैठक में हुई बातचीत एक बड़ी उपलब्धि है।
- हालाँकि चीन द्वारा इससे पहले भी कई बार तनाव को कम करने पर सहमति व्यक्त करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
- LAC के हालिया तनाव के दौरान दोनों देशों में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ा है जो सीमा पर शांति और स्थिरता के प्रयासों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देता है।

UK आंतरिक बाज़ार विधेयक , 2020

चर्चा में क्यों ?

यूनाइटेड किंगडम का नया आंतरिक बाज़ार विधेयक (UK Internal Market Bill) यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर इसके प्रभावों के चलते विवादों में आ गया है।

प्रमुख बिंदु

विधेयक के बारे में:

- इस विधेयक को EU से बाहर निकलने के समय (2020 के ट्रांज़ीशन पीरियड) के बाद UK में "रोज़गार और व्यापार की रक्षा" के लिये तैयार किया गया है।
  - EU से बाहर आने के लिये की गई संधि के तहत, दिसंबर 2020 तक इस ट्रांज़ीशन पीरियड को अंतिम रूप दिया जाना है।
- यह विधेयक UK सरकार को स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएगा तथा सरकार को पूर्व में यूरोपीय संघ द्वारा प्रशासित करदाताओं के पैसे को खर्च करने के नए अधिकार भी प्रदान करेगा।
- यह मंत्रियों को विशेष रूप से व्यापार और राज्य सहायता पर विनियमों को पारित करने का भी अधिकार देगा, भले ही वे आयरिश बैकस्टॉप (जिसे पहले उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता था) के रूप में पहचाने जाने वाले यूरोपीय संघ के तहत हुए पहले के समझौते के विपरीत हों।

- आयरिश बैकस्टॉप UK और यूरोपीय संघ के बीच एक मसौदा समझौता है जिसका उद्देश्य UK द्वारा यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद आयरलैंड में मज़बूती से सीमा की रोकथाम (सीमा शुल्क अधिकारियों और पुलिस की तैनाती के साथ ऑथराइज़्ड क्रॉसिंग पॉइंट की सीमित संख्या) करना है।
- संक्रमण अवधि समाप्त होने के बाद उत्तरी आयरलैंड UK की एकमात्र ऐसी ज़मीनी सीमा होगी जो EU से जुड़ती होगी।

- UK का मानना है कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के बीच सुगम व्यापार के लिये यह विधेयक आवश्यक है, और यह COVID-19 महामारी से उबरने में भी मदद करेगा।

वर्तमान प्रणाली:

- वर्तमान में UK यूरोपीय एकल बाज़ार का एक हिस्सा है, जिसमें संयुक्त रूप से पूरे महाद्वीप में लागू होने वाले नियमों और मानकों पर सहमति बनी हुई है।
- ब्रेक्ज़िट के बाद UK इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में एक संयुक्त और "आंतरिक बाज़ार" की व्यवस्था को जारी रखना चाहता है।
- ब्रेक्ज़िट के कारण खाद्य और वायु गुणवत्ता तथा पशु कल्याण जैसी चीजों के विषय में नियम और कानून केवल ब्रिटेन में ही बनाए जाने हैं, लेकिन इस बात पर संघर्ष बना हुआ है कि इन नियमों और कानूनों के संदर्भ में अंतिम अधिकार चार देशों में से किसके पास होना चाहिये।

आलोचना:

- इसे एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष के मंच के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन व्यवस्थापित प्रशासन इसे उनके अधिकार क्षेत्र को हथियाए जाने का एक विकल्प मानते हैं।
- EU की वापसी की संधि (Withdrawal Treaty) के तहत, इंग्लैंड को उत्तरी आयरलैंड के लिये किसी भी व्यवस्था पर ब्रुसेल्स (EU का मुख्यालय) के साथ सहयोग करना होगा, इस तरह के मामलों को वह स्वयं से तय नहीं कर सकता है।
- स्कॉटलैंड का मानना है कि नया विधेयक इंग्लैंड द्वारा स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में व्यवस्थापित प्रशासन से सत्ता हथियाने का एक उपाय है।
- सभी चार देशों को किसी एक देश में निर्धारित मानकों पर वस्तुओं को स्वीकार करना होगा जिसके चलते स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता के नियंत्रण को लेकर आशंका की स्थिति बनी हुई है। यदि इंग्लैंड कोई ऐसे मानक निर्धारित करता है जो बाकी तीनों देशों के लिये व्यावहारिक या लाभदायक साबित नहीं होते है तो इससे तनाव बढ़ेगा ।
  - इसके अलावा, मौजूदा प्रस्तावों के तहत, किसी भी विवाद को आंतरिक बाज़ार के लिये स्थापित किये जाने वाले एक नई व्यवस्था द्वारा सुलझाया जाएगा।

तालिबान को लेकर भारत की बदलती रणनीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर (दोहा) में होने वाली अंतर-अफगान वार्ता (Intra-Afghan Talks) के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- अंतर-अफगान शांति वार्ता में भारत की उपस्थिति यह इंगित करती है कि भारत ने अफगानिस्तान में ज़मीनी हकीकत एवं बदलते सत्ता ढाँचे को देखते हुए अपनी रणनीति बदल दी है।
  - गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी निकटता के कारण एक अहम बढ़त दिलाई है।
- हालाँकि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, भारत ने एक पक्ष के रूप में अफगान सरकार की उपस्थिति के कारण इस समारोह में भाग लिया। जबकि भारत अभी भी तालिबान को मान्यता नहीं देता है।

भारत का मत:

- भारत का मानना है कि कोई भी शांति प्रक्रिया अफगान सरकार के नेतृत्त्व वाली, अफगान सरकार के स्वामित्त्व वाली और अफगान सरकार द्वारा नियंत्रित होनी चाहिये। अर्थात्
  - इसमें अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिये और मानव अधिकारों एवं लोकतंत्र को बढ़ावा दिये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये।
  - इस शांति वार्ता में अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक इस्लामी गणराज्य की स्थापना में हुई प्रगति को संरक्षित करने की भी आवश्यकता है।
- अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों को संरक्षित किया जाना चाहिये और अफगानिस्तान एवं उसके पड़ोस में हिंसा के मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाना चाहिये।
- भारतीय हितों जिसमें अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास एवं भारतीय कंपनियाँ व श्रमिक शामिल हैं, को भी संरक्षित किया जाना चाहिये।
- भारत एक 'स्वतंत्र एवं संप्रभु' अफगानिस्तान का समर्थन करता है। 'स्वतंत्र एवं संप्रभु' शब्दों का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान एवं आईएसआई द्वारा अफगानिस्तान को नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिये।

पृष्ठभूमि:

- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने तालिबान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी का मार्ग प्रशस्त किया और अफगानिस्तान में 18 वर्ष के युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक मार्ग प्रशस्त किया।
- इस शांति समझौते से दो प्रक्रियाओं के शुरू होने की उम्मीद बनी थी:
  1. अमेरिकी सैनिकों की चरणबद्ध वापसी
  2. अंतर-अफगान वार्ता
- यह समझौता अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया के लिये व्यापक और स्थायी युद्ध विराम तथा भविष्य के लिये एक राजनीतिक रोडमैप देने का एक बुनियादी कदम था।

अफगानिस्तान में भारत के हित:

- अफगानिस्तान में स्थिरता बनाए रखने में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है। भारत द्वारा अफगानिस्तान के विकास में काफी संसाधन लगाए गए हैं। जैसे-अफगान संसद (Afghan Parliament), ज़रीन-डेलारम राजमार्ग (Zaranj-Delaram Highway), अफगानिस्तान-भारत मैत्री बांध (सलमा बांध) Afghanistan-India Friendship Dam (Salma Dam) इत्यादि का निर्माण अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है।

उभरते मुद्दे:

- भारत, तालिबान के पाकिस्तान की आईएसआई के साथ संबंध और अफगानिस्तान में भारत के हितों को लक्षित करने वाले हक्कानी नेटवर्क के प्रयासों से चिंतित है।
  - पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भारत की किसी भी सुरक्षा भूमिका का विरोध करता है और भारत की मौजूदगी को अपने हितों के लिये हानिकारक मानता है।
- तालिबान का जैश-ए-मुहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तोइबा (LeT) से भी संबंध है जो भारत के खिलाफ विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं।
- भारत ने अभी भी तालिबान को मान्यता नहीं दी है। हालाँकि यदि भारत, तालिबान के साथ प्रत्यक्ष बातचीत करने के विकल्प पर विचार करता है तो यह केवल मान्यता प्राप्त सरकारों के साथ कार्य करने की अपनी सुसंगत नीति से अलग कदम होगा।

आगे की राह:

- भारत को अफगानिस्तान के भविष्य के लिये केंद्रित सभी शक्तियों से निपटने के लिये अपने निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करने और अपने दृष्टिकोण में अधिक सर्वव्यापी होने की आवश्यकता है।

- बदलती राजनीतिक एवं सुरक्षा स्थिति के लिये भारत को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए तालिबान के साथ बातचीत शुरू करने के लिये खुलेपन की नीति को अपनाना चाहिये।

अमेरिका-मालदीव रक्षा सहयोग समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका तथा मालदीव के बीच एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- अमेरिका और मालदीव के बीच 10 सितंबर, 2020 को 'अमेरिकी रक्षा विभाग-मालदीव रक्षा मंत्रालय के रक्षा और सुरक्षा संबंधों हेतु रूपरेखा' नामक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार, यह समझौता रक्षा साझेदारी की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिये दोनों देशों द्वारा सहयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने इस समझौते को द्विपक्षीय सहयोग के साथ समुद्री डकैती और आतंकवाद जैसे बढ़ते खतरों के बीच हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिये हितकर बताया है।
- इस समझौते के तहत 'वरिष्ठ स्तर पर संवाद, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता, प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय राहत अभियान के साथ कई महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों को शामिल किया गया है।
- वर्तमान में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं में बढ़ते तनाव के बीच इस समझौते को चीन के लिये एक महत्त्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

हिंद महासागर क्षेत्र में मालदीव की भूमिका:

- हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा इस क्षेत्र में भारत के हितों को देखते हुए मालदीव की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
- हिंद महासागर में भू मध्य रेखा के 1 डिग्री दक्षिण से 8 डिग्री उत्तर तक लगभग 1000 से अधिक द्वीपों के साथ मालदीव भौगोलिक रूप से सबसे अधिक बिखरे हुए देशों में से एक है।
- बहुत ही कम भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या के बावजूद भी यह द्वीपसमूह हिंद महासागर में लगभग 90,000 वर्ग किमी. से अधिक क्षेत्रफल कवर करता है।
- मालदीव, हिंद महासागर में स्वयं को एक चौराहे के रूप में देखता है, जहाँ पूर्व और पश्चिम से आने-जाने वाले सभी जहाज़ों को मालदीव के जल क्षेत्र से होकर गुज़रना पड़ता है।

चीन पर प्रभाव:

- अमेरिका के साथ मालदीव का यह समझौता रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच उभरती दूरी को दर्शाता है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2018 के बीच पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की सरकार के दौरान मालदीव और चीन के बीच कई महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- वर्ष 2017 में मालदीव ने चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना (Belt and Road initiative- BRI) समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
- अमेरिका के साथ रक्षा समझौते के बाद भी यदि BRI के तहत मालदीव और चीन के बीच आर्थिक सहयोग जारी रहता है तो भी यह समझौता BRI के रक्षा पहलुओं को प्रभावित करेगा।

नोट :

भारत पर प्रभाव:

- विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ वर्षों पहले भारत को इस प्रकार के किसी समझौते पर आपत्ति हो सकती थी परंतु हाल के दिनों में हिंद महासागर क्षेत्र में उभरते नए रक्षा समीकरणों के बीच इसे भारत के हित में देखा जा रहा है, गौरतलब है कि इस क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिये एक बड़ी चिंता का विषय है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2013 में भारत ने अमेरिका और मालदीव के बीच रक्षा सहयोग समझौते [स्टेटस ऑफ फोर्सेज़ एग्रीमेंट (Status of Forces Agreement- SOFA)] का विरोध किया था।
- अमेरिका के साथ हाल के वर्षों में भारत के संबंधों में हुई प्रगति के बीच अमेरिका और मालदीव के बीच यह समझौता भारत के लिये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि मालदीव के सुरक्षा मामलों में भारत के हस्तक्षेप को शक की निगाह से देखा जाता है कई मौकों पर इस मामले में भारत को राजनीतिक विरोध का भी सामना करना पड़ा है।
- मालदीव सार्क (SAARC) समूह का एक सदस्य है और भारत द्वारा मालदीव के साथ अपनी साझेदारी को मज़बूत करने के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
- वर्ष 2018 में भारत द्वारा मालदीव के लिये 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता की घोषणा के साथ हाल ही में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिये 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई थी।

आगे की राह:

- हिंद-महासागर क्षेत्र में चीन की सक्रियता को नियंत्रित करने हेतु भारत द्वारा क्षेत्र के अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के साथ ही इन देशों पर चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना बहुत ही आवश्यक है।
- हाल के वर्षों में क्वाड (QUAD) समूह के तहत भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी में वृद्धि इस दिशा में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
- भारत सरकार द्वारा दोनों देशों के नागरिक संबंधों को मज़बूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्रीलंका का 20वाँ संविधान संशोधन: पृष्ठभूमि और आलोचना

चर्चा में क्यों?

श्रीलंका सरकार ने देश के संविधान में 20वाँ संशोधन प्रस्तावित किया है, जिसे स्वयं सत्तारूढ़ दल के भीतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

प्रमुख बिंदु

- श्रीलंका सरकार 20वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2015 के 19वें संविधान संशोधन को बदलता चाहती है, हालाँकि भारत के लिये सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि परिस्थितियाँ यही रहती हैं तो श्रीलंका सरकार भविष्य में 13वें संविधान संशोधन को भी समाप्त कर सकती है।

20वें संविधान संशोधन के प्रावधान

- 2 सितंबर, 2020 को श्रीलंका सरकार ने संविधान संशोधन का एक मसौदा प्रकाशित किया था, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति पद की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले 19वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को बदलने के लिये विधायी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
    - तकरीबन 42 वर्ष पूर्व श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री जे.आर. जयवर्धने द्वारा लागू किये गए श्रीलंका के संविधान में यह 20वाँ संशोधन होगा।
- प्रस्तावित संविधान संशोधन में संवैधानिक परिषद को संसदीय परिषद के साथ बदलने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा नियमों के अनुसार, संवैधानिक परिषद के निर्णय राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी हैं, किंतु प्रस्तावित संसदीय परिषद के निर्णय को मानने के लिये राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।

- संविधान संशोधन के माध्यम से मंत्रिमंडल और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी के लिये प्रधानमंत्री की सलाह की आवश्यकता को हटा दिया गया है, इस प्रकार अब श्रीलंका में प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी संसद के विश्वास पर नहीं बल्कि राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है।
- प्रस्तावित संशोधन के तहत, राष्ट्रपति को कुछ सीमित परिस्थितियों के अलावा संसद की एक वर्ष की अवधि के बाद उसे भंग करने के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति दी गई है, जिसका अर्थ है कि संसद की एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति उसे किसी भी समय भंग कर सकता है।
- प्रस्तावित संशोधन में किसी भी विधेयक को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व आम जनता के लिये प्रकाशित करने की अवधि को 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है।

आलोचना

- 20वाँ संविधान संशोधन संवैधानिक परिषद की बहुलवादी और विचारशील प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र संस्थानों के लिये महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों पर बाध्यकारी सीमाओं को समाप्त करने का प्रावधान करता है।
- श्रीलंका के कई कानून विशेषज्ञों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से देश की संस्थाओं का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है, जिन्हें राजनीति के दायरे से स्वतंत्र होकर आम नागरिकों के कल्याण के लिये गठित किया गया था।
- सरकार द्वारा किये जा रहे ये संविधान संशोधन जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही को प्रभावित करेंगे और श्रीलंका के संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष चुनौती उत्पन्न करेंगे।
- संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की समाप्ति से सार्वजनिक धन के कुशल, प्रभावी और पारदर्शी उपयोग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

कब पारित होगा यह संशोधन?

- मौजूदा नियमों के अनुसार, श्रीलंका का संविधान किसी भी प्रकार के विधेयक को कम-से-कम दो सप्ताह अथवा 14 दिनों तक आम जनता के लिये प्रकाशित करने का प्रावधान करता है, जिसके बाद उस विधेयक को श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
    - ध्यातव्य है कि श्रीलंका के विपक्षी दलों ने पहले ही इस संशोधन के मसौदे को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देने का इरादा ज़ाहिर किया है।
- संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन के पश्चात् संसद में दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जा सकेगा। इस संशोधन के पारित करने के लिये श्रीलंका के सत्तारूढ़ दल के पास पर्याप्त बहुमत है।

20वें संविधान संशोधन के कारण?

- गौरतलब है कि जब से गोतबाया राजपक्षे सत्ता में आए हैं, तभी से 19वें संशोधन के माध्यम से पेश किये गए संवैधानिक प्रावधानों को निरस्त करना उनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक रहा है।
- दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने कहा था कि 19वाँ संविधान देश के शासन के समक्ष एक बड़ी बाधा है, जिसके कारण इसे समाप्त करना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के इस विचार को पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के बीच खराब संबंधों के कारण और अधिक बल मिला था, और इस प्रकरण के कारण श्रीलंका के समक्ष एक बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया था।

श्रीलंका का 19वाँ संविधान संशोधन

- वर्ष 2015 में पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के कार्यकाल (2015-19) के दौरान इसे पारित किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से वर्ष 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे द्वारा प्रस्तुत किये गए 18वें संशोधन को एक प्रकार से निरस्त करने का प्रयास किया गया था।
- 18वें संविधान संशोधन की सबसे मुख्य बात यह थी कि इसमें लगभग सभी महत्त्वपूर्ण शक्तियों को राष्ट्रपति के पास केंद्रीकृत कर दिया गया, जबकि 19वें संविधान संशोधन से राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित किया गया और स्वतंत्र संस्थाओं के अस्तित्व को मज़बूत किया गया।

- साथ ही 19वें संविधान संशोधन में चुनाव आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग समेत 9 आयोगों में नियुक्तियों की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया गया।
- 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक परिषद में नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया गया था, जो कि इस संशोधन का सबसे प्रगतिशील प्रावधान था।
- इस प्रकार श्रीलंका की वर्तमान सरकार द्वारा लाया गया 20वाँ संविधान संशोधन 19वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को पूरी तरह से बदलने का प्रावधान करता है।

भारत की भूमिका

- भारत ने श्रीलंका के 20वें संविधान संशोधन को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और न ही भारत द्वारा बयान जारी करने का कोई अनुमान है, क्योंकि यह संशोधन पूरी तरह से श्रीलंका का आंतरिक मामला है।
- हालाँकि भारत सरकार निश्चित रूप से श्रीलंका के घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुई है, क्योंकि 20वें संशोधन के प्रावधान स्पष्ट रूप से राष्ट्रवादी सिंहली भावनाओं को प्रकट करते हैं, ऐसे में यह घटनाक्रम भारत-श्रीलंका के दीर्घकालिक संबंधों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है।
- हालाँकि भारत के दृष्टिकोण से 19वें संविधान संशोधन से ज़्यादा 13वाँ संविधान संशोधन अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसी वर्ष फरवरी माह में जब श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे भारत के दौरे पर आए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया था कि श्रीलंका को 13वें संशोधन के कार्यान्वयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- ध्यातव्य है कि 13वें संविधान संशोधन के प्रावधानों का हटना श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों के लिये एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है।

श्रीलंका का 13वाँ संविधान संशोधन

- श्रीलंका का 13वाँ संविधान संशोधन वर्ष 1987-1990 के बीच श्रीलंका में भारतीय हस्तक्षेप का ही परिणाम है।
- यह संविधान संशोधन 29 जुलाई, 1987 को हुए भारत-श्रीलंका समझौते के प्रावधानों के तहत लाया गया था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन पूर्वोत्तर प्रांत (श्रीलंका का तमिल बहुल क्षेत्र) में राजनीतिक शक्तियों के हस्तांतरण का एक नया मार्ग खोजना था।
- इस समझौते के तहत श्रीलंका की संसद में 13वाँ संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया, जो कि पूरे श्रीलंका में एक निर्वाचित प्रांतीय परिषद की प्रणाली प्रस्तुत करता है।
- इस प्रकार न केवल श्रीलंका के पूर्वोत्तर प्रांत को, बल्कि वहाँ के शेष सभी प्रांतों को एक प्रांतीय परिषद प्राप्त हुई।
- उल्लेखनीय है कि अधिकांश सिंहली राष्ट्रवादी 13वें संविधान संशोधन को भारत द्वारा अधिरोपित किये गए प्रावधान के रूप में देखते हैं। सिंहली राष्ट्रवादी 13वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को तमिल अलगाववाद को प्रोत्साहित करने वाला प्रावधान मानते हैं।

हाइब्रिड वारफेयर: अर्थ और उभरती चुनौती

चर्चा में क्यों?

इंडियन एक्सप्रेस अखबार द्वारा की गई स्वतंत्र जाँच के अनुसार, चीन की एक टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा भारत के 10,000 से अधिक लोगों और संगठनों पर सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- जाँच के मुताबिक, चीन के शेन्झेन (Shenzen) में स्थित झेनहुआ डेटा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (Zhenhua Data Information Technology Co. Limited) द्वारा भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के अधिकारियों समेत कई अन्य प्रमुख लोगों और संस्थानों पर निगरानी रखी जा रही है, और इनके संबंध में सभी प्रकार का डेटा एकत्रित किया जा रहा है।

एकत्रित डेटा का स्वरूप

- चीन की कंपनी द्वारा राजनीति, सरकार, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, मीडिया और नागरिक समाज से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संस्थानों को लक्षित किया जा रहा है।
- चीन की झेनहुआ कंपनी किसी एक व्यक्ति विशिष्ट के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी एकत्रित करती है और उसे मिलकर एक 'इनफार्मेशन लाइब्रेरी' तैयार करती है, जिसमें न केवल समाचार पत्रों और सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध जानकारी होती है, बल्कि इसमें महत्त्वपूर्ण कागज़ात, पेटेंट, बोली दस्तावेज़ों आदि से उपलब्ध जानकारी भी शामिल होती है।
- यह कंपनी एक प्रकार से 'रिलेशनल डेटाबेस' बनाती है, जो व्यक्तियों, संस्थानों और सूचनाओं के बीच संबंध को रिकॉर्ड करता है।
- इस प्रकार की डेटा माइनिंग को आधुनिक 'हाइब्रिड वारफेयर' (Hybrid Warfare) के एक हिस्से के रूप में देखा जा सकता है।

क्या होती है 'हाइब्रिड वारफेयर'?

- यद्यपि 'हाइब्रिड वारफेयर' युद्ध संघर्ष में एक उभरती हुई अवधारणा है, किंतु इसे अभी तक सही ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सका है। सरलतम रूप में 'हाइब्रिड वारफेयर' को अपने शत्रु पर गैर-सैन्य तरीकों से वर्चस्व कायम करने की आधुनिक पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- इस पद्धति का सामान्य उद्देश्य युद्ध संघर्ष में संलग्न हुए बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के कार्यों को बाधित करना अथवा उसे अक्षम करना होता है।
- वर्ष 1999 की शुरुआत में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा एक प्रकाशन 'अनरिस्ट्रिक्टेड वारफेयर' में 'हाइब्रिड वारफेयर' की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें 'हाइब्रिड वारफेयर' को शत्रु पर जीत प्राप्त करने के लिये संघर्ष को सैन्य क्षेत्र से हटाकर राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र तक ले जाने के रूप में परिभाषित किया गया था।

'हाइब्रिड वारफेयर' के उदाहरण

- लेबनान: हाइब्रिड युद्ध का उपयोग वर्ष 2006 में इज़राइल-लेबनान युद्ध में हिज़्बुल्लाह शिया समूह द्वारा किया गया था। इस दौरान उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, प्रौद्योगिकी के अभिनव प्रयोग और प्रभावी सूचना अभियानों जैसी विभिन्न रणनीतिक विधियों का प्रयोग किया था।
- रूस: वर्ष 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन के विरुद्ध क्रीमिया क्षेत्र के अधिग्रहण के लिये भी 'हाइब्रिड वारफेयर' पद्धति का प्रयोग किया गया था। इसमें दुष्प्रचार, आर्थिक जोड़-तोड़, आंतरिक विद्रोह और राजनयिक दबाव जैसी गतिविधियाँ शामिल थीं।

चीन की निगरानी और भारत के कानून

- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नियमों में कोई भी ऐसी जानकारी अथवा सूचना जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की पहचान की जा सके उसे 'व्यक्तिगत डेटा' के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - हालाँकि, इसमें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी को शामिल नहीं किया गया है।
- वहीं इस प्रकार के डेटा का प्रयोग प्रत्यक्ष विपणन (Direct Marketing) के लिये भी किया जा सकता है, उदाहरण के लिये कई कंपनियों द्वारा लक्षित विज्ञापनों के लिये जी-मेल अथवा फोन नंबर का प्रयोग किया जाता है।
- हालाँकि चीन की झेनहुआ डेटा कंपनी के संदर्भ में मामला काफी जटिल है, क्योंकि उसके द्वारा जो डेटा एकत्र किया जा रहा है, उसमें लोगों और संगठनों की सहमति शामिल नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, चीन की कंपनी द्वारा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक व्यक्ति विशिष्ट से संबंधित सूचनाएँ जैसे वह किस स्थान पर गया और किन-किन लोगों से मिला आदि उसकी सहमति के बिना एकत्र करना और उसे किसी अन्य देश को देना पूर्णत: अवैध है।
- किंतु भारत के गोपनीयता संबंधी नियमों को किसी विदेश न्यायाधिकार में लागू करना लगभग असंभव है, क्योंकि सभी देशों के नियम अलग-अलग होते हैं।

इस निगरानी से संबंधित चिंताएँ

- वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत चीन-संबंधों में तनाव के बीच भारत ने देश की आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन के 100 से अधिक एप्स को प्रतिबंधित कर दिया है, हालाँकि भारत सरकार के इस कदम से व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने वाली चीन की झेनहुआ जैसी कंपनियों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नोट :

- ध्यातव्य है कि रिपोर्ट के अनुसार, चीन की झेनहुआ डेटा कंपनी द्वारा केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के कई अन्य देशों का डेटा भी एकत्र किया जा रहा है। ऐसे में इस प्रकार का डेटा एकत्र करना भारत समेत संपूर्ण विश्व के देशों की आंतरिक सुरक्षा के लिये एक बड़ा खतरा बन सकता है आर यह संपूर्ण विश्व को 'हाइब्रिड वारफेयर' की ओर ले जा सकता है।

भारत-चीन सीमा विवाद के समाधान में SCO की भूमिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) पर तनाव को कम करने हेतु एक पाँच सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई, इस बैठक के लिये रूस के साथ ही शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका को भी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- ध्यातव्य है कि 9-10 सितंबर, 2020 को मॉस्को (रूस) में 'शंघाई सहयोग संगठन' (Shanghai Cooperation Organisation- SCO) विदेश मंत्रियों की परिषद (Council of Foreign Ministers-CFM) की बैठक का आयोजन किया गया था।
- इस दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने के लिये एक पाँच सूत्रीय योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की गई थी।

पृष्ठभूमि:

- शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation- SCO) जून 2001 में 'शंघाई फाइव' (Shanghai Five) के विस्तार के बाद अस्तित्व में आया था।
  - गौरतलब है कि 'शंघाई फाइव' का गठन रूस, चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने साथ मिलकर वर्ष 1996 में किया था।
- वर्तमान में विश्व के 8 देश (कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान) SCO के सदस्य हैं।
- अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया SCO में पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में शामिल हैं।
- इस संगठन के उद्देश्यों में क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की संख्या में कमी करना, और आतंकवाद की चुनौती पर काम करना आदि शामिल था।

महत्त्वपूर्ण निकाय:

- SCO के दो स्थायी निकाय हैं-
  - SCO मुख्यालय, यह चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है।
  - क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure- RATS), इसकी कार्यकारी समिति का कार्यालय उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में स्थित है।
- SCO के महासचिव और RATS की कार्यकारी समिति के निदेशक को राज्य के प्रमुखों की परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  - इनकी नियुक्ति तीन वर्षों के लिये की जाती है।

संघर्ष समाधान में शंघाई फाइव की भूमिका:

- 'शंघाई फाइव' की स्थापना का एक और अत्यंत महत्त्वपूर्ण लक्ष्य 'संघर्ष समाधान' (Conflict Resolution) भी था।

- यह समूह महत्त्वपूर्ण इसलिये भी है क्योंकि इस समूह की स्थापना के बाद यह चीन और रूस के बीच संघर्ष के समाधान के साथ आगे चलकर समूह में शामिल अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के बीच संघर्ष को दूर करने में सफल रहा।
    - उदाहरण के लिये वर्ष 1996 की 'शंघाई फाइव' देशों की बैठक में चीन, रूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच 'सीमा के निकट सैन्य क्षेत्रों में विश्वास-निर्माण पर समझौता' नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
    - इस समझौते के कारण ही वर्ष 1997 में इन देशों के बीच अपनी साझा सीमाओं पर सैनिकों की संख्या को कम करने का समझौता संभव हुआ।
    - इसके बाद, इसने मध्य एशियाई देशों को अपने कुछ अन्य सीमा विवादों को हल करने में सहायता की है।

अन्य समझौते और महत्त्वपूर्ण बैठक:

- वर्ष 1997 की बैठक में चीन और कज़ाकिस्तान के बीच सीमा पर दोनों पक्षों द्वारा सैनिकों की संख्या कम करने का आपसी समझौता हुआ।
- इसके साथ ही इस बैठक में किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच सीमा विवाद पर समझौते हुए।
- मुंबई आतंकवादी हमलों के पश्चात वर्ष 2009 में अस्ताना (वर्तमान में नूर-सुल्तान) में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पकिस्तान के प्रधानमंत्री आसिफ अली जरदारी के बीच बैठक हुई थी।
- वर्ष 2015 उफा (रूस) में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बैठक के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया। हालाँकि इसके बाद से दोनों देशों के बीच कोई बैठक नहीं हुई है।

पश्चिम के देशों की प्रतिक्रिया:

- SCO द्वारा सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने की मांग के कारण इस 'नाटो विरोधी' (Anti NATO) समूह के रूप में भी देखा गया।
    - गौरतलब है कि वर्ष 2005 की 'अस्ताना घोषणा' (Astana declaration) में SCO देशों को 'क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पैदा करने वाली स्थितियों के विरूद्ध साझा प्रतिक्रिया पर कार्य करने का आह्वान किया गया था।
- SCO के संदर्भ में पश्चिमी और NATO देशों की चिंताएँ लगभग एक दशक बाद पुन: बढ़ गईं क्योंकि क्रीमिया विवाद को लेकर रूस पर पश्चिमी और NATO देशों द्वारा प्रतिबंधों की घोषणा के बाद चीन रूस के समर्थन में आया और दोनों देशों के बीच तीस वर्षों के लिये लगभग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के गैस पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- चीन द्वारा शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना (Belt and Road' initiative- BRI) भी SCO घोषणाओं का हिस्सा बन गई है, रूस इस योजना का हिस्सा नहीं है परंतु वह इसका समर्थन करता है।

चुनौतियाँ:

- भारत वर्ष 2005 में SCO समूह में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था और वर्ष 2015 में इस समूह का सदस्य बना।
- SCO में शामिल होने के निर्णय को महत्त्वपूर्ण होते हुए भी भारत सरकार की सबसे अधिक उलझी हुई विदेशी नीतियों में से एक माना जाता है।
- क्योंकि इसी समय भारत का झुकाव पश्चिमी देशों और विशेषकर क्वाड (QUAD) को मज़बूत करने पर था।
- वर्ष 2014 में भारत और पाकिस्तान के बीच सभी संबंध (वार्ता, व्यापार आदि) समाप्त कर दिये गए तथा भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण सार्क (SAARC) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया।
- हालाँकि दोनों देशों के प्रतिनिधि SCO की सभी बैठकों में शामिल हुए हैं।
- भारत द्वारा सभी वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिये ज़िम्मेदार बताया जाता है, परंतु SCO के तहत RATS के सदस्य के रूप में भारत और पाकिस्तान के सशस्त्र बल सैन्य अभ्यास और आतंकवाद-विरोधी अभ्यास में हिस्सा लेते हैं।

आगे की राह:

- SCO हमेशा से ही सदस्य देशों के बीच विवादों के समाधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, ऐसे में भारत और चीन के बीच LAC पर हालिया तनाव को कम करने में SCO एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान कर सकता है।
- हालाँकि इस बैठक का परिणाम सीमा पर दोनों देशों की गतिविधियों पर भी निर्भर करेगा।

नोट :

- LAC पर चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने के साथ ही हिंद-महासागर क्षेत्र में चीन के हस्तक्षेप को कम करने के लिये भारत द्वारा क्षेत्र के अन्य देशों के साथ मिलकर साझा प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- हाल के वर्षों में भारतीय विदेश नीति में पश्चिमी देशों (विशेषकर अमेरिका) की तरफ झुकाव अधिक देखने को मिला है अत: वर्तमान में SCO भारत के लिये अमेरिका और रूस के साथ संबंधों के संतुलन को बनाए रखने में सहायक हो सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में पोस्टल वोटिंग

चर्चा में क्यों?

COVID-19 महामारी के बीच नवंबर, 2020 में यूएसए राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनज़र संयुक्त राज्य अमेरिका में कई राज्य पोस्टल वोटिंग विकल्पों को अधिक आसानी से सुलभ बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव:
  - संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी चुनाव (संघीय, राज्य एवं स्थानीय) सीधे व्यक्तिगत राज्यों की सरकारों द्वारा आयोजित कराए जाते हैं।
  - भारत के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय (संघीय) स्तर पर चुनाव कराने के लिये सरकार से स्वतंत्र कोई चुनाव आयोग नहीं है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान एवं कानून राज्यों को इस बात का व्यापक अनुदान देते हैं कि वे चुनाव कैसे कराते हैं, इसके परिणामस्वरूप देशभर में अलग-अलग नियम हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में पोस्टल वोटिंग:
  - संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रत्येक राज्य पोस्टल वोटिंग की अनुमति देता है किंतु उनके पास इसके लिये अलग-अलग नियम हैं।
  - कुछ राज्यों में मतदाताओं को अनुपस्थिति मतपत्र (Absentee Ballots) प्रदान किये जाते हैं यदि वे इस बात का कारण बताते हैं कि वे चुनाव के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित क्यों नहीं हो सकते।
    - अनुपस्थित मतदान (Absentee Voting) व्यक्ति को ई-मेल द्वारा मतदान करने की अनुमति देता है।
  - हालाँकि कुछ राज्यों में 'नो-एक्सक्यूज़ एब्सेंटी वोटिंग' (No-excuse Absentee Voting) है जहाँ मतदाताओं को कारण बताए बिना ही अनुपस्थिति मतपत्र मिल सकता है।
  - कुछ राज्यों में 'वोट-बाई-मेल' (Vote-by-Mail) सुविधाएँ भी हैं जहाँ हर पंजीकृत मतदाता को बिना अनुरोध के मतपत्र भेजा जाता है।
  - वर्ष 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका में डाक मतपत्रों के माध्यम से लगभग 24% मतदान हुआ था। वर्ष 2020 में इस अनुपात में काफी वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।
- मुद्दा:
  - डोनाल्ड ट्रंप एवं उनके समर्थकों का आरोप है कि नवंबर, 2020 के संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनावों में पोस्टल वोटिंग के विस्तार से अनाचार बढ़ेगा।
  - हालाँकि डेमोक्रेट एवं रिपब्लिकन पार्टी का एक वर्ग ट्रंप के आरोपों से असहमत है, उन्होंने कहा कि वह जानबूझकर डाक मतदान को बाधित कर रहे हैं।

भारत में पोस्टल वोटिंग:

- भारत में पोस्टल बैलट की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 21 अक्तूबर, 2016 को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 23 में संशोधन करके की गई थी।
- भारत में मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदाताओं को वितरित किया जाता है, जिन्हें चुनाव अधिकारियों को डाक के माध्यम से लौटा दिया जाता है।

- वर्तमान में निम्नलिखित मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने की अनुमति है:
  - सशस्त्र बलों के कर्मचारी
  - देश के बाहर कार्यरत अधिकारी
  - चुनावी कार्यों में कार्यरत अधिकारी
  - सेना अधिनियम, 1950 के तहत आने वाले सभी बल
- भारत में चुनावों का आयोजन कराने संबंधी सभी मामले जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 के प्रावधानों के तहत आते हैं।

आगे की राह:

- संयुक्त राज्य अमेरिका में मतदान के लिये गहन निगरानी के तहत डाक मतदान का आयोजन किया जा सकता है ताकि मतदान में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। हालाँकि गहन निगरानी नियमों को इस तथ्य पर विचार करते हुए पेश किया जाना चाहिये कि यह अल्पसंख्यक एवं कम शिक्षित आबादी के लिये भी हितकर हो।

दृष्टि The Vision

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ड्राफ्ट 'डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग (Niti Aayog) द्वारा 'डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर' (Data Empowerment and Protection Architecture- DEPA) का मसौदा जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- ड्राफ्ट- DEPA पर 1 अक्तूबर तक सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई है।
- ड्राफ्ट- DEPA, 'डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर' (DEPA) को वर्ष 2020 में क्रियान्वित किये जाने की व्यवहारिता को दर्शाता है।

DEPA का विज़न:

- ड्राफ्ट- DEPA इस अवधारणा पर आधारित है कि व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत डेटा की उपयोगिता को निर्धारित करने के मामले में सबसे अच्छे न्यायाधीश हैं। अत: व्यक्तियों का अपने व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने तथा इसे साझा करने के तरीकों पर नियंत्रण होना चाहिये।
- ड्राफ्ट- DEPA इस विश्वास के साथ तैयार किया गया है कि डेटा संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाली एजेंसियाँ भारतीयों को अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

DEPA के आधार:

- 'डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर' के निर्माण के लिये सामान्यत: तीन आधारभूत स्तंभों की आवश्यकता होती है:
  - विनियमन को सक्षम करना;
  - अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के मानकों का निर्धारण,;
  - सार्वजनिक और निजी संगठनों की भागीदारी।
- ड्राफ्ट- DEPA में इन तीनों को आधार बनाया गया है।

ड्राफ्ट- DEPA के प्रमुख प्रावधान:

पहुँच तथा साझा का अधिकार (Access and Sharing Rights):

- यह लोगों को सुरक्षित रूप से अपने डेटा तक पहुँच स्थापित करने और इसे तीसरे पक्ष अथवा संस्थानों के साथ साझा करने का अधिकार देता है।

'सहमति प्रबंधक संस्था' (Consent Manager institution):

- एक नवीन 'सहमति प्रबंधक संस्था' की स्थापना की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेगी कि व्यक्ति द्वारा निजी डेटा के उपयोग के लिये प्रदान की गई सहमति का दुरुपयोग न किया जाए तथा इसके लिये 'नवीनतम डिजिटल मानकों' (API मानकों) का उपयोग किया जाए।
- ये 'सहमति प्रबंधक संस्थान' व्यक्तिगत डेटा अधिकारों की सुरक्षा करने की दिशा में भी कार्य करेंगे।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

'अकाउंट एग्रीगेटर्स' प्रणाली:

- वित्तीय क्षेत्र में 'सहमति प्रबंधकों' जिन्हे; 'अकाउंट एग्रीगेटर्स' (AA) के रूप में जाना जाता है, की स्थापना की दिशा में आरबीआई द्वारा पूर्व में दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।
  - अकाउंट एग्रीगेटर (फाइनेंशियल डेटा एग्रीगेटर) एक वेब आधारित अथवा API आधारित प्रणाली है जो विभिन्न प्रकार के अकाउंट, जैसे- बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अकाउंट आदि की सूचनाओं को संग्रहीत करती है।
- एक नवीन 'गैर-लाभकारी संस्थान 'अकाउंट एग्रीगेटर्स' (AA) 'डिजिसहमति फाउंडेशन (DigiSahamati Foundation) जिसे 'सहमति' (Sahamati) कहा जाता है, मौजूदा वित्तीय संस्थाओं को तकनीकी मानकों को अपनाने में सहयोग प्रदान करने की दिशा में कार्य करेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में 'वन हेल्थ आईडी':

- DEPA को स्वास्थ्य क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन' (National Digital Health Mission) की घोषणा की गई थी, जो 'वन हेल्थ आईडी' और व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को साझा करने की रूपरेखा शामिल करता है।

अन्य प्रमुख कदम:

- दूरसंचार क्षेत्र में जुलाई 2018 में 'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण' (TRAI) जारी गोपनीयता पर परामर्श रिपोर्ट के बाद DEPA को लागू किया जा रहा है।
- सरकारी विभागों में DEPA को लागू करने का प्रयास 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) में किया गया है। यह प्रथम 'सरकारी सूचना प्रदाता' (Government Information Provider- GIP) विभाग होगा।

DEPA का महत्त्व:

वित्तीय समावेशन:

- वर्तमान समय में कम विश्वसनीय डेटा तथा असंगठित देता के कारण भारत की अधिकांश ग्रामीण और शहरी गरीब आबादी व्यक्तिगत तथा वित्तीय उत्पादों तक पहुँच में असमर्थ है।
- डेटा का अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया पूल व्यक्तियों को गरीबी के जाल से बाहर निकालने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के विकास को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा।

विकेंद्रीकृत प्रणाली:

- DEPA में वर्तमान 'संगठन-केंद्रित डेटा साझाकरण प्रणाली' के स्थान पर 'व्यक्तिगत केंद्रित दृष्टिकोण' पर बल दिया गया है, जो डेटा साझाकरण उपयोगकर्त्ता के नियंत्रण को बढ़ावा देता है।
- वर्तमान समय में डेटा को एकत्रित करना बहुत ही बोझिल कार्य है अत: विकेंद्रित डेटा भंडारण इस बोझ में कम करेगा।

व्यापक उपयोगिता:

- DEPA को वित्तीय और हेल्थकेयर सहित विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। इसे दूरसंचार, शैक्षिक आदि क्षेत्रों में लागू करने से नौकरियों के बेहतर अवसर बन सकते हैं।

निष्कर्ष:

- ऐसा विश्वास किया जा सकता है DEPA के माध्यम से परिवर्तनकारी डेटा गवर्नेंस दृष्टिकोण को लागू करने में मदद मिलेगी। यह भारत के नवीन 'इंडिया वे' (India Way) दृष्टिकोण को दर्शाता है जो डेटा सुरक्षा, साझाकरण, सहमति और गोपनीयता के संबंध में दुनिया भर के अन्य मॉडलों से काफी अलग है।

नोट :

हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने 'हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल' (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle-HSTDV) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

प्रमुख बिंदु:

- HSTDV एक मानव रहित स्क्रैमजेट प्रमाणित विमान है जो हाइपरसोनिक गति से यात्रा कर सकता है।
- इसमें 'हाइपरसोनिक एयर-ब्रीदिंग स्क्रैमजेट' (Hypersonic Air-breathing Scramjet) तकनीक का उपयोग किया गया है।
- यह विमान ध्वनि की गति से 6 गुना अर्थात् मैक-6 के वेग से अपने इच्छित उड़ान पथ पर यात्रा कर सकता है।

मैक संख्या (Mach Number):

- यह हवा में ध्वनि की गति की तुलना में एक विमान की गति का वर्णन करता है, जिसमें मैक-1 ध्वनि की गति के बराबर होता है यानि प्रति सेकंड 343 मीटर।

एयर-ब्रीदिंग इंजन (Air-breathing Engines):

- एयर-ब्रीदिंग इंजन ईंधन के दहन के लिये वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। इनमें टर्बोजेट (Turbojet), टर्बोप्रॉप (Turboprop), रैमजेट (Ramjet) और पल्स-जेट (Pulse-jet) शामिल हैं।
- यह प्रणाली उपयोग की दृष्टि से अन्य प्रणालियों की तुलना में हल्की, कुशल एवं लागत प्रभावी है।
- गौरतलब है कि उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिये एयर-ब्रीदिंग इंजन हेतु प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिये विश्वव्यापी प्रयास जारी है।
- वर्तमान में उपग्रहों को मल्टी-स्टेज उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है जिनका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है।
  - ये प्रक्षेपण यान दहन के लिये ईंधन के साथ ऑक्सीडाइज़र भी ले जाते हैं ताकि उसे प्रेरित किया जा सके।
- एक प्रणोदन प्रणाली जो अपनी उड़ान के दौरान वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग कर सकती है, एक उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिये आवश्यक कुल प्रणोदक को कम कर देगी।
- यदि उन वाहनों को पुन: प्रयोज्य बनाया जाता है तो उपग्रहों को लॉन्च करने की लागत में काफी कमी आएगी।

एयर-ब्रीदिंग इंजन के प्रकार:

1. रैमजेट (Ramjet): एक रैमजेट एयर-ब्रीदिंग जेट इंजन का एक रूप है जो घूर्णन कंप्रेसर के बिना आने वाली वायु को संपीडित करने के लिये वाहन की अग्रिम गति का उपयोग करता है।

- रैमजेट सुपरसोनिक गति पर सबसे कुशलता से कार्य करते हैं किंतु वे हाइपरसोनिक गति में कुशल नहीं हैं।

2. स्क्रैमजेट (Scramjet): स्क्रैमजेट इंजन रैमजेट इंजन का ही एक अपडेटेड रूप है क्योंकि यह हाइपरसोनिक गति में कुशलता से संचालित होता है और सुपरसोनिक दहन की अनुमति देता है।
3. डुअल-मोड रैमजेट (Dual Mode Ramjet- DMRJ): एक डुअल-मोड रैमजेट एक प्रकार का जेट इंजन है जहाँ एक रैमजेट मैक 4-8 रेंज में एक स्क्रैमजेट में बदल जाता है जिसका अर्थ है कि यह सबसोनिक एवं सुपरसोनिक दहन मोड दोनों में कुशलता से कार्य कर सकता है।

- यह परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप (APJ Abdul Kalam Island) के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स (Dr APJ Abdul Kalam Launch Complex) से किया गया था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत इस तकनीक को विकसित करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है।

नोट :

- चीन ने वर्ष 2018 में अपने पहले 'वेवराइडर हाइपरसोनिक फ्लाइट व्हीकल' (Waverider Hypersonic Flight Vehicle) का सफल परीक्षण किया था।

- उल्लेखनीय है कि DRDO ने वर्ष 2010 की शुरुआत में HSTDV इंजन के विकास पर कार्य करना शुरू कर दिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने भी इस प्रौद्योगिकी के विकास पर कार्य किया है और वर्ष 2016 में इससे संबंधित एक प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था।
    - DRDO ने जून 2019 में भी इस प्रणाली का परीक्षण किया था।

लाभ:

- स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास से भविष्य में हाइपरसोनिक वाहनों के साथ निर्मित प्रणालियों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- इसे रक्षा क्षेत्र में लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइलों के लिये एक वाहक के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसमें आक्रामक एवं रक्षात्मक दोनों हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल प्रणाली शामिल हैं।
    - इसकी उच्च गति के कारण अधिकांश रडार (RADAR) इसका पता लगाने में असमर्थ होंगे।
    - यह अधिकांश मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेदने में भी सक्षम होगी।
- यह तकनीक अंतरिक्ष क्षेत्र में कम लागत, उच्च दक्षता वाले पुन: प्रयोज्य उपग्रहों के विकास में सहायक होगी।

डिजिटल डिवाइड: कारण और प्रभाव

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistics Office-NSO) के 75वें दौर (जुलाई 2017-जून 2018) के सर्वेक्षण के एक हिस्से के रूप में भारत में 'पारिवारिक सामाजिक उपभोग: शिक्षा' पर जारी एक रिपोर्ट के आँकड़े भारत में राज्यों, शहरों, गाँवों और विभिन्न आय समूहों के बीच मौजूद गंभीर डिजिटल डिवाइड को दर्शाते हैं।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 10 घरों में से केवल 1 के पास ही कंप्यूटर (डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट) की सुविधा उपलब्ध है। हालाँकि देश के तकरीबन एक-चौथाई घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें स्मार्टफोन समेत अन्य सभी उपकरण शामिल हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली में इंटरनेट की पहुँच सबसे अधिक है और यहाँ के 55.7 प्रतिशत घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।
    - हिमाचल प्रदेश और केरल दो अन्य ऐसे राज्य हैं जहाँ आधे से अधिक घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।
- वहीं दूसरी ओर इंटरनेट तक पहुँच के मामले में सबसे खराब स्थिति ओडिशा की है, जहाँ मात्र 10 प्रतिशत घरों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।

डिजिटल डिवाइड का अर्थ

- सरलतम रूप में डिजिटल डिवाइड का अर्थ समाज में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) के उपयोग तथा प्रभाव के संबंध में एक आर्थिक और सामाजिक असमानता से है।
- डिजिटल डिवाइड की परिभाषा में प्राय: सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) तक आसान पहुँच के साथ-साथ उस प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु आवश्यक कौशल को भी शामिल किया जाता है।
- इसके तहत मुख्यत: इंटरनेट और अन्य प्रौद्योगिकियों के उपयोग को लेकर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों या अन्य जनसांख्यिकीय श्रेणियों में व्यक्तियों, घरों, व्यवसायों या भौगोलिक क्षेत्रों के बीच असमानता का उल्लेख किया जाता है।

डिजिटल डिवाइड के प्रभाव

शिक्षा पर प्रभाव

- इंटरनेट ज्ञान और सूचना का एक समृद्ध भंडार उपलब्ध कराता है, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) की पहुँच और उपलब्धता अकादमिक सफलता और मज़बूत अनुसंधान गतिविधियों से जुड़ी हुई है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सूचना तक काफी जल्दी पहुँचा जा सकता है।
- शिक्षा एक बहुत ही गतिशील क्षेत्र है और नवीनतम सूचना और ज्ञान प्राप्त करना इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उपकरणों की अपर्याप्तता ने विकासशील देशों में पहले से ही कमज़ोर शिक्षा प्रणाली को और अधिक अप्रभावी बना दिया है। इस प्रकार देश के विद्यालयों के शिक्षा मानकों में सुधार करने के लिये आवश्यक है कि वहाँ कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की उपलब्धता देश के व्यवसायों की सफलता को प्रभावित करती है, संपूर्ण विश्व धीरे-धीरे डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों के लिये लाभ कमाना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है जहाँ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों की उपलब्धता काफी कम है।
- इंटरनेट की उपलब्धता न होने के कारण प्राय: व्यापार बाधित होता है और लाभ कमाना काफी मुश्किल हो जाता है और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का विकास खतरे में पड़ सकता है।

सामाजिक प्रभाव

- डिजिटल डिवाइड ने समाज को दो स्तरों पर विभाजित करने का कार्य किया है, जिसमें पहला वर्ग वह है जिसके पास इंटरनेट तक पहुँच है, वहीं दूसरा वह है जो डिजिटल साक्षरता अथवा किसी अन्य कारणवश सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग करने में असमर्थ है।
- इस प्रकार डिजिटल डिवाइड के कारण समुदाय में नए संरेखण का उदय हुआ है जिसके तहत लोगों को इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा है।

अन्य प्रभाव

- सोशल मीडिया के युग में, डिजिटल कनेक्टिविटी के बिना राजनीतिक सशक्तीकरण और काफी मुश्किल हो गया है।
- डिजिटल डिवाइड के कारण ग्रामीण भारत आवश्यक सूचना की कमी का सामना कर रहा है, जो कि गरीबी, अभाव और पिछड़ेपन के दुष्चक्र को और मज़बूत करता है।

डिजिटल डिवाइड के कारण

- कम साक्षरता दर: कम साक्षरता दर देश में डिजिटल डिवाइड को बढ़ाने में अतिमहत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त लोगों की अपेक्षा उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त लोग कंप्यूटर और इंटरनेट का अधिक कुशलता से प्रयोग कर सकते हैं।
- आय का स्तर: डिजिटल डिवाइड को बढ़ाने में आय के स्तर का अंतर भी अपनी भूमिका अदा करता है, प्राय: उच्च आय वाले लोगों के लिये कंप्यूटर और इंटरनेट समेत अन्य सभी सेवाएँ काफी आसानी से उपलब्ध होती हैं, जबकि निम्न आय वाले लोगों के लिये ऐसा नहीं होता है।
    - कFम आय वाले लोगों के लिये धन काफी दुर्लभ होता है और उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में ही चला जाता है। वे प्रौद्योगिकी को एक विलासिता के रूप में देखते हैं।
- भौगोलिक स्थिति: किसी देश की भौगोलिक स्थिति भी उस देश में डिजिटल विभाजन को बढ़ाने में मदद करती है। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में इंटरनेट तक पहुँच की संभावना अधिक होती है।

नोट :

- डिजिटल साक्षरता की कमी: डिजिटल साक्षरता का आशय उन तमाम तरह के कौशलों के एक समूह से है, जो इंटरनेट का प्रयोग करने और डिजिटल दुनिया के अनुकूल बनने के लिये आवश्यक हैं। प्राय: यह देखा जाता है कि कंप्यूटर अथवा इंटरनेट सेवाओं तक पहुँच यह सुनिश्चित नहीं करती कि वह व्यक्ति उस उपकरण अथवा सेवा का सही ढंग से प्रयोग भी कर सकता है।

निष्कर्ष

भारत में डिजिटल डिवाइड को कम करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिये तमाम तरह के प्रयास किये गए हैं, जिसके कारण बीते कुछ वर्षों में देश में डिजिटल साक्षरता में बढ़ोतरी देखने को मिली है, हालाँकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता की दृष्टि से बहुत कुछ किया जाना शेष है। केंद्र व राज्य सरकार को चाहिये कि वह इस क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दें साथ ही देश में दूरसंचार नियमों को और अधिक मज़बूती प्रदान करें ताकि बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित हो सके।

ब्रह्मांड में विशालकाय रेडियो आकाशगंगाएँ

चर्चा में क्यों ?

ब्रह्मांड में एकल संरचना वाली विशालकाय रेडियो आकाशगंगा (Giant Radio Galaxies-GRGs) पर कार्य करने वाले अनुसंधानकर्ताओं ने GRGs के आज तक के सबसे बड़े नमूने की खोज की है। हाल ही में 'खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी' जर्नल में एक शोध कार्य प्रकाशित हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 1974 में GRGs की खोज के पश्चात् वर्ष 2016 तक लगभग 300 GRGs के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। वर्तमान में लगभग 400 GRGs को खोजा गया है और अब इनकी कुल संख्या 820 के लगभग है।
- GRGs की इतने बड़े पैमाने पर वृद्धि और इनके केंद्र में स्थित ब्लैक होल के पीछे उपस्थित कारणों के बारे में अब तक स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं मिली है।
- अनुसंधानकर्ताओं ने इनकी विशेषताओं की तुलना इनके ब्लैक होल के कुल द्रव्यमान से की है, जिसमें समानता पाई गई। केवल 10 प्रतिशत GRGs ही सघन वातावरण में पाए जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि अधिकतर GRGs सघन वातावरण में विद्यमान नहीं हैं।
- अनुसंधानकर्ताओं द्वारा इस कार्य में सैकड़ों रेडियो और प्रकाशीय (Optical) चित्रों के माध्यम से विस्तृत विश्लेषण और व्याख्या के पश्चात् उनके परस्पर संबंध का पता लगाने का प्रयास किया गया है।

क्या है GRGs ?

- ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएँ हैं और लगभग सभी आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल विद्यमान हैं। इनमें से कुछ ब्लैक होल सक्रिय हैं। ये ब्लैक हॉल लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले जेट का उत्पादन करते हैं। ये जेट रेडियो प्रकाश या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रेडियो तरंग दैर्ध्य में दिखाई देते हैं।
- ऐसी आकाशगंगाएँ जिनमें उच्च गति वाले जेट्स को सक्रिय करने वाले ब्लैक होल होते हैं, रेडियो आकाशगंगा कहलाती हैं।
- जेट के साथ रेडियो आकाशगंगा का कुल रैखिक विस्तार या आकार प्रकाश में देखी गई आकाशगंगा की तुलना में बहुत बड़ा होता है।
- रेडियो आकाशगंगा का एक अंश, विशेष परिस्थितियों में विशाल पैमाने अथवा मेगा-पारसेक पैमाने (लाखों प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष=9.46 x 1,015 मीटर) तक वृद्धि करने के पश्चात् विशालकाय रेडियो आकाशगंगा (GRG) कहलाता है।

GRGs के अध्ययन की उपयोगिता

- जेट की लंबाई से हमें ब्लैक होल की शक्ति और सक्रियता का पता चलता है। साथ ही इन ब्रह्मांडीय निकायों के वातावरणीय घनत्व के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसलिये GRGs का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है।
- पहली बार GRGs की इतनी बड़ी सूची बनाई गई है। इस सूची का उपयोग करके GRGs की कई संरचनात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया गया है। इससे इस तरह के ब्रह्मांडीय निकायों के प्रति समझ में कई गुना अधिक वृद्धि हुई है।

नोट :

- ब्रह्मांड में इन विशालकाय रेडियो आकाशगंगा के निर्माण और इनकी संरचना के अध्ययन से आकाशगंगाओं और अन्य ब्रह्मांडीय निकायों के निर्माण के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ब्लैक होल

- ब्लैक होल (कृष्ण छिद्र) शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अमेरिकी भौतिकविद् जॉन व्हीलर ने 1960 के दशक के मध्य में किया था।
- ब्लैक होल अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि यहाँ से प्रकाश का पारगमन नहीं हो पाता। इनसे प्रकाश के बाहर नहीं निकल सकने के कारण हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देते। हालाँकि विशेष उपकरणों से युक्त अंतरिक्ष टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल की पहचान की जा सकती है।

निष्कर्ष

GRGs का अध्ययन ब्लैक होल में बड़े पैमाने पर अभिवृद्धि एवं विस्तार, इनके द्वारा भव्य जेट का निर्माण और ब्रह्मांडीय निकायों की उत्पत्ति व संरचना को समझने के संदर्भ में बहुत उपयोगी है।

COVID-19 वैक्सीन के चरण-3 में जटिलता

चर्चा में क्यों?

एक स्वयंसेवक के बीमार पड़ने के पश्चात् 8 सितंबर को यूनाइटेड किंगडम की बायोफार्मा कंपनी एस्ट्राज़ेनेका ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर विकसित की जा रही COVID-19 वैक्सीन (AZD1222) के चरण-3 के वैश्विक परीक्षण को निलंबित कर दिया था। 12 सितंबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राज़ेनेका ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति मे कहा है कि स्वतंत्र समीक्षा प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और नियामक की स्वीकृति के पश्चात् यूनाइटेड किंगडम में परीक्षण पुन: आरंभ किये जाएंगे।

वैक्सीन/दवा के नैदानिक परीक्षण: चरण-1 व चरण-2

- नई दवा और वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण की प्रक्रिया में समानताएँ और अंतर विद्यमान हैं। व्यक्तियों पर परीक्षण के दौरान दोनों 4 चरणों की एक प्रक्रिया का पालन करते हैं।
- एक दवा/वैक्सीन के विभिन्न जानवरों, जैसे- चूहा, खरगोश, हम्सटर और प्राइमेट्स पर परीक्षण में सुरक्षित सिद्ध होने के पश्चात् नैदानिक परीक्षण के चरण-1 को प्रारंभ किया जाता है।
- चरण-1 में स्वयंसेवकों के एक छोटे समूह को दवा की कम मात्रा की खुराक देकर यह देखने के लिये निगरानी की जाती है कि क्या यह सुरक्षित है। इस चरण में औसतन 10-50 उम्मीदवार चुने जाते हैं।
- चरण-2 में सैंकड़ों की संख्या वाले स्वयंसेवकों के एक समूह का चुनाव किया जाता है। इस चरण में शोधकर्ता यह निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि प्रभावी प्रतिक्रिया अथवा वांछित प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने के लिये कितनी मात्रा में खुराक की आवश्यकता होगी। COVID-19 वैक्सीन के मामले में यह वह चरण है जब निर्धारित किया जाता है कि वैक्सीन ने एंटीबॉडी का वांछित स्तर और T-कोशिकाओं को उत्तेजित करने के लिये पर्याप्त कोशिका प्रतिक्रिया आरंभ की है जो क्रमश: वायरस की वृद्धि को रोकने और वायरस को निष्प्रभावी करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। इस चरण में भी दुष्प्रभाव और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी और रिपोर्ट की जाती है।

नैदानिक परीक्षण का चरण-3 अलग कैसे?

- चरण-1 और चरण-2 में रोगियों को भर्ती करने और समय के विभिन्न अंतराल पर दवा/वैक्सीन के प्रभावों का अवलोकन करने के कारण कई महीनों का समय लग जाता है। दोनों चरणों के आँकड़ों के विश्लेषण से संतुष्ट होने के पश्चात् नियामकों द्वारा चरण-3 के लिये स्वीकृति दी जाती हैं।
- इस चरण में हज़ारों स्वयंसेवकों या रोगियों पर कई स्थानों पर दवा या वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है। दवा के मामले में, एक नई दवा की देखभाल के मौजूदा मानक से तुलना कर यह सिद्ध करना होता है कि यह दवा या तो अधिक प्रभावी है या समान रूप से प्रभावी है, लेकिन अधिक सुरक्षित है।

- दवा के विपरीत, जब एक नई बीमारी के लिये वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है, तो आमतौर पर तुलना करने के लिये कुछ भी नहीं होता है, इसलिये चरण-3 चरण-2 परीक्षण का एक बड़ा संस्करण बन जाता है।
- जनसंख्या में जनसांख्यिकीय परिवर्तनशीलता को समझने के लिये कई स्थानों पर चरण-3 का परीक्षण किया जाता है। यह डबल-ब्लाइंड (Double Blind) और यादृच्छिक (Random) होता है। इस चरण में कुछ लोगों को प्लेसबो, कुछ को कम मात्रा की खुराक और कुछ को उच्च मात्रा की खुराक दी जाती है। एक आदर्श परीक्षण में न तो डॉक्टर और न ही प्राप्तकर्ता को पता होता है कि किसे दवा दी जा रही है और किसे प्लेसबो।
- परीक्षण के पैमाने और दायरे के बढ़ने के साथ ही जनसंख्या के एक बड़े समूह द्वारा नवीन दवा/वैक्सीन के संपर्क में आने से 'गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया' का सामना करना पड़ता है। जब गंभीर प्रतिक्रियाएँ प्रकट होती हैं, तो चिकित्सा शोधकर्ताओं को यह निर्धारित करना होता है कि क्या प्रतिक्रिया दवा के कारण थी। यदि यह दवा/वैक्सीन के कारण होता है तो दवा/वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण को रोक दिया जाता है।
- कई स्थानों पर परीक्षण और रोगियों की अधिक संख्या में आवश्यकता के कारण यह नैदानिक परीक्षण का सबसे महँगा चरण भी है। कभी-कभी दवा/वैक्सीन की तात्कालिक आवश्यकता के कारण विभिन्न चरणों के परीक्षण एक साथ भी किये जाते हैं।

एस्ट्राज़ेनेका के मामले में क्या हुआ?

- एस्ट्राज़ेनेका द्वारा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर विकसित की जा रही COVID-19 वैक्सीन, AZD1222 के लिये कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में चरण-3 के नैदानिक परीक्षण के लिये 30,000 स्वयंसेवकों की भर्ती प्रारंभ की थी।
- पुणे स्थित 'सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' (भारत सहित 92 देशों के लिये 100 मिलियन खुराक बनाने के लिये अनुबंधित) ने भारत में 1,600 स्वयंसेवकों के प्रस्तावित समूह पर वैक्सीन का परीक्षण करना शुरू कर दिया था।
- यूनाइटेड किंगडम में परीक्षण के दौरान एक व्यक्ति में प्रतिक्रिया के स्वरूप मेरुदंड की सूजन के कारण एस्ट्राजज़ेनेका ने अपना परीक्षण रोक दिया।
- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुरू में कहा कि वह भारत में परीक्षण नहीं रोकेगा क्योंकि यहाँ कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं देखी गई थी। हालांकि 'ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' से एक कारण बताओ नोटिस के पश्चात् कंपनी ने कहा कि यह स्वयंसेवकों की भर्ती को एस्ट्राज़ेनेका द्वारा सुरक्षा डेटा का मूल्यांकन पूरा नहीं करने तक निलंबित करेगी।

स्वतंत्र मूल्यांकन में क्या कहा गया?

- ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, स्वतंत्र समीक्षा प्रक्रिया के पश्चात् स्वतंत्र सुरक्षा समीक्षा समिति और यू.के. नियामक MHRA (Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency) की सिफारिशों का पालन करते हुए, यू.के. में परीक्षण की पुन: शुरुआत होगी।
- विज्ञप्ति के अनुसार, कंपनी का कहना है कि हम प्रतिभागियों की सुरक्षा और अध्ययन में आचरण के उच्चतम मानकों को अपनाने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

नैदानिक परीक्षण का चरण-4

- एक दवा या वैक्सीन कंपनी, जो चरण-3 को सफलतापूर्वक पूरा करती है, को अनुमोदन और लाइसेंस प्राप्त होता है।
- इसके पश्चात् कंपनी का पूरा आधारभूत ढाँचा दवा/वैक्सीन के तीव्र उत्पादन के लिये समर्पित होता है। इसके अलावा दवा/वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिये लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था की जाती है।
- वैक्सीन के उत्पादन तथा वितरण के पश्चात् पोस्ट-मार्केटिंग निगरानी की जाती है, जहाँ उत्पाद की विफलता और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के सभी उदाहरण दर्ज किये जाते हैं। कंपनियों से दवा नियामक को आवधिक डेटा प्रस्तुत करने की उम्मीद होती है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

पर्यावरण प्रभाव आकलन मसौदा: महत्त्व और निहित समस्याएँ

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञों ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment-EIA) अधिसूचना, 2020 के प्रस्तावित मसौदे पर चिंता ज़ाहिर करते हुए केंद्र सरकार से प्रश्न किया है कि किस प्रकार इस मसौदे के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत के दायित्त्व के अनुरूप हैं।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अधिसूचना के कुछ प्रावधान भारत में पर्यावरण नियामक ढाँचे की प्रभावशीलता और पारदर्शिता को प्रभावित कर सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा मुख्यत: तीन मुद्दे उठाए गए हैं:
  - सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मसौदे में कई बड़ी उद्योग परियोजनाओं और गतिविधियों को पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर सार्वजनिक परामर्श से छूट प्रदान की गई है, विशेषज्ञों के मुताबिक पर्यावरण और मानवाधिकार पर इन परियोजनाओं के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस प्रकार की छूट अनुचित प्रतीत होती है।
  - राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से जुड़ीं परियोजनाओं को रणनीतिक माना जाता है, हालाँकि सरकार अब इस अधिसूचना के ज़रिये अन्य परियोजनाओं के लिये भी 'रणनीतिक' शब्द का प्रयोग कर रही है। अधिसूचना के मसौदे में 'रणनीतिक' शब्द को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे इसकी किसी भी प्रकार से व्याख्या की जा सकती है।
  - विशेषज्ञों ने 'पोस्ट-फैक्टो प्रोजेक्ट क्लीयरेंस' के प्रावधान की भी आलोचना की है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)

- पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) का अभिप्राय किसी एक प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया से होता है।
- इस प्रक्रिया के ज़रिये किसी परियोजना जैसे- खनन, सिंचाई बांध, औद्योगिक इकाई या अपशिष्ट उपचार संयंत्र आदि के संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक तरीके से अनुमान लगाया जाता है।
- इस प्रक्रिया के तहत किसी भी विकास परियोजना या गतिविधि को अंतिम मंज़ूरी देने के लिये उस परियोजना से प्रभावित हो रहे आम लोगों के मत को भी ध्यान में रखा जाता है।
- संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह निर्णय लेने का एक ऐसा उपकरण होता है जिसके माध्यम से यह तय किया जा सकता है कि किसी परियोजना को मंज़ूरी दी जानी चाहिये अथवा नहीं।

भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)

- वर्ष 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में हज़ारों लोगों की मौत हो गई। इस घटना के मद्देनज़र देश ने वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिये एक अम्ब्रेला अधिनियम बनाया गया।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत सर्वप्रथम वर्ष 1994 में पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) मानदंडों को अधिसूचित किया गया।
  - इस अधिसूचना के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच, उनके उपयोग और उन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिये एक कानूनी ढाँचा स्थापित किया गया।

- वर्ष 1994 के पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) को वर्ष 2006 में संशोधित मसौदे के साथ परिवर्तित कर दिया गया और वर्ष 2006 की पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना अब तक कार्य कर रही है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन- 2020 के मसौदे संबंधी मुख्य बिंदु

- सरकार के अनुसार, पर्यावरण प्रभाव आकलन- 2020 के मसौदे को मुख्यत: प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है, किंतु वास्तव में यह मसौदा कई गतिविधियों को सार्वजनिक परामर्श के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव करता है।
- इस मसौदे के तहत सामाजिक और आर्थिक प्रभाव और उन प्रभावों के भौगोलिक विस्तार के आधार पर सभी परियोजनाओं और गतिविधियों को तीन श्रेणियों- 'A', 'B1' और 'B2' में विभाजित किया गया है।
- कई परियोजनाओं जैसे- सभी B2 परियोजनाओं, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, एसिड निर्माण, जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाएँ, भवन निर्माण और क्षेत्र विकास, एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर, राजमार्ग या एक्सप्रेसवे आदि को सार्वजनिक परामर्श से छूट दी गई है।

संबंधित समस्याएँ

- नए मसौदे के तहत उन कंपनियों या उद्योगों को भी क्लीयरेंस प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा जो इससे पहले पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करती आ रही हैं। इसे 'पोस्ट-फैक्टो प्रोजेक्ट क्लीयरेंस' कहते हैं।
  - ध्यातव्य है कि मार्च 2017 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि अब तक पर्यावरणीय मंज़ूरी के बिना कार्य कर रही परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंज़ूरी (EC) के लिये आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा।
  - अब सरकार ने नए मसौदे के माध्यम से इसे एक स्थायी रूप दे दिया है।
- इस प्रकार अब तक बिना पर्यावरणीय मंज़ूरी के अवैध रूप से संचालित होने वाली सभी औद्योगिक इकाइयों और परियोजनाओं को एक नई योजना प्रस्तुत करके तथा निर्धारित दंड का भुगतान करके नए प्रावधान के तहत वैध इकाइयों में बदलने का अवसर दिया जा रहा है।
- परंतु यहाँ प्रश्न यह है कि क्या एक नई योजना और निर्धारित दंड का भुगतान करके पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है?
- B2 श्रेणी तथा कई अन्य क्षेत्रों की परियोजनाओं और गतिविधियों को सार्वजनिक परामर्श से छूट दी गई है, जिससे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि ऐसी परियोजनाओं को बिना किसी निरीक्षण के पूरा किया जाएगा।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा, 2020 EIA प्रक्रिया पर लालफीताशाही और नौकरशाही के लिये कोई ठोस उपाय नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, यह पर्यावरण सुरक्षा में सार्वजनिक सहभागिता को सीमित करते हुए सरकार की विवेकाधीन शक्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।
- अधिसूचना के मसौदे में ये कहा गया है कि सरकार किसी भी तरह के पर्यावरणीय उल्लंघनों का संज्ञान लेगी, हालाँकि ऐसे पर्यावरणीय उल्लंघन की रिपोर्ट या तो सरकार या फिर स्वयं कंपनी द्वारा ही की जा सकती है, इसमें आम जनता को किसी भी उल्लंघन की शिकायत करने का कोई विकल्प नहीं दिया गया है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिये, किंतु सरकार द्वारा जारी किया गया मसौदा उद्योग-समर्थक और जन-विरोधी प्रतीत होता है।
  - मौजूदा नियमों के अनुसार, उद्योगों को वर्ष में दो बार अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Reports) प्रस्तुत करनी होती है, किंतु नए मसौदे के तहत अब उद्योगों को केवल वर्ष में केवल एक ही बार अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसे एक उद्योग-समर्थित प्रावधान के तौर पर देखा जा सकता है जो उन पर निरीक्षण के दायरे को सीमित करता है।
- कई जानकारों ने इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि इस प्रस्तावित मसौदे को केवल हिंदी और अंग्रेज़ी में ही प्रकाशित किया गया है, जिससे अन्य स्थानीय भाषी समुदायों को सार्वजनिक भागीदारी से बाहर कर दिया गया है।

मृत प्रवाल' भित्तियों का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'क्वींसलैंड विश्वविद्यालय' (University of Queensland- UQ) की एक अनुसंधान टीम ने एक अध्ययन में पाया कि 'जीवित प्रवालों' की तुलना में 'मृत प्रवालों' के मलबे द्वारा अधिक जीवों को संरक्षण तथा समर्थन दिया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- शोधकर्त्ताओं ने प्रवाल भित्तियों में जीवों के सर्वेक्षण के लिये 'मलबे में जैव विविधता के नमूना एकत्रीकरण (RUbble Biodiversity Samplers- RUBS) नामक एक त्रि-आयामी मुद्रित प्रवाल स्तंभ (एक प्रकार का कृत्रिम प्रवाल) का उपयोग किया।
- RUBS की द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर वैज्ञानिकों की टीम ने समय के साथ प्रवाल भित्तियों की जैव-विविधता में आए बदलाव का अध्ययन किया।

प्रवाल भित्तियाँ (Coral Reefs):

- प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्सियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं।
- वस्तुत: ये प्रवाल भित्तियाँ मूँगों सहित अनेक छोटे फ्लोरा तथा फौना की बस्तियाँ होती हैं।

जीवित प्रवाल भित्तियाँ (Live Coral Reefs):

- प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव (कोरल पॉलिप) होते हैं। इन प्रवालों का शैवाल जूजैंथिली (Zooxanthellae) के साथ सहजीवी संबंध पाया जाता है, अत: प्रवाल भित्तियाँ रंगीन होती है। इन प्रवाल भित्तियों को 'जीवित प्रवाल भित्ति' के रूप में जाना जाता है।
- 'जीवित प्रवाल भित्तियों' (Live Coral Reefs) को पृथ्वी पर सर्वाधिक विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्र के रूप में माना जाता है।

मृत प्रवाल भित्तियाँ (Dead Coral Reefs):

- जीवित प्रवाल भित्तियाँ तापमान परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं, अत: वैश्विक तापन से कोरल अर्थात मूँगों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाता है।
- प्रदूषण, वैश्विक तापन या अन्य किसी प्रकार की आवासीय परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर प्रवाल तनावग्रस्त हो जाते हैं तथा ये सहजीवी शैवाल को निष्कासित कर देते हैं, जिसे 'कोरल ब्लीचिंग' अथवा मृत प्रवाल के रूप में जाना जाता है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- 'जीवित' प्रवाल भित्तियाँ मत्स्य सहित अन्य समुद्री जीवों को संरक्षण और पोषण प्रदान करती हैं। अब तक ऐसा माना जाता रहा है कि 'जीवित प्रवाल' के 'मृत प्रवाल' में बदलने के साथ प्रवाल भित्तियों द्वारा समुद्री जैव-विविधता के संरक्षण में निभाई जाने वाली भूमिका कम हो जाती है।
- शोध कार्य के अनुसार, मृत प्रवाल भित्तियों के मलबे द्वारा भी समुद्री जैव-विविधता के संरक्षण में व्यापक भूमिका निभाई जाती है, अत: इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिये।

प्रवाल भित्तियों में जैव-विविधता:

- प्रवाल भित्तियों में व्यापक जैवविविधता पाई जाती है अत: इन्हें 'समुद्री वर्षावन' (Rainforests of the Sea) भी कहा जाता है।
- महासागरों की लगभग 25% मत्स्य प्रजातियाँ स्वस्थ प्रवाल भित्तियों पर निर्भर होती हैं।
- मत्स्य और अन्य जीवों की अनेक प्रजातियाँ आश्रय, भोजन, प्रजनन आदि के लिये प्रवाल भित्तियों पर निर्भर रहती है।
- सामान्यत: एक प्रवाल भित्ति पर मत्स्य, अकशेरुकी, पौधों, समुद्री कछुओं, पक्षियों और समुद्री स्तनधारियों की 7,000 से अधिक प्रजातियाँ निर्भर रहती है।

प्रमुख प्रवाल विरंजन की घटनाएँ:

- वर्ष 1998, वर्ष 2010 और वर्ष 2016 में हुई वृहद स्तरीय 'कोरल ब्लीचिंग' की घटनाओं को 'तीन वृहद ब्लीचिंग की घटनाओं' (Three Mass Bleaching Events) के रूप में जाना जाता है।
- 'कोरल ब्लीचिंग' की इन घटनाओं से भारत के पाँच प्रमुख भारतीय भित्तियों के क्षेत्र; अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारतीय तटरेखा एक प्राचीन और वृहद प्रवाल विविधता का क्षेत्र है, जो वृहद पारिस्थितिकी तंत्र के लिये एक प्राकृतिक आवास प्रदान करती है।

नोट :

निष्कर्ष:

- प्रवाल भित्तियों के संबंध में 'मृत प्रवालों' की भूमिका का अध्ययन 'प्रवाल भित्तियों' के प्रबंधन तथा संरक्षण में मदद करेगा तथा पर्यावरणविदों के बीच प्रवालों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक नया अवसर प्रदान करती है।

प्रोजेक्ट डॉल्फिन और गंगा डॉल्फिन संरक्षण

चर्चा में क्यों?

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करने की सरकार की योजना की घोषणा की थी। इस प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य नदी और समुद्री डॉल्फिन की सुरक्षा करना है।

प्रमुख बिंदु

- प्रोजेक्ट डॉल्फिन
  - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन (Project Dolphin) को प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर चलाया जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है, जिसने देश में बाघों की संख्या बढ़ाने में उल्लेखनीय कार्य किया है।
  - प्रोजेक्ट डॉल्फिन को बीते वर्ष दिसंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद (NGC) की पहली बैठक में मंज़ूरी मिली थी।
  - अब तक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG), जो कि सरकार की प्रमुख योजना नमामि गंगे को लागू करता है, ने डॉल्फिन को बचाने के लिये कुछ पहल की हैं।
  - अनुमानतः डॉल्फिन के संरक्षण के लिये यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।

गंगा डॉल्फिन

- गंगा नदी जल प्रणाली जलीय जीवन की एक विशाल विविधता का घर है, जिसमें गंगा डॉल्फिन (Gangetic Dolphin) भी शामिल है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लैटनिस्टा गैंगेटिका (Platanista Gangetica) है।
- गंगा डॉल्फिन विश्व भर की नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन की पाँच प्रजातियों में से एक है। इस प्रकार की डॉल्फिन मुख्य तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप खासतौर पर गंगा-ब्रह्मपुत्र-सिंधु-मेघना और कर्णाफुली-सांगू (Karnaphuli-Sangu) नदी तंत्र में पाई जाती हैं।
- 'गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010-2020' में नर डॉल्फिन को 2 से 2.2 मीटर लंबा और मादा डॉल्फिन को 2.4 से 2.6 मीटर लंबा बताया गया है।
- एक वयस्क गंगा डॉल्फिन का वजन 70 किलोग्राम से 90 किलोग्राम के बीच हो सकता है।
- भारत में ये असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव (National Aquatic Animal) के रूप में मान्यता दी है।

डॉल्फिन को सुरक्षित करने का महत्त्व

- एक समय था जब गंगा डॉल्फिन (Gangetic Dolphin) को गंगा में बंगाल की खाड़ी के डेल्टा से लेकर हिमालय की तलहटी में ऊपर के कई स्थानों पर देखा जा सकता था। यह गंगा की सहायक नदियों में भी पाई जाती थी।
- कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली की यमुना नदी में भी डॉल्फिन पाई जाती थी।
- हालाँकि नदियों पर बाँधों के निर्माण और बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण जलीय जीवों खासतौर पर डॉल्फिन की आबादी में गिरावट आई है।
- जलीय जीवों का जीवन नदी के पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का एक संकेतक है। चूँकि गंगा डॉल्फिन खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है, इसलिये नदी के जलीय जीवन का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये गंगा डॉल्फिन की रक्षा करना काफी आवश्यक है।

डॉल्फिन के लिये खतरे

- जल प्रदूषण के रूप में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक औद्योगिक प्रदूषण, मछली पकड़ने वाले जाल, नदियों में गाद का जमा होना, तेल प्राप्त करने के लिये इनका शिकार करना, आदि इनकी उपस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं।

- नदियों पर बने बांध भी इनकी इनकी वृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि ये संरचनाएँ पानी के प्रवाह को बाधित करती हैं।

वर्तमान में गंगा डॉल्फिन की स्थिति

- हालाँकि इस संबंध में कोई सटीक आँकड़ा उपलब्ध नहीं है, किंतु विभिन्न अनुमानों से पता चलता है कि भारत में गंगा डॉल्फिन की आबादी लगभग 2,500-3,000 हो सकती है।
- हालाँकि बीते वर्ष केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा को सूचित किया था कि अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 1,272 डॉल्फिन और असम में लगभग 962 डॉल्फिन हैं।
- ध्यातव्य है कि गंगा के बढ़ते प्रदूषण के कारण उसमें जलीय जीवन पर खासा प्रभाव पड़ा है, खासतौर पर डॉल्फिन की संख्या में कमी देखने को मिली है।

गंगा डॉल्फिन को बचाने के प्रयास

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम: वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान (Ganga Action Plan) की शुरुआत के बाद 24 नवंबर, 1986 को सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से गंगा डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की प्रथम अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। सरकार के इस कदम का उद्देश्य गंगा डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देना और उनके लिये वन्यजीव अभयारण्यों जैसी संरक्षण सुविधाएँ प्रदान करना था। उदाहरण के लिये बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य इसी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था।
- संरक्षण योजना: सरकार ने 'गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010-2020' भी तैयार की है, जिसमें गंगा डॉल्फिन के समक्ष मौजूद खतरों और उनकी आबादी पर नदी के यातायात और सिंचाई नहरों आदि के प्रभावों की पहचान की गई है।
- राष्ट्रीय जलीय जीव: 5 अक्तूबर, 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। अब राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 अक्तूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, भारत में डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयास 1980 के दशक के मध्य से ही शुरू हो गए थे, किंतु विश्लेषण से पता चलता है कि इन प्रयासों से डॉल्फिन की संख्या पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी गंगा डॉल्फिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लुप्तप्राय (Endangered) सूची में शामिल है। सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा प्रोजेक्ट डॉल्फिन (Project Dolphin) इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है, हालाँकि आवश्यक है कि प्रोजेक्ट के लॉन्च के बाद इसके कार्यान्वयन पर भी ध्यान दिया जाए।

इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई

चर्चा में क्यों?

07 सितंबर, 2020 को विश्व में पहली बार 'इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई' का आयोजन किया गया, इस अवसर पर आयोजित वेबिनर को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सरकार देश के सबसे प्रदूषित 122 शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिये प्रतिबद्ध है।

प्रमुख बिंदु

- वायु प्रदूषण की समस्या को रेखांकित करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में सरकार ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index-AQI) के माध्यम से निगरानी शुरू की थी और वर्तमान में आठ मानकों पर प्रदूषण के स्तर निगरानी की जा रही है।
- वर्तमान में देश में बीएस-VI (भारत स्टैंडर्ड-6) मानकों को अपनाया गया है और गुणवत्ता वाले पेट्रोल तथा डीज़ल उपलब्ध कराए गए हैं, जो प्रदूषण से लड़ने के लिये एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
- पर्यावरण मंत्री के अनुसार, बीते कुछ वर्षों में सरकार द्वारा सड़कों और राजमार्गों का निर्माण काफी तेज़ी हो रहा है और इसके कारण गत वर्ष की तुलना में प्रदूषण कम हो रहा है।

नोट :

इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई

- वर्ष 2020 में पहली बार विश्व स्तर पर 'इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई' (International Day of Clean Air for Blue Skies) का आयोजन किया गया।
- इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों यथा- व्यक्ति, समुदाय, निगम और सरकार आदि पर इस संबंध में जन जागरूकता बढ़ाना है कि स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है।
- साथ ही इस दिवस का उद्देश्य वायु गुणवत्ता जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर कार्य करने वाले विविध अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ लाने के लिये एक रणनीतिक गठबंधन तैयार करना भी है, ताकि प्रभावी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों को गति मिल सके।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर, 2019 को 'इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई' आयोजित करने का संकल्प अपनाया था।
- वर्ष 2020 के दिवस की थीम 'क्लीन एयर फॉर ऑल' (Clean Air for All) रखी गई है।

वायु प्रदूषण क्या है ?

- वायु प्रदूषण का अभिप्राय विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों जैसे- ईंधन, कृषि और खेती के अक्षम दहन के कारण वातावरण में उत्सर्जित गैसों और कणों से उत्पन्न स्थिति से है।
- वायु प्रदूषण के कुछ प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं, जिनमें ज्वालामुखी क्रिया, वनाग्नि, कोहरा और परागकण आदि शामिल हैं, किंतु प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न वायु प्रदूषण कम खतरनाक होता है क्योंकि प्रकृति में स्व-नियंत्रण की क्षमता होती है।

गंभीर समस्या के रूप में- वायु प्रदूषण

- एक अनुमान के अनुसार, संपूर्ण विश्व का लगभग 92 प्रतिशत हिस्सा वायु प्रदूषण के खतरे का सामना कर रहा है, जिससे प्रत्येक वर्ष अनुमानत: 7 मिलियन लोगों की मृत्यु समय से पहले हो जाती है।
- हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे अस्थमा, सर्दी, आँखों में जलन, श्रवण शक्ति कमज़ोर होना, त्वचा रोग आदि बीमारियाँ पैदा होती हैं।
- वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा का खतरा बढ़ा है, जिससे पेड़-पौधे, भवनों व ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुँचा है।

वायु प्रदूषण और सतत् विकास

- विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण सतत् विकास के लिये एक गंभीर खतरा है, क्योंकि यह मानव विकास से संबंधित विभिन्न सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक मानदंडों जैसे- अच्छा स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता, जलवायु स्थिरता और गरीबी में कमी आदि को प्रभावित करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित कई सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्रगति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वायु गुणवत्ता की स्थिति पर निर्भर है।

प्रयास-राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

- बीते वर्ष जनवरी माह में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme-NCAP) की शुरुआत की थी, जिसमें वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानते हुए प्रदूषणकारी कणों PM 10 और PM 2.5 के अनुपात को वर्ष 2024 तक 20 से 30 प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस योजना में 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 102 शहरों की पहचान हुई थी। वायु गुणवत्ता पर नवीनतम डेटा ट्रेंड के आधार पर 20 और शहरों को NCAP के तहत शामिल किया गया है।

उपाय

- चूँकि प्रत्येक शहर में प्रदूषण के अलग-अलग स्रोत हैं, इसलिये राज्यों को प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिये शहर केंद्रित योजनाओं के साथ कार्य करना चाहिये, इस कार्य के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

नोट :

- हवा को स्वच्छ करने के लिये लोगों की भागीदारी आवश्यक है। कार-पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- वायु प्रदूषण को रोका जाना संभव है, किंतु इसके लिये सभी हितधारकों, जिनमें आम नागरिकों से लेकर निजी कंपनियाँ और सरकारें शामिल हैं, को एक साथ एक मंच पर आना होगा।

क्षोभमंडलीय ओज़ोन की सांद्रता में गिरावट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान' से जुड़े कुछ शोधकर्त्ताओं ने एक अध्ययन के दौरान पाया कि 'ब्रह्मपुत्र नदी घाटी' (Brahmaputra River Valley- BRV) क्षेत्र में क्षोभमंडलीय ओज़ोन (Tropospheric Ozone) की सांद्रता देश में अन्य स्थानों की तुलना में कम है।

प्रमुख बिंदु:

- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, इस अध्ययन में पाया गया कि गुवाहाटी (असम) में ओज़ोन की सांद्रता देश के अन्य शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है।
- यह शोध भारत सरकार के 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Science and Technology -DST) के अधीन नैनीताल स्थित स्वायत्त अनुसंधान संस्थान 'आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान' (Arayabhatta Research Institute of Observational Sciences- ARIES) के शोधकर्त्ताओं द्वारा किया गया था।
- इस अध्ययन के दौरान शोधकर्त्ताओं ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में ओज़ोन और अन्य वायु प्रदूषक तत्त्वों की परिवर्तनशीलता का विश्लेषण किया।
- अध्ययन के दौरान ओज़ोन के उत्सर्जन स्रोत [विशेष रूप से मीथेन (CH_4) और 'गैर-मीथेन हाइड्रोकार्बन'(NMHCs)] की पहचान के लिये मौसमी/सामायिक और सप्ताह के दिनों के आधार पर ओज़ोन गुणों का अध्ययन किया गया।
- इस अध्ययन में 'भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान-नई दिल्ली', 'यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री-यूएसए', 'वाशिंगटन यूनिवर्सिटी-यूएसए' से जुड़े कुछ प्रोफेसर तथा वैज्ञानिकों ने भी हिस्सा लिया।

कारण:

- इस अध्ययन के दौरान क्षेत्र में नाइट्रिक ऑक्साइड (NO), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) और ओज़ोन सांद्रता के परीक्षण में पाया गया कि यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर निकटवर्ती प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रभावित है।
- दिन के समय में यह क्षेत्र एक 'फोटो-स्टेशनरी अवस्था' (Photostationary State) में या उसके करीब रहता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ओज़ोन सांद्रता पर जैविक प्रजातियों का प्रभाव कम ही होता है।

क्या है क्षोभमंडलीय ओज़ोन?

- ज़मीनी स्तर या वायुमंडल के निम्नतम स्तर में पाई जाने वाली क्षोभमंडलीय ओज़ोन को 'बैड ओज़ोन' (Bad Ozone) के नाम से भी जाना जाता है।
- क्षोभमंडलीय ओज़ोन का निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (Volatile Organic Compounds- VOC) के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है।
- क्षोभमंडलीय ओज़ोन की सांद्रता कई मानव जनित कारकों जैसे- वाहनों, विद्युत् संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों, रिफाइनरियों, रासायनिक संयंत्रों और अन्य स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषक तत्त्व के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करने से और अधिक बढ़ जाती है।

दुष्प्रभाव:

- क्षोभमंडलीय ओज़ोन से मनुष्यों और पेड़-पौधों पर कई प्रकार के हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं।

नोट :

- क्षोभमंडलीय ओज़ोन के दुष्प्रभावों से सांस से संबंधित बीमारियाँ, गले में खरास, खांसी आदि हो सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त यह फेफड़ों के कार्य करने की क्षमता को कम करने के साथ फेफड़े के ऊतकों को क्षति पहुँचा सकता है।
- ओज़ोन संवेदनशील वनस्पतियों और पारिस्थितिक तंत्रों को प्रभावित करता है, जिनमें वन, पार्क, वन्यजीवों के वास स्थान आदि शामिल हैं।

आगे की राह:

- वाहनों और कारखानों से उत्सर्जित होने वाले हानिकारक प्रदूषक तत्त्व क्षोभमंडलीय ओज़ोन की सांद्रता में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है, ऐसे में सरकार को परिवहन तथा औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण को कम करने हेतु नवीन तकनीकों एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- सरकार द्वारा वाहनों में बीएस-6 (BS-VI) मानक के इंजनों को अनिवार्य करना और इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर (Tax) में छूट का निर्णय इस दिशा में उठाए गए सकारात्मक कदम हैं।
- ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा और पवन उर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये तथा औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिये नियमों में आवश्यक सुधार किये जाने चाहिये।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 की समीक्षा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वन महानिदेशक ने राष्ट्रीय वन नीति, 1988 (National Forest Policy, 1988) में संशोधन की सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु:

- ये सिफारिशें वर्ष 2016 में प्रकाशित 'नेचुरल रिसोर्स फोरम' (Natural Resources Forum) के एक शोध पत्र पर आधारित हैं।
    - 'नेचुरल रिसोर्स फोरम' एक संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास जर्नल (United Nations Sustainable Development Journal) है जो प्रमाणन के आधार पर सतत् वन प्रबंधन एवं पुनर्स्थापना, संरक्षण व उत्पादन की विशेषता वाली नीति का समर्थन करता है।
- आँकड़ों की अनुपलब्धता: लकड़ी के बढ़ते स्टॉक, खपत एवं उत्पादन से संबंधित विश्वसनीय आँकड़ों की कमी है जो लकड़ी की आपूर्ति एवं मांग के अनुमानों को बाधित करता है।
- वनों से बाहर के पेड़ों (Trees Outside Forests- TOFs) पर ध्यान देना: वनों से बाहर के पेड़ों (TOFs) से लकड़ी उत्पादन की संभावना यानी पेड़ों को सरकारी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया (Recorded Forest Areas- RFAs) के बाहर उगाया जाना चाहिये और उनका दोहन किया जाना चाहिये।
    - 'रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया' (RFA) सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज सभी भौगोलिक क्षेत्रों को संदर्भित करता है। इसमें आरक्षित वन (Reserved Forests) और संरक्षित वन (Protected Forests) शामिल हैं जिन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया है।
    - वर्ष 2011 की 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट' के अनुसार, सरकारी वनों से लकड़ी का उत्पादन 3.17 मिलियन घन मीटर और TOFs से संभावित लकड़ी उत्पादन 42.77 मिलियन घन मीटर है।
        - भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR), केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संगठन 'भारतीय वन सर्वेक्षण' (FSI) द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी की जाती है।
- गोडावर्मन केस, 1996 (Godavarman Case, 1996) में उच्चतम न्यायालय ने वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी जिससे लकड़ी के घरेलू उत्पादन में कमी आई है।
- उत्पादन वानिकी द्वारा TOF एवं RFAs से वन उत्पादकता में सतत वृद्धि पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- RFA वाले राज्यों के माध्यम से लकड़ी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कार्य योजनाओं को तैयार किया जाना चाहिये और वृक्षारोपण के लिये वनों के 10% क्षेत्र का सीमांकन करना चाहिये।
- TOF के लिये एक संतुलित राष्ट्रव्यापी नीति विकसित की जानी चाहिये।

नोट :

लाभ:

- लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि से कार्बन अधिग्रहण को भी समर्थन मिलेगा साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।
- TOF से इमारती लकड़ी का उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकता है।

आयात-निर्यात नीति की समीक्षा: चूँकि घरेलू लकड़ी के उत्पादन में गिरावट आई है और आयात कई गुना बढ़ गया है इसलिये निर्यात-आयात नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

- बढ़ती आबादी एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के कारण लकड़ी की घरेलू मांग बढ़ी है। आयात पर निर्भरता व्यवहार्य नहीं है क्योंकि दुनिया भर के निर्यातक एक संरक्षण-आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहे हैं।
- निर्यात-आयात नीति की समीक्षा बाज़ार में मूल्य निर्धारण को सुधारने के लिये की जानी चाहिये ताकि यह खेती हेतु वृक्षों को उगाने के लिये आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो।
  - निर्यात-आयात नीति या एक्जिम पॉलिसी (Exim Policy) के रूप में बेहतर माल एवं वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से संबंधित दिशा-निर्देशों का एक सेट है। भारत सरकार ने विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत पाँच वर्षों के लिये एक्जिम नीति को अधिसूचित किया है।

भारतीय वन नीति में संशोधन:

- इन सिफारिशों में कागज ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये भारतीय वन नीति को संशोधित करने पर ज़ोर दिया गया है।
- संरक्षण नीतियों द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने पर तथा संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के माध्यम से जैव विविधता में सुधार पर ध्यान देना चाहिये।
- पुनर्निमाणकारी नीतियों में पुनर्वितरण, पुनर्वास एवं निम्नीकृत परिदृश्य एवं बंजर भूमि के उत्थान को लक्षित किया जाना चाहिये।

पृष्ठभूमि:

- वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय वन नीति, 1988 लागू है। जिसके केंद्र में पर्यावरण संतुलन एवं आजीविका है।

इस नीति की मुख्य विशेषताएँ एवं लक्ष्य:

- पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण एवं पुनर्निर्माण के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता का रखरखाव करना।
- मौजूदा प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना।
- नदियों, झीलों एवं जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन एवं अनाच्छादन की जाँच करना।
- राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों एवं तटीय इलाकों में रेत के टीलों के विस्तार की जाँच करना।
- वनों की कटाई एवं सामाजिक वानिकी के माध्यम से वन/ वृक्ष क्षेत्र को लगातार बढ़ाना।
- ईंधन, लकड़ी, चारा, लघु वन उत्पाद, मिट्टी एवं ग्रामीण व आदिवासी आबादी की लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कदम उठाना।
- राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वनों की उत्पादकता बढ़ाना।
- वन उपज के कुशल उपयोग और लकड़ी के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- रोज़गार के अवसर पैदा करना और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।

आलोचना:

- इस वन नीति को लंबे समय से अपडेट नहीं किया गया है जबकि वनों एवं जलवायु की स्थिति में काफी बदलाव आया है।
- वनों एवं वन प्रबंधन के संबंध में प्रमुख नीतियाँ या तो है ही नहीं या विलंबित हैं या उनको पुराने तरीके पर ही छोड़ दिया गया हैं। उदाहरण के लिये वर्तमान में 'वन' की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया हो जबकि राज्यों को वनों की अपनी परिभाषा निर्धारित करने के लिये अधिकार दिया गया है।

गौरतलब है कि एक मसौदा राष्ट्रीय वन नीति 2018 में जारी की गई थी। इस मसौदे का मुख्य ज़ोर आदिवासियों एवं वन-आश्रित लोगों के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ वनों का संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन पर है।

नोट :

भारतीय वनों से संबंधित अन्य विधान:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act 1927)
- क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 (Compensatory Afforestation Fund Act 2016)
- वन संरक्षण अधिनियम 1980 (Forest Conservation Act 1980)
- वन अधिकार अधिनियम 2006 (Forest Rights Act 2006)
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 (Wildlife Protection Act 1972)

PEDA द्वारा पराली का प्रबंधन

चर्चा में क्यों?

पराली जलाने की समस्या पंजाब सरकार को लंबे समय से परेशान कर रही है। पंजाब सरकार की 'पंजाब एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी' (PEDA) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर पराली उपयोग के लिये विकल्पों की तलाश कर इस समस्या को हल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

प्रमुख बिंदु:

बायोमास बिजली संयंत्रों की स्थापना

- विगत तीन दशकों से नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्द्धन और विकास की दिशा में राज्य नोडल एजेंसी के रूप में PEDA ने 11 बायोमास बिजली संयंत्र स्थापित किये हैं, जिनके माध्यम से 97.50 मेगावाट (MW) बिजली उत्पन्न की जा रही है।
- इन संयंत्रों में 8.80 लाख मीट्रिक टन धान की पराली (पंजाब में उत्पन्न कुल 20 मिलियन टन धान की पराली का 5 प्रतिशत से भी कम) का उपयोग वार्षिक रूप से बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। इनमें से अधिकांश संयंत्र 4-18 मेगावाट के हैं, जो वार्षिक रूप से 36,000 से 1,62,000 मीट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग कर रहे हैं।
- 14 मेगावाट क्षमता वाली दो बायोमास विद्युत परियोजनाएँ जून 2021 से क्रियान्वित किये जाने की प्रक्रिया में है। इन्हें प्रतिवर्ष 1.26 लाख मीट्रिक टन धान की पराली की आवश्यकता होगी।
- अपेक्षाकृत कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने के कारण ये परियोजनाएँ पर्यावरण के अनुकूल हैं।

बायोमास बिजली संयत्रों के अलावा अन्य प्रयास

- बायोमास परियोजनाओं के अलावा, जैव-सीएनजी (BIO-CNG) की आठ परियोजनाएँ राज्य में क्रियान्वित किये जाने की प्रक्रिया में हैं। इन परियोजनाओं में से अधिकांश वर्ष 2021-22 में शुरू की जाएंगी। इनको वार्षिक रूप से लगभग 3 लाख मीट्रिक टन धान की पराली की आवश्यकता होगी।
- स्टार्ट-अप की अवधारणा के तहत पंजाब में धान की पराली का उपयोग करने की बहुत संभावनाएँ है। PEDA भारत की सबसे बड़ी सीएनजी परियोजना स्थापित करने जा रही है, जो प्रतिदिन 8,000 मीटर क्यूब बायोगैस (33.23 टन जैव-सीएनजी के बराबर) का उत्पादन करेगी। संगरूर ज़िले की लेहरगागा तहसील में परियोजना का काम चल रहा है। मार्च 2021 तक इस परियोजना के शुरू होने के पश्चात् परियोजना के लिये प्रति वर्ष 1.10 लाख मीट्रिक टन धान की पराली की आवश्यकता होगी।
- बठिंडा के तलवंडी साबो में स्थित 100 KL (किलो लीटर) की एक बायो-एथेनॉल परियोजना के लिये वार्षिक रूप से 2 लाख मीट्रिक टन धान की पराली की आवश्यकता होगी। वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (ICT), मुंबई के साथ तकनीकी मुद्दों की वजह से HPCL द्वारा इसे रोका गया है।
- इन सभी परियोजनाओं के शुरू होने के पश्चात् पंजाब 1.5 मिलियन टन पराली (कुल पराली उत्पादन का लगभग 7 प्रतिशत) का उपयोग करने में सक्षम होगा। डीज़ल और पेट्रोल के सम्मिश्रण के पश्चात् वाहनों में इथेनॉल का उपयोग किया जा सकता है।

नोट :

- प्लाई और पेंट उद्योग में भी पराली के उपयोग की बहुत संभावनाएँ है। पराली को जलाने की बजाय उद्योगों में बेचने से किसानों को बहुत लाभ हो सकता है। मृदा की उपजाऊ परत को संरक्षित करने और पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर सृजित करना आदि इसके अन्य लाभ हैं।

बायोमास ऊर्जा

- बायोमास ऊर्जा जीवित या मृतजीवों/वनस्पतियों से उत्पन्न ऊर्जा है। ऊर्जा के लिये उपयोग की जाने वाली सबसे आम बायोमास सामग्री पौधे हैं।
- बायोमास को जलाकर या बिजली में परिवर्तित कर ऊष्मा/ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

जैव-सीएनजी

- जैव-सीएनजी में लगभग 92-98% मीथेन और केवल 2-8% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैव-सीएनजी का कैलोरी मान बायोगैस की तुलना में 167% अधिक है।
- कम उत्सर्जन के कारण अधिक पर्यावरण अनुकूल होने से ऑटोमोबाइल और बिजली उत्पादन के लिये सीएनजी एक आदर्श ईंधन है।
- देश में बायोमास की प्रचुरता को देखते हुए आगामी वर्षों में ऑटोमोटिव, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगों में जैव-सीएनजी को बायोगैस से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

बायो-एथेनॉल

- यह बायोमास से उत्पन्न इथेनॉल है जिसे सामान्यत: बायो-एथेनॉल के रूप में जाना जाता है। बायो-एथेनॉल रासायनिक रूप से व्युत्पन्न एथेनॉल के समान है।
- बायो-एथेनॉल के सामान्य फीडस्टॉक्स में मक्का , स्विचग्रास, गन्ना, शैवाल और अन्य बायोमास शामिल हैं।
- इसे नवीकरणीय और पर्यावरण अनुकूल ईंधन के रूप में परिवहन में उपयोग किया जा सकता है।

आगे की राह:

- इन संयंत्रों में पराली का वर्तमान उपयोग पराली के कुल उत्पादन की तुलना में बहुत कम है। इसमें वृद्धि करने के लिये राज्य को पराली आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिये बड़े व्यापारियों, NRIs, युवा इंजीनियरों और विज्ञान प्रौद्योगिकी में स्नातकों को स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। इसके लिये सरकार ऋण और बाज़ार प्रदान कर मदद कर सकती है।
- पंजाब में लगभग 13,000 गाँव और लगभग 150 ब्लॉक हैं। किसी ब्लॉक के अपशिष्ट प्रबंधन के लिये ब्लॉक-स्तर पर पराली आधारित परियोजनाएँ स्थापित की जा सकती हैं।

वन क्षेत्रों में अन्वेषण हेतु अनिवार्य शुल्क में छूट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'वन सलाहकार समिति' (Forest Advisory Committee- FAC) ने केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा वन्य क्षेत्रों में पूर्वेक्षण तथा अन्वेषण हेतु 'शुद्ध वर्तमान मूल्य' (Net Present Value- NVP) शुल्क को माफ किये जाने की मांग को खारिज कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि 18 अगस्त, 2020 को केंद्रीय खान मंत्रालय ने वन्य क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन, धातु और गैर-धातु खनिजों के अन्वेषण और पूर्वेक्षण को 'वन संरक्षण अधिनियम' (Forest Conservation Act) के दायरे से बाहर रखने की मांग की थी।
- केंद्रीय खान मंत्रालय ने NVP को अन्वेषण/पूर्वेक्षण गतिविधियों में देरी का एक प्रमुख कारण बताया था।
- FAC ने NVP को पूरी तरह समाप्त करने की मांग को खारिज कर दिया है परंतु समिति ने 'केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' को इसमें कुछ छूट देने का सुझाव दिया है।

- ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में केंद्रीय कोयला मंत्रालय, केंद्रीय खान मंत्रालय और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिये बोरहोल (Borehole) की खुदाई हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस से छूट की मांग की थी।
- इस मामले में भी वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee) ने छूट देने से इनकार कर दिया था परंतु समिति ने प्रक्रिया को सरल बनाने पर सहमति व्यक्त की थी।

क्या है शुद्ध वर्तमान मूल्य?

- शुद्ध वर्तमान मूल्य से आशय उस मूल्य/निधि के मौद्रिक सन्निकटन से है जो वन के किसी भाग को नष्ट किये जाने के कारण खो दिया जाता है।
- सरल भाषा में कहें तो NVP किसी वन और उसके पारिस्थितिक तंत्र को अवसंरचना परियोजनाओं के कारण होने वाली क्षति की भरपाई और इसके संरक्षण के प्रयासों के लिये किया जाने वाला अग्रिम भुगतान है।
- NVP की गणना के लिये कुछ सूत्र निर्धारित हैं, NVP का निर्धारण वन की अवस्थिति और प्रकृति तथा उस क्षेत्र के लिये प्रस्तावित औद्योगिक उद्यम के प्रकार पर निर्भर करता है।
    - उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 अत्यंत घने वनों के लिये प्रति हेक्टेयर NVP 10,43,000 रुपए था।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2002 में गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिये वन भूमि का उपयोग करने के लिये NVP का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया और इसमें बहुत ही सीमित छूट की अनुमति है।
- NVP का विकास उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आधार पर आर्थिक विकास संस्थान (Institute of Economic Development) की प्रो. कंचन चोपड़ा की अध्यक्षता में बनी एक समिति द्वारा किया गया था।

केंद्रीय खान मंत्रालय का पक्ष:

- केंद्रीय खान मंत्रालय के अनुसार, अन्वेषण के लिये चुने गए सभी क्षेत्रों को खदानों में परिवर्तित नहीं किया गया जाता बल्कि इनमें से मात्र 1% पर ही खनन का कार्य प्रारंभ होता है।
- इसे देखते हुए NVP को एक परिहार्य व्यय के रूप में देखा जाता है, जिसे हटाया जाना चाहिये।
- ध्यातव्य है कि खनन कंपनियों को अन्वेषण के लिये पट्टे/लीज़ पर दी गई वन भूमि पर NVP का 2-5% राशि जमा करना पड़ता है।

सुझाव:

- वन सलाहकार समिति के अनुसार, अन्वेषण से जुड़े कार्यों के लिये NVP को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं होगा हालाँकि समिति ने 'केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' को प्रति बोरहोल पर शुल्क लागू करने का सुझाव दिया है।
- इसके अनुसार, मंत्रालय द्वारा पट्टे पर दी गई कुल वन भूमि के NVP पर शुल्क वसूल करने के स्थान पर कंपनियों पर प्रति बोरहोल के आधार पर शुल्क लागू किया जा सकता है।

अन्य प्रयास:

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अन्वेषण परियोजनाओं की मंज़ूरी मंं तेज़ी लाने के लिये अन्वेषण हेतु नक्शों के पैमाने निर्धारित करने में कुछ छूट देने पर भी विचार किया जा रहा है।
- गौरतलब है कि वन क्षेत्रों में खनिज या हाइड्रोकार्बन के खनन हेतु 25 या इससे कम अन्वेषण बोरहोल खोदने के लिये पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
- हालाँकि 25 से अधिक बोरहोल वाली परियोजनाओं के लिये भूकंपीय सर्वेक्षण, पूर्व वन मंज़ूरी, NPV भुगतान आदि की आवश्यकता होती है।

लाभ:

- FAC के इस सुझाव के लागू होने के बाद खनन कंपनियों के लिये वन क्षेत्रों में अन्वेषण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
- इसके माध्यम से खनन प्रक्रिया की लागत में कमी आएगी और इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने में सहायता प्राप्त होगी।

चुनौतियाँ:

- FAC द्वारा अन्वेषण हेतु NVP भुगतान को पूरी तरह न समाप्त करन एक तार्किक निर्णय है परंतु इस निर्णय से पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी प्रश्न उठेंगे।
- आमतौर पर खनन प्रक्रिया के लिये बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है और इसका प्रभाव क्षेत्र की मानव आबादी के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र पर भी पड़ता है।
- नियमों में अधिक छूट देने से औद्योगिक क्षेत्र द्वारा पर्यावरण दोहन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- ध्यातव्य है कि इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को असम के 'डिब्रू-सैखोवा राष्टीय उद्यान' के पास 'ऑयल इंडिया लिमिटेड' (Oil India Limited- OIL) को अन्वेषण बोरहोल खोदने की अनुमति देने के लिये विरोध का सामना करना पड़ा था।
- असम के तिनसुकिया ज़िले में 'ऑयल इंडिया लिमिटेड' (Oil India Limited- OIL) के बागान/बागजान (Baghjan) गैस कुएँ में तेल रिसाव की घटना से क्षेत्र में काफी क्षति हुई थी।

आगे की राह:

- वर्तमान में देश के विकास और बढती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिये आयात पर निर्भरता को कम करते हुए देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही आवश्यक है।
- हालाँकि ऊर्जा स्रोतों के अन्वेषण और खनन को बढ़ावा देने के साथ पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना भी बहुत आवश्यक है।
- ऊर्जा ज़रूरतों के लिये नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्पों को अपनाने के साथ खनन क्षेत्र में भी नवोन्मेष को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- 'ऑयल इंडिया लिमिटेड' के अनुसार, राष्ट्रीय उद्यानों में अन्वेषण के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे वनों के अंदर जाकर खुदाई की आवश्यकता नहीं होगी।

वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee- FAC):

- FAC 'वन (संरक्षण) अधिनयम, 1980 के तहत स्थापित एक संविधिक निकाय है।
- FAC 'केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' (Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MOEF&CC) के अंतर्गत कार्य करती है।
- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक इस समिति के अध्यक्ष होते हैं।
- यह समिति गैर-वन उपयोगों जैसे-खनन, औद्योगिक परियोजनाओं आदि के लिये वन भूमि के प्रयोग की अनुमति देने और सरकार को वन मंज़ूरी के मुद्दे पर सलाह देने का कार्य करती है

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

कोडागु में भूस्खलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारी बारिश के कारण, भारत के कई हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएँ देखने को मिल रही है।

प्रमुख बिंदु

- भूस्खलन (Landslides):
  - यह भूस्खलन की वजह से होता है, जिसमें चट्टान समूह खिसककर ढाल से नीचे गिरता है।
  - भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं, इसकी बारंबारता और इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारकों, जैसे- भू-विज्ञान, भू-आकृतिक कारक, ढ़ाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बाँटा गया है।
- कारक:
  - भू-स्खलन तीन प्रमुख कारकों के कारण होता है: भू-विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान और मानव गतिविधि।
    - भू-विज्ञान भू-पदार्थों की विशेषताओं को संदर्भित करता है।
    - भू-आकृतिक विज्ञान भूमि की संरचना को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिये, वैसे ढलान जिनकी वनस्पति आग या सूखे की चपेट में आने से नष्ट हो जाती हैं, भूस्खलन की चपेट में आ जाते हैं।
    - वनस्पति आवरण में पौधे मृदा को जड़ों में बाँधकर रखते है, वृक्षों, झाड़ियों और अन्य पौधों की अनुपस्थिति में भूस्खलन की अधिक संभावना होती है।
    - मानव गतिविधि जिसमें कृषि और निर्माण शामिल हैं, भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।
- क्षेत्र:.
  - एशियाई क्षेत्र भूस्खलन के कारण अधिकतम नुकसान/हानि का सामना करता है; इसके बाद भारत सहित अन्य दक्षिण-एशियाई राष्ट्रों का स्थान आता है , जो भू स्खलन से सबसे बुरी तरह प्रभावित है।
  - भारत के क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग ज़िले को छोड़कर) असम (कार्बी अनलोंग को छोड़कर) और दक्षिण प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त हैं।
- भूस्खलनों के परिणाम:
  - भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है। परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना और जल वाहिकाओं में चट्टानें गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
  - भू स्खलन की वजह से हुए नदी रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की गति धीमी पड़ जाती है।
- निवारण (Mitigation):
  - भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग-अलग क्षेत्रों के लिये अलग-अलग होने चाहिये। अधिक भूस्खलन संभावी क्षेत्रों में सड़क और बड़े बाँध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिये।
  - इन क्षेत्रों में कृषि नदी घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिये तथा बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिये।
  - सकारात्मक कार्य जैसे- वृहत् स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा और जल बहाव को कम करने के लिये बाँधों का निर्माण भूस्खलन के उपायों के पूरक हैं।
  - स्थानांतरी कृषि वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिये।

9 राज्यों में 22 बाँस क्लस्टर्स लॉन्च

चर्चा में क्यों:

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों (मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, नगालैंड, त्रिपुरा, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड व महाराष्ट्र) के 22 बाँस क्लस्टर्स की मंगलवार को वर्चुअल शुरूआत की। साथ ही राष्ट्रीय बाँस मिशन (NBM) के लोगो का विमोचन किया।

भारत में बाँस उत्पादन

- भारत में प्रतिवर्ष लगभग 14.6 मिलियन टन बाँस का उत्पादन होता है और लगभग 70,000 किसान बाँस के रोपण के कार्य में सलंग्न हैं। देश में बाँस की लगभग 136 किस्में पाई जाती हैं।
- भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट-2019 के अनुसार भारत में बाँस उत्पादन के अंतर्गत 16 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र अनुमानित है।
- मध्यप्रदेश बाँस उत्पादन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल (2 मिलियन हेक्टेयर) रखता है। इसके पश्चात् महाराष्ट्र (1.54 मिलियन हेक्टेयर), अरुणाचल प्रदेश (1.49 मिलियन हेक्टेयर) और ओडिशा (1.18 हेक्टेयर) का स्थान है।
- ISFR-2017 के अनुमानों की तुलना में बाँस के अंतर्गत क्षेत्रफल में 0.32 मिलियन क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है।

बाँस उद्योग

- बाँस उद्योग से आशय उन सभी फर्मों से है जो उच्च मूल्य वाले उत्पादों के माध्यम से बाँस के मूल्य संवर्द्धन में संलग्न हैं।
- देश में तीव्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन से कच्चे माल के रूप में बाँस का महत्त्व न केवल कुटीर उद्योगों में बढ़ा है, बल्कि बड़े उद्योगों में भी इसके महत्त्व में वृद्धि हुई है।
- बाँस पर आधारित करीब 25,000 उद्योग 2 करोड़ लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान कर रहे हैं जबकि 20 लाख लोग बाँस पर आधारित दस्तकारी में संलग्न हैं।
- बाँस के पेड़ के आकार और मज़बूती के कारण भवन और आधारभूत ढाँचा निर्माण सामग्री के रूप में इसके उपयोग की व्यापक संभावनाएँ हैं। बाँस की दस्तकारी और बाँस पर आधारित संसाधनों का उपयोग करने वाले उद्योगों में लुगदी और कागज उद्योग अग्रणी हैं।

स्थानीय समुदायों के लिये बाँस उत्पादन का महत्त्व

- बाँस की 50 प्रतिशत से अधिक प्रजातियाँ पूर्वी भारत में पाई जाती है। इस क्षेत्र में बाँस के बने बर्तन, मछली पकड़ने के जाल, मर्तबान, गुलदस्ते और टोकरियाँ बनाने की उत्कृष्ट सांस्कृतिक परंपरा रही है।
- पृथ्वी पर सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाले पौधों में से एक बाँस का उपयोग रोज़गार सृजित करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिये किया जा सकता है।
- अवनयित भूमि पर उगने की क्षमता और मृदा अपरदन में कमी करने की विशेषता के कारण यह संकटग्रस्त वनों पर स्थानीय समुदायों की निर्भरता को कम करता है।
- यह भोजन और पशु आहार के रूप में खाद्य और पोषण सुरक्षा भी प्रदान करता है।
- भूकंपरोधी होने के साथ-साथ इसमें स्टील की तुलना में अधिक तन्य शक्ति होती है। यह कंक्रीट के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- यह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को भी कम करता है।
- उपर्युक्त कई कारणों से ही बाँस को 'गरीब आदमी की लकड़ी' कहा जाता है।

प्रमुख सरकारी प्रयास

- वृक्ष की परिभाषा से बाँस को हटाने के लिये भारतीय वन अधिनियम, 1927 में वर्ष 2017 में संशोधन किया गया, जिससे किसानों को बाँस व बाँस आधारित उत्पादों की सुगम आवाजाही में सहायता मिली है।
- आयात नीति में भी परिवर्तन के साथ ही बाँस मिशन की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार तेज़ी से काम कर रही है, जिससे यह व्यवसाय बढ़ रहा है और रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं।

नोट :

- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अगले 3-4 वर्षों में बाँस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बाँस वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया है।

राष्ट्रीय बाँस मिशन

- अक्तूबर 2006 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाँस मिशन (NBM) को राष्ट्रीय बाँस तकनीकी और व्यापार विकास रिपोर्ट, 2003 के आधार पर लॉन्च किया था।
- राष्ट्रीय बाँस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में बाँस उद्योग के विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना, बाँस उद्योग को नई गति एवं दिशा प्रदान करना तथा बाँस उत्पादन में भारत की संभावनाओं को साकार करना है।
- बहु-अनुशासनात्मक और बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ यह मिशन संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMCs) या ग्राम विकास समितियों (VDCs) के माध्यम से योजनाबद्ध हस्तक्षेप, अनुसंधान और विकास, वन तथा गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण पर बल देता है।
- यह मिशन केंद्रीकृत और किसान/महिला नर्सरी की स्थापना करके गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है।

लोगो का विवरण:

- लोगो में बाँस की छवि भारत के विभिन्न हिस्सों में बाँस की खेती को चित्रित करती है।
- लोगो के चारों ओर औद्योगिक पहिया बाँस क्षेत्र के औद्योगीकरण के महत्त्व को दर्शाता है।
- लोगो में सुनहरे पीले व हरे रंग का संयोजन दर्शाता है कि बाँस 'हरा सोना' है।
- आधा औद्योगिक पहिया और आधा किसान सर्कल किसानों और उद्योग दोनों के लिये बाँस के महत्त्व को दर्शाता है।

आगे की राह

स्थानीय उद्यमियों की प्रगति, उनका संरक्षण और देशी उत्पाद आगे बढ़ाने के लिये बाँस उत्पादों को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है इसके लिये परंपरागत तकनीकों को बढ़ावा देना बाँस उत्पादों की निर्यात वृद्धि तथा कारीगरों का कौशल विकास महत्त्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं।

दृष्टि The Vision

सामाजिक न्याय

भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी से बाहर रख सकती है रेलवे

चर्चा में क्यों?

रेलगाड़ियों/रेलवे स्टेशनों/रेलवे परिसरों पर भीख मांगना और धूम्रपान करना अपराध की श्रेणी से बाहर हो सकता है। इसके लिये रेलवे बोर्ड एक प्रस्ताव बना कर कैबिनेट से पास कराने की प्रक्रिया में है। रेलवे ने इस तरह का प्रस्ताव कैबिनेट सचिवालय के उस निर्देश के बाद तैयार किया है, जिसमें वैसे नियम-कानूनों को निरस्त करने को कहा गया है, जिसमें छोटी मोटी गलती के लिये भी जेल भेजा जाता है या जुर्माना वसूला जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- रेलवे अधिनियम, 1989 के सेक्शन-144 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी/रेलवे प्लेटफॉर्म/रेलवे परिसर में भीख मांगता पकड़ा जाता है तो उस पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना या एक वर्ष तक की कैद या फिर दोनों हो सकते हैं।
- रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा-167 के अंतर्गत रेलगाड़ी/रेलवे प्लेटफॉर्म/ स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने पर जेल की सजा का प्रावधान है।
- वर्ष 2018 में राष्ट्रीय राजधानी में भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करने वाले एक कानून को रद्द करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि भीख मांगने को आपराधिक बनाना इस समस्या से निपटने के लिये एक गलत दृष्टिकोण है।

निर्णय का निहितार्थ

- भिक्षावृत्ति को कानूनी रूप से अपराध घोषित करने के बावजूद भिक्षावृत्ति की समस्या में कमी नहीं हुई है।
- सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता लंबे समय से एक ऐसे कानून की माँग करते आ रहे हैं जिसमें भिखारियों को अपराधी मानने की बजाय उनके पुनर्वास पर ज़ोर दिया जाए।
- इस निर्णय को रेल परिसर में भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने वाला नहीं समझा जाना चाहिये। यह केवल मानवीय आधार पर किया जा रहा है। रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा पहले से ज्यादा निगरानी रखी जाएगी तथा रेलवे परिसर में भीख मांगने वालों को बाहर किया जाएगा।

भारत में भिक्षावृत्ति की समस्या

- भिक्षावृत्ति भारत में सबसे गंभीर सामाजिक मुद्दों में से एक है। अपनी तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की अधिक संख्या देश में भिखारियों की संख्या में वृद्धि को प्रेरित करती है ।
- शारीरिक असमर्थता के चलते गरीबी के कारण आजीविका कमाने के लिये कुछ लोग भीख मांगते हैं। कुछ मामलों में पूरा परिवार ही भीख मांगने में सम्मिलित होता है।
- भिक्षावृत्ति देश में एक बड़े रैकेट के रूप में संचालित है। वास्तव में बड़े शहरों एवं महानगरों में भीख मांगने वाले गिरोह हैं।

भारत में भिक्षावृत्ति से संबंधित कानून

- भारत में भिक्षावृत्ति की रोकथाम और नियंत्रण के लिये कोई संघीय कानून नहीं है। लगभग 22 राज्यों ने बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959 को अपनाया था, जो भिखारी आश्रयगृहों में तीन से दस वर्ष तक की सजा का प्रावधान करता है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 24 (1) के अनुसार, जो कोई व्यक्ति किशोर या बच्चे को भीख मांगने के लिये नियुक्त करता है या उसका उपयोग करता है या किसी किशोर द्वारा भीख मांगने का कारण बनता है, उसके लिये तीन वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-363A एक ऐसे व्यक्ति के लिये दंड का प्रावधान करती है जो भीख मांगने के लिये नाबालिग का अपहरण करता है या उसके साथ छेड़छाड़ करता है।

नोट :

आगे की राह

- सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण के आधार पर एक केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिये। इस संदर्भ में 2016 में केंद्र सरकार ने पहला प्रयास 'The Persons in Destitution (Protection, Care, Rehabilitation) Model Bill, 2016' लाकर किया था। इस पर फिर से काम किये जाने की आवश्यकता है।
- गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी जैसी समस्याओं से मजबूर एवं गंभीर बिमारियों से ग्रसित लोगों तक मौलिक सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिये। साथ ही समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये कौशल प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
- संगठित तौर पर चलने वाले भिक्षावृत्ति रैकेट्स को मानव तस्करी और अपहरण जैसे अपराधों के साथ जोड़ कर देखा जाना चाहिये। इससे निपटने के लिये राज्यों के बीच सूचनाएँ साझा करने हेतु एक तंत्र की भी आवश्यकता है।

दृष्टि The Vision

कला एवं संस्कृति

मोपला विद्रोही, स्वतंत्रता सेनानी नहीं: ICHR रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

'भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद' (Indian Council of Historical Research- ICHR) को इसके एक सदस्य द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में 'मालाबार विद्रोह' (मोपला विद्रोह) के नेताओं के नाम 'शहीदों की सूची' से हटाने की सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु:

- ICHR की यह रिपोर्ट, दक्षिण भारत से स्वतंत्रता संग्राम के शामिल नेता जिनको 'शहीद के रूप में' शामिल किया गया है, की समीक्षा के संबंधित थी।
- रिपोर्ट में अली मुसलीयर, वरियामकुननाथ कुंजाहम्मद हाजी सहित 387 मोपला विद्रोहियों (जिसमें लगभग 10 हिंदू भी शामिल हैं) तथा 'वैगन त्रासदी' में शहीद नेताओं के नाम 'शहीदों की सूची' से हटाने की मांग की गई थी।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा 'शहीदों की सूची' से संबंधित एक पुस्तक 'शहीदों का शब्दकोष: भारत का स्वतंत्रता संग्राम वर्ष 1857-1947' को जारी किया गया था।
- इस शब्दकोश में मोपला विद्रोह में शामिल नेताओं को भी स्वतंत्रता सेनानियों की 'शहीद सूची' में शामिल किया गया है।

वैगन ट्रैजडी (Wagon Tragedy):

- यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के खिलाफ अपनाई गई दमनकारी घटनाओं में से एक प्रमुख घटना थी।
- वैगन त्रासदी में लगभग 60 मोपला कैदियों को एक बंद रेल के मालवाहक डिब्बे/वैगन में मौत के घाट उतार दिया गया था।

ICHR रिपोर्ट और वैगन ट्रैजडी:

- रिपोर्ट के अनुसार 'वैगन ट्रैजडी' में जिनकी मृत्यु हुई वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, क्योंकि विद्रोहियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या असहयोग आंदोलन पूर्ण का समर्थन नहीं किया गया था, अपितु एक संक्षिप्त अवधि के लिये केवल खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था।
- रिपोर्ट के अनुसार, अंग्रेजों द्वारा उचित परीक्षण के बाद ही विद्रोहियों को दोषी ठहराया तथा इन मृतकों को कहीं और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

मोपला या मालाबार विद्रोह:

- 19वीं शताब्दी में केरल के मालाबार क्षेत्र के मोपलाओं ने जमीदारों के अत्याचारों से पीड़ित होकर कई बार विद्रोह किया था। अगस्त, 1921 में अवैध कारणों से प्रेरित होकर स्थानीय मोपला किसानों ने विद्रोह कर दिया।
    - यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वर्ष 2021 को मोपला विद्रोह की 100 वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है।
- मोपला केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे जहाँ जमींदार, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में 'जेनमी' कहा जाता था, अधिकतर हिंदू थे।
- मोपला विद्रोह के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे:
    - लगान की उच्च दर;
    - नज़राना एवं अन्य दमनकारी तौर तरीके;
    - राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध।
- फरवरी, 1921 में सरकार ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

मोपला विद्रोह और सांप्रदायिकता:

- मोपला विद्रोह प्रारंभ में वर्ग संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था लेकिन बाद में उसने सांप्रदायिक रूप ले लिया। मोपला (मुस्लिम किसान) और 'जेनमी' (हिंदू जमीदार) दोनों ही समूह अपने पक्ष में लोगों को शामिल करने के लिये अपने धर्मों का हवाला देने लगे।
- विद्रोह के दौरान अनेक धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। मोपलाओं द्वारा जमीदारों के घरों को लूटना तथा आग लगाना शुरू कर दिया गया, जिससे विद्रोह ने धार्मिक रूप ले लिया।

मोपला विद्रोह का राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध:

- महात्मा गाँधी के आह्वान पर मालाबार में मोपलाओं के धार्मिक प्रमुख के नेतृत्त्व में एक 'खिलाफत समिति' का गठन किया गया।
- 'खिलाफत आंदोलन' में किसानों की मांग का समर्थन किया गया, बदले में किसानों ने भी आंदोलन में अपनी पूरी शक्ति के साथ भाग लिया।
- 'भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस' (INC) द्वारा मोपला विद्रोह का समर्थन किया गया तथा कृषि सुधारों और स्वतंत्रता दोनों की मांग का एक साथ समर्थन किया।
- मोपला विद्रोह के हिंसक रूप लेने के साथ ही कई राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग हो गए तथा शीघ्र ही आंदोलन समाप्त हो गया।

वरियामकुननाथ कुंजाहम्मद हाजी:

- खिलाफत आंदोलन के नेताओं तथा भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने उनको भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रणेता के रूप में पेश किया।
  - हालाँकि कुंजाहम्मद हाजी का मानना था कि खिलाफत तुर्की का आंतरिक मामला है परंतु उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ जुड़ने का वादा किया।
- उन्होंने कालीकट तथा दक्षिण मालाबार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्त्व किया।
- हाजी ने खिलाफत आंदोलन की धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित किया तथा आंदोलन में हिंदू-मुस्लिम एकता पर बल दिया एवं अन्य धर्मों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया।
- अंग्रेजों ने उन्हें धार्मिक कट्टरपंथी नेता के रूप में पेश किया ताकि आंदोलन को धार्मिक रंग देकर समाप्त किया जा सके।

ICHR रिपोर्ट में कुंजाहम्मद हाजी:

- ICHR रिपोर्ट में हाजी को 'कुख्यात मोपला विद्रोही नेता' और 'कट्टर अपराधी' के रूप में वर्णित किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, हाजी ने वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह के दौरान असंख्य हिंदू पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मार डाला और उनके शवों को एक कुएँ में जमा कर दिया था।
- मोपला विद्रोह के अंतिम चरण में हाजी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर, 20 जनवरी, 1922 को गोली मारकर हत्या कर दी गई।

निष्कर्ष:

- 'संघ परिवार' सहित अनेक हिंदूवादी नेता मोपला विद्रोहियों को 'शहीद सूची' में शामिल करने के सरकार के इस निश्चय से नाराज थे। उनका मानना है कि मोपला विद्रोह में शामिल नेताओं ने न केवल सैकड़ों हिंदुओं का नरसंहार किया अपितु अनेक हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने को मज़बूर किया गया। परंतु इस प्रकार भारतीय इतिहास से संबंधित किसी भी प्रकार के निर्णय वर्तमान राजनीति के प्रभाव के स्वतंत्र रहते हुए लिये जाने चाहिये।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (ICHR) :

- ICHR, 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (शिक्षा मंत्रालय) का एक स्वायत्त निकाय है, जिसे वर्ष 1972 में 'सोसायटी पंजीकरण अधिनियम'- 1860 के तहत स्थापित किया गया था।
- यह फेलोशिप, अनुदान और संगोष्ठी के माध्यम से इतिहासकारों और विद्वानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ICHR की स्थापना के उद्देश्य:

- इतिहास में अनुसंधान को बढ़ावा देना, गति देना और समन्वय करना;
- इतिहासकारों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिये एक मंच प्रदान करना;

नोट :

- इतिहास के वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देना और इतिहास की तर्कसंगत प्रस्तुति और व्याख्या करना;
- विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान प्रयासों के संतुलित वितरण को बढ़ावा देना।

पत्रिका गेट' जयपुर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जयपुर (राजस्थान) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'पत्रिका गेट' (Patrika Gate) का उद्घाटन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- गेट का निर्माण 'राजस्थान पत्रिका प्रकाशन समूह' (मीडिया समूह) द्वारा जवाहर लाल नेहरू मार्ग (जयपुर का प्रमुख सड़क) पर किया गया है।
- यह 'जयपुर विकास प्राधिकरण' (Jaipur Development Authority- JDA) के 'मिशन अनुपम' (Mission Anupam) के तहत एक स्मारक के रूप में बनाया गया एक प्रतिष्ठित द्वार है।

जयपुर, विश्व विरासत स्थल:

- यूनेस्को द्वारा 'विश्व धरोहर स्थल' (World Heritage Site) के रूप में जयपुर को मान्यता दी गई है। 'पत्रिका गेट' का निर्माण इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया था।
- वर्ष 2019 में जयपुर ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला अहमदाबाद के बाद देश का दूसरा नगर बन गया है।
- भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 30 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल शामिल हैं।

जयपुर, नगरीय योजना के रूप में:

- जयपुर नगर (चारदीवारी वाला नगर) की स्थापना वर्ष 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी।
- जयपुर नगर को वैदिक वास्तुकला के प्रकाश में व्याख्यायित ग्रिड योजना के अनुसार बसाया गया था।
- नगर की सड़कों के दोनों तरफ उपनिवेश काल से व्यवसाय की सुविधा है। ये सड़कें बड़े चौराहों जिन्हें चौपड़ कहा जाता है, पर एक-दूसरे से मिलती हैं।
- नगर की योजना में प्राचीन हिंदू, मुगल और पश्चिमी संस्कृतियों के तत्त्वों का प्रयोग किया गया है।
- ग्रिड योजना सामान्यत: पश्चिम देशों द्वारा नगरों की स्थापना में अपनाई जाने वाली विधा है, जबकि विभिन्न शहर क्षेत्रों (चौकी) का संगठन पारंपरिक हिंदू अवधारणाओं को संदर्भित करता है।
- नगर को एक वाणिज्यिक राजधानी के रूप में डिज़ाइन किया गया था जो अपनी स्थानीय वाणिज्यिक और सहकारी परंपराओं को अभी तक बनाए हुए है।

आंतरिक सुरक्षा

असम राइफल्स की दोहरी नियंत्रण संरचना

चर्चा में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स (Assam Rifles) के लिये दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु 12 सप्ताह का समय दिया है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि वर्तमान में असम राइफल्स का नियंत्रण गृह मंत्रालय (MHA) तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
- इस संबंध में मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि चूँकि इस मामले में सैनिक/पूर्व-सैनिक भी शामिल हैं और उनके हित सर्वोपरि हैं, इसलिये इस मामले को निपटने में और अधिक देर नहीं की जा सकती है।
  - उल्लेखनीय है कि यह मामला बीते तीन वर्ष से इसी प्रकार लंबित पड़ा हुआ है।
- उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, दोनों मंत्रालय के सचिवों, थल सेनाध्यक्ष, असम राइफल्स के महानिदेशक और इस मामले से संबंधित अन्य सभी हितधारकों से निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने में सहयोग करने का अनुरोध किया है।

क्या है असम राइफल्स?

- असम राइफल्स गृह मंत्रालय (MHA) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (Central Armed Police Forces-CAPFs) में से एक है।
- यह बल भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था के रख-रखाव के अलावा भारत-म्याँमार सीमा की रक्षा भी करता है।
- प्रशासनिक और प्रशिक्षण स्टाफ के अलावा असम राइफल्स के पास 63,000 से अधिक सैनिक और कुल 46 बटालियन हैं।
- ऐतिहासिक दृष्टि से असम राइफल्स का गठन वर्ष 1835 में कछार लेवी (Cachar Levy) नामक एक एकल सैन्यबल के रूप में पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। कुछ समय बाद इस सैन्य बल को वर्ष 1870 में कुछ अतिरिक्त बटालियनों के साथ असम सैन्य पुलिस बटालियन में परिवर्तित कर दिया गया।
  - वर्ष 1917 में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के बाद असम राइफल्स को सेना के संचालन नियंत्रण में रखा गया।

असम राइफल्स की भूमिका

- असम राइफल्स भारत के सबसे पुराने अर्द्ध-सैनिक बलों में से एक है जिसे वर्ष 1835 में ब्रिटिश भारत में सिर्फ 750 सैनिकों के साथ बनाया गया था। तब इस बल ने दो विश्व युद्धों और वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध में हिस्सा लिया है, साथ ही इसने पूर्वोत्तर में आतंकवादी समूहों के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- यह स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात् सबसे अधिक सम्मानित अर्द्ध-सैनिक बल बना हुआ है। असम राइफल्स को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुल 76 वीरता पदकों से सम्मानित किया गया था।
- असम राइफल्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी कई लड़ाईयाँ लड़ी थीं और इस दौरान इसे 48 वीरता पदकों से सम्मानित किया गया था।
- स्वतंत्रता के बाद से असम राइफल्स ने 188 सेना पदकों के अलावा 120 शौर्य चक्र, 31 कीर्ति चक्र, पाँच वीर चक्र और चार अशोक चक्र जीते हैं।

विवाद

- ध्यातव्य है कि यह दोहरी संरचना वाला एकमात्र अर्द्धसैनिक बल है, असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय (MHA) और संचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना द्वारा किया जाता है।

नोट :

- इसके अर्थ है कि असम राइफल्स के लिये वेतन और बुनियादी ढाँचा गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है, जबकि कर्मियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति आदि का निर्णय सेना द्वारा लिया जाता है।
- महानिदेशक (DG) से लेकर महानिरीक्षक (IG) तक असम राइफल्स के सभी वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति सेना द्वारा ही की जाती है और इन पदों पर अधिकांश भारतीय सेना के अधिकारी कार्यरत होते हैं। इस बल की कमान भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के पास होती है।
- असम राइफल्स को लेकर चल रहा विवाद भी इसी दोहरी संरचना प्रणाली से उत्पन्न होता है। स्वयं असम राइफल्स के अंदर और गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय दोनों ओर से किसी एक मंत्रालय को बल के पूर्ण नियंत्रण दिये जाने की मांग की जा रही है, जिससे बल को और कुशलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सके।
- गौरतलब है कि स्वयं असम राइफल्स के अंदर एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो बल के नियंत्रण को पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय को दिये जाने के पक्ष में है, क्योंकि इससे असम राइफल्स के सैनिकों/पूर्व-सैनिकों को गृह मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की तुलना में बेहतर भत्ता और सेवानिवृत्त लाभ मिलेगा।
    - हालाँकि सेना के तहत सेवानिवृत्ति की आयु 35 वर्ष है, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के तहत सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, लेकिन सेना के जवानों को वन-रैंक-वन-पेंशन का लाभ भी मिलती है जो CAPF को नहीं मिलती है।

गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को पूर्ण नियंत्रण क्यों चाहिये?

- गृह मंत्रालय का तर्क है कि लगभग सभी सीमा रक्षक बल गृह मंत्रालय के परिचालन नियंत्रण में आते हैं और यदि असम राइफल्स को गृह मंत्रालय के पूर्व नियंत्रण में दिया जाता है तो इससे देश की सीमा को एक व्यापक तथा एकीकृत दृष्टिकोण मिल सकेगा।
- गृह मंत्रालय की माने तो असम राइफल्स 1960 के दशक में निर्धारित कार्य पद्धति के आधार पर काम कर रहा है, वहीं गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आने से इसकी कार्य पद्धति को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की पद्धति के आधार पर विकसित किया जाएगा।
- वहीं भारतीय सेना का तर्क है कि असम राइफल्स ने सेना के साथ समन्वय के माध्यम से काफी बेहतरीन कार्य किया है और यह सशस्त्र बल की तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
    - यह भी तर्क दिया गया है कि असम राइफल्स सदैव से ही एक पुलिस बल न होकर एक सैन्य बल रहा है और इसे इसी रूप में विकसित किया गया है।

निष्कर्ष

असम राइफल्स के नियंत्रण का यह मामला बीते कई वर्षों से इसी प्रकार बना हुए है। सेना को नियंत्रण दिये जाने के समर्थकों के अनुसार, चूँकि असम राइफल्स के सैनिक भारतीय सेना के जवानों के साथ एक समान परिस्थितियों में कार्य करते हैं, इसलिये उनके वतन और भत्तों की सुविधाओं में असमानता के कारण जवान का मनोबल काफी प्रभावित होता है। वहीं गृह मंत्रालय को पूर्ण नियंत्रण दिये जाने के समर्थकों का मत है कि इससे बल की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। ऐसे में आवश्यक है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देश का पालन किया जाए और समय सीमा में रहते हुए इस मुद्दे को जल्द-से-जल्द हल किया जाए।

रियल मैंगो: एक अवैध सॉफ्टवेयर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'रेलवे सुरक्षा बल' (Railway Protection Force- RPF) ने एक देशव्यापी अन्वेषण में एक अवैध सॉफ्टवेयर 'रियल मैंगो' (Real Mango); जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिये किया जाता है, के संचालन को नाकाम किया है।

प्रमुख बिंदु:

- सॉफ्टवेयर को पहले 'रेअर मैंगो' (Rare Mango) के नाम से संचालित किया जा रहा था, बाद में जिसका नाम बदलकर 'रियल मैंगो' कर दिया गया।
- आरपीएफ की फील्ड इकाइयों द्वारा 9 अगस्त, 2020 को अवैध सॉफ्टवेयर के संचालन का पता लगाया गया।
    - रेलवे सुरक्षा बल (RPF) एक सुरक्षा बल (Security Force) है, जिसे रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 द्वारा स्थापित किया गया है।

- आरपीएफ रेलवे संपत्ति और यात्री सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य करती है।

- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि पूर्व में आरपीएफ द्वारा दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच की गई 'समन्वित राष्ट्रव्यापी कार्रवाई' में एएनएमएस/ रेड मिर्ची / ब्लैक टीएस, टिक-टॉक, आई-बॉल, रेड बुल, मैक जैसे कई अवैध सॉफ्टवेयरों का पता लगाया गया था।

सॉफ्टवेयर की विशेषताएँ:

- अवैध सॉफ्टवेयर के संचालन के खिलाफ आरपीएफ द्वारा किये गए अन्वेषण में इससे संबंधित निम्नलिखित विशेषताओं का पता चला:
  - सॉफ्टवेयर V3 और V2 कैप्चा (CAPTCHA) को बाईपास करता है।
    - कैप्चा का पूरा नाम- Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, है।
    - कैप्चा यह निर्धारित करता है कि उपयोगकर्ता वास्तविक है या स्पैम रोबोट है।
  - यह एक मोबाइल ऐप की मदद से बैंक जनित वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को सिंक्रोनाइज़ अर्थात एक साथ एक से अधिक एप पर OTP को भेजता है और इसे स्वचालित प्रक्रिया से प्रयोजनीय बनाता है।
  - सॉफ्टवेयर स्वत: ही यात्री विवरण और भुगतान विवरण को फॉर्म में भर देता है।
  - सॉफ्टवेयर 'भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम' (Indian Railway Catering & Tourism Corporation-IRCTC) की आईडी के माध्यम से IRCTC वेबसाइट पर लॉग इन करता है।
  - इस अवैध सॉफ्टवेयर को पाँच स्तरीय संरचना के माध्यम से बेचा जा रहा था, जिसमें सिस्टम एडमिन और उनकी टीम, मावेंस, सुपर सेलर्स, सेलर्स और एजेंट्स आदि शामिल हैं।
  - इस संपूर्ण संरचना में सॉफ्टवेयर एडमिन बिटकॉइन में भुगतान प्राप्त कर रहा है।

RPF द्वारा की गई कार्यवाही:

- उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, और पश्चिमी रेलवे की आरपीफ इकाइयों द्वारा इसके बाद कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया तथा 'रेअर मैंगो'/'रियल मैंगो' सॉफ्टवेयर के संचालन को समझने और जानने की प्रक्रिया शुरू की गई।
- आरपीएफ की फील्ड इकाइयों द्वारा अब तक इस अवैध सॉफ्टवेयर के संचालन में शामिल किंग पिन (सिस्टम डेवलपर) और प्रमुख प्रबंधकों सहित अब तक 50 अपराधियों को पकड़ लिया गया है।
- अब तक पाँच लाख रुपए से अधिक मूल्य के टिकटों को ब्लॉक किया जा चुका है और सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली को अब पूरी तरह से समाप्त किया जा चुका है।

निष्कर्ष:

- अवैध रूप से चलाए जा रहे सॉफ्टवेयर का आरपीएफ द्वारा पर्दाफाश करने से रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र' (Centre for Railway Information Systems- CRIS) को 'यात्री आरक्षण प्रणाली' (Passenger Reservation System- PRS) में सुरक्षा सुविधाओं को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।

रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (Centre for Railway Information Systems- CRIS):

- रेल मंत्रालय ने एक सोसायटी के रूप में जुलाई 1986 में CRIS की स्थापना की थी। यह भारतीय रेलवे की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा है।
- यह भारतीय रेलवे के प्रमुख कार्यों जैसे यात्री टिकटिंग, माल परिचालन, ट्रेन प्रेषण एवं नियंत्रण, चालक दल प्रबंधन और ई-प्रोक्योरमेंट आदि का कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

वीआईपी सुरक्षा और संबंधित प्रावधान

चर्चा में क्यों?

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनज़र गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा वाई-प्लस श्रेणी (Y-Plus Category) की सुरक्षा दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- नियमों के अनुसार, वाई-प्लस (Y-Plus) सुरक्षा श्रेणी के तहत अभिनेत्री कंगना रनौत की सुरक्षा के लिये कुल 11 सुरक्षाकर्मी तैनात किये जाएंगे, जिसमें 2 कमांडो भी होते हैं।

किसे मिलती है यह सुरक्षा?

- इस प्रकार की सुरक्षा को औपचारिक तौर पर 'वीआईपी सुरक्षा' (VIP Security) कहा जाता है, और सैद्धांतिक रूप से यह मुख्यत: ऐसे लोगों को दिया जाता है जो नागरिक समाज अथवा सरकार में किसी महत्त्वपूर्ण स्थिति अथवा पद पर होते हैं।
- किसी भी व्यक्ति विशेष को सुरक्षा देने और किस श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau-IB) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (Research and Analysis Wing-RAW) जैसे खुफिया विभागों द्वारा दिये गए इनपुट के आधार पर लिया जाता है।
- ये दोनों खुफिया विभाग अपने विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर गृह मंत्रालय को बताते हैं कि किसी व्यक्ति को आतंकवादियों या अन्य असामाजिक तत्त्वों से किस प्रकार का खतरा है, जिसके बाद गृह मंत्रालय इस संबंध में निर्णय लेता है।
- वहीं कुछ लोग सरकार में अपने पद के कारण स्वत: ही इस प्रकार की सुरक्षा की श्रेणी में आ जाते हैं, इसमें प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उसके परिवार के सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी अपने पद के कारण इस सुरक्षा के दायरे मंव आ जाते हैं।

कार्य प्रणाली की आलोचना

- ध्यातव्य है कि भारतीय खुफिया विभाग किसी भी वैधानिक निकाय के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, और वे केवल गृह मंत्रालय (MHA) तथा विदेश मंत्रालय (MEA) की आंतरिक निगरानी के अधीन कार्य करते हैं।
- वहीं इन विभागों द्वारा प्राप्त की गई कोई भी खुफिया जानकारी न तो सार्वजनिक की जाती है और न ही किसी अन्य विभाग द्वारा इनकी जाँच की जाती है।
- कार्य प्रणाली की इसी अस्पष्टता के कारण कई बार यह माना जाता है VIP सुरक्षा में राजनीतिक कारणों से फेरबदल संभव है।

सुरक्षा की विभिन्न श्रेणियाँ

- मोटे तौर पर वीआईपी (VIP) सुरक्षा कवर की छह श्रेणियाँ होती हैं: एक्स (X), वाई (Y), वाई-प्लस (Y-Plus) , जेड (Z), जेड-प्लस (Z-Plus) और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (Special Protection Group-SPG)। इसमें से SPG केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि अन्य सुरक्षा श्रेणियों की सुरक्षा खुफिया विभाग के इनपुट के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है। प्रत्येक श्रेणी में सुरक्षाकर्मियों की संख्या अलग-अलग होती है।
  - X सुरक्षा श्रेणी: एक्स (X) श्रेणी की सुरक्षा को सबसे बुनियादी स्तर की सुरक्षा श्रेणी मान जाता है। इस सुरक्षा श्रेणी में व्यक्ति की सुरक्षा के लिये 2 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिसमें कोई भी कमांडो शामिल नहीं होता।
  - Y सुरक्षा श्रेणी: इस श्रेणी के तहत एक बंदूकधारी कमांडो और स्थायी सुरक्षा के लिये 1 (रोटेशन के आधार पर अतिरिक्त चार) सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं।
  - Y-प्लस सुरक्षा श्रेणी: इस सुरक्षा श्रेणी के तहत दो बंदूकधारी कमांडो (रोटेशन के आधार पर अतिरिक्त चार), और निवास सुरक्षा के लिये एक (रोटेशन के आधार पर अतिरिक्त चार) सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं।
  - Z सुरक्षा श्रेणी: इस सुरक्षा श्रेणी में कुल छह बंदूकधारी कमांडो और निवास सुरक्षा के लिये दो (अतिरिक्त 8) सुरक्षाकर्मी होते हैं।
  - Z-प्लस सुरक्षा श्रेणी: इसमें 10 से अधिक NSG कमांडो होते हैं एवं इसके अतिरिक्त निवास स्थान की सुरक्षा के लिये 2 (अतिरिक्त 8) CRPF के कमांडो व स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं।

- इन स्तरों के भीतर भी विभिन्न प्रकार के सुरक्षा कवर हैं। इनमें निवास की सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा और अंतर-राज्य सुरक्षा शामिल होते हैं।

कौन से सुरक्षा बल VIP सुरक्षा करते हैं?

- प्रधानमंत्री और उनके परिवार के अलावा अन्य सभी लोगों को सुरक्षा कवर प्रदान करने का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसमें स्थानीय पुलिस भी शामिल होती है।
- सरकार बीते कुछ वर्षों से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) से VIP सुरक्षा का बोझ कम करने का प्रयास कर रही है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का सुरक्षा घेरा काफी लोकप्रिय है और इसकी मांग काफी अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि NSG का मुख्य कार्य राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद-रोधी अभियानों का संचालन करना है, न कि किसी की सुरक्षा करना।

VIP सुरक्षा की लागत का भुगतान कौन करता है?

- खुफिया विभागों से प्राप्त सूचना के मूल्यांकन के पश्चात् सरकार जिस किसी को भी सुरक्षा प्रदान करती है, उसे यह सुरक्षा पूरी तरह मुफ्त प्रदान की जाती है।
- हालाँकि, जिन लोगों को ज़ेड (Z) और ज़ेड-प्लस (Z-Plus) श्रेणियों में सुरक्षा प्रदान की जाती है, उन्हें सुरक्षाकर्मियों के आवास की व्यवस्था भी स्वयं करनी होती है, क्योंकि इस प्रकार की सुरक्षा श्रेणियों में सुरक्षाकर्मियों की संख्या काफी अधिक होती है।
  - भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम (P. Sathasivam) ने वर्ष 2014 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 'वीआईपी सुरक्षा' लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने पैतृक निवास स्थान में चले गए थे और उस निवास स्थान में सुरक्षाकर्मियों के लिये कोई विशेष स्थान नहीं था।
- हालाँकि, सरकार खतरे का आकलन करने के बाद भी एक निजी व्यक्ति को उनके सुरक्षा कवर के लिये शुल्क चुकाने को कह सकती है।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 2013 में सरकार ने उद्योगपति मुकेश अंबानी को 2013 में ज़ेड (Z) श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी, किंतु सरकार ने अपने आदेश में CRPF को सुरक्षा के लिये मुकेश अंबानी से प्रतिमाह 15 लाख रुपए शुल्क लेने का आदेश दिया था।

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के पुलिस महानिदेशक को 'उत्तरप्रदेश विशेष सुरक्षा बल' के गठन हेतु आवश्यक रूप रेखा तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 26 जून, 2020 को राज्य में महत्त्वपूर्ण भवनों और अन्य अवसंरचनाओं की सुरक्षा के लिये उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (Uttar Pradesh Special Security Force- UPSSF) के गठन का निर्णय लिया गया था।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UPSSF की स्थापना का यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिसंबर 2019 के एक आदेश के बाद आया है, जिसमें उच्च न्यायालय ने राज्य में सिविल न्यायालयों की सुरक्षा के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त की थी।

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (Uttar Pradesh Special Security Force- UPSSF):

- UPSSF की स्थापना 'उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2020' [Uttar Pradesh Special Security Force (UPSSF) Act, 2020] के तहत की जाएगी।
- UPSSF का मुख्यालय लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में होगा और इस बल का प्रमुख एक 'अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक' (Additional Director General of Police) स्तर का अधिकारी होगा।
- UPSSF में कुल 9,919 सुरक्षा कर्मी होंगे।
- प्रथम चरण में UPSSF के तहत पाँच बटालियनों का गठन प्रस्तावित किया गया है।

नोट :

- इन पाँच बटालियनों के गठन के लिये कुल अनुमानित व्यय भार (जिसमें वेतन भत्ते व अन्य व्यवस्थाएँ भी सम्मिलित हैं) लगभग 1,747 करोड़ रुपए बताया गया है।
- UPSSF के अधिकारियों और अन्य सदस्यों की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तथा प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाएगी।
- पहले चरण के तहत UPSSF के गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा 'प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी' (Provincial Armed Constabulary- PAC) का सहयोग लिया जाएगा।

कार्य क्षेत्र और शक्तियाँ:

- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force- CISF) की तरह ही UPSSF राज्य के महत्त्वपूर्ण सरकारी और निजी भवनों, और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिये ज़िम्मेदार होगा।
- यह सुरक्षा बल प्रदेश में उच्च न्यायालय, ज़िला न्यायालयों, प्रशासनिक कार्यालय एवं परिसर व तीर्थ स्थल, मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, बैंक अन्य वित्तीय, शैक्षिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान आदि की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
- निजी कंपनियाँ भी एक निश्चित शुल्क चुका कर इस बल की सेवाएँ ले सकेंगी हालाँकि इसके लिये राज्य के पुलिस महानिदेशक की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

पृष्ठभूमि:

- दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश में न्यायालय परिसरों में हिंसक घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी ज़िला न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत करने के लिये कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश दिये थे।
- इसके तहत उच्च न्यायलय ने राज्य सरकार को 15 जनवरी, 2020 के पहले सभी ज़िला न्यायालयों में विशेष सुरक्षा बल की तैनाती के साथ सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और न्यायालय परिसर के चारों ओर चारदीवारी बनाने का निर्देश दिया था।
- गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में बिजनौर ज़िले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हुई गोलीबारी में 1 हत्या आरोपी सहित दो पुलिस कर्मियों और एक न्यायालय कर्मचारी की हत्या कर दी गई थी।

आलोचना:

- उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव के अनुसार, इस विशेष सुरक्षा बल के पास किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के या किसी वारंट के बिना भी किसी व्यक्ति की तलाशी लेने या उसे गिरफ्तार करने का अधिकार होगा।
- गौरतलब है कि 'केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968' की धारा-11 के अनुसार, CISF का कोई भी सदस्य बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जो किसी कर्मचारी (सार्वजनिक उद्यम या CISF की निगरानी में निजी उद्यम से संबंधित) या CISF के किसी सदस्य को स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, या स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, या गलत तरीके से अपमान करने का प्रयास करता है या उसके कार्य में बाधा डालता है आदि।
- साथ ही 'केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968' की धारा-12 के तहत कुछ मामलों में CISF के सदस्यों को बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के किसी व्यक्ति की तलाशी लेने की शक्ति भी प्राप्त है।
- इस सुरक्षा बल को किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर किसी व्यक्ति की तलाशी या गिरफ्तारी की शक्ति देने के संदर्भ में कई मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं ने अपनी चिंता व्यक्त की है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force- CISF):

- CISF का गठन 'केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968' के तहत 10 मार्च, 1969 को किया गया था।
- वर्तमान में CISF के तहत 12 रिज़र्व बटालियन हैं।
- CISF देशभर में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं तथा अन्य प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है।
    - इनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, खदान, आयल फील्ड और रिफाइनरियाँ, हवाई अड्डे , समुद्री बंदरगाह, बिजली संयंत्र, दिल्ली मेट्रो, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि शामिल हैं।

चर्चा में

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार-2020
Rashtriya Khel Protsahan Puruskar-2020

हाल ही में 'एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड' (Air Force Sports Control Board- AFSCB) को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार-2020 (Rashtriya Khel Protsahan Puruskar-2020) से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- 'एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड' को यह पुरस्कार खिलाड़ियों को अपने संबंधित खेल क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने एवं खेल कल्याण उपायों को लागू करने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिये प्रदान किया गया है।
- कॉरपोरेट संस्थाओं (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में) और उन व्यक्तियों को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने खेलों के प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

'एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड' (Air Force Sports Control Board):

- यह भारतीय वायुसेना के अंतर्गत अंतर सेवा स्तर पर खेल गतिविधियों की योजना एवं संचालन के लिये सर्वोच्च निकाय है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना तथा युवा एयर वारियर्स को खेल गतिविधियों को जीवन के एक हिस्से के रूप में शामिल करने के लिये प्रेरित करना है।
- भारतीय वायुसेना की खेल टीमों के मानकों में सुधार लाने और भारतीय वायुसेना में खिलाड़ियों के रूप में कैरियर की प्रगति में उनका मार्गदर्शन करने के लिये 'एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड' लगातार प्रयास कर रहा है।

आंध्रप्रदेश में दुर्लभ शिलालेख Rare Inscription in Andhra Pradesh

हाल ही में आंध्रप्रदेश के कुडप्पा (Kadapa) ज़िले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग (Renati Chola Era) के एक दुर्लभ शिलालेख (Rare Inscription) की प्राप्ति हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- यह दुर्लभ शिलालेख डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है। जिस पर तेलुगू भाषा में उत्कीर्ण किया गया है।
  - 25 पंक्तियों में उत्कीर्ण इस शिलालेख को पुरातन तेलुगू भाषा में लिखा गया था, चट्टान के एक तरफ 11 पंक्तियों को तथा 14 पंक्तियों को दूसरी तरफ उत्कीर्ण किया गया था।
- यह शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है जब यह क्षेत्र (कडप्पा ज़िले के आसपास का क्षेत्र) रेनाडू (Renadu) के चोल महाराजा के अधीन था।
- शिक्षाविद् बताते हैं कि यह शिलालेख सिद्यामायु (Sidyamayu) नामक एक व्यक्ति को उपहार में दी गई छह मार्टटस [Marttus- एक प्रकार की भूमि मापने की इकाई) भूमि के रिकॉर्ड से संबंधित है।
  - सिद्यामायु (Sidyamayu), पिड्डुकुला गाँव में मंदिर की सेवा करने वाले ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण था।

रेनाटी चोल युग (Renati Chola Era):

- 500 से 1100 ईस्वी तक रेनाटी चोल (इन्हें रेनाडू क्षेत्र के तेलुगू चोल भी कहा जाता है) राजवंश ने रेनाडू क्षेत्र (आधुनिक कडप्पा ज़िले) पर शासन किया।

नोट :

- तेलुगू चोल शासक 'एरिकल मुत्तुराजु धनंजय वर्मा' (Erikal Mutturaju Dhananjaya Varma) के तेलुगू शिलालेख जिसे एर्रागुडीपाडु सासानाम (Erragudipadu Sasanam) के रूप में जाना जाता है, को वर्तमान कुडप्पा ज़िले में 575 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। यह तेलुगू भाषा में उत्कीर्ण सबसे पहला शिलालेख रिकॉर्ड है।

मंगल ग्रह पर ड्रैगन जैसा पैटर्न Dragon like pattern on Mars

4 जुलाई, 2007 को मंगल टोही ऑर्बिटर (Mars Reconnaissance Orbiter) पर लगे हाईराइज़ (HiRISE) कैमरा ने मंगल ग्रह पर ड्रैगन जैसी दिखने वाली एक छवि को कैप्चर किया था।

प्रमुख बिंदु:

- ड्रैगन जैसा पैटर्न में दक्षिण-पश्चिम मेलस चस्मा (Southwestern Melas Chasma) घाटी में मार्स मियांडर्स (Mars Meanders) से निर्मित परत एवं चट्टान का एक हिस्सा है।

मेलस चस्मा (Melas Chasma):

- मेलास चस्मा मंगल ग्रह पर अवस्थित एक घाटी है जो वाल्लेस मेरिनेरिस घाटी प्रणाली (Valles Marineris Canyon System) का सबसे बड़ा खंड है।
- मंगल ग्रह पर दक्षिण-पश्चिम मेलस चस्मा क्षेत्र में यह परत एक असामान्य निक्षेप का जमाव है जो गहरे रंग के मैट्रिक्स में लाइट-टोंड ब्लॉकों (Light-toned Block) से निर्मित होता है।
  - इन लाइट-टोंड ब्लॉकों की कैमरे द्वारा ली गई छवि का उच्च रिज़ॉल्यूशन केवल कुछ मीटर मोटी परतों को ही प्रकट करता है। ये ब्लॉक लगभग 100 से 500 मीटर व्यास के होते हैं और गोल दिखाई देते हैं जबकि कुछ अन्य कोणीय किनारों से बढ़े हुए प्रतीत होते हैं।
  - इन ब्लॉकों की आकृति, तन्य विकृति (Ductile Deformation) को प्रदर्शित करती है जैसे- विस्थापन के बाद प्रवाह या विवर्तनिक व्यवधान।
- कुछ लाइट-टोंड (Light-toned) ब्लॉक पतले प्रतीत होते हैं और केवल स्थानीयकृत जगहों में उजागर होते हैं। कई लाइट-टोंड निक्षेप केवल घाटियों में ही देखे जा सकते हैं, जिनके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे या तो जमा हो गए होंगे या अपरदन से उजागर हुए होंगे।

हाईराइज़ (HiRISE):

- हाईराइज़ कैमरा 'बॉल एयरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी कार्पोरेशन' (Ball Aerospace and Technology Corporation) द्वारा बनाया गया था और एरिज़ोना विश्वविद्यालय (University of Arizona) द्वारा संचालित है।

मंगल टोही ऑर्बिटर (Mars Reconnaissance Orbiter):

- राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (Jet Propulsion Laboratory) नासा के विज्ञान मिशन निदेशालय (Science Mission Directorate) के लिये मंगल टोही आर्बिटर (Mars Reconnaissance Orbiter) का प्रबंधन करती है।

2400 वर्ष पुरानी मिस्र की ममी 2400-year-old Egyptian Mummy

हाल ही में राजस्थान के जयपुर शहर में अत्यधिक वर्षा के कारण जलभराव होने से ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल संग्रहालय (Albert Hall Museum) में रखी 2400 वर्ष पुरानी मिस्र की ममी (Egyptian Mummy) को सुरक्षित किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- अल्बर्ट हॉल संग्रहालय के अधिकारियों के अनुसार, यह ममी 'टूटू' (TUTU) मिस्र के टॉलेमिक युग (322 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व) से पहले की है।
  - यह ममी मिस्र के पुजारी परिवार की एक महिला सदस्य 'टूटू' (TUTU) की है।

- इसे मिस्र के प्राचीन शहर पानोपोलिस (Panopolis) के अखमीन (Akhmin) क्षेत्र में 300 से अधिक वर्षों पहले प्राप्त किया गया था।
- इस ममी (भारत में केवल छह में से एक) को जयपुर के तत्कालीन राजा सवाई ईश्वर सिंह (Sawai Ishwar Singh) को वर्ष 1887 में जयपुर में एक प्रदर्शनी के लिये काहिरा (मिस्र) के संग्रहालय द्वारा उपहार में दिया गया था।

अल्बर्ट हॉल संग्रहालय (Albert Hall Museum):

- जयपुर में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है और राजस्थान के राज्य संग्रहालय के रूप में कार्य करता है।
- यह इमारत जयपुर शहर के राम निवास उद्यान (Ram Niwas Garden) में अवस्थित है और इंडो-सारसैनिक वास्तुकला (Indo-Saracenic Architecture) का बेहतरीन नमूना है।
- इंडो-सारासेनिक वास्तुकला को 'इंडो-गोथिक (Indo-Gothic) वास्तुकला' भी कहा जाता है।
- इस इमारत को सर सैमुअल स्विंटन जैकब (Sir Samuel Swinton Jacob) द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिनकी मदद मीर तुजुमूल होसिन (Mir Tujumool Hoosein) द्वारा की गई थी और इसे वर्ष 1887 में सार्वजनिक संग्रहालय के रूप में खोला गया था।

स्पेशल फ्रंटियर फोर्स Special Frontier Force

हाल ही में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) पर चीन के साथ गतिरोध के दौरान 'स्पेशल फ्रंटियर फोर्स' (Special Frontier Force- SFF) जिसे विकास बटालियन (Vikas Battalion) के नाम से भी जाना जाता है, ने कुछ रणनीतिक ऊँचाइयों पर कब्ज़ा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

'स्पेशल फ्रंटियर फोर्स' (Special Frontier Force- SFF):

- SFF का गठन वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के तुरंत बाद किया गया था।
- यह एक 'कोवर्ट आउटफिट' (Covert Outfit) थी जिसमें तिब्बतियों को भर्ती किया जाता था किंतु अब इसमें तिब्बतियों एवं गोरखाओं दोनों को भर्ती किया जाता है।
- शुरूआत में इसे 'Establishment 22' के नाम से जाना जाता था।
- इसका नाम 'Establishment 22' इसलिये रखा गया था क्योंकि इसे मेजर जनरल सुजान सिंह उबान (Major General Sujan Singh Uban) ने प्रस्तावित किया था
- मेजर जनरल सुजान सिंह उबान एक आर्टिलरी अधिकारी थे जिन्होंने 22 माउंटेन रेजिमेंट (22 Mountain Regiment) की कमान संभाली थी।
- इसके बाद इसे 'स्पेशल फ्रंटियर फोर्स' के रूप में नामित किया गया था और अब यह कैबिनेट सचिवालय के दायरे में आता है जहाँ इसका नेतृत्त्व एक महानिरीक्षक (Inspector General) करता है जो मेजर जनरल रैंक का एक सेना अधिकारी होता है।
- SFF में शामिल इकाइयाँ 'विकास बटालियन' (Vikas Battalion) के रूप में जानी जाती हैं।

क्या SFF इकाइयाँ भारतीय थल सेना का हिस्सा हैं ?

- SFF इकाइयाँ भारतीय थल सेना का हिस्सा नहीं हैं किंतु ये सेना के संचालन नियंत्रण में कार्य करती हैं।
- इन इकाइयों की अपनी रैंक संरचनाएँ होती हैं जिनकी स्थिति आर्मी रैंक के बराबर होती है। हालाँकि ये उच्च प्रशिक्षित विशेष बल के जवान होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं जो सामान्य रूप से किसी विशेष बल इकाई द्वारा किया जाता है।
    - इसलिये SFF इकाइयाँ, वस्तुत: एक अलग चार्टर एवं इतिहास होने के बावजूद परिचालन क्षेत्रों में किसी अन्य सेना इकाई के रूप में कार्य करती हैं।
- इनके पास अपना स्वयं का प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है जहाँ SFF में भर्ती होने वाले विशेष बलों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संयोग से महिला सैनिक भी SFF इकाइयों का हिस्सा बनती हैं और विशेष कार्य करती हैं।

नोट :

SFF इकाइयों ने कौन-कौन से बड़े ऑपरेशन किये हैं?

- कई ओवर्ट एवं कोवर्ट ऑपरेशन हैं जिनमें SFF इकाइयों ने पिछले वर्षों में भाग लिया है। उन्होंने वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध में, स्वर्ण मंदिर (अमृतसर) में ऑपरेशन ब्लू स्टार, करगिल युद्ध और देश में आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लिया।

  वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध में SFF की भूमिका:
- वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान (बाद में बांग्लादेश) में चटगाँव पहाड़ी इलाकों में SFF ने पाकिस्तानी सेना की अवस्थिति को बेअसर किया और भारतीय सेना को आगे बढ़ने में मदद की। इस ऑपरेशन का कोड नाम 'ऑपरेशन ईगल' (Operation Eagle) था।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक आयोग International Commission of Jurists

हाल ही में न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग (International Commission of Jurists- ICJ) ने कहा कि नागरिक अधिकारों के वकील प्रशांत भूषण को उच्चतम न्यायालय द्वारा आपराधिक अवमानना के लिये दी गई सजा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम (International Covenant on Civil and Political Rights) द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के परिप्रेक्ष्य में असंगत प्रतीत होती है।

प्रमुख बिंदु:

- ICJ (एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जिसमें न्यायाधीश एवं वकील शामिल होते हैं) ने कहा कि वह 1800 भारतीय वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक अवमानना के मानकों की समीक्षा करने के लिये बुलाएगा।
  - यद्यपि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कुछ प्रतिबंधों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा अनुमति दी जाती है, विशेष रूप से न्यायपालिका की भूमिका, न्याय तक पहुँच जैसे मामलों में बहस और चर्चा के लिये एक विस्तृत दायरा संरक्षित किया जाना चाहिये।

न्यायविदों का अंतर्राष्ट्रीय आयोग (International Commission of Jurists- ICJ):

- ICJ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के लिये कार्य करने वाला एक गैर-सरकारी संगठन है।
- यह 60 प्रख्यात न्यायविदों का एक समूह है जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश, वकील एवं शिक्षाविद् शामिल हैं जो कानून के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को विकसित करने के लिये कार्य करते हैं।
- इस आयोग के गठन का उद्देश्य दुनिया की भौगोलिक विविधता एवं इसकी कई कानूनी प्रणालियों को प्रतिबिंबित करना है।
- इसका गठन वर्ष 1952 में किया गया था।
- इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विटज़रलैंड) में है।

स्पॉट Spot

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने लोगों के शरीर का तापमान और सांस लेने की दर जैसे महत्त्वपूर्ण संकेतों की पहचान करने वाला एक रोबोट 'स्पॉट' (Spot) विकसित किया है जो COVID-19 लक्षणों वाले रोगियों की पहचान कर सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- 'स्पॉट' नामक इस रोबोट को 'मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Massachusetts Institute of Technology-MIT) के बोस्टन डायनेमिक्स (Boston Dynamics) द्वारा विकसित किया गया है।
- इसे हाथ से पकड़ने वाले डिवाइस द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, यह एक कुत्ते के समान चार पैरों पर चल सकता है।
- इस रोबोट में चार कैमरे (एक इंफ्रारेड और तीन मोनोक्रोम) लगे हैं। यह 2 मीटर दूर से लोगों का तापमान, श्वसन दर, नाड़ी दर और रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति (Blood Oxygen Saturation) को माप सकता है।
- इंफ्रारेड कैमरा (Infrared Camera) त्वचा के तापमान एवं श्वसन दर को मापता है। जबकि मोनोक्रोम कैमरा (Monochrome Camera) नाड़ी दर एवं रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति (Blood Oxygen Saturation) को मापता है।

नोट :

आयरन-60 Iron-60

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने बताया कि पृथ्वी पिछले 33,000 वर्षों से धुँधली रेडियोधर्मी धूल (Faintly Radioactive Dust) से निर्मित एक बादल के साथ चक्कर लगा रही है। ये बादल पिछले सुपरनोवा विस्फोटों के अवशेष हो सकते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- इस रेडियोधर्मी धूल के अवशेषों का पता शोधकर्त्ताओं ने एक अत्यधिक संवेदनशील मास स्पेक्ट्रोमीटर (Mass Spectrometer) का उपयोग करके लगाया है।
  - जिसमें शोधकर्त्ताओं को आइसोटोप आयरन-60 (Iron-60) के स्पष्ट निशान मिले हैं, जिनका (आयरन-60) निर्माण तब होता है जब सुपरनोवा विस्फोटों में तारे नष्ट हो जाते हैं।
- आयरन-60 एक रेडियोधर्मी तत्त्व है और 15 मिलियन वर्षों में यह पूरी तरह से विघटित हो जाता है, जिसका मतलब है कि पृथ्वी पर पाया गया कोई भी आयरन-60, 4.6-बिलियन वर्ष पुरानी पृथ्वी की तुलना में बहुत बाद में निर्मित हुआ होगा और समुद्र के तल पर पहुँचने से पहले यहाँ (स्थल पर) पहुँचा होगा।

स्थानीय अंतरतारकीय बादल (Local Interstellar Cloud- LIC):

- पिछले कुछ हज़ार वर्षों से सौर प्रणाली गैस एवं धूल के एक सघन बादल के माध्यम से आगे बढ़ रही है जिसे 'स्थानीय अंतरतारकीय बादल' (Local Interstellar Cloud) के रूप में जाना जाता है जिसकी उत्पत्ति अभी तक स्पष्ट नहीं है।
  - यदि यह बादल सुपरनोवा से पिछले कुछ मिलियन वर्षों के दौरान उत्पन्न हुआ था तो इसमें आयरन-60 शामिल होगा। इसलिये शोधकर्त्ताओं ने यह पता लगाने के लिये हाल ही में गहरे समुद्री तलछट (Deep-Sea Sediment) की खोज करने का निर्णय किया था।

मास स्पेक्ट्रोमीटर Mass Spectrometer

हाल ही में 'इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बॉयोलॉजी' (Institute of Genomics and Integrative Biology- IGIB) और 'नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल' (National Centre for Disease Control- NCDC) के शोधकर्त्ता मास स्पेक्ट्रोमीटर (Mass Spectrometer) का उपयोग करके RT-PCR परीक्षण की तुलना में 95% संवेदनशीलता एवं 100% स्पष्टता के साथ COVID-19 का पता लगाने में समर्थ हुए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- मास स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से COVID-19 वायरस का पता लगाने में मात्र 3 मिनट का समय लगता है, वहीं सैंपल तैयार करने से लेकर वायरस का पता लगाने तक में लगने वाला समय 30 मिनट से भी कम है।
- यह नई विधि आरएनए (राईबोन्यूक्लिक एसिड) को परिवर्धित किये बिना ही सीधे तौर पर COVID-19 वायरस का पता लगा सकती है। जबकि COVID-19 वायरस का पता लगाने के लिये RT-PCR परीक्षण में RNA को परिवर्धित करना पड़ता है।
- यह नई विधि दो पेप्टाइड्स (Peptides) की उपस्थिति का पता लगाने पर निर्भर करती है जो SARS-CoV-2 वायरस में ही मौजूद होती हैं और किसी भी अन्य कोरोनावायरस या अन्य किसी वायरस में नहीं पाई जाती हैं।

पेप्टाइड्स (Peptides):

- एक पेप्टाइड, अमीनो एसिड (Amino Acids) की एक छोटी श्रृंखला होती है। एक पेप्टाइड में अमीनो एसिड 'पेप्टाइड बॉन्ड' (Peptide Bond) द्वारा एक क्रम में एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
- यद्यपि SARS-CoV-2 वायरस में 7 अद्वितीय पेप्टाइड्स पाए गए थे किंतु इस वायरस का त्वरित पता लगाने के लिये केवल दो पेप्टाइड्स का उपयोग किया जाता है।
- इन पेप्टाइड्स में से एक स्पाइक प्रोटीन (Spike Protein) है जबकि दूसरा एक रेप्लीकेस प्रोटीन (Replicase Protein) है।

मास स्पेक्ट्रोमीटर (Mass Spectrometer):

- मास स्पेक्ट्रोमेट्री (Mass Spectrometry- MS) एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जो आयनों के द्रव्यमान-आवेश अनुपात को मापती है।
- इस तकनीक के माध्यम से प्राप्त परिणाम आम तौर पर एक मास स्पेक्ट्रम (Mass Spectram) के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं।

स्पेसएक्स का पहला ध्रुवीय कक्षा मिशन First Polar Orbit Mission of SpaceX

हाल ही में स्पेसएक्स (SpaceX) ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा से सफलतापूर्वक अपना पहला ध्रुवीय कक्षा मिशन (First Polar Orbit Mission) लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

- फाल्कन 9 मिशन (Falcon 9 Mission) के द्वारा तीन पेलोड को लॉन्च किया गया जिसमें 'अर्जेंटीना अंतरिक्ष एजेंसी' का एक 'SAOCOM-1B सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह' (SAOCOM-1B Synthetic Aperture Radar Satellite) और 'टाइवैक' (Tyvack) एवं 'प्लैनेटआईक्यू' (PlanetiQ) कंपनी के दो छोटे उपग्रह (GNOMES 1 एवं Tyvak 0172) शामिल थे।
- स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल (Cape Canaveral) से दो फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा था किंतु खराब मौसम के कारण दूसरी उड़ान को टाल दिया गया।
  - दूसरे फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों (60 Starlink Broadband Satellites) को लॉन्च किया जाना था और अब इन्हें केनेडी स्पेस सेंटर (Kennedy Space Center) से सितंबर, 2020 में लॉन्च किया जाएगा।

SAOCOM-1B:

- SAOCOM 1B अंतरिक्ष यान 'एल-बैंड स्टीयरेबल सिंथेटिक एपर्चर रडार' (L-band Steerable Synthetic Aperture Radar) के माध्यम से पृथ्वी पर दिन एवं रात की सभी मौसमी घटनाओं को स्कैन करेगा।

'GNOMES 1' उपग्रह:

- GNOMES 1 माइक्रोसेटेलाइट कोलोराडो (संयुक्त राज्य अमेरिका) स्थित एक कंपनी 'PlanetiQ' द्वारा विकसित किये जा रहे लगभग 20 छोटे अंतरिक्ष यान के नियोजित बेड़े में से पहला है जो जीपीएस (GPS), ग्लोनास (Glonass), गैलीलियो (Galileo) एवं बाईडू (Beidou) नेवीगेशन उपग्रहों द्वारा प्रसारित संकेतों के आधार पर वायुमंडल के प्रभावों को मापकर रेडियो प्रच्छादन डेटा (Radio Occultation Data) एकत्र करता है। जिसके आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।

Tyvak 0172 उपग्रह:

- यह एक छोटा सा अंतरिक्ष यान है जिसे 'टाइवैक नैनो-सैटेलाइट सिस्टम (Tyvak Nano-Satellite Systems) द्वारा बनाया गया है।

सिंगिंग डॉग Singing Dog

हाल ही में न्यू गिनी (New Guinea) में विलुप्त हो चुके सिंगिंग डॉग (Singing Dog) की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति को 50 वर्षों में पहली बार अपने प्राकृतिक आवास में देखा गया है।

प्रमुख बिंदु:

- न्यू गिनी के इन सिंगिंग डॉग को उनके अनूठी चीख एवं भोंकने के लिये जाना जाता है।
  - ये कुत्ते एक हार्मोनिक ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं जिसकी तुलना हंपबैक व्हेल (Humpback Whale) द्वारा की जाने वाली ध्वनि से की गई है।

- यद्यपि 1970 के दशक में पकड़े गए लगभग 200 सिंगिंग डॉग, संरक्षण केंद्रों एवं चिड़ियाघरों में रह रहे हैं किंतु पिछले 50 वर्षों में इनकी कोई भी प्रजाति जंगल में नहीं देखी गई थी।
- वर्ष 2016 में 'न्यू गिनी हाईलैंड वाइल्ड डॉग फाउंडेशन' (New Guinea Highland Wild Dog Foundation-NGHWDF) के शोधकर्त्ताओं ने 'हाइलैंड वाइल्ड डॉग' (Highland Wild Dog) के समूह को देखा जो न्यू गिनी के सिंगिंग डॉग के समान ध्वनि निकाल रहे थे
  - वर्ष 2018 में शोधकर्त्ताओं ने इनके (हाइलैंड वाइल्ड डॉग) रक्त के नमूने के आधार पर इनकी तुलना न्यू गिनी के 'सिंगिंग डॉग' से की।
  - गौरतलब है कि तुलना करने पर पाया गया कि शारीरिक अंतर के अतिरिक्त उनके जीनोम अनुक्रम (Genome Sequences) समान थे।
- शोधकर्त्ताओं ने बताया कि 'हाईलैंड वाइल्ड डॉग' (Highland Wild Dog) न्यू गिनी के 'सिंगिंग डॉग' (Singing Dog) की मूल प्रजाति है।

न्यू गिनी (New Guinea):

- न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है।
- दक्षिण-पश्चिम प्रशांत महासागर में मेलनेशिया (Melanesia) में अवस्थित यह टॉरेस जलसंधि (Torres Strait) द्वारा ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप से अलग होता है।
- इस द्वीप का पूर्वी भाग स्वतंत्र देश पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) के अंतर्गत आता है जबकि इसका आधा पश्चिमी भाग जिसे पश्चिमी न्यू गिनी (Western New Guinea) या पश्चिमी पापुआ (West Papua) के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है।

दो ब्लैक होल की टक्कर Collision of Two Black Holes

हाल ही में खगोलविदों ने अब तक की सबसे बड़ी ब्लैक होल टक्कर (Black Hole Collision) का पता लगाया है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि लगभग 7 अरब वर्ष पहले दो ब्लैक होल आपस में टकराकर विलीन हो गए, किंतु यह घटना इतनी तीव्र थी कि इसने स्पेस-टाइम परिप्रेक्ष्य के माध्यम से संकेतों को भेजा जो 21 मई, 2019 को पृथ्वी पर पहुँची।
- इन संकेतों को गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में दो वेधशालाओं [संयुक्त राज्य अमेरिका की लीगो (LIGO) एवं इटली की विर्गो (Virgo)] द्वारा पता लगाया गया।

विर्गो इंटरफेरोमीटर (Virgo Interferometer):

- इटली का यह 'विर्गो इंटरफेरोमीटर' एक बड़ा इंटरफेरोमीटर है जिसे सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत (General Theory of Relativity) द्वारा अनुमानित गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इस तरंगीय संकेत को 'GW190521' नाम दिया गया है जो ब्लैक होल की टक्कर से आया था।
- शोधकर्त्ताओं का अनुमान है कि सूर्य की तुलना में ये दो ब्लैक होल क्रमशः 66 एवं 85 गुना अधिक बड़े हैं जो सूर्य की तुलना में 142 गुना अधिक बड़े ब्लैक होल का निर्माण करते हैं।
- 'फिज़िकल रिव्यू लेटर्स' (Physical Review Letters) में प्रकाशित की गई यह घटना गुरुत्वाकर्षण तरंगों के जरिये पता लगाई गई अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक है।

हरिकेन नाना Hurricane Nana

3 सितंबर, 2020 को हरिकेन नाना (Hurricane Nana) मध्य अमेरिकी देश बेलीज़ (Belize) के तट से टकराया।

प्रमुख बिंदु:

- 'यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर' (US National Hurricane Center) के अनुसार, हरिकेन नाना की गति 75 मील प्रति घंटा अर्थात् 120 मील प्रति घंटा थी।
- हरिकेन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical cyclone) को सैफिर-सिंपसन विंड स्केल (Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें हवा की गति के आधार पर 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाती है।
- यह वर्ष 2020 के अटलांटिक हरिकेन मौसम (Atlantic Hurricane Season) का पाँचवा हरिकेन है।
  - अटलांटिक हरिकेन मौसम की अवधि 1 जून से 30 नवंबर के मध्य होती है और 'नेशनल ओशनिक एंड एटमास्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन' (National Oceanic and Atmospheric Administration- NOAA) के अनुसार, एक औसत हरिकेन मौसम में लगभग 12 हरिकेन आते हैं जिनमें से तीन प्रमुख हरिकेन के साथ छह सामान्य हरिकेन होते हैं।
  - जबकि पूर्वी प्रशांत तट पर हरिकेन मौसम की अवधि 15 मई से 30 नवंबर के मध्य होती है।

बेलीज़ (Belize):

- बेलीज़ एक कैरिबियन देश है जो मध्य अमेरिका के उत्तर-पूर्वी तट पर अवस्थित है।
- बेलीज़ की सीमा उत्तर-पश्चिम में मैक्सिको से, पूर्व में कैरिबियन सागर (Caribbean Sea) से और दक्षिण एवं पश्चिम में ग्वाटेमाला (Guatemala) से लगती है।
- 1500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य माया सभ्यता (Maya Civilization) बेलीज़ के क्षेत्र में फैल हुई थी और यह सभ्यता लगभग 1200 वर्षों तक अस्तित्त्व में रही।

माया सभ्यता (Maya Civilization):

- माया सभ्यता एक मेसोअमेरिकन सभ्यता (Mesoamerican Civilization) थी जिसे माया लोगों द्वारा विकसित किया गया था।
- कोलंबियाई अमेरिका में इस सभ्यता की लेखन प्रणाली सबसे परिष्कृत एवं उच्च विकसित अवस्था में थी।
- इसके साथ ही इन लोगों को कला, वास्तुकला, गणित, कैलेंडर एवं खगोलीय प्रणाली का भी ज्ञान था।
- बेलीज़ बैरियर रीफ (Belize Barrier Reef), कोरल रीफ की एक श्रृंखला है जो बेलीज़ के तट पर फैली हुई है। बेलीज़ बैरियर रीफ, 900 किलोमीटर लंबे 'मेसोअमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम' (Mesoamerican Barrier Reef System) का एक भाग है।
  - बेलीज़ बैरियर रीफ को वर्ष 1996 में यूनेस्को (UNESCO) द्वारा विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) घोषित किया गया था।

मेसोअमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम (Mesoamerican Barrier Reef System):

- मेसोअमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम (MBRS) जिसे ग्रेट मायन रीफ या ग्रेट माया रीफ के नाम से भी जाना जाता है, एक समुद्री क्षेत्र है जो युकाटन प्रायद्वीप में इस्ला कोंटॉय (Isla Contoy) से बेलीज़, ग्वाटेमाला एवं होंडुरस के खाड़ी द्वीप समूह तक 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है।
- दक्षिण-पूर्वी मैक्सिको में युकटान प्रायद्वीप, कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से अलग करता है।

'एंटरप्रन्योर्स इन रेज़िडेंस' कार्यक्रम 'Entrepreneurs in Residence' Program

हाल ही में 'नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हारनेसिंग इनोवेशंस' (National Initiative for Developing and Harnessing Innovations- NIDHI) कार्यक्रम के तहत 'एंटरप्रन्योर्स इन रेजिडेंस' कार्यक्रम (Entrepreneurs in Residence (EIR) Program) को लॉन्च किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निधि (NIDHI) कार्यक्रम के तहत एक राष्ट्रीय पहल है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी व्यापार विचार को आगे बढ़ाने के इच्छुक उद्यमियों को एक वर्ष तक प्रति माह 30000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसे कुछ मामलों में 18 महीने तक भी बढाया जा सकता है।
    - अधिकतम 18 महीनों में प्रत्येक EIR को 3.6 लाख रुपए के अधिकतम समर्थन के साथ प्रति माह 30000 रुपए तक दिया जाता है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुभवी एवं सफल उद्यमियों द्वारा छोटे उद्यमियों को व्यावसायिक अवधारणा रणनीति से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान करना है जो उद्यमी होने के लिये सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को प्रेरित करते हैं।
- सीएसआईआर-नेशनल केमिकल लेबोरेटरी (CSIR-National Chemical Laboratory) के तहत संचालित इन्क्यूबेशन केंद्र (Incubation Hub) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन भागीदार हैं।

निधि कार्यक्रम:

- भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Science & Technology department- DST) द्वारा ज्ञान-आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित नवाचारों एवं विचारों को लाभदायक स्टार्ट-अप में बदलने के उद्देश्य से निधि कार्यक्रम (NIDHI Program) शुरू किया गया है।
- इस कार्यक्रम के तहत अन्वेषकों एवं उद्यमियों के लिये इन्क्यूबेटर्स (Incubators), सीड फंड (Seed Fund), एक्सेलेरेटर्स (Accelerators) और 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' (Proof of concept) अनुदान की स्थापना के कार्यक्रम शुरू किये गए हैं।

नोविचोक Novichok

जर्मनी ने कहा कि रुसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक अलेक्सई नवलनई (Alexei Navalny) को जहर देने के लिये नोविचोक (Novichok) का इस्तेमाल किया गया था जो कि एक नर्व एजेंट (Nerve Agent) है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि अलेक्सई नवलनई (Alexei Navalny) बर्लिन के एक अस्पताल में कोमा में है।
- नोविचोक (Novichok) नामक नर्व एजेंट को 1970 एवं 1980 के दशक में सोवियत संघ में विकसित किया गया था।
- 'नोविचोक' का अर्थ 'नवागंतुक' (Newcomer) है। इसका उपयोग अत्यधिक विषैले नर्व एजेंटों के रूप में किया जाता है जो कि जहरीली गैसों वीएक्स (VX) और सरीन (Sarin) से थोड़ा अलग है।
- नोविचोक एजेंट को अन्य विषैले पदार्थों की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक घातक माना जाता है।
- माना जाता है कि रूस को कभी भी नोविचोक या उसकी सामग्री रखने के लिये हेग (नीदरलैंड) स्थित 'रासायनिक हथियार निषेध संगठन' (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons- OPCW) द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया, जो रासायनिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली एक संधि की देखरेख करता है।
    - वर्ष 1997 के 'रासायनिक हथियार अभिसमय' (Chemical Weapons Convention) के तहत किसी भी तरह के रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरतलब है कि इस संधि में रूस भी एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।
    - नवंबर 2019 में OPCW के सदस्यों ने नोविचोक एजेंटों को शामिल करने के लिये प्रतिबंधित रसायन सूची 'अनुसूची-1' में विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की और यह प्रतिबंध 7 जून, 2020 से लागू हुआ।

क्रसटेशिया Crustacea

हाल ही में पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध मरुस्थल दश्त-ए लुट (Dasht-e Lut) से मीठे पानी के क्रस्टेशिया (Crustacea) की एक नई प्रजाति की खोज की गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- क्रस्टेशिया की यह नई ज्ञात प्रजाति जीनस फालोक्रिप्टस (Phallocryptus) से संबंधित है।
- गौरतलब है कि अलग-अलग शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में क्रस्टेशिया (Crustacea) की पहले से ही चार प्रजातियाँ ज्ञात हैं।
- ईरानी संरक्षण जीवविज्ञानी 'हादी फहीमी' (Hadi Fahimi) के सम्मान में क्रस्टेशिया (Crustacea) की इस नई प्रजाति को फालोक्रिप्टिस फहीमी (Phallocryptus Fahimii) नाम दिया गया है। जिनकी वर्ष 2018 में एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।
    - गौरतलब है कि जीवविज्ञानी 'हादी फहीमी' (Hadi Fahimi) वर्ष 2017 में उस अभियान दल का हिस्सा थे जो ईरान के दश्त-ए लुट मरुस्थल की पारिस्थितिकी, जैव विविधता, भू-आकृति विज्ञान एवं जीवाश्म विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिये इसका अन्वेषण कर रहा था।
- क्रस्टेशिया (Crustacea) की इस नई प्रजाति से संबंधित निष्कर्षों को 'ज़ूलॉजी इन मिडिल ईस्ट' (Zoology in the Middle East) में प्रकाशित किया गया है।

दश्त-ए लुट (Dasht-e-Lut):

- यह एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है जो ईरान के केरमान (Kerman) एवं सिस्तान (Sistan) तथा बलूचिस्तान (Baluchestan) प्रांतों में फैला हुआ है।
- यह दुनिया का 25वाँ सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ईरान का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है।
    - दश्त-ए-काविर (Dasht-e-Kavir) जिसे काविर-ए-नमक एवं ग्रेट साल्ट डेज़र्ट (Great Salt Desert) के रूप में भी जाना जाता है, ईरान का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
- इसे 17 जुलाई, 2016 को यूनेस्को (UNESCO) की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था।
- वर्ष 2006 में नासा (NASA) ने इस रेगिस्तान का तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया था जो हाल के दिनों में बढ़कर 80.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। गहरे कंकड़ (Dark Pebbles) जो गर्मी उत्पन्न करते हैं, इस अधिकतम तापमान के कारणों में से एक हैं।
- यहाँ औसत तापमान -2.6°C (सर्दियों में) से लेकर 50.4°C (गर्मियों में) तक होता है जबकि वार्षिक वर्षा 30 मिमी. प्रति वर्ष से अधिक नहीं होती है।

रेगिस्तान की एफ्रो-एशियाई बेल्ट (Afro-Asian Belt of Deserts):

- ईरान, रेगिस्तान की एफ्रो-एशियाई बेल्ट का एक हिस्सा है जो पश्चिम अफ्रीका के केप वर्डे द्वीपों (Cape Verde Islands) से लेकर मंगोलिया तक फैली हुई है।

ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की पाँचवीं बैठक

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रह्लाद सिंह पटेल ने 3 सितंबर, 2020 को वर्चुअल रूप से पाँचवीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक (BRICS Cultural ministers meeting) में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- यह बैठक रूसी फेडरेशन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिये आयोजित की गई। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के संस्कृति मंत्रालयों के शिष्टमंडलों ने बैठक में प्रतिभाग किया।
- बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक क्षेत्र पर महामारी की स्थिति के प्रभाव पर चर्चा की गई और ब्रिक्स के भीतर संयुक्त सांस्कृतिक ऑनलाइन परियोजनाओं के संभावित कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

बैठक में भारतीय पक्ष द्वारा प्रस्तावित सुझाव:

- वर्ष 2021 के अंत तक ब्रिक्स अलायंस ऑफ म्यूज़ियम के तत्वावधान में साझी विषय वस्तुओं पर एक डिजिटल ऑनलाइन प्रदर्शनी की मेजबानी करने की संभावनाओं की खोज करना।

- ब्रिक्स अलायंस ऑफ लाईब्रेरीज के तत्वाधान में 2021 में भारत की ब्रिक्स प्रेजीडेंसी के दौरान ब्रिक्स कॉर्नर खोलना।
    - यह कॉर्नर ब्रिक्स देशों के इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित सूचना प्रसारित करेगा।
- राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा (The National Gallery of Modern Arts), नई दिल्ली ब्रिक्स अलायंस ऑफ म्यूज़ियम्स एंड गैलरीज़ के तत्वावधान में 'बॉडिंग रीजंस एंड इमेजिनिंग कल्चरल सिनर्जीज़' शीर्षक की ब्रिक्स संयुक्त प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा।
- इस प्रदर्शनी का आयोजन ब्रिक्स कार्यक्रम के साथ प्रस्तावित है जिसका आयोजन भारत वर्ष 2021 में करेगा। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ब्रिक्स अलायंस के तहत पाँच सम्मानित संस्थानों से लगभग 100 कलाकृतियों को प्रस्तुत करना है।
- इस बैठक के दौरान सभी देशों के मंत्रियों द्वारा घोषणापत्र पर सहमति जताई गई और इस पर ब्रिक्स देशों के सभी प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये।

नई हाइब्रिड जीवाणुशोधन तकनीक

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरूपति (IIT Tirupati) तथा भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरूपति (IISER Tirupati) ने मिलकर एक पोर्टेबल ऑप्टिकल कैविटी (Portable Optical Cavity) विकसित किया है।

विशेषता:

- पोर्टेबल ऑप्टिकल कैविटी, हाइब्रिड जीवाणुशोधन प्रणाली (Hybrid Sterilization Technology) नामक एक नई तकनीक आधारित प्रणाली है जो COVID-19 से बचने के लिये आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment- PPE) को संक्रामक रोगाणुओं से सुरक्षित रखेगी जिससे इसका कई बार आसानी से उपयोग किया जा सकेगा।
- पारंपरिक यूवी प्रणाली (UV system) के विपरीत, यह इकाई उपचार क्षेत्र में फोटॉन फ्लक्स (Photon Flux) के उपयोग को अनुकूलित करने के लिये ऑप्टिकल कैविटी अवधारणा (Optical Cavity Concept) का अनुसरण करती है। यह प्रणाली यूवी विकिरण (UV Radiation) को परिभाषित करती है और फोटॉन-फ्लक्स तथा जीवाणुशोधन के प्रभाव को बढ़ाती है। यूवी-सी (UV-C), शीत प्लाज्मा (Cold Plasma), और H_2O_2 स्प्रे (H_2O_2 Spray) का सुसंगत संचालन अधिक हाइड्रॉक्सिक रेडिकल (Hydroxyl Radical) उत्पादन के कारण जीवाणुशोधन दक्षता को मज़बूत करता है।

महत्त्व:

- यह जीवाणुशोधन इकाई (Portable Sterilization Unit) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के अतिरिक्त अन्य घरेलू वस्तुओं के कुशल और तीव्र परिशोधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- इसका उपयोग स्वास्थ्य पेशेवरों और अन्य कोविड योद्धाओं द्वारा किया जा सकेगा।

लाभ:

- खतरनाक ठोस अवशिष्ट को सीमित किया जा सकता है।
- आर्थिक व्यय के भार में कमी आएगी इसके अतिरिक्त सभी लोगों की आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों तक पहुँच हो सकेगी।

तकनीकी सहयोग:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology- DST) के तहत कार्यरत सांविधिक निकाय, विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (Science and Engineering Research Board- SERB) के सहयोग से यह जीवाणुशोधन इकाई विकसित की गई है।

सौर ऊर्जा चालित स्प्रेयर Affordable Solar Powered Sprayers

हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (Central Mechanical Engineering Research Institute- CMERI) ने कृषि क्षेत्र में जल संकट से निपटने के लिये सस्ता सौर ऊर्जा चालित बैटरी आधारित स्प्रेयर विकसित किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- CSIR-CMERI ने 'सीमांत किसानों' तथा 'छोटे किसानों' दोनों के लिये बैटरी द्वारा संचालित दो अलग-अलग प्रकार की छिड़काव प्रणालियाँ विकसित की हैं।
- 5 लीटर की क्षमता वाला बैक पैक स्प्रेयर (पीठ पर रखकर छिड़काव करने वाला यंत्र), 'सीमांत किसानों' के लिये बनाया गया है, जबकि 10 लीटर की क्षमता वाला कॉम्पैक्ट ट्रॉली स्प्रेयर (Compact Trolley Sprayer) 'छोटे किसानों' के लिये बनाया गया है।
- ये यंत्र दो अलग-अलग टैंकों, प्रवाह नियंत्रण और दबाव नियंत्रण से युक्त हैं जिनका उपयोग विभिन्न कृषि कार्यों में किया जाएगा-
  - विभिन्न फसलों को आवश्यकतानुसार जल आपूर्ति
  - लक्षित/स्थान विशिष्ट सिंचाई
  - कीटों को नियंत्रित करने के लिये कीटनाशक/फफूंदीनाशक का उचित उपयोग बनाए रखना
  - पत्तियों की सतह पर जल आधारित सूक्ष्म खुरदरापन पैदा करना
  - मृदा में नमी का स्तर बनाए रखना
  - खरपतवार पर नियंत्रण
- यह प्रणाली सौर-क्षमता आधारित बैटरियों पर कार्य करती है, इस प्रकार यह देश के ऊर्जा और विद्युत से वंचित कृषि क्षेत्रों में भी उपयोग को सक्षम बनाती है।
- यह स्प्रेयर अधिक लागत वाले वाष्पशील जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में सहायक साबित हो सकता है।
- इस स्प्रेयर का विनिर्माण तथा संचालन काफी आसान है जो भारतीय किसानों के समक्ष आने वाले जल संकट को दूर करने में मददगार साबित होगा।
- केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CMERI) के अनुसार, यह स्प्रेयेर कृषि क्षेत्र में जल के उपयोग को कम करते हुए कृषि क्षेत्र में क्रांति ला सकता है।
- इस क्रांतिकारी तकनीक से शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों (Arid and Semi-arid Regions) में भी कृषि कार्य को सुगम बनाया जा सकेगा।
- यह स्प्रेयर सीमांत और छोटे दोनों किसानों के लिये एक लागत प्रभावी सामाजिक-आर्थिक समाधान प्रदान करता है।

मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन-किरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों और COVID-19 संकट को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करने हेतु एक टोल-फ्री हेल्पलाइन- 'किरण'शुरू करने की बात कही है।

प्रमुख बिंदु:

- मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019, जिसका नाम किरण रखा गया है, पर कॉल करने वालों को प्रारंभिक जाँच, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन, मानसिक कल्याण, व्यवहार संबंधी विचलनों को रोकने, मनोवैज्ञानिक संकट प्रबंधन आदि के संबंध में सहायता प्रदान की जायेगी।
- इस सहायता एवं समर्थन हेतु त्रिस्तरीय तंत्र की व्यवस्था की गई है। कॉल करने वाले को पहले उसके स्थान पर स्थित हेल्पलाइन केंद्र से जोड़ा जाएगा। उसके बाद उसे पुनर्वास/ नैदानिक, मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सकों के पास आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त तृतीय स्तर पर फॉलो-अप और सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसका लक्ष्य है कि इस प्रयास के माध्यम से देशभर में तनाव, चिंता, अवसाद, घबराहट, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसआर्डर, मादक पदार्थो के सेवन, आत्मघाती विचारों, महामारी संबंधित मनोवैज्ञानिक मुद्दों का सामना कर रहे लोगों की समस्याओं को हल किया जा सके।
- मंत्रालय के अनुसार, COVID-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से गुजरने वाले लोगों के लिए आपातकालीन सहायता की सख्त आवश्यकता है।

चंद्रयान-1 Chandrayaan-1

हाल ही में केंद्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री ने बताया कि इसरो (ISRO) के चंद्रयान-1 (Chandrayaan-1) मिशन द्वारा भेजे गए कुछ चित्र चंद्रमा पर पृथ्वी के वातावरण के संभावित प्रभाव को इंगित करते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- चंद्रयान-1 द्वारा भेजे गए चित्रों में चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग के अवशेष दिखाई पड़े हैं जिसके आधार पर नासा के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि चंद्रमा पर लौह पदार्थों में जंग लगने में पृथ्वी का अपना वातावरण सहायता कर रहा है।
  - गौरतलब है कि चंद्रमा की सतह लौह समृद्ध चट्टानों के लिये जानी जाती है किंतु वहाँ जल एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति ज्ञात नहीं है जो किसी लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है।

चंद्रयान-1 (Chandrayaan-1):

- चंद्रयान-1 (भारत का प्रथम चंद्र मिशन) को 22 अक्तूबर, 2008 को प्रमोचित किया गया था।
- यह अंतरिक्षयान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे एवं पानी के अंश और हीलियम की खोज करना है।
- इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन एवं टाइटेनियम जैसे खनिजों व रासायनिक तत्वों के वितरण के साथ-साथ यूरेनियम एवं थोरियम जैसे उच्च परमाणु संख्या वाले तत्त्वों की खोज करना है।
- इस मिशन को दो वर्षों के लिये भेजा गया था किंतु 29 अगस्त, 2009 को इससे अचानक रेडियो संपर्क टूट गया जिसके कुछ दिनों बाद ही इसरो ने आधिकारिक रूप से इस मिशन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी।
- वर्ष 2017 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसे फिर से ढूँढ निकाला था।

चंद्रयान-3 (Chandrayaan-1):

- चंद्रयान-3, चंद्रयान-2 का उत्तराधिकारी है और यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। गौरतलब है कि चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग के कारण यह चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
- चंद्रयान-3 को वर्ष 2021 तक लॉन्च किये जाने की संभावना है।

व्यापार सुधार कार्य योजना Business Reform Action Plan

हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री ने व्यापार सुधार कार्य योजना (Business Reform Action Plan-BRAP) के तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु:

- व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP) के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का कार्य वर्ष 2015 में शुरू किया गया था।
- अब तक राज्यों की इस आधार पर रैंकिंग की सूची वर्ष 2015, 2016 एवं 2017-18 में जारी की गई थी।
- व्यापार सुधार कार्य योजना (2018-19) में करोबार की स्थितियाँ बेहतर बनाने के लिये 180 मुख्य मानक तय किये गए हैं जिनमें 12 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्र जैसे- सूचना तक पहुँच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम एवं पर्यावरण आदि शामिल हैं।
- कारोबारी सुगमता के मामले में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करते समय स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा एवं बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करने का उद्देश्य हासिल करने का प्रयास किया गया है।
- राज्य सुधार कार्य योजना 2019 के तहत शीर्ष दस राज्यों की सूची इस प्रकार है:- आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात।

नोट :

स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम
Start-Up Village Entrepreneurship Programme

'स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम' (Start-Up Village Entrepreneurship Programme- SVEP) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों का प्रसार कर रहा है और ग्रामीण उद्यमियों का सृजन कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- इस कार्यक्रम ने अगस्त 2020 के आँकड़ों के अनुसार, देश के 23 राज्यों के 153 ब्लॉकों में व्यवसाय सहायता सेवाओं एवं पूँजी प्रेरित करने के बारे में सहायता प्रदान की है।
- इस कार्यक्रम के द्वारा सामुदायिक संसाधन व्यक्ति-उद्यम संवर्द्धन (Community Resource Person-Enterprise Promotion) के लगभग 2000 प्रशिक्षित कैडर ग्रामीण उद्यमियों को सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। जिनसे लगभग 100000 उद्यमी सहायता प्राप्त कर रहे हैं।
- अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (Entrepreneurship Development Institute of India), SVEP का तकनीकी सहयोगी संस्थान है।

'स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम' (Start-Up Village Entrepreneurship Programme- SVEP):

- SVEP, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana–National Rural Livelihoods Mission), केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में एक उप-योजना के रूप में लागू किया गया था।
- इसका उद्देश्य ग्रामीणों को गरीबी से बाहर निकालना, उद्यम स्थापना में मदद करना और उद्यमों के स्थिर होने तक उनको सहायता उपलब्ध कराना है।
- SVEP, उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिये वित्तीय सहायता एवं व्यवसाय प्रबंधन में प्रशिक्षण तथा स्थानीय सामुदायिक कैडर बनाते समय स्व-रोज़गार अवसरों को उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- SVEP, ग्रामीण स्टार्ट-अप्स की तीन प्रमुख समस्याओं (वित्त, इन्क्युबेशन एवं कौशल पारिस्थितिक तंत्र) का निवारण करता है।
- यह कार्यक्रम मुख्य रूप से स्थानीय तौर पर समुदाय संसाधन व्यक्तियों-उद्यम संवर्द्धन (Community Resource Person-Enterprise Promotion) को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे ग्रामीण उद्यमों की स्थापना करने में ग्रामीण उद्यमियों को मदद मिल सके।
- जबकि इसका एक अन्य प्रमुख क्षेत्र SEVP ब्लॉकों में ब्लॉक संसाधन केंद्रों (Block Resource Center- BRC) को बढ़ावा देना है। यह सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की निगरानी एवं प्रबंधन करता है और SEVP ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करता है तथा संबंधित ब्लॉक में उद्यम संबंधी जानकारियों के भंडार के रूप में कार्य करता है।
  - BRC प्रभावी एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिये स्थायी राजस्व मॉडल की सहायता करने की भूमिका निभाते हैं।

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन National Biopharma Mission

भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने किफायती जैव-प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने के लिये विभिन्न पहल की हैं। इन विभिन्न पहलों के अंतर्गत राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (National Biopharma Mission) की स्थापना जैव-औषधि, वैक्सीन एवं उपकरण उद्योग की ज़रूरतों की पहचान करने तथा क्षमता निर्माण संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिये की गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- 'केंद्रीकृत वायरल एवं बैक्टीरियल नैदानिक इम्युनोजेनेसिटी लैब' (Centralised Viral and Bacterial clinical Immunogenicity labs) टीका उद्योग के लिये एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में कड़े 'गुड क्लिनिकल लेबोरेटरी प्रैक्टिस' (Good Clinical Laboratory Practice) मानकों को पूरा करती है।
- हाल ही में वायरल टीकों की नैदानिक इम्युनोजेनेसिटी का मूल्याँकन करने के लिये 'नेशनल इम्युनोजेनेसिटी एंड बायोलॉजिक्स इवैल्यूएशन सेंटर' (National Immunogenicity & Biologics Evaluation Center) को भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय द्वारा अपनी एक घटक इकाई 'इंटरेक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स' (Interactive Research School for Health Affairs) और बीआईआरएसी-डीबीटी (BIRAC-DBT) द्वारा राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है।
    - इसमें एक अत्याधुनिक बीएसएल-3+ (Biosafety Level-3+), चार बीएसएल-2 एवं दस बीएसएल-1 प्रयोगशालाएँ हैं।
    - डेंगू, चिकनगुनिया और COVID-19 वायरस के लिये महत्त्वपूर्ण प्रतिरक्षात्मकता मूल्यांकन परीक्षण जैसे- प्लॉक रिड्यूशन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट (Plaque Reduction Neutralization Test- PRNT), माइक्रोन्यूट्रलाइज़ेशन जाँच (Microneutralization Assay), आईजीएम (IgM) और आईजीजी ईएलआईएसए (IgG ELISA) को विकसित, मानकीकृत एवं मान्य किया गया है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology):

- केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पशु विज्ञान, पर्यावरण एवं उद्योग क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुप्रयोग सहित भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देते हुए इसमें वृद्धि करता है।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (Biotechnology Industry Research Assistance Council-BIRAC):

- भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), द्वारा स्थापित जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) अनुसूची-B की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (National Biopharma Mission):

- इस मिशन को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह कार्यक्रम भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य मानकों में सुधार के उद्देश्य से देश में किफायती उत्पादों को वितरित करने के लिये समर्पित है।
- देश में नैदानिक परीक्षण क्षमता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्षमताओं को मज़बूत करने के अलावा टीके, चिकित्सा उपकरण एवं डायग्नोस्टिक्स और बायोथेरेप्यूटिक्स (Biotherapeutics) इस मिशन के सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल हैं।

'इंटरेक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स' (Interactive Research School for Health Affairs):

- यह भारती विद्यापीठ की एक महत्त्वपूर्ण घटक इकाई है जो पूरी तरह से अनुसंधान के लिये समर्पित है।
- इस संस्थान को वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था।
- यह संस्थान चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, डेंटल कॉलेजों जैसे विभिन्न विश्वविद्यालय के अन्य घटकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मानव स्वास्थ्य की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान करने के प्रति समर्पित है।

फेफड़ों के कैंसर के लिये नैदानिक चिकित्सा Diagnostic Therapy for Lung Cancer

हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology) के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान 'जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र' (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research- JNCASR) के शोधकर्त्ताओं ने फेफडों के कैंसर के लिये एक 'थेरानोस्टिक्स ड्रग कैंडीडेट' (Theranostics Drug Candidate) का विकास किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- जीक्यू संरचनाओं (GQ Structures) की चयनात्मक पहचान एवं इमेजिंग कैंसर के लिये नैदानिक चिकित्सा के विकास में सहायक है।

थेरानोस्टिक्स (Theranostics):

- 'थेरानोस्टिक्स' (Theranostics) शब्द चिकित्साशास्त्र (Therapeutics) एवं निदान (Diagnostics) का एक संयोजन है।
- थेरनोस्टिक्स का उपयोग एक रेडियोधर्मी दवा (निदान करने के लिये) और दूसरी रेडियोधर्मी दवा (मुख्य ट्यूमर या किसी भी मेटास्टेटिक ट्यूमर के इलाज के लिये) के संयोजन के रूप में किया जाता है।

जी-क्वाडरुप्लेक्स या जीक्यू संरचनाएँ (G-quadruplex or GQ Structures):

- जी-क्वाडरप्लेक्स नान-कैनोनिकल डीएनए माध्यमिक संरचनाएँ होती हैं जो कई ऑन्कोजीन्स के अभिलक्षण सहित सेलुलर प्रक्रियाओं के एक विस्तृत रेंज को विनियमित करती हैं।
- कैंसर कोशिकाओं में जीक्यू (GQ) के स्थिरीकरण से रेप्लीकेशन स्ट्रेस तथा डीएनए डैमेज एकुमुलेशन होता है इसलिये इन्हें आशाजनक केमोथेराप्यूटिक टार्गेट (Chemotherapeutic Target) के रूप में माना जाता है।
- शोधकर्त्ताओं ने बीसीएल-2 जीक्यू (BCL-2 GQ) की चयनात्मक पहचान के लिये एक अणु विकसित किया जिसमें 'यूनिक हाइब्रिड लूप स्टैकिंग' (Unique Hybrid Loop Stacking) और 'ग्रूव बाइंडिंग मोड' (Groove Binding Mode) के माध्यम से सुदूर लाल प्रतिदीप्ति प्रतिक्रिया (Far-red Fluorescence Response) और एंटीकैंसर गतिविधि को जीक्यू लक्षित (GQ-targeted) फेफड़ों के कैंसर के थेरानोस्टिक्स के रूप में प्रदर्शित किया गया।
  - शोधकर्त्ताओं ने टीजीपी-18 (TGP-18) अणु की चिकित्सीय गतिविधि के लिये बीसीएल-2 जीक्यू (BCL-2 GQ) की प्रतिदीप्ति पहचान को 'यूनिक हाइब्रिड बाइंडिंग मोड' के साथ-साथ इसके एंटी-लंग कैंसर गतिविधि एवं ऊतक इमेजिंग क्षमता के माध्यम से दर्ज किया।
  - 'यूनिक हाइब्रिड बाइंडिंग मोड' के माध्यम से विशिष्ट टोपोलॉजी पहचान की उनकी रणनीति ने फेफड़ों की कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस (Oxidative Stress) एवं जीनोम अस्थिरता (Genome Instability) का प्रयोग किया।
- JNCASR की टीम द्वारा किये गए इस अध्ययन से पता चलता है कि जी-क्वाडरुप्लेक्स की विशिष्ट लूप संरचना से उत्पन्न चयनात्मक पहचान समग्र परस्पर क्रिया एवं बंधन संबंध को बदल देती है।
  - टीजीपी18, बीसीएल-2 जीक्यू के लिये बाध्यकारी है जो कैंसर कोशिकाओं में मृत्यु को प्रेरित करके प्रो-सर्वाइवल फंक्शन (Pro-survival Function) एवं कैंसर विरोधी गतिविधि को समाप्त करता है।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 International Literacy Day 2020

प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 (International Literacy Day 2020) मनाया जाता है।

थीम:

- वर्ष 2020 के लिये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम 'COVID-19 संकट और उससे परे साक्षरता शिक्षण एवं सीखना' (Literacy Teaching and Learning in the COVID-19 Crisis and Beyond) है।

प्रमुख बिंदु:

- अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की घोषणा पहली बार वर्ष 1966 में यूनेस्को (UNESCO) की आम सभा में की गई थी।
- यूनेस्को के अनुसार, दुनिया भर में 773 मिलियन वयस्क एवं युवा लोगों में अभी भी बुनियादी साक्षरता कौशल की कमी है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने देश में राज्यवार साक्षरता दर (वर्ष 2017-18 के लिये) जिसमें सात वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को शामिल किया गया था, के आँकड़े जारी किये।

भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey) के 75वें दौर के एक हिस्से के रूप में शिक्षा पर आधारित एक रिपोर्ट 'घरेलू सामाजिक उपभोग' (Household Social Consumption) के संदर्भ में प्रमुख आँकड़े निम्नलिखित हैं-

प्रमुख आँकड़े:

- यह रिपोर्ट जुलाई 2017 से जून 2018 तक किये गए सर्वेक्षण पर आधारित है।
- 96.2% साक्षरता के साथ केरल एक बार फिर देश में सबसे साक्षर राज्य के रूप में उभरा है जबकि आंध्र प्रदेश 66.4% की साक्षरता दर के साथ सबसे निचले स्थान पर है।
- रिपोर्ट के अनुसार, केरल के बाद दिल्ली की साक्षरता दर 88.7% है, इसके बाद उत्तराखंड की साक्षरता दर 87.6%, हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 86.6% और असम की साक्षरता दर 85.9% है।
- वहीं दूसरी ओर आंध्रप्रदेश के बाद राजस्थान 69.7% साक्षरता दर के साथ दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, इसके बाद बिहार (70.9%), तेलंगाना (72.8%), उत्तर प्रदेश (73%) एवं मध्य प्रदेश (73.7%) का स्थान है।
- अखिल भारतीय स्तर पर पुरुष साक्षरता दर (84.7%), महिला साक्षरता दर (70.3%) की तुलना में अधिक है।
  - सर्वेक्षण के अनुसार, पुरुष साक्षरता दर सभी राज्यों में महिला साक्षरता दर से अधिक है।
  - केरल में पुरुष साक्षरता दर (97.4%) है जबकि महिला साक्षरता दर (95.2%) है। इसी तरह दिल्ली में पुरुष साक्षरता दर (93.7%) जबकि महिला साक्षरता दर (82.4%) है।
- गौरतलब है कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में भी पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में काफी अंतर है।
  - आंध्र प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर (73.4%) है जो महिला साक्षरता दर (59.5%) से अधिक है।
  - राजस्थान में यह अंतर और भी व्यापक है क्योंकि वहाँ पुरुष साक्षरता दर (80.8%) महिला साक्षरता दर (57.6%) की तुलना में अधिक है।
  - बिहार में पुरुष साक्षरता दर (79.7%), महिला साक्षरता दर (60.5%) की तुलना में अधिक है।
- रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि लगभग 4% ग्रामीण घरों और 23% शहरी घरों में कंप्यूटर हैं।
  - 15-29 वर्ष की आयु के लोगों पर किये गए सर्वेक्षण में पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 24% और शहरी क्षेत्रों में 56% लोग कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे।

टाइफून हैशेन Typhoon Haishen

पिछले एक सप्ताह के अंदर जापान एवं इसके आसपास के क्षेत्र में दूसरे शक्तिशाली टाइफून हैशेन (Typhoon Haishen) ने जन-धन को काफी क्षति पहुँचाई है। गौरतलब है कि इससे पहले टाइफून मायसक (Typhoon Maysak) के कारण कोरियाई प्रायद्वीप में भारी नुकसान हुआ था।

टाइफून हैशेन (Typhoon Haishen):

- टाइफून 'हैशेन' को चीनी भाषा में 'समुद्री देवता' (Sea God) के रूप में जाना जाता है।
- टाइफून/हरिकेन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical cyclone) को सैफिर-सिंपसन विंड स्केल (Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें हवा की गति के आधार पर 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाती है।
- 'ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर' (JTWC) के अनुसार, टाइफून हैशेन को श्रेणी-4 (Category-4) के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इस तूफान में हवाओं की गति लगभग 230 किमी./घंटा थी।

टाइफून मायसक (Typhoon Maysak):

- टाइफून हैशेन की तरह लगभग समान ट्रैक का अनुसरण करता हुआ टाइफून मायसक इस सप्ताह की शुरूआत में कोरियाई प्रायद्वीप से टकराया था।

- टाइफून मायसक को श्रेणी-2 (Category-2) के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इस तूफान में हवाओं की गति लगभग 165 किमी./घंटा थी।

टाइफून के बारे में:

- ऊष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन सागर क्षेत्र में टाइफून कहते हैं।
- ज़्यादातर टाइफून जून से नवंबर के बीच आते हैं जो जापान, फिलीपींस और चीन जैसे देशों को प्रभावित करते हैं। दिसंबर से मई के बीच आने वाले टाइफूनों की संख्या कम ही होती है।
- उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवातों को 'हरिकेन', दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन में 'टाइफून' तथा दक्षिण-पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' कहा जाता है।

डोंगरिया कोंध Dongria Kondh

हाल ही में ओडिशा के जनजातीय संग्रहालय ने डोंगरिया कोंध (Dongria Kondh) जनजाति की श्रम सहकारी समितियों (Labour Cooperatives), उनकी संरचनाओं एवं कामकाज पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक लघु फिल्म प्रसारित की।

प्रमुख बिंदु:

- डोंगरिया कोंध एक विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह (PVGTs) है जो ओडिशा के रायगढ़ एवं कालाहांडी ज़िलों में नियामगिरी पहाड़ियों (Niyamgiri Hills) की ढलानों में निवास करती है।
- यह जनजाति अपने समुदाय के ही अंतर्गत कम-से-कम 10 प्रकार के सहकारी श्रम साझा करने का अभ्यास करती है।
- गौरतलब है कि खड़े पहाड़ी ढलानों पर कृषि करने के लिये अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है जो एक एकल परिवार प्रदान नहीं कर सकता है इसलिये डोंगरिया कोंध जनजाति ने सभी परिवारों के कृषि कार्यों को पूरा करने के लिये श्रम सहकारी समितियों (Labour Cooperatives) की अवधारणा नामक एक नई स्वदेशी प्रणाली विकसित की।

श्रम सहकारी समितियों (Labour Cooperatives) की अवधारणा:

- इस प्रणाली में पूरे समुदाय के श्रम को संलग्न करके सभी परिवारों के कृषि कार्यों को पूरा किया जाता है।
- सामुदायिक सदस्य कृषि लागत को कम करने के साथ-साथ सभी सदस्यों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिये एक साथ कार्य करते हैं।
- सहकारी रूप से, युवा लड़के एवं लड़कियाँ, पुरुष, महिलाएँ एवं बुजुर्ग गाँव के खेतों व बागों में श्रम के मामले में समान रूप से योगदान करते हैं।

a. साहबती प्रणाली (Sahabati System):

- इस प्रणाली के तहत गाँव के सभी डोंगरिया लोग एक ग्रामीण की ज़मीन पर एक दिन के लिये कार्य करते हैं।
- परंपरागत रूप से, मेजबान ग्रामीण बदले में अन्य डोंगरिया श्रमिकों के लिये चावल, दाल, करी एवं मांड की दावत की पेशकश करता है।
- अब सामुदायिक भोज को समाप्त कर दिया गया है किंतु मेजबान गाँव की निधि के लिये एक टोकन राशि का भुगतान करता है। एकत्र धन का उपयोग पूरे गाँव के लिये एक दावत के आयोजन हेतु किया जाता है।

b. पंडबाती प्रणाली (Pundabati System):

- इस प्रणाली में समुदाय के 10 से 15 सदस्यों को बुलाया जाता है जब खेतों में कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

उल्लेखनीय है कि कार्य की प्रकृति के आधार पर गाँव के सदस्यों को भी विशेष समूहों में संगठित किया जाता है।

1. दासीबाती (Daasibati):

- यह गाँव की छोटी, अविवाहित लड़कियों का एक सहकारी समूह है जिन्हें कम तनाव वाले किंतु थकाऊ कार्य करने के लिये कहा जाता है जैसे- निराई, खेतों की बाड़, सफाई या फसलों की कटाई आदि।

2. धनग्दाबाती (Dhangdabati):

- यह अविवाहित पुरुषों का सहकारी समूह होता है जिन्हें पेड़ों की कटाई, गड्ढे खोदना आदि कार्य प्रदान किये जाते हैं।

3. दातारुबाती (Datarubati):

- इसके तहत बूढ़े लोग शराब के एक हिस्से के लिये अपने-अपने क्षेत्रों में एक-दूसरे की मदद करते हैं।

फेफड़ों के कैंसर के लिये नैदानिक चिकित्सा Diagnostic Therapy for Lung Cancer

हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology) के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान 'जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र' (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research- JNCASR) के शोधकर्त्ताओं ने फेफडों के कैंसर के लिये एक 'थेरानोस्टिक्स ड्रग कैंडीडेट' (Theranostics Drug Candidate) का विकास किया है।

प्रमुख बिंदु:

- जीक्यू संरचनाओं (GQ Structures) की चयनात्मक पहचान एवं इमेजिंग कैंसर के लिये नैदानिक चिकित्सा के विकास में सहायक है।

थेरानोस्टिक्स (Theranostics):

- 'थेरानोस्टिक्स' (Theranostics) शब्द चिकित्साशास्त्र (Therapeutics) एवं निदान (Diagnostics) का एक संयोजन है।
- थेरनोस्टिक्स का उपयोग एक रेडियोधर्मी दवा (निदान करने के लिये) और दूसरी रेडियोधर्मी दवा (मुख्य ट्यूमर या किसी भी मेटास्टेटिक ट्यूमर के इलाज के लिये) के संयोजन के रूप में किया जाता है।

जी-क्वाडरुप्लेक्स या जीक्यू संरचनाएँ (G-quadruplex or GQ Structures):

- जी-क्वाडरप्लेक्स नान-कैनोनिकल डीएनए माध्यमिक संरचनाएँ होती हैं जो कई ऑन्कोजीन्स के अभिलक्षण सहित सेलुलर प्रक्रियाओं के एक विस्तृत रेंज को विनियमित करती हैं।
- कैंसर कोशिकाओं में जीक्यू (GQ) के स्थिरीकरण से रेप्लीकेशन स्ट्रेस तथा डीएनए डैमेज एकुमुलेशन होता है इसलिये इन्हें आशाजनक केमोथेराप्यूटिक टार्गेट (Chemotherapeutic Target) के रूप में माना जाता है।
- शोधकर्त्ताओं ने बीसीएल-2 जीक्यू (BCL-2 GQ) की चयनात्मक पहचान के लिये एक अणु विकसित किया जिसमें 'यूनिक हाइब्रिड लूप स्टैकिंग' (Unique Hybrid Loop Stacking) और 'ग्रूव बाइंडिंग मोड' (Groove Binding Mode) के माध्यम से सुदूर लाल प्रतिदीप्ति प्रतिक्रिया (Far-red Fluorescence Response) और एंटीकैंसर गतिविधि को जीक्यू लक्षित (GQ-targeted) फेफड़ों के कैंसर के थेरानोस्टिक्स के रूप में प्रदर्शित किया गया।
  - शोधकर्त्ताओं ने टीजीपी-18 (TGP-18) अणु की चिकित्सीय गतिविधि के लिये बीसीएल-2 जीक्यू (BCL-2 GQ) की प्रतिदीप्ति पहचान को 'यूनिक हाइब्रिड बाइंडिंग मोड' के साथ-साथ इसके एंटी-लंग कैंसर गतिविधि एवं ऊतक इमेजिंग क्षमता के माध्यम से दर्ज किया।
  - 'यूनिक हाइब्रिड बाइंडिंग मोड' के माध्यम से विशिष्ट टोपोलॉजी पहचान की उनकी रणनीति ने फेफड़ों की कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस (Oxidative Stress) एवं जीनोम अस्थिरता (Genome Instability) का प्रयोग किया।
- JNCASR की टीम द्वारा किये गए इस अध्ययन से पता चलता है कि जी-क्वाडरुप्लेक्स की विशिष्ट लूप संरचना से उत्पन्न चयनात्मक पहचान समग्र परस्पर क्रिया एवं बंधन संबंध को बदल देती है।
  - टीजीपी18, बीसीएल-2 जीक्यू के लिये बाध्यकारी है जो कैंसर कोशिकाओं में मृत्यु को प्रेरित करके प्रो-सर्वाइवल फंक्शन (Pro-survival Function) एवं कैंसर विरोधी गतिविधि को समाप्त करता है।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 International Literacy Day 2020

प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 (International Literacy Day 2020) मनाया जाता है।

थीम:

- वर्ष 2020 के लिये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम 'COVID-19 संकट और उससे परे साक्षरता शिक्षण एवं सीखना' (Literacy Teaching and Learning in the COVID-19 Crisis and Beyond) है।

प्रमुख बिंदु:

- अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की घोषणा पहली बार वर्ष 1966 में यूनेस्को (UNESCO) की आम सभा में की गई थी।
- यूनेस्को के अनुसार, दुनिया भर में 773 मिलियन वयस्क एवं युवा लोगों में अभी भी बुनियादी साक्षरता कौशल की कमी है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने देश में राज्यवार साक्षरता दर (वर्ष 2017-18 के लिये) जिसमें सात वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को शामिल किया गया था, के आँकड़े जारी किये।

भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey) के 75वें दौर के एक हिस्से के रूप में शिक्षा पर आधारित एक रिपोर्ट 'घरेलू सामाजिक उपभोग' (Household Social Consumption) के संदर्भ में प्रमुख आँकड़े निम्नलिखित हैं-

प्रमुख आँकड़े:

- यह रिपोर्ट जुलाई 2017 से जून 2018 तक किये गए सर्वेक्षण पर आधारित है।
- 96.2% साक्षरता के साथ केरल एक बार फिर देश में सबसे साक्षर राज्य के रूप में उभरा है जबकि आंध्र प्रदेश 66.4% की साक्षरता दर के साथ सबसे निचले स्थान पर है।
- रिपोर्ट के अनुसार, केरल के बाद दिल्ली की साक्षरता दर 88.7% है, इसके बाद उत्तराखंड की साक्षरता दर 87.6%, हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 86.6% और असम की साक्षरता दर 85.9% है।
- वहीं दूसरी ओर आंध्रप्रदेश के बाद राजस्थान 69.7% साक्षरता दर के साथ दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, इसके बाद बिहार (70.9%), तेलंगाना (72.8%), उत्तर प्रदेश (73%) एवं मध्य प्रदेश (73.7%) का स्थान है।
- अखिल भारतीय स्तर पर पुरुष साक्षरता दर (84.7%), महिला साक्षरता दर (70.3%) की तुलना में अधिक है।
  - सर्वेक्षण के अनुसार, पुरुष साक्षरता दर सभी राज्यों में महिला साक्षरता दर से अधिक है।
  - केरल में पुरुष साक्षरता दर (97.4%) है जबकि महिला साक्षरता दर (95.2%) है। इसी तरह दिल्ली में पुरुष साक्षरता दर (93.7%) जबकि महिला साक्षरता दर (82.4%) है।
- गौरतलब है कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में भी पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में काफी अंतर है।
  - आंध्र प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर (73.4%) है जो महिला साक्षरता दर (59.5%) से अधिक है।
  - राजस्थान में यह अंतर और भी व्यापक है क्योंकि वहाँ पुरुष साक्षरता दर (80.8%) महिला साक्षरता दर (57.6%) की तुलना में अधिक है।
  - बिहार में पुरुष साक्षरता दर (79.7%), महिला साक्षरता दर (60.5%) की तुलना में अधिक है।
- रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि लगभग 4% ग्रामीण घरों और 23% शहरी घरों में कंप्यूटर हैं।
  - 15-29 वर्ष की आयु के लोगों पर किये गए सर्वेक्षण में पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 24% और शहरी क्षेत्रों में 56% लोग कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे।

टाइफून हैशेन Typhoon Haishen

पिछले एक सप्ताह के अंदर जापान एवं इसके आसपास के क्षेत्र में दूसरे शक्तिशाली टाइफून हैशेन (Typhoon Haishen) ने जन-धन को काफी क्षति पहुँचाई है। गौरतलब है कि इससे पहले टाइफून मायसक (Typhoon Maysak) के कारण कोरियाई प्रायद्वीप में भारी नुकसान हुआ था।

नोट :

टाइफून हैशेन (Typhoon Haishen):

- टाइफून 'हैशेन' को चीनी भाषा में 'समुद्री देवता' (Sea God) के रूप में जाना जाता है।
- टाइफून/हरिकेन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical cyclone) को सैफिर-सिंपसन विंड स्केल (Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें हवा की गति के आधार पर 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाती है।
- 'ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर' (JTWC) के अनुसार, टाइफून हैशेन को श्रेणी-4 (Category-4) के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इस तूफान में हवाओं की गति लगभग 230 किमी./घंटा थी।

टाइफून मायसक (Typhoon Maysak):

- टाइफून हैशेन की तरह लगभग समान ट्रैक का अनुसरण करता हुआ टाइफून मायसक इस सप्ताह की शुरूआत में कोरियाई प्रायद्वीप से टकराया था।
- टाइफून मायसक को श्रेणी-2 (Category-2) के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इस तूफान में हवाओं की गति लगभग 165 किमी./घंटा थी।

टाइफून के बारे में:

- ऊष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन सागर क्षेत्र में टाइफून कहते हैं।
- ज़्यादातर टाइफून जून से नवंबर के बीच आते हैं जो जापान, फिलीपींस और चीन जैसे देशों को प्रभावित करते हैं। दिसंबर से मई के बीच आने वाले टाइफूनों की संख्या कम ही होती है।
- उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवातों को 'हरिकेन', दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन में 'टाइफून' तथा दक्षिण-पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' कहा जाता है।

डोंगरिया कोंध Dongria Kondh

हाल ही में ओडिशा के जनजातीय संग्रहालय ने डोंगरिया कोंध (Dongria Kondh) जनजाति की श्रम सहकारी समितियों (Labour Cooperatives), उनकी संरचनाओं एवं कामकाज पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक लघु फिल्म प्रसारित की।

प्रमुख बिंदु:

- डोंगरिया कोंध एक विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह (PVGTs) है जो ओडिशा के रायगढ़ एवं कालाहांडी ज़िलों में नियामगिरी पहाड़ियों (Niyamgiri Hills) की ढलानों में निवास करती है।
- यह जनजाति अपने समुदाय के ही अंतर्गत कम-से-कम 10 प्रकार के सहकारी श्रम साझा करने का अभ्यास करती है।
- गौरतलब है कि खड़े पहाड़ी ढलानों पर कृषि करने के लिये अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है जो एक एकल परिवार प्रदान नहीं कर सकता है इसलिये डोंगरिया कोंध जनजाति ने सभी परिवारों के कृषि कार्यों को पूरा करने के लिये श्रम सहकारी समितियों (Labour Cooperatives) की अवधारणा नामक एक नई स्वदेशी प्रणाली विकसित की।

श्रम सहकारी समितियों (Labour Cooperatives) की अवधारणा:

- इस प्रणाली में पूरे समुदाय के श्रम को संलग्न करके सभी परिवारों के कृषि कार्यों को पूरा किया जाता है।
- सामुदायिक सदस्य कृषि लागत को कम करने के साथ-साथ सभी सदस्यों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिये एक साथ कार्य करते हैं।
- सहकारी रूप से, युवा लड़के एवं लड़कियाँ, पुरुष, महिलाएँ एवं बुजुर्ग गाँव के खेतों व बागों में श्रम के मामले में समान रूप से योगदान करते हैं।

  a. साहबती प्रणाली (Sahabati System):

- इस प्रणाली के तहत गाँव के सभी डोंगरिया लोग एक ग्रामीण की ज़मीन पर एक दिन के लिये कार्य करते हैं।

- परंपरागत रूप से, मेजबान ग्रामीण बदले में अन्य डोंगरिया श्रमिकों के लिये चावल, दाल, करी एवं मांड की दावत की पेशकश करता है।
- अब सामुदायिक भोज को समाप्त कर दिया गया है किंतु मेजबान गाँव की निधि के लिये एक टोकन राशि का भुगतान करता है। एकत्र धन का उपयोग पूरे गाँव के लिये एक दावत के आयोजन हेतु किया जाता है।

b. पंडबाती प्रणाली (Pundabati System):

- इस प्रणाली में समुदाय के 10 से 15 सदस्यों को बुलाया जाता है जब खेतों में कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

उल्लेखनीय है कि कार्य की प्रकृति के आधार पर गाँव के सदस्यों को भी विशेष समूहों में संगठित किया जाता है।

1. दासीबाती (Daasibati):

- यह गाँव की छोटी, अविवाहित लड़कियों का एक सहकारी समूह है जिन्हें कम तनाव वाले किंतु थकाऊ कार्य करने के लिये कहा जाता है जैसे- निराई, खेतों की बाड़, सफाई या फसलों की कटाई आदि।

2. धनग्दाबाती (Dhangdabati):

- यह अविवाहित पुरुषों का सहकारी समूह होता है जिन्हें पेड़ों की कटाई, गड्ढे खोदना आदि कार्य प्रदान किये जाते हैं।

3. दातारुबाती (Datarubati):

- इसके तहत बूढ़े लोग शराब के एक हिस्से के लिये अपने-अपने क्षेत्रों में एक-दूसरे की मदद करते हैं।

दक्षिण अमेरिका की योनोमामी जनजाति Yanomami Tribe of South America

हाल ही में दक्षिण अमेरिका (South America) की योनोमामी जनजाति (Yanomami Tribe) ने कोरोनोवायरस महामारी के बीच अपनी भूमि से 20,000 स्वर्ण खनिकों को बाहर निकालने के लिये एक वैश्विक अभियान शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु:

- यानोमामी उत्तरी ब्राज़ील एवं दक्षिणी वेनेज़ुएला के वर्षावनों व पहाड़ों में निवास करते हैं और सर्वाइवल इंटरनेशनल (Survival International) के अनुसार, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी पृथक जनजाति है।

सर्वाइवल इंटरनेशनल (Survival International):

- लंदन स्थित सर्वाइवल इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का समर्थन करने वाला एक संगठन है जो दुनिया भर के देशज एवं आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिये अभियान चलाता है।
- गुआरानी (Guarani), कैंगंग (Kaingang), पैटाक्सो (Pataxo), एचए एचए एचएई (Ha Ha Hae), तुपिनाम्बा (Tupinamba), यानोमामी (Yanomami), तिकुना (Tikuna) और अकुंट्सू (Akuntsu) दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन की लोकप्रिय जनजातियाँ हैं।
  - अमेज़न दक्षिण अमेरिका की एक नदी है और इसका बेसिन दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से ढका हुआ है।

अमेज़न नदी:

- अमेज़न दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है।
- इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक तथा लंबाई 6400 किमी. है।
- यह पेरू में एंडीज़ पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है।
- वर्तमान में इस जनजाति की संख्या लगभग 38,000 है जो ब्राज़ील के लगभग 9.6 मिलियन हेक्टेयर और वेनेज़ुएला के 8.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर निवास करते हैं।
- ये बड़े, गोलाकार घरों में रहते हैं जिन्हें यानोस (Yanos) या शाबोनोस (Shabonos) कहा जाता है जिनमें लगभग 400 लोग रह सकते हैं।
- यानोमामी सभी लोगों को समान मानते हैं, इस जनजाति समुदाय में मुख्य व्यक्ति की अवधारणा नहीं पाई जाती है।
  - इनके सभी निर्णय लंबी चर्चा एवं बहस के बाद सर्वसम्मति पर आधारित होते हैं।

- ये लोग एक्सिरिआना (Xirianá) भाषा बोलते हैं।
- एक ब्राज़ीलियाई देशज नेता डारियो कोपेनावा (Dario Kopenawa) जिन्होंने यानोमामी लोगों के भूमि अधिकारों के लिये संघर्ष किया, को राइट लिवलीहुड अवार्ड-2019 (Right Livelihood Award-2019) से सम्मानित किया गया जिसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है।

पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन First World Solar Technology Summit

8 सितंबर, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (World Solar Technology Summit) आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- नवाचार पर ISA ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स के संयोजक के रूप में 'फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry- FICCI) इस शिखर सम्मेलन के आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के साथ कार्य कर रहा है।
- इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 149 देशों के 26000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य सौर प्रौद्योगिकी की प्रमुख विशेषताओं (लागत, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, चुनौतियाँ एवं चिंताएँ) को प्रस्तुत करना और चर्चा करने के लिये प्रमुख हितधारकों (प्रमुख शैक्षणिक वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी डेवलपर्स, शोधकर्त्ताओं और नवप्रवर्तनकर्त्ताओं) को एक साथ लाना है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को अत्याधुनिक एवं अगली पीढ़ी की सौर प्रौद्योगिकियों से परिचित कराना है। इसके साथ ही निर्णयकर्त्ताओं एवं हितधारकों के मिलने और अपनी प्राथमिकताओं एवं रणनीतिक एजेंडे पर चर्चा करने का अवसर भी प्रदान करना है जिससे और सहयोग बढ़ सके।
- इस सम्मेलन में सस्ती एवं टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा में तेज़ी लाने के लिये भी चर्चा की गई।
- इस सम्मेलन के दौरान ISA की प्रौद्योगिकी पत्रिका 'सोलर कंपास 360' (Solar Compass 360) भी लॉन्च की गई।
- इस अवसर पर तीन समझौतों की घोषणा की गई:
  1. ISA और अंतर्राष्ट्रीय प्रशीतन संस्थान
  2. ISA और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट
  3. ISA और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन
- भारत सरकार ने एक्ज़िम (EXIM) बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से ISA सदस्य देशों में 'बैंकेबल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट' (Bankable Solar Energy Projects) विकसित करने के लिये एक 'प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेसिलिटी' भी स्थापित की है।
- उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 'एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड' परियोजना का एक हिस्सा है।

कुसुम योजना (KUSUM Scheme):

- किसानों को वित्तीय एवं जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान-कुसुम (Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan-KUSUM) को शुरू किया गया है।
- इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करना है।
- इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में डीज़ल के उपयोग को सौर ऊर्जा से बदला जा रहा है।
- इस योजना के तहत 2.8 मिलियन सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

संस्कृत ग्राम Sanskrit Gram

उत्तराखंड के दो गाँवों के निवासियों को संस्कृत सिखाने के लिये एक पायलट कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति के बाद उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में 'संस्कृत ग्राम' (Sanskrit Gram) विकसित करने का निर्णय लिया।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- उत्तराखंड में संस्कृत दूसरी आधिकारिक भाषा है।
- इससे पहले संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने वाले पायलट कार्यक्रम के तहत गाँवों की एक सूची का चयन किया गया था। इन गाँवों को संस्कृत स्कूलों की उपलब्धता के अनुसार चुना गया था ताकि शिक्षक अक्सर गाँवों का दौरा कर सकें और निवासियों को संस्कृत सीखने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित कर सकें।
    - गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार वर्तमान में 97 संस्कृत विद्यालयों का संचालन करती है जहाँ प्रति वर्ष औसतन 2100 छात्र पढ़ते हैं।
- उत्तराखंड में संस्कृत भाषा के प्रचार के लिये पहले ज़िला स्तर पर और फिर ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।
- उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत भाषा के प्रचार के लिये हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत एवं ऊधम सिंह नगर ज़िलों को चुना है।
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'उत्तराखंड संस्कृत अकादमी' (Uttarakhand Sanskrit Academy) की एक बैठक में इस अकादमी का नाम बदल कर 'उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम् हरिद्वार' (Uttaranchal Sanskrit Sansthanam Haridwar) कर दिया गया।

संस्कृत दिवस:

- प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार, श्रावण मास की पूर्णिमा (Poornima) को संस्कृत दिवस मनाया जाता है।
- इस वर्ष यह दिवस 03 अगस्त, 2020 को आयोजित किया गया।
- संस्कृत दिवस का मुख्य उद्देश्य इस प्राचीन भारतीय भाषा के पुनरुद्धार को बढ़ावा देना है।
- गौरतलब है कि इस दिवस का आयोजन सर्वप्रथम वर्ष 1969 में किया गया था। संस्कृत दिवस की शुरुआत इस प्राचीन भारतीय भाषा के संबंध में जागरुकता फैलाने, बढ़ावा देने और इसे पुनर्जीवित करने के प्रयासों को तेज़ करने के लक्ष्य के साथ हुई थी।
- माना जाता है कि भारत में संस्कृत भाषा की उत्पत्ति लगभग 3500 पूर्व हुई थी।

रोगन आर्ट Rogan Art

हाल ही में रोगन आर्ट कलाकारों ने अपनी आजीविका चलाने के लिये COVID-19 से बचाव के लिये उपयोग किये जाने वाले मास्क पर रोगन आर्ट (Rogan Art) को चित्रित करना शुरू किया।

प्रमुख बिंदु:

- रोगन आर्ट एक प्राचीन कपड़ा कला है जिसकी उत्पत्ति फारस में हुई थी जो लगभग 300 वर्ष पहले भारत में गुजरात के कच्छ में प्रचलित हुई।
- 'रोगन' फारसी मूल का एक शब्द है जिसका अर्थ 'तेल' होता है। 'रोगन आर्ट' कपड़े पर पेंटिंग करने की तकनीक है जिसमें अरंडी के तेल और प्राकृतिक रंगों से बने एक समृद्ध, चमकीले रंग का उपयोग किया जाता है।
    - अरंडी गुजरात के कच्छ में उगाई जाने वाली एक स्थानीय फसल है जिसे कलाकार मूल रूप से स्थानीय किसानों से प्राप्त करते थे।
- परंपरागत रूप से इसका उपयोग क्षेत्रीय जनजातियों में दुल्हन के कपड़ों को सुशोभित करने के लिये किया जाता था।
- इस कला का प्रयोग घाघरा, ओढ़नी एवं बेडशीट के किनारों को सजाने के लिये किया जाता है।
- हालाँकि वर्तमान में इस कला का प्रयोग दीवार पर भी होने लगा है जिसके कारण इस कला को 'रोगन काम' (Rogan Kaam) के नाम से भी काफी लोकप्रियता मिली है।

फ्लाइंग वी एयरक्राफ्ट Flying V Aircraft

हाल ही में डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (Delft University of Technology- TU Delft) के एक ड्रोन पायलट के साथ शोधकर्त्ताओं एवं इंजीनियरों की एक टीम ने 'फ्लाइंग वी' एयरक्राफ्ट (Flying V Aircraft) के स्केल किये गए मॉडल की पहली वास्तविक परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन किया है।

प्रमुख बिंदु:

- फ्लाइंग वी भविष्य के लिये ईंधन-कुशल लंबी दूरी का विमान है जिसके माध्यम से आने वाले समय में लोग यात्रा कर सकते हैं।
- यह विमान V-आकार में होने के कारण इसे 'फ्लाइंग वी' (Flying V) नाम दिया गया है।
- कंप्यूट्रीकृत गणना के अनुसार, आज के उन्नत हवाई जहाज़ों की तुलना में इस विमान के बेहतर वायुगतिकीय आकार और कम वजन से ईंधन की खपत में 20% की कमी आएगी।
- एक 'फ्लाइंग वी' एयरक्राफ्ट (Flying V Aircraft) लगभग 314 यात्रियों एवं 160 क्यूबिक मीटर की कार्गो क्षमता वहन कर सकता है।
- फ्लाइंग-वी विमान डिज़ाइन की मूल योजना तकनीकी विश्वविद्यालय, बर्लिन के एक छात्र जस्टस बेनाड (Justus Benad) ने दी है।
- फ्लाइंग-वी परियोजना को पहली बार डच एयरलाइंस 'KLM' की 100वीं वर्षगांठ पर प्रस्तुत किया गया था जो वर्ष 2019 में अपनी शुरुआत के बाद से इस परियोजना में भागीदार भी है।
- एक एयरोस्पेस कंपनी 'एयरबस' (Airbus) सहित विभिन्न व्यावसायिक साझेदार अब इस परियोजना में शामिल हैं।

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार-2019 Indira Gandhi Peace Prize-2019

हाल ही में सर डेविड एटनबरो (Sir David Attenborough) को एक आभासी समारोह में 2019 के लिये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार (Indira Gandhi Peace Prize) से सम्मानित किया गया।

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार (Indira Gandhi Peace Prize):

- शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास के लिये इंदिरा गांधी पुरस्कार, पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर एक वार्षिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है।
- यह पुरस्कार वर्ष 1986 से प्रत्येक वर्ष इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट (Indira Gandhi Memorial Trust) द्वारा प्रदान किया जाता है।
- इस पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र एवं 25 लाख रुपए प्रदान किये जाते हैं।
- यह पुरस्कार व्यक्तियों/संगठनों द्वारा किये गए निम्नलिखित रचनात्मक प्रयासों के लिये प्रदान किया जाता है:
  - नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रम का सृजन करना (Creating new international economic order)
  - वैश्विक शांति एवं विकास को बढ़ावा देना (Promoting international peace & development)
  - यह सुनिश्चित करना कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग मानवता के लिये किया जाए और स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाना।

सर डेविड एटनबरो (Sir David Attenborough):

- सर डेविड एक अंग्रेजी प्रसारणकर्त्ता (English Broadcaster) एवं प्राकृतिक-इतिहास विज्ञानी हैं।
- इन्हें 'बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट' (BBC Natural History Unit) को लिखने एवं प्रस्तुत करने के लिये सबसे अधिक जाना जाता है।
  - जीवन संग्रह का सृजन करने वाली नौ प्राकृतिक इतिहास की डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला जो एक साथ पृथ्वी पर जानवरों एवं पौधों के जीवन का व्यापक सर्वेक्षण करती है।
- इन्होंने पृथ्वी की जैव विविधता को संरक्षित एवं सुरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने और सभी जीवों के साथ एक स्थायी एवं सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहने के लिये कार्य किया है।

वर्ष 2019 से पहले इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता:

- वर्ष 1986 में 'पार्लियामेंटेरियन फॉर ग्लोबल एक्शन' (Parliamentarians for Global Action) नामक एक गैर-लाभकारी संगठन
- वर्ष 1989 में यूनीसेफ (UNICEF)

नोट :

- वर्ष 1999 में एम. एस. स्वामीनाथन
- वर्ष 2003 में कोफी अन्नान
- वर्ष 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization- ISRO)
- वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UN High Commission for Refugees- UNHRC)
- वर्ष 2018 में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (Centre for Science and Environment)

शिक्षक पर्व Shikshak Parv

भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, शिक्षक पर्व (Shikshak Parv) के अंतर्गत 10 व 11 सितंबर, 2020 को ऑनलाइन माध्यम से 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा।

प्रमुख बिंदु:

- शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति-2020 को आगे बढ़ाने के लिये 8 सितंबर से 25 सितंबर, 2020 तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है।
- राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षक एवं अन्य रचनात्मक शिक्षक इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
- इस सम्मेलन के तहत स्कूली शिक्षा के लिये नई शिक्षा नीति की कुछ महत्त्वपूर्ण विषय वस्तुओं को स्पष्ट करने के लिये विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा दो दिन चर्चा की जाएगी।
    - इस सम्मेलन के पहले दिन प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो इस बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने रचनात्मक तरीकों से नई शिक्षा नीति के कुछ विषयों को पहले से ही कैसे लागू किया है।

एआरआईएसई-एएनआईसी पहल ARISE-ANIC Initiative

9 सितंबर, 2020 को भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा स्टार्टअप्स में अनुसंधान एवं नवाचार लागू करने के लिये अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission), नीति आयोग ने अपने सबसे बहुप्रतीक्षित कार्यक्रमों में से एक आत्मनिर्भर भारत एआरआईएसई-एएनआईसी पहल [ARISE-ANIC (Atal New India Challenges) Initiative] की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु:

- यह कार्यक्रम अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने तथा भारतीय स्टार्टअप्स एवं एमएसएमई की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के लिये एक राष्ट्रीय पहल है।
- इसका उद्देश्य भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों एवं संबद्ध उद्योगों के साथ अनुसंधान, नवाचार को उत्प्रेरित करना और क्षेत्रीय समस्याओं के लिये अभिनव समाधान की सुविधा प्रदान करना है।
- यह कार्यक्रम भारतीय MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया' एवं 'आत्मानिभर भारत' जैसे कार्यक्रमों के अनुरूप है।
- यह कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) तथा भारत सरकार के चार मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय व आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय) और संबंधित उद्योगों द्वारा संचालित किया जाएगा जिससे अलग-अलग क्षेत्रों की समस्याओं का इनोवेटिव समाधान खोजा जा सके।
- आत्मनिर्भर भारत एआरआईएसई-एएनआईसी कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधान या उत्पाद के त्वरित विकास के लिये 50 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी।

श्वेत उल्लू Barn Owl

कावारत्ती द्वीप (Kavaratti Island) पर 'बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स' (Biological Control of Rodents) नामक एक पायलट प्रोजेक्ट के लिये लक्षद्वीप प्रशासन ने श्वेत उल्लुओं (Barn Owls) का उपयोग करना शुरू किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि कावारत्ती द्वीप पर चूहे अप्रत्याशित रूप से नारियल की फसल को नुकसान पहुँचा रहे थे जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था।
- वर्ष 2019 में इन श्वेत उल्लुओं को केरल के तिरुवनंतपुरम चिड़ियाघर द्वारा लक्षद्वीप प्रशासन को दान किया गया था जिनका उपयोग कावारत्ती द्वीप पर चूहों को मारने के लिये किया जा रहा है।
- कृषि, पर्यावरण एवं वन विभाग (लक्षद्वीप) और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के तहत 'कृषि विज्ञान केंद्र' की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रारंभिक डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि ये उल्लू फसलों को नुकसान से बचाने के लिये अद्भुत कार्य कर रहे हैं।
  - यह रिपोर्ट नारियल के बागानों की सुरक्षा करने के लिये अधिक श्वेत उल्लुओं की भर्ती करके इस पायलट परियोजना के विस्तार की सिफारिश करती है।
  - इस रिपोर्ट में अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1875 में बित्रा (एक प्रवाल एटॉल) में कृंतक (चूहों) नियंत्रण के लिये वुड उल्लू (Wood Owls) लाने का प्रयास भी दर्ज है।
    - वुड उल्लू, उल्लुओं के स्ट्रीक्स (Strix) जीनस से संबंधित है।
  - परिणामत: लक्षद्वीप प्रशासन ने केरल से और श्वेत उल्लू उपलब्ध कराने की माँग की है।
  - इस पायलट परियोजना का विस्तार लक्षद्वीप समूह के अन्य द्वीपों तक भी किये जाने की योजना है।
- उल्लेखनीय है कि केरल के ये पक्षी (श्वेत उल्लू) लक्षद्वीप की परिस्थिति के अनुकूल हैं। इन द्वीपों में चूहों का कोई अन्य प्राकृतिक शिकारी नहीं हैं। लक्षद्वीप में जैविक कृषि का अभ्यास करने के बाद से चूहों की आबादी को नियंत्रित करने के लिये रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना भी असंभव है।
  - इसके अलावा द्वीपों पर नारियल के पेड़ों को पास-पास लगाया जाता है जिससे उनके अपुष्प-पर्ण (Fronds) आपस में ओवरलैप हो जाते हैं परिणामत: चूहों को व्यावहारिक रूप से पेड़ों पर रहने की जगह मिल जाती है।
  - अप्रैल एवं मई, 2019 के दौरान कावारत्ती में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि चूहों के कारण नारियल उत्पादन में 44% नुकसान हुआ था। जिससे लगभग 6.04 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ।

श्वेत उल्लू (Barn Owl):

- सामान्य श्वेत-उल्लू (टायटो अल्बा-Tyto Alba) उल्लुओं के टायटोनिडाइ (Tytonidae) परिवार से संबंधित है।
- यह प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य-पूर्व, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई द्वीपों में पाई जाती है।
- इसे IUCN की रेड लिस्ट में 'कम चिंताजनक' (Least Concern) श्रेणी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Indian Wildlife Protection Act, 1972) की अनुसूची IV (Schedule IV) के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

फाइव स्टार विलेज स्कीम Five Star Villages Scheme

हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिये 'फाइव स्टार विलेज स्कीम' (Five Star Villages Scheme) की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु:

- यह योजना विशेष रूप से सुदूरवर्ती गाँवों में डाक सेवाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने तथा डाक उत्पादों एवं सेवाओं को पहुँचाने का प्रयास करेगी।
- फाइव स्टार गाँवों की योजना के तहत सभी डाक उत्पादों एवं सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराके उनका विपणन एवं प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

- भारतीय डाक विभाग के शाखा कार्यालय ग्रामीणों की सभी संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने के लिये वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाओं में शामिल हैं:
  1. बचत बैंक खाते, आवर्ती जमा खाते, एनएससी/केवीपी प्रमाण पत्र
  2. सुकन्या समृद्धि खाते/पीपीएफ खाते
  3. वित्त पोषित डाकघर बचत खाता भारतीय डाक पेमेंट बैंक खाते
  4. पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी/ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी
  5. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता/प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता
- यदि कोई गाँव उपरोक्त सूची में से चार योजनाओं के लिये सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करता है तो उस गाँव को 4-स्टार दर्जा मिल जाएगा और यदि कोई गाँव तीन योजनाओं को पूरा करता है तो उस गाँव को 3-स्टार दर्जा दिया जाएगा।
- इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र से की जाएगी, इसके बाद यहाँ के अनुभव के आधार पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
  - वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान प्रत्येक ज़िले के कुल 50 गाँवों को शामिल किया जाएगा। भारतीय डाक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय इस योजना में शामिल किये जाने वाले गाँवों की पहचान करेंगे।

योजना का कार्यान्वयन:

- इस योजना को पाँच ग्रामीण डाक सेवकों की टीम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जिन्हें डाक विभाग के सभी उत्पादों, बचत एवं बीमा योजनाओं के विपणन के लिये एक गाँव सौंपा जाएगा।
- इस टीम का नेतृत्त्व संबंधित शाखा कार्यालय के शाखा पोस्ट मास्टर करेंगे। डाक निरीक्षक दैनिक आधार पर टीम की प्रगति पर व्यक्तिगत निगरानी रखेंगे।

जन जागरूकता अभियान:

- ग्रामीण डाक सेवकों की टीम सभी पात्र ग्रामीणों को कवर करते हुए सभी योजनाओं के बारे में घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी।
- भारतीय डाक का शाखा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूचना प्रदर्शित करके व्यापक प्रचार किया जाएगा।

सरोद पोर्ट्स SAROD Ports

10 सितंबर, 2020 को केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री ने नई दिल्ली में वर्चुअल समारोह के माध्यम से सरोद-पोर्ट्स (SAROD Ports: Society for Affordable Redressal of Disputes Ports) अर्थात् 'विवादों के किफायती समाधान के लिये समिति' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु:

- सरोद-पोर्ट्स की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई है:
  - न्यायपूर्ण तरीके से विवादों का किफायती एवं समयबद्ध समाधान
  - मध्यस्थों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल के साथ विवाद समाधान तंत्र का संवर्द्धन
- सरोद-पोर्ट्स में 'इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन' (Indian Ports Association- IPA) और 'इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स एसोसिएशन' (Indian Private Ports and Terminals Association- IPTTA) के सदस्य शामिल हैं।
- सरोद-पोर्ट्स समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह एवं सहायता प्रदान करेंगे जिनमें प्रमुख सार्वजनिक बंदरगाह एवं निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल, गैर-प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट एवं शिपिंग क्षेत्र शामिल हैं।
- यह प्राधिकरण एवं लाइसेंसधारी/रियायत प्राप्तकर्त्ता/ ठेकेदारों के बीच विवादों को भी निपटायेगा और विभिन्न अनुबंधों के निष्पादन के दौरान लाइसेंसधारी/रियायत प्राप्तकर्त्ता और उनके ठेकेदारों के बीच होने वाले विवाद भी इसमें शामिल होंगे।
- उल्लेखनीय है कि सरोद–पोर्ट्स के प्रावधान राजमार्ग क्षेत्र में NHAI द्वारा गठित सरोद–रोड्स (SAROD-Roads) के समान हैं।

दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिये डब्ल्यूएचओ का 73वाँ सत्र
73rd session of WHO South East Asia Region

10 सितंबर, 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO South East Asia Region) के 73वें सत्र में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु:

- इस अवसर पर सभी सदस्य राष्ट्रों ने क्षेत्रीय एकजुटता के महत्त्व को पहचानते हुए COVID-19 के मद्देनज़र लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों अर्थात् 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज एवं स्वास्थ्य आपात स्थिति पर दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय फ्लैगशिप' (South-East Asia Regional Flagships on Universal Health Coverage and Health Emergencies- SEAR-HEF) जो आपातकालीन जोखिम प्रबंधन में क्षमता को बढ़ावा देती है, पर चर्चा की।
- SEARHEF, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात परिस्थितियों के दौरान तेज़ी से वित्तीय संसाधन प्रदान करती है।
    - इसे वर्ष 2019 के दिल्ली घोषणापत्र में आपातकाल स्थितियों के लिये स्वीकार किया गया था।
    - यह आपदा जोखिम प्रबंधन और COVID-19 के मद्देनज़र आपातकालीन जोखिम प्रबंधन एवं आपातकालीन तैयारियों में क्षमता बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध है।
- इस सत्र में निम्नलिखित मुद्दों पर सहमति बनी:
    - गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाओं (COVID-19 एवं गैर-COVID-19 दोनों) तक लोगों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्त्व की पुष्टि करना।
    - विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
    - COVID-19 महामारी के दौरान और बाद में निर्बाध स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने के लिये पर्याप्त स्वास्थ्य बजट आवंटित करके लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना।
    - डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाते हुए स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को मज़बूत करना और नीतिगत निर्णय के लिये जानकारी साझा करना।
    - स्वास्थ्य पेशेवरों एवं अन्य संबंधित श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक उपायों के माध्यम से रोगियों एवं अन्य लोगों की सुरक्षा को मज़बूत करना और विभिन्न प्रकार के गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित करना।
    - उचित चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक एवं पर्यावरणीय सुरक्षा को मज़बूत करना।
    - COVID-19 पर बायोमेडिकल, स्वास्थ्य नीति एवं प्रणालीगत अनुसंधान को मज़बूत करना जो राष्ट्रीय नीति निर्णयन एवं SEAR (South-East Asia Region) सदस्य देशों में ज्ञान साझा करने का समर्थन करते हैं।
    - COVID-19 के नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिये सरकार और समाज के सहयोगी दृष्टिकोण के माध्यम से बहु-क्षेत्रीय सहयोग को जारी रखना एवं उनका विस्तार करना।
    - विशेष रूप से तैयारी, निगरानी एवं तीव्र प्रतिक्रिया, क्षेत्रीय महामारी विज्ञान प्रशिक्षण, दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और आवश्यक स्वास्थ्य संसाधनों के क्षेत्रीय भंडार हेतु SEAR सदस्य राष्ट्रों का समर्थन करने के लिये क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत करना।
    - स्वास्थ्य अंतरालों को पहचानना और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम-2005 (International Health Regulations 2005) द्वारा आवश्यक कोर क्षमताओं को मज़बूत करना।

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम-2005 (International Health Regulations 2005):

- अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों से निपटना एवं विभिन्न तरीकों से रोगों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को रोकना एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है।

नोट :

- अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005), वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- टीकों, दवाओं एवं निदान के उत्पाद आवंटन पर वैश्विक चर्चा में पूरी तरह से संलग्न होना।

वैभव प्रोटानिल्ला Vaibhav's Protanilla

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने गोवा के नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य (Netravali Wildlife Sanctuary) में लगभग 2.5 मिमी. लंबी चींटी की एक नई प्रजाति 'वैभव प्रोटानिल्ला' (Vaibhav's Protanilla) की खोज की है।

प्रमुख बिंदु:

- चींटी की इस नई प्रजाति का नाम 'वैभव प्रोटानिल्ला' (Vaibhav's Protanilla), प्रोफेसर वैभव चिंदारकर (Vaibhav Chindarkar) के नाम पर रखा गया है जो गोवा के सखाली (Sakhali) में 'गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स' के प्राणीशास्त्र विभाग के प्रमुख हैं।
- वैभव प्रोटानिल्ला को प्रोटानिल्ला नामक चींटियों के एक दुर्लभ समूह में स्थान दिया गया है, अभी तक इस समूह से संबंधित सिर्फ 12 चींटी प्रजातियाँ ही ज्ञात थीं।
- अन्य भूमिगत चींटियों की तरह यह समूह पारिस्थितिकी तंत्र के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है जैसे- मिट्टी में कीट नियंत्रण करके मृदा की उर्वरता बनाए रखना।

विशेषताएँ:

- चींटियों का यह समूह विशेष रूप से भूमिगत रहता है और इसे भूमि के ऊपर शायद ही कभी देखा जाता है।
- यह प्रजाति पीले-नारंगी रंग की है और इसलिये इसका नाम लैटिन भाषा में 'फ्लेम्मा' (flamma) रखा गया है जिसका पूरा वैज्ञानिक नाम 'प्रोटानिला फ्लैम्मा' (Protanilla flamma) है।
- यह प्रजाति पूरी तरह से अंधी है और अपने अंधेरे भूमिगत क्षेत्र में नेवीगेशन के लिये स्पर्श प्रतिक्रिया एवं रासायनिक संकेतों पर निर्भर करती है।
- इन चींटियों को छोटे आकार की कॉलोनियों में रहने के लिये जाना जाता है और ये अन्य छोटे कीड़ों का शिकार करती हैं।

नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य (Netravali Wildlife Sanctuary):

- नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी गोवा के सुंगुम तालुका में काली नदी के बेसिन में स्थित है।
- नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य के उत्तर में भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य और दक्षिण में कोटिगाओ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है।
- इस वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख जीव जंतुओं में ब्लैक पैंथर (Black Panther), विशालकाय गिलहरी (Giant Squirrel), स्लेंडर लोरिस (Slender Loris), ग्रेट पाइड हॉर्नबिल्स (Great Pied Hornbills) आदि शामिल हैं।

स्टार्टअप परितंत्र के समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग
Ranking of States on Support to Startup Ecosystems

11 सितंबर, 2020 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने वर्चुअल समारोह के माध्यम से स्टार्टअप परितंत्र के लिये समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग के दूसरे संस्करण के परिणाम जारी किये।

प्रमुख बिंदु:

- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade-DPIIT) ने राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने और स्टार्टअप परितंत्र के संदर्भ में सक्रियता से कार्य करने के लिये राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के दूसरे संस्करण का संचालन किया।
- इस रैंकिंग के माध्यम से राज्यों की क्षमता का विकास होगा, राज्य आपसी सहयोग के द्वारा अपने अनुभव साझा करने के लिये प्रोत्साहित होंगे तथा इससे नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी।

राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क:

- राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में 7 व्यापक सुधार क्षेत्र शामिल किये गए हैं जिसमें 30 कार्य बिंदु शामिल हैं। इन कार्य बिंदुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - संस्थागत समर्थन
  - आसान अनुपालन
  - सार्वजनिक खरीद मानदंडों में छूट
  - इन्क्यूबेशन समर्थन
  - सीड फंडिंग सहायता
  - उद्यम अनुदान सहायता
  - जागरूकता एवं आउटरीच

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण:

- इस रैंकिंग प्रक्रिया में कुल 22 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। रैंकिंग प्रक्रिया में एकरूपता स्थापित करने एवं मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिये राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दो समूहों में विभाजित किया गया है।
  - श्रेणी Y: दिल्ली को छोड़कर सभी संघ शासित क्षेत्र एवं असम को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्य 'श्रेणी Y' में रखे गए हैं।
  - श्रेणी X: शेष अन्य राज्यों एवं संघशासित क्षेत्र दिल्ली को 'श्रेणी X' में रखा गया है।
- रैंकिंग के उद्देश्य से राज्यों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
  - सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य
  - उत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य
  - अग्रणी राज्य
  - आकांक्षी अग्रणी राज्य
  - उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र वाले राज्य
- प्रत्येक श्रेणी में इकाइयों को वर्णमाला के क्रम में रखा गया है। राज्यों को स्टार्टअप्स के समर्थन के 7 सुधार क्षेत्रों में अग्रणी के रूप में भी मान्यता दी गई है।
- राज्य स्टार्टअप रैंकिंग-2019

श्रेणी X

श्रेणी	राज्य
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन	गुजरात
उत्तम प्रदर्शन	कर्नाटक केरल
अग्रणी	बिहार महाराष्ट्र ओडिशा राजस्थान

नोट :

आकांक्षी अग्रणी	हरियाणा झारखंड पंजाब तेलंगाना उत्तराखंड
उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र	आंध्रप्रदेश असम छत्तीसगढ़ दिल्ली हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश तमिलनाडु उत्तरप्रदेश

श्रेणी Y

श्रेणी	राज्य
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
अग्रणी	चंडीगढ़
आकांक्षी अग्रणी	नागालैंड
उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र	मिज़ोरम सिक्किम

- सभी 7 सुधार क्षेत्रों में अग्रणी: प्रत्येक सुधार क्षेत्र में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाले राज्यों को अग्रणी (लीडर) के रूप में मान्यता दी गई है।

क्रम.	आधार	राज्य
1.	संस्थागत अग्रणी	कर्नाटक केरल ओडिशा
2.	विनियामकीय परिवर्तन चैंपियंस	कर्नाटक केरल ओडिशा उत्तराखंड
3.	खरीद में अग्रणी	कर्नाटक केरल तेलंगाना
4.	इनक्यूबेशन हब	गुजरात केरल

नोट :

5.	नवाचार की शुरुआत (सीडिंग इनोवेशन) में अग्रणी	बिहार केरल महाराष्ट्र
6.	स्केलिंग इनोवेशन में अग्रणी	गुजरात केरल महाराष्ट्र राजस्थान
7.	जागरूकता और पहुँच (आउटरीच) में चैंपियन	गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान

जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढाँचा
Climate Smart Cities Assessment Framework

11 सितंबर, 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री ने 'जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढाँचा-2.0' (Climate Smart Cities Assessment Framework- CSCAF 2.0) और 'स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज' (Streets for People Challenge) अभियान का शुभारंभ किया।

जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढाँचा- 2.0 (CSCAF 2.0):

- इसका उद्देश्य शहरों को निवेश समेत अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के दौरान सामने आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिये स्पष्ट रोडमैप उपलब्ध कराना है।
- यह आकलन फ्रेमवर्क विश्व में वर्तमान समय में अपनाए जाने वाले आकलन फ्रेमवर्क के अध्ययन एवं विभिन्न क्षेत्रों के 26 संस्थानों तथा 60 विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है।
- इस फ्रेमवर्क में पाँच श्रेणियों के तहत 28 संकेतकों को शामिल किया गया है जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
  - ऊर्जा एवं हरित इमारतें
  - शहरी नियोजन, हरित क्षेत्र एवं जैव विविधता
  - आवागमन तथा वायु गुणवत्ता
  - जल प्रबंधन
  - अपशिष्ट प्रबंधन
- 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स' (National Institute of Urban Affairs- NIUA) के तहत शहरों के लिये जलवायु केंद्र CSCAF के कार्यान्वयन में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय समर्थन कर रहा है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA):

- यह नई दिल्ली में शहरी विकास एवं प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं सूचना प्रसार के लिये एक संस्थान है।
- इसे वर्ष 1976 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम-1860 के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

महत्त्व:

- पिछले एक दशक में भारतीय शहरों के समक्ष चक्रवाती तूफान, बाढ़, लू का प्रकोप, पानी की समस्या और सूखे जैसी विषम स्थितियाँ आई हैं।

- इससे जान एवं माल दोनों के नुकसान के साथ-साथ आर्थिक विकास भी प्रभावित हुआ है। इस संदर्भ में CSCAF पहल जलवायु परिवर्तन संबंधी पहलुओं के मद्देनज़र भारत में शहरी नियोजन एवं विकास में मदद करेगी।

'स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज' (Streets for People Challenge):

- भारतीय शहरों की गलियों को पैदल चलने वालों के लिये और अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से 'स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज' (Streets for People Challenge) की शुरुआत की गई है।
- यह चैलेंज केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी उस एडवाइज़री पर आधारित है जिसमें इस वर्ष की शुरुआत में बाज़ारों को पैदल चलने वालों के अनुकूल बनाने के लिये कहा गया था।
- यह चैलेंज देशभर के शहरों को एक समान गलियों के निर्माण में मदद करेगा जो विभिन्न पक्षकारों एवं नागरिकों से परामर्श पर आधारित होगा।
  - इसके लिये एक प्रतिस्पर्द्धी प्रारूप अपनाया जाएगा ताकि विभिन्न शहरों को अपने स्वयं के डिज़ाइन प्रतियोगिताओं को शुरू करने के लिये निर्देशित किया जाएगा जिससे त्वरित, नवीन एवं कम लागत वाले सामरिक समाधानों के लिये पेशेवरों से नवीन विचारों को संग्रहित किया जा सके।
- इसका उद्देश्य कम लागत एवं नए विचारों के साथ शहरी गलियों का निर्माण करना है जो पैदल चलने वालों के अनुकूल हो।
- इस प्रतिस्पर्द्धा में शामिल होने वाले सभी शहरों को 'टेस्ट-लर्न-स्केल अप्रोच' के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे महत्त्वाकांक्षी एवं आसपास के खाली पड़े क्षेत्रों में पैदल चलने वाले रास्तों को बेहतर किया जा सके।
- इस चैलेंज में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत फिट इंडिया मिशन, परिवहन विकास एवं योजना संस्थान (Institute for Transport Development and Policy- ITDP) के साथ स्मार्ट सिटी मिशन भी सहयोग कर रहे हैं।

पलक्कडेंसिस Palakkadensis

हाल ही में वैज्ञानिकों ने केरल के पलक्कड (Palakkad) में एक पर्यटन स्थल अन्नकल (Annakal) से छिपकली (Gecko) की एक नई प्रजाति 'पलक्कडेंसिस' (Palakkadensis) की खोज की है।

प्रमुख बिंदु:

- केरल में पश्चिमी घाटों से प्राप्त छिपकली की इस नई प्रजाति को वैज्ञानिकों द्वारा पलक्कड़ ड्वार्फ गेच्को (Palakkad Dwarf Gecko) या स्नेमास्पिस पलक्कडेंसिस (Cnemaspis Palakkadensis) नाम दिया गया है।
- यह प्रजाति, छिपकली की स्नेमास्पिस लिट्टोरालिस (Cnemaspis Littoralis) प्रजाति से काफी मिलती-जुलती है, ये दोनों प्रजातियाँ एक ही जीनस 'स्नेमास्पिस' (Cnemaspis) से संबंधित हैं। हालाँकि ये दोनों अनुवांशिक रूप से अलग हैं।

स्नेमास्पिस लिट्टोरालिस (Cnemaspis Littoralis):

- 'कोस्टल डे गेच्को' (Coastal Day Gecko) या 'स्नेमास्पिस लिट्टोरालिस' (Cnemaspis Littoralis) को वर्ष 1854 में ब्रिटिश प्राणी विज्ञानी थॉमस सी जेरडॉन (Thomas C Jerdon) ने खोजा था।

  शारीरिक विशेषताएँ:
- इस प्रजाति के शरीर के ऊपरी हिस्से पर शल्क, स्पाइन-लाइन ट्यूबरकल (Spine-Line Tubercles) की अनुपस्थिति, शरीर के प्रत्येक तरफ 15 या 16 जघनास्थिक रोमकूप (Femoral Pores) को 14 रोमकूपविहीन शल्कों (Poreless Scales) द्वारा अलग किया गया है।
- इसकी लंबाई लगभग 32 मिमी. है।
- इसके शरीर के ऊपरी तरफ सुंदर काले एवं भूरे रंग के पैच बने हुए हैं और इसकी ठोड़ी या उदर के निचले हिस्से पर एक नारंगी छाया है।

स्नेमास्पिस पलक्कडेंसिस का आहार:

- यह प्रजाति सभी प्रकार के कीड़े-मकोड़ों जैसे- छोटे कीट, बीटल, तितली के लार्वा और यहाँ तक कि छोटे मेंढकों को भी खाती है।

गौरतलब है कि इस प्रजाति की खोज से संबंधित शोध पत्र को अमेरिकी वैज्ञानिक पत्रिका 'एम्फीबियन एंड रेप्टाइल कंज़र्वेशन' (Amphibian and Reptile Conservation) में प्रकाशित किया गया है।

यू. एस. विदेशी एजेंट अधिनियम U.S. Foreign Agents Act

अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट (U.S. Department of Justice) के अधीन विदेशी एजेंट्स पंजीकरण अधिनियम (Foreign Agents Registration Act– FARA), 1938 के तहत ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी (Overseas Friends of the BJP- OFBJP) के पंजीकृत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी संगठन के विदेशी प्रमुख के रूप में नाम दर्ज कराने वाली भारत में मुख्यधारा की पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है।

प्रमुख बिंदु:

- OFBJP द्वारा दर्ज किये गए पंजीकरण के अनुसार, यह पंजीकरण 27 अगस्त, 2020 को किया गया था। पंजीकरण के बाद OFBJP को अमेरिकी सांसदों से बैठक, कार्यक्रमों के आयोजन, अमेरिकी समूहों से वित्तपोषण की घोषणा करनी होगी।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आगामी चुनावों के दौरान OFBJP सदस्य संगठनात्मक सहयोग नहीं कर सकते हैं ऐसा करने पर इसे अमेरिकी चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के रूप में देखा जाएगा।

विदेशी एजेंट्स पंजीकरण अधिनियम (Foreign Agents Registration Act- FARA):

- वर्ष 1938 में इस अधिनियम (FARA) को संयुक्त राज्य अमेरिका में फासीवाद के प्रसार को रोकने के लिये लागू किया गया था।
- इस अधिनियम के अंतर्गत विदेशी एजेंटों को अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के तहत पंजीकृत कराना तथा अपनी गतिविधियों को जनता के सामने बताना अनिवार्य है।
- इस अधिनियम के तहत राजनैतिक या अर्द्ध-राजनीतिक क्षमता के साथ विदेशी शक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्त्व करने वाले एजेंटों को भी विदेशी सरकार के साथ अपने संबंधों एवं संबंधित वित्त के बारे में जानकारी का खुलासा करना होता है।

FARA का महत्त्व:

- FARA, संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी प्रभाव तथा राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरों की पहचान करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण अधिनियम है।

FARA का उद्देश्य:

- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर विदेशी प्रभाव के संबंध में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
    - इसके तहत अमेरिकी सार्वजनिक राय, नीति एवं कानूनों को प्रभावित करने की इच्छा रखने वाले विदेशी एजेंटों को अमेरिकी सरकार एवं जनता के समक्ष कुछ विशिष्ट जानकारियाँ देनी होती हैं।

FARA के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान:

- जानबूझ कर FARA का उल्लंघन करने पर पाँच वर्ष तक की जेल या 250,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
    - जबकि इस कानून का कुछ सीमा तक उल्लंघन करने पर 6 महीने से अधिक की जेल या $ 5,000 का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स Indian Brain Templates

'राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान' (National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences- NIMHANS) के न्यूरोसाइंटिस्टों की एक टीम द्वारा विकसित 'इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स' (Indian Brain Templates-IBT) और एक मस्तिष्क एटलस का उपयोग करके जल्द ही भारत में न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन एवं मनोचिकित्सक अपने मरीज़ों के मस्तिष्क संरचना का मानचित्र बना सकते हैं और उसका सटीक आकलन कर सकते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने भारतीय मरीज़ों के 500 से अधिक ब्रेन स्कैन का अध्ययन किया जिनमें भारतीय मस्तिष्कों के पाँच सेट एवं पाँच वर्ष तक के बच्चों के लिये एक मस्तिष्क एटलस (बचपन से वयस्कता) तक को कवर करने के लिये विकसित किया है।

- 'मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंडेक्स' (Montreal Neurological Index-MNI) टेम्पलेट जिसे वर्तमान में उपयोग किया जाता है वह कॉकेशियन दिमाग (Caucasian Brains) पर आधारित है।

कॉकेशियन जाति (Caucasian Race):

- कॉकेशियन जाति, मानव जाति का एक पुराना वर्ग समूह है जो ऐतिहासिक प्रजाति वर्गीकरण पर आधारित है।
- इस समूह में आमतौर पर यूरोप, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, उत्तरी अफ्रीका एवं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की आबादी शामिल है।
- 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों का मानना था कि मानव प्रजाति का उद्गम कॉकेशस पर्वत क्षेत्र में हुआ था। इसी कॉकेशस पर्वत के नाम पर कॉकेशियन जाति का नामकरण किया गया।

'राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान' (NIMHANS):

- यह मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में मरीज़ देखभाल एवं अकादमिक खोज के लिये एक बहु-विषयक संस्थान है।
- यह कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है।
- यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान है।
- एमएनआई टेम्पलेट (MNI Template) उत्तरी अमेरिका में शहरी आबादी के सिर्फ एक छोटे से भाग के औसतन 152 स्वस्थ्य मस्तिष्क स्कैन द्वारा बनाया गया था।
- किंतु कॉकेशियन मस्तिष्क, एशियाई मस्तिष्क से अलग है। जबकि कुछ देशों में मस्तिष्क को मापने के लिये अपने-अपने पैमाने हैं और भारत अभी भी कॉकेशियान मस्तिष्क के टेम्पलेट पर निर्भर है।
- 'इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स' (IBT) और मस्तिष्क एटलस से संबंधित शोध को 'ह्यूमन ब्रेन मैपिंग' (Human Brain Mapping) पत्रिका में प्रकाशित किया गया था।

लाभ:

- 'इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स' एवं मस्तिष्क एटलस, स्ट्रोक, मस्तिष्क ट्यूमर एवं विक्षिप्तता (Dementia) जैसे न्यूरोलॉजिकल विकारों वाले रोगियों का अधिक सटीक संदर्भित मानचित्र प्रदान करेंगे।
- ये टेम्प्लेट एवं एटलस मानव मस्तिष्क एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों के अध्ययन में संबंधित जानकारी को और अधिक उपयोगी बनाने में मदद करेंगे।
- इससे 'अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर' (Attention Deficit Hyperactivity Disorder- ADHD), आत्मकेंद्रित, पदार्थ निर्भरता, सिज़ोफ्रेनिया जैसी मनोरोग संबंधी बीमारियों के बारे में चिकित्सकों को समझने में आसानी होगी।

हिंदी दिवस- 2020 Hindi Diwas- 2020

प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को देशभर में हिंदी दिवस (Hindi Diwas) मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत में 14 सितंबर, 1949 संविधान सभा ने भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकृति दी जिसे भारत के संविधान द्वारा अनुमोदित किया गया था जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था।
    - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया।
- हालाँकि हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों को आज़ादी के बाद भारत की भाषा के रूप में चुना गया और संविधान सभा ने देवनागरी लिपि वाली हिंदी के साथ ही अंग्रेज़ी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया किंतु वर्ष 1949 में 14 सितंबर के दिन संविधान सभा ने हिंदी को ही भारत की राजभाषा घोषित किया।
- राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के आग्रह पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
    - पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था।

- हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली पाँच भाषाओं में से एक है।
- उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।

सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मिडिएशन Singapore Convention on Mediation

12 सितंबर, 2020 को व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिये निपटान ढाँचा जिसे सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मिडिएशन (Singapore Convention on Mediation) भी कहा जाता है, लागू हो गया।

प्रमुख बिंदु:

यह भारत एवं विश्व के अन्य देशों जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्त्ता देश हैं, में व्यवसायों से जुड़े कॉर्पोरेट विवादों की मध्यस्थता करने हेतु एक अधिक प्रभावी तरीका प्रदान करेगा।

इसे 'यूनाइटेड नेशंस कंवेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिज़ल्टिंग फ्रॉम मेडिएशन' (United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation) के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंगापुर के नाम पर होने वाली संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि भी है।

इस अभिसमय के तहत सामंजस्य एवं सरलीकृत प्रवर्तन ढाँचा समय एवं कानूनी लागतों में बचत को बढ़ावा देगा जो अनिश्चितता के समय व्यवसायों के लिये महत्वपूर्ण है जैसे- वर्तमान COVID-19 महामारी के दौरान।

1 सितंबर, 2020 तक इस अभिसमय पर 53 हस्ताक्षरकर्त्ता देश हैं जिनमें भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि को अपनाया था।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह अधिकृत किया था कि यह कन्वेंशन 7 अगस्त, 2019 को सिंगापुर में होने वाले एक समारोह तक हस्ताक्षर के लिये खुला रहेगा और इसे 'सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मिडिएशन' (Singapore Convention on Mediation) के रूप में जाना जाएगा।

यह संधि मध्यस्थता के परिणामस्वरूप होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों को लागू करने के लिये एक समान और कुशल तंत्र उपलब्ध कराती है।

यह अभिसमय मध्यस्थता के माध्यम से कॉर्पोरेट विवादों का त्वरित निपटान करके भारत को अपनी व्यापार साख को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

इस अभिसमय के लागू होने के बाद भारत एवं दुनियाभर के व्यवसायों में मध्यस्थता के माध्यम से सीमा पार विवादों को हल करने में अधिक निश्चितता होगी।

कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन Krishna-Godavari (KG) basin

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान 'अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट' (Agharkar Research Institute- ARI) के शोधकर्त्ताओं द्वारा किये गये एक हालिया अध्ययन में यह पाया गया है कि कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन [Krishna-Godavari (KG) basin] में जमा मीथेन हाइड्रेट बायोजेनिक (Biogenic) मूल के हैं।

प्रमुख बिंदु:

यह अध्ययन DST-SERB युवा वैज्ञानिक परियोजना के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था जिसका शीर्षक 'एलुसिडेटिंग द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ मेंथोजेनिक आर्चेए इन मीथेन हाइड्रेट' (Elucidating The Community Structure of Methanogenic Archaea in Methane Hydrate) था।

मीथेन हाइड्रेट का निर्माण उस समय होता है जब महासागरों में उच्च दबाव एवं कम तापमान पर हाइड्रोजन-बांडेड जल एवं मीथेन गैस एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं।

मीथेन एक स्वच्छ एवं किफायती ईंधन है। माना जाता है कि एक घन मीटर मीथेन हाइड्रेट में 160-180 घन मीटर मीथेन होता है।

केजी बेसिन में मीथेन हाइड्रेट्स में मौजूद मीथेन दुनिया भर में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन भंडार का दोगुना है।

शोधकर्त्ताओं के अनुसार, कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन और अंडमान एवं महानदी के तट के पास बायोजेनिक मूल के मीथेन हाइड्रेट का निक्षेपण संबद्ध मिथोजेनिक समूह के अध्ययन के लिये आवश्यक है।

शोधकर्त्ताओं के अनुसार, अभी तक मीथेन हाइड्रेट वाले तलछट से जुड़े मिथेनोजेनिक (Methanogenic) समुदायों से संबंधित अत्यंत कम अन्वेषण हुए हैं।

आण्विक एवं संवर्द्धन तकनीकों का उपयोग करने वाले इस अध्ययन से केजी बेसिन में अधिकतम मिथेनोजेनिक विविधता का पता चला है जो अंडमान द्वीपीय तट एवं महानदी बेसिनों की तुलना में यहाँ (केजी बेसिन) बायोजेनिक मीथेन के अधिक स्रोत होने की पुष्टि करता है।

इस बेसिन में जमा होने वाला मीथेन हाइड्रेट एक समृद्ध स्रोत है जो मीथेन (एक प्राकृतिक गैस) की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

मीथेन हाइड्रेट से संबंधित इस शोध को 'मरीन जीनोमिक्स' (Marine Genomics) नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

प्रसाद योजना PRASHAD Scheme

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन (Swadesh Darshan) और प्रसाद (PRASHAD) योजनाओं के तहत देश के विभिन्न बौद्ध स्थलों पर पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढाँचा एवं सुविधाओं का विकास किया है।

स्वदेश दर्शन योजना:

- केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में पर्यटन स्थलों के थीम आधारित एकीकृत विकास के लिये 'स्वदेश दर्शन योजना' की शुरूआत की थी।
- देश में बौद्ध स्थलों की पहचान स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में की गई है।
- स्वदेश दर्शन योजना के तहत बौद्ध स्थलों के विकास के लिये 353.73 करोड़ रुपए की कुल 5 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।

प्रसाद (PRASHAD) योजना:

- केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-2015 में तीर्थस्थल संरक्षण एवं आध्यात्मिक विकास के लिये 'प्रसाद' (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive- PRASHAD) परियोजना की शुरूआत की है।
- बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये विभिन्न परियोजनाओं को भी प्रसाद योजना के तहत शुरू किया गया है।
- प्रसाद (PRASHAD) योजना के तहत 918.92 करोड़ रुपए की कुल 30 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।

आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स:

- केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बोधगया, अजंता एवं एलोरा में बौद्ध स्थलों को आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स (Iconic Tourist Sites) के रूप में विकसित करने के लिये भी पहचान की है।

बौद्ध स्थलों को बढ़ावा देने के लिये किये जा रहे आधिकारिक प्रयास:

- केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत पर्यटन संबंधी बुनियादी ढाँचे के विकास के अतिरिक्त भारत एवं विदेशी पर्यटन बाज़ारों में विभिन्न बौद्ध स्थलों को बढ़ावा देने पर भी ज़ोर दिया जा रहा है।
- 'भारतीय पर्यटन कार्यालय' नियमित रूप से विदेशी पर्यटन बाज़ारों में कई यात्राओं एवं पर्यटन मेलों के साथ-साथ भारत के बौद्ध स्थलों को बढ़ावा देने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेता है।
- केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत वेबसाइट पर बौद्ध स्थलों का प्रदर्शन किया है और एक वेबसाइट www.indiathelandofbuddha.in भी विकसित की है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भारत के बौद्ध गंतव्य एवं दुनिया भर के प्रमुख पर्यटन बाज़ारों के रूप में प्रचार करने के उद्देश्य से क्रमिक वर्ष में बौद्ध कॉन्क्लेव का आयोजन करता है।

बौद्ध सर्किट में स्वदेश दर्शन के तहत स्वीकृत परियोजनाएँ:

- बौद्ध सर्किट में स्वदेश दर्शन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की मुख्य सूची निम्नलिखित है:
  - लखनऊ सर्किल के शाक्य पिपरावा (Sakyas Piprahwa) के मठ, साइट एवं स्तूप

- लखनऊ सर्किल में श्रावस्ती (Sravasti)
- सारनाथ सर्किल का प्राचीन बौद्ध स्थल
- सारनाथ सर्किल का चौखंडी स्तूप (Chaukhandi Stupa)
- सारनाथ सर्किल के बौद्ध अवशेष एवं कुशीनगर स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर

आध्यात्मिक पर्यटन:

- स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद (PRASAD) योजनाओं के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है।
- आध्यात्मिक सर्किट की पहचान स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में की गई है।
- स्वदेश दर्शन योजना के तहत आध्यात्मिक सर्किट के विकास के लिये 764.85 करोड़ रुपए की कुल 13 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।
- इसके अलावा धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों पर बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये भी परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।

शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन गैस की खोज
The discovery of phosphine gas in the atmosphere of Venus

16 सितंबर, 2020 को शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन गैस (Phosphine Gas) की खोज के बारे में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम की एक घोषणा ने शुक्र ग्रह पर जीवन की उपस्थिति की संभावना को बढ़ाया है।

प्रमुख बिंदु:

- औद्योगिक प्रक्रियाओं में उत्पादित होने के अलावा फॉस्फीन एक रंगहीन किंतु गंधयुक्त गैस है जो केवल बैक्टीरिया (जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रहते हैं) की कुछ प्रजातियों द्वारा बनाई जाती है।
- 'नेचर एस्ट्रोनॉमी' (Nature Astronomy) में प्रकाशित एक लेख में वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस के अंश मिलने की सूचना दी है।
- वास्तव में यह खोज वर्ष 2017 में की गई थी और वैज्ञानिकों ने इसे सार्वजनिक करने का निर्णय लेने से पहले पिछले तीन वर्षों में अपने डेटा की कई बार जाँच की।

खोज की महत्ता:

- यह पृथ्वी से दूर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना के लिये अभी तक का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, चंद्रमा या मंगल ग्रह पर पानी की खोज की तुलना में शुक्र ग्रह पर की गई यह खोज अधिक महत्त्वपूर्ण है।

शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना या असंभावना?

- शुक्र ग्रह का तापमान बहुत अधिक है और इसका वातावरण अत्यधिक अम्लीय है, ये दो विशेषताएँ शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना को असंभव बना देती हैं।

शुक्रायण (Shukrayaan):

- आने वाले समय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 'शुक्रायण' (Shukrayaan) के नाम से एक वीनस मिशन या शुक्र मिशन की योजना बना रहा है।

शुक्र ग्रह:

- शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वाँ बहन (Sister Planet) के नाम से भी जाना जाता है।
- शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है।
- इसे भोर का तारा (Morning Star) और सांझ का तारा (Evening Star) कहा जाता है।
- यह सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है।
- मैगलन अंतरिक्ष यान (Magellon Spacecraft) को राडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1989 में भेजा गया था।

नोट :

मेकेदातु परियोजना Mekedatu Project

केंद्र सरकार द्वारा मेकेदातु परियोजना (Mekedatu Project) के निर्माण हेतु मंज़ूरी देने के लिये कर्नाटक सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल (मुख्यमंत्री के नेतृत्त्व में) केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2017 में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 9,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त कर चुकी है किंतु इसे केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अभी मंज़ूरी नहीं मिली है क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने इस परियोजना के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

मेकेदातु परियोजना:

- मेकेदातु परियोजना एक प्रकार की 'मेकेदातु संतुलन भंडार' (Mekedatu Balancing Reservoir) है जिसे पीने के पानी के लिये भंडारण करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।
- इस परियोजना का निर्माण कर्नाटक के रामनगरम ज़िले के कनकपुरा के पास किया जाएगा।
- मेकेदातु परियोजना एक गुरुत्त्व बांध है जो मेकेदातु में 67.16 टीएमसी जल संग्रहित करेगा। इसमें से 4.75 टीएमसी जल की आपूर्ति पेयजल के उद्देश्य से बंगलुरु को की जाएगी।
- यह परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण है क्योंकि इसे कावेरी नदी पर बनाया जा रहा है जो दोनों राज्यों के लिये पानी के सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोतों में से एक है।
- इस परियोजना के निर्माण से कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की 50 वर्ग किमी. की वन भूमि जलमग्न हो जाने की संभावना है।

सरोगेट साइरस Surrogate Sires

वैश्विक खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिये पहली बार वैज्ञानिकों ने ऐसे जानवर तैयार किये हैं जो व्यवहार्य रूप से 'सरोगेट साइरस' (Surrogate Sires) के रूप में कार्य कर सकते हैं। अर्थात् नर जानवर जो केवल दाता जानवरों के आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने वाले शुक्राणु पैदा करते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि बढ़ती वैश्विक आबादी हेतु खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये पशुधन में सुधार करना एक दीर्घकालिक लक्ष्य है।
- शोधकर्ताओं ने चूहों, सूअरों, बकरियों एवं मवेशियों की संख्या बढ़ाने के लिये क्रिस्पर-कैस 9 (CRISPR-Cas9) का उपयोग किया जिनमें नर प्रजनन क्षमता के लिये विशिष्ट जीन की कमी थी।

क्रिस्पर-कैस 9 (CRISPR-Cas9):

- क्रिस्पर-कैस 9 (CRISPR-Cas9) एक ऐसी तकनीक है जो वैज्ञानिकों को अनिवार्य रूप से डीएनए काटने और जोड़ने की अनुमति देती है, जिससे रोग के लिये आनुवंशिक सुधार की उम्मीद बढ़ जाती है।
- क्रिस्पर (Clustered Regualarly Interspaced Short Palindromic Repeats) डीएनए के हिस्से हैं, जबकि कैस-9 (CRISPR-ASSOCIATED PROTEIN9-Cas9) एक एंजाइम है। हालाँकि, इसके साथ सुरक्षा और नैतिकता से संबंधित चिंताएँ जुड़ी हुई हैं।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, इससे पशुधन में वांछनीय विशेषताओं जैसे- चरम मौसम के प्रति अनुकूलन, बीमारियों के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास आदि, का प्रसार और तेज़ हो सकता है। इससे विकासशील देशों में किसानों को लाभ होगा।
- हालाँकि मौजूदा सरकारी नियम इन जीन-संपादित (Gene-edited) जानवरों के खाद्य श्रृंखला में इस्तेमाल होने से रोकते हैं।

विविध

मुस्तफा अदीब

जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफा अदीब (Mustapha Adib) को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। मुस्तफा अदीब को देश के प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है, इसमें साद अल-हरीरी (Saad Al-Hariri) का राजनीतिक दल भी शामिल है, जो कि लेबनान का सबसे बड़ा सुन्नी राजनीतिक दल है। इससे पहले लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री हसन दियाब ने लेबनान की राजधानी बेरुत में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया था, ज्ञात हो कि भयंकर विस्फोट के कारण लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो गई थी और लगभग 6000 लोग घायल हुए थे। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार, बेरुत बंदरगाह के वेयरहाउस में लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था जो कि विस्फोट का कारण बना। वर्तमान में मुस्तफा अदीब की सरकार का गठन एक ऐसी स्थिति में हो रहा है, जब लेबनान एक गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। गंभीर आर्थिक स्थिति के कारण लेबनान पर अंतर्राष्ट्रीय ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है, जो कि वर्तमान में उसकी कुल जीडीपी के 170 प्रतिशत तक पहुँच गया है, जो कि संभवत: किसी देश द्वारा लिया गया सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय ऋण है। इसके अलावा गरीबी और बेरोज़गारी भी मुस्तफा अदीब की सरकार के लिये बड़ी चुनौती होंगे। पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित देश लेबनान की जनसंख्या लगभग 68.5 लाख है। लेबनान के उत्तर और पूर्व में सीरिया तथा दक्षिण में इज़राइल स्थित है। लेबनान की धार्मिक और जातीय विविधता इसकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान बनाती है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद यह फ्राँस का उपनिवेश बना और वर्ष 1943 में फ्राँस से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद लेबनान लंबे समय तक गृहयुद्ध में भी जूझता रहा है।

भिवाड़ी प्रौद्योगिकी केंद्र

हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के अलवर ज़िले के भिवाड़ी में प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। इस नए प्रौद्योगिकी केंद्र में सेना और जहाज़ों के साथ-साथ उद्योगों के लिये अत्याधुनिक मशीनें बनाई जाएंगी। साथ ही यहाँ भारतीय सेना के काम आने वाले टैंक और पानी के जहाज़ों के विभिन्न हिस्से भी बनाए जाएंगे। यहाँ युवाओं को नवीन तकनीकी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें भविष्य में एक कुशल इंजीनियर बनाने का प्रयास किया जाएगा। यह केंद्र, उत्पादन में बढ़ोतरी करने, बेरोज़गारी कम करने और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। भिवाड़ी में इस प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 22 से 24 प्रतिशत है। विनिर्माण क्षेत्र की इस भूमिका को और मज़बूत करने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को पूरा करने के लिये सरकार 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित कर रही है और कुशल मानव संसाधन के लिये मौजूदा 18 केंद्रों को भी विकसित किया जा रहा है।

नूर इनायत खान

दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से जासूसी करने वाली भारतीय मूल की नूर इनायत खान (Noor Inayat Khan) को प्रतिष्ठित 'ब्लू प्लाक' (Blue Plaque) से सम्मानित किया गया है। नूर इनायत खान का जन्म वर्ष 1914 में मॉस्को में हुआ था, जिनकी माता अमेरिकी मूल की थीं जबकि उनके पिता भारतीय मूल के थे। पेरिस में पली-बढ़ी नूर इनायत खान का परिवार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1940 में जर्मनी द्वारा पेरिस पर कब्ज़ा किये जाने के बाद लंदन चले गए। लंदन में वे ब्रिटेन की सेना में शामिल हुई और कुछ ही समय पश्चात् उन्हें प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा शुरू किये गए एक गुप्त संगठन में नियुक्त किया गया, और उन्हें फ्राँस की जासूसी की ज़िम्मेदारी दी गई। इस तरह वे नाज़ियों के कब्ज़े वाले फ्राँस में अंडरकवर एजेंट के तौर पर कार्य करने वाली पहली महिला रेडियो ऑपरेटर बन गईं और उन्होंने लगभग तीन महीनों तक 'मैडेलीन' (Madeleine) कोड नाम के तहत वहाँ कार्य किया। हालाँकि कुछ समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 13 सितंबर, 1944 को ढाचू कंसंट्रेशन कैंप (Dachau concentration camp) में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। 'ब्लू प्लाक' (Blue Plaque) ब्रिटेन में एक सार्वजनिक स्थान पर स्थापित एक स्थायी संकेत होता है, जो कि उस स्थान और किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति या घटना आदि के बीच संबंध को दर्शाता है।

डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से किये गए पुन: नामांकन को स्वीकार कर लिया है। हाल ही में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में देश भर से आए पार्टी के प्रतिनिधियों ने डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस को क्रमश: राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पद के लिये पुन: नामित करने के लिये चुना था। अपने नामांकन को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इससे पहले कभी भी अमेरिकी मतदाताओं के पास दो दलों, दो दृष्टिकोण, दो नीतियों या दो एजेंडों के बीच विकल्प इतना स्पष्ट नहीं था, जैसा कि इन चुनावों में है। ध्यातव्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति पद के लिये जो बिडेन (Joe Biden) और उप-राष्ट्रपति पद के लिये भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस (Kamala Harris) को नामित किया गया है। 3 नवंबर, 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पद के चुनाव आयोजित किये जाएंगे।

AUDFs01 नक्षत्र आकाशगंगा

भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय खगोलविदों ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ब्रह्मांड की सबसे दूर की नक्षत्र आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है, जो कि अनुमानत: पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस संबंध में सूचना देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 'यह देश के लिये गर्व की बात है कि भारत की पहली मल्टी-वेवलेंथ स्पेस ऑब्ज़र्वेटरी 'एस्ट्रोसैट' (AstroSat) ने पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित AUDFs01 नाम से एक आकाशगंगा का पता लगाया है। इस आकाशगंगा की खोज पुणे स्थित इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स के डॉ. कनक साहा के नेतृत्त्व में खगोलविदों की टीम ने की है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा की गई यह महत्त्वपूर्ण खोज यह जानने में मदद करेगी कि ब्रह्मांड का डार्क युग किस प्रकार समाप्त हुआ और किस प्रकार वहाँ प्रकाश उत्पन्न हुआ। एस्ट्रोसैट (AstroSat) भारत का पहला बहु तरंग दैर्ध्य वाला उपग्रह है जिसमें पाँच अद्वितीय एक्स-रे एवं पराबैंगनी दूरबीन कार्य कर रही हैं। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा 28 सितंबर, 2015 को लॉन्च किया गया था।

राजीव कुमार

पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस (IAS) अधिकारी राजीव कुमार ने देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी राजीव कुमार पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का स्थान लेंगे। ध्यातव्य है कि आयुक्त अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank-ADB) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने से पूर्व राजीव कुमार लोक उद्यम चयन बोर्ड (PESB के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। राजीव कुमार के पास सार्वजनिक नीति और प्रशासन के क्षेत्र में 30 से भी अधिक वर्षों का अनुभव है। यदि राजीव कुमार अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों का आयोजन उन्ही के नेतृत्त्व में किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। प्रारंभ में, आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त हैं।

ग्रीन टर्म अहेड मार्केट

हाल ही में केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह ने विद्युत सेक्टर में 'ग्रीन टर्म अहेड मार्केट' (Green Term Ahead Market-GTAM) की शुरुआत की है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देगा। सरकार द्वारा शुरू की गई यह पहल देश के नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) में क्षमता वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगी। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह ने कहा कि 'इसकी शुरूआत से नवीकरणीय ऊर्जा से समृद्ध राज्यों पर बोझ कम होगा और राज्यों को अपने स्वयं के नवीकरणीय खरीद दायित्त्व (RPO) से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। ध्यातव्य है कि भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक देश में 175 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निधारित किया है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा का पूरे देश में विस्तार हो रहा है। 'ग्रीन टर्म अहेड मार्केट' (GTAM) प्लेटफॉर्म से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को नवीकरणीय ऊर्जा बेचने के लिये अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। यह हरित बिजली खरीदने के लिये पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं और संस्थाओं को एक मंच प्रदान करेगा।

मिशन कर्मयोगी

सरकार ने जनता को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से एक नए व्यापक सिविल सेवा सुधार कार्यक्रम की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी अधिकारियों के लिये 'मिशन कर्मयोगी' (Mission Karmayogi) को मंज़ूरी दी है,

इस मिशन का उद्देश्य भारत सरकार में व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रियागत स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र में बदलाव करना है। 'मिशन कर्मयोगी' का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिये तैयार करना है। विशिष्ट भूमिका-दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण-आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म (iGOT Karmayogi Platform) की स्थापना करके कार्यान्वित किया जाएगा। आईगॉट- कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भारत में दो करोड़ से भी अधिक कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिये व्यापक और अत्याधुनिक संरचना सुलभ कराएगा।

वॉटर हीरोज़ प्रतियोगिता

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर लोगों तक पहुँच बनाने के उद्देश्य से 'वॉटर हीरोज़-शेयर योर स्टोरीज़' 2.0 (Water Heroes- Share Your Stories) नाम से एक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य देश में जल संरक्षण को जनांदोलन बनाना और जल के प्रति चेतना को मज़बूत बनाना है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से पूरे भारत में जल संरक्षण से संबंधित सर्वश्रेष्ठ प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे सभी प्रयासों को एक साथ एक मंच पर लाया जा सकेगा। पुरस्कारों पर विचार के लिये प्रत्येक माह (सितंबर, 2020 से) प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाएंगी। पुरस्कार के लिये प्रत्येक माह अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर ही विचार किया जा जाएगा। प्रत्येक चयनित प्रविष्टि (Entry) को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिये प्रतिभागियों को जल संरक्षण के क्षेत्र में अपनी सफलता की कहानी बतानी होगी, जिसमें जल संरक्षण, जल उपयोग और जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन के क्षेत्र में उनके द्वारा किये गए प्रयास/महत्त्वपूर्ण योगदान/सर्वोत्तम प्रथाओं आदि पर लगभग 300 शब्दों का एक लेख, चित्र और एक से पाँच मिनट की एक वीडियो शामिल हैं। जल शक्ति मंत्रालय की यह प्रतियोगिता 31 अगस्त, 2021 को समाप्त हो जाएगी।

भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू-विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये खान मंत्रालय (Ministry of Mines) के तहत भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) तथा फिनलैंड के रोज़गार और आर्थिक मंत्रालय के तहत फिनलैंड भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दी है। यह समझौता ज्ञापन भू-विज्ञान, प्रशिक्षण, खनिज पूर्वानुमान और उपयुक्तता विश्लेषण, 3D और 4D मॉडलिंग, भूकंपीय एवं अन्य भू-भौतिकीय सर्वेक्षणों आदि क्षेत्रों में दोनों संगठनों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को मज़बूत करने में मदद करेगा। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य परस्पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ के लिये प्रतिभागियों के बीच भू-विज्ञान एवं खनिज संसाधन के क्षेत्रों में अन्वेषण तथा खनन को बढ़ावा देने, भू-वैज्ञानिक डेटा प्रबंधन और सूचना प्रसार पर अनुभव साझा करने हेतु एक फ्रेमवर्क (Framework) और एक मंच प्रदान करना है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) भारत सरकार का एक प्रमुख भू-वैज्ञानिक संगठन है, जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक संबंधी सूचना जारी करना तथा उन्हें अघतन करना और खनिज संसाधनों का मूल्यांकन करना है। यह भारत सरकार के खनन मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

शेखर गवली

01 सितंबर, 2020 को पूर्व रणजी खिलाड़ी और महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के फिटनेस कोच शेखर गवली (Shekhar Gawali) का नासिक ज़िले के इगतपुरी हिल स्टेशन में ट्रैकिंग के दौरान 45 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। शेखर गवली का जन्म 6 अगस्त, 1975 को महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में हुआ था। 45 वर्षीय शेखर गवली ने 1990 के दशक के अंत में और 2000 के दशक के शुरुआती दिनों में महाराष्ट्र के लिये प्रथम श्रेणी में दो मैच खेले थे। शेखर गवली दाएं हाथ के बल्लेबाज और लेगस्पिनर (Legspinner) थे। वर्तमान में शेखर गवली महाराष्ट्र अंडर-23 टीम के लिये फिटनेस कोच के रूप में कार्य कर रहे थे और पिछले सीज़न में सीनियर टीम के साथ भी फिटनेस कोच की ही भूमिका में कार्य किया था।

सुमित नागल

भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल (Sumit Nagal) ने यूएस ओपन- 2020 (US Open) में शानदार जीत हासिल कर पुरुषों के एकल मुकाबले के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। ध्यातव्य है कि सुमित नागल ने अपने कैरियर में पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई है। 7 वर्ष बाद यह पहला मौका है जब किसी भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी ने यूएस ओपन (US Open) में कोई मैच जीता है, इससे पूर्व वर्ष 2013 में सोमदेव देववर्मन ने यह उपलब्धि हासिल की थी। यूएस ओपन चार ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है, अन्य तीन ग्रैंड स्लैम- फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हैं। ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन (ITF) द्वारा संचालित किया जाता हैं।

नोट :

असम धरोहर विधेयक

हाल ही में असम विधानसभा ने मानसून सत्र के समापन दिवस पर राज्य की ऐसी मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिये एक विधेयक पारित किया है, जो कि वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि असम (मूर्त) धरोहर सुरक्षा, संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव विधेयक, 2020 का पारित होना वर्ष 1985 के असम समझौते के खंड 6 को लागू करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस विधेयक में संग्रहालय वस्तुओं (Museum Objects) जैसे सिक्के, मूर्तियों, पांडुलिपियों, पुरालेखों या कला और शिल्प कौशल के अन्य कार्य और स्वदेशी लोगों की सभी सांस्कृतिक कलाकृतियों को शामिल किया गया है। यह विधेयक असम की मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण, रखरखाव और जीर्णोद्धार का प्रयास करता है। अधिनियम में उन सभी धरोहरों को शामिल किया जाएगा जो कम-से-कम 75 वर्ष से अस्तित्त्व में हैं। इस विधेयक के तहत उन धरोहर स्थलों को शामिल नहीं किया जाएगा, जिन्हें संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के रूप में घोषित किया गया है अथवा जिन्हें असम प्राचीन स्मारक और अभिलेख अधिनियम, 1959 के तहत कवर किया गया है। असम समझौते की धारा-6 में असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान और धरोहर के संरक्षण तथा उसे बढ़ावा देने के लिये उचित संवैधानिक, विधायी तथा प्रशासनिक उपाय करने का प्रावधान है।

जम्मू-कश्मीर जैव विविधता परिषद

हाल ही में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में जैविक घटकों के संरक्षण और उसके घटकों के सतत् उपयोग के लिये 10 सदस्यीय परिषद का गठन किया। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, राज्य के प्रधान महा वनसंरक्षक (Principal Chief Conservator of Forests) इस 10 सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष होंगे, साथ ही इस पैनल में पाँच गैर-सरकारी सदस्य भी शामिल होंगे। वहीं जम्मू-कश्मीर के वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक इस परिषद के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। अधिसूचना के अनुसार परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि का होगा। प्रदेश के वित्त विभाग की सहमति से यह एक कोष का गठन करेगी, जिसे 'जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद कोष' (Jammu and Kashmir Biodiversity Council Fund) के रूप में जाना जाएगा और इसमें सभी शुल्क, प्रभार और परिषद द्वारा प्राप्त लाभ राशि डाली जाएगी। यह परिषद राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से, जैव विविधता से संबंधित मुद्दों में अनुमोदन प्राप्त करने के लिये प्रारूप और प्रक्रियाओं को सूचित करेगा।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिज़र्व

असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (Kaziranga National Park) में 3,000 हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त भूमि शामिल करने को मंज़ूरी दी है। ध्यातव्य है कि यह बेहतर वन्यजीव संरक्षण और भविष्य में मानव तथा वन्यजीवों के बीच संघर्ष की स्थिति को कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। अतिरिक्त भूमि शामिल होने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 914 वर्ग किमी हो जाएगा। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2016 में 195 वर्ग किमी. भूमि शामिल की गई थी, जिससे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ा गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। उद्यान में लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय (Water Bodies) हैं, इसके अलावा डिफ्होलू नदी (Dipholu River) इसके मध्य से बहती है। काजीरंगा में संरक्षण प्रयासों का अधिकांश ध्यान 'बड़ी चार' प्रजातियों- राइनो (Rhino), हाथी (Elephant), रॉयल बंगाल टाइगर (Royal Bengal Tiger) और एशियाई जल भैंस (Asiatic Water Buffalo) पर केंद्रित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व में लुप्तप्राय एक सींग वाले गैंडों का सबसे बड़ा निवास स्थान है। उद्यान में लगभग 2,400 गैंडे और 121 बाघ हैं।

बांग्लादेश को त्रिपुरा से जोड़ता नया जलमार्ग

त्रिपुरा और बांग्लादेश को अंतर-देशीय जलमार्ग से जोड़ने के लिये बांग्लादेश के दाउदकंडी से त्रिपुरा के सोनमुरा तक ट्रायल रन की शुरुआत हो गई है। इस ट्रायल के हिस्से के रूप में बांग्लादेश के दाउदकंडी से एक जहाज़ त्रिपुरा के सोनमुरा के लिये रवाना हुआ है, जो कि 93 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए अनुमानत: 5 सितंबर तक भारत पहुँचेगा। इस जलमार्ग के शुरू होने से पूर्वोत्तर के राज्यों को खासा फायदा मिलेगा और भारत तथा बांग्लादेश के बीच कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी। मौजूदा कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के दौर में अंतर-देशीय जलमार्ग के माध्यम से उन्नत कनेक्टिविटी दोनों देशों (भारत-बांग्लादेश) के व्यापारियों और व्यापारिक समुदायों के लिये परिवहन का एक किफायती, तेज़, सुरक्षित और स्वच्छ माध्यम प्रदान करेगी।

नोट :

शिक्षक दिवस

राष्ट्र के योगदान में शिक्षकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति और शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर, 1888 को तमिलनाडु के तिरुट्टनी में हुआ था और वे वर्ष 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने थे और वे वर्ष 1967 तक इस पद पर रहे थे। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक शिक्षक के साथ-साथ एक प्रसिद्ध दार्शनिक और राजनेता के रूप में भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिये कुल 16 बार और नोबेल शांति पुरस्कार के लिये कुल 11 बार नामांकित किया गया था। 16 अप्रैल, 1975 को चेन्नई में उनकी मृत्यु हो गई। इस अवसर पर विद्यार्थी अपने-अपने तरीके से शिक्षकों के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करते हैं। ध्यातव्य है कि विश्व शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्तूबर को मनाया जाता है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 20वीं सदी के महानतम विचारकों में से एक होने के साथ-साथ भारतीय समाज में पश्चिमी दर्शन को प्रस्तुत करने के लिये भी याद किया जाता है।

'फ्यूचर बिज़नेस ग्रुप' पहल

हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry-CII) ने गत कुछ वर्षों में शुरू हुए व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'फ्यूचर बिज़नेस ग्रुप' नाम से एक पहल शुरू की है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) के साथ मिलकर भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) इस पहल के हिस्से के रूप में 'भविष्य के व्यवसायों के लिये राष्ट्रीय रणनीति' का निर्णय करेगा। नए व्यवसायों की सहायता करने के लिये इस पहल के तहत उन्हें नीतिगत इनपुट प्रदान किया जाएगा, उनके लिये नए विकास खंडों की पहचान की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी स्थापित की जाएगी। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) सलाहकार और परामर्श संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास, उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के बीच साझेदारी के लिये अनुकूल वातावरण बनाने का काम करता है। CII एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योगों को नेतृत्व प्रदान करने वाला और उद्योग-प्रबंधित संगठन है जो भारत की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

बांग्लादेश की हिंदू विधवा महिलाओं को पति की संपत्ति में अधिकार

बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में हिंदू विधवाओं का अपने मृत पति की कृषि और गैर-कृषि भूमि दोनों पर अधिकार होगा। बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने कहा कि चूँकि कृषि और गैर-कृषि भूमि कोई अंतर नहीं है, इसलिये हिंदू विधवा महिलाओं को अपने पति की हर तरह की भूमि पर पूरा अधिकार है। वर्तमान नियमों के अनुसार, बांग्लादेश में हिंदू विधवा महिलाओं को अपने मृत जीवनसाथी की वास भूमि (Homestead property) में ही हिस्सा मिलता है, इसके अलावा उन्हें किसी अन्य संपत्ति जैसे गैर-कृषि योग्य भूमि आदि प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही हिंदू महिलाओं को अपने जीवनकाल में इस प्रकार की संपत्ति को बेचने का भी अधिकार प्राप्त होगा।

विमानन कंपनियों को 60 प्रतिशत घरेलू उड़ानों की मंज़ूरी

कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर लागू किये गए प्रतिबंधों को आसान करते हुए सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को 60 प्रतिशत घरेलू उड़ानों की मंज़ूरी दे दी है। उम्मीद है कि सरकार के इस निर्णय से भारतीय विमानन कंपनियों के राजस्व में कुछ बढ़ोतरी होगी और विमानन क्षेत्र को संकट से बचाया जा सकेगा। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व 26 जून, 2020 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को 45 प्रतिशत घरेलू उड़ानों को संचालित करने की अनुमति दी थी। वहीं दूसरी ओर महामारी के कारण 23 मार्च से देश में सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरह से निलंबित हैं। हालाँकि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'वंदे भारत मिशन' (Vande Bharat Mission) के तहत अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जा रहा है, वहीं भारत सरकार ने जुलाई के बाद से कई देशों के साथ 'एयर बबल' शुरू करने के लिये समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।

स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोनस्ट्रेटर व्हीकल

ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षण रेंज में हाइपरसोनिक तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करना वाला चौथा देश बन गया है। गौरतलब है कि यह स्वदेशी तकनीक ध्वनि की गति से छह गुना तेज़ रफ्तार से यात्रा करने वाली मिसाइलों के विकास की ओर मार्ग प्रशस्त करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित हाइपरसोनिक

टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल (HSTDV) मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। भविष्य की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिये उपयोग होने के अलावा इस प्रौद्योगिकी के कई अन्य अनुप्रयोग भी हैं। इसका उपयोग कम लागत पर उपग्रहों को लॉन्च करने के उद्देश्य से भी किया जा सकता है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोनट्रेटर व्हीकल (HSTDV) के सफल परीक्षण के लिये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई देते हुए बताया कि इस व्हीकल में स्वदेश में विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है।

इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई

07 सितंबर, 2020 को पहली बार विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई (International Day of Clean Air for Blue Skies) का आयोजन किया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों यथा- व्यक्ति, समुदाय, निगम और सरकार आदि पर इस संबंध में जन जागरूकता बढ़ाना है कि स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है। साथ ही इस दिवस का उद्देश्य वायु गुणवत्ता जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर कार्य करने वाले विविध अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ लाने के लिये एक रणनीतिक गठबंधन तैयार करना भी है, ताकि प्रभावी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों को गति मिल सके। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर, 2019 को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई आयोजित करने का संकल्प अपनाया था।

खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन

सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्र सरकार ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन (Khadi Agarbatti Aatmanirbhar Mission) के विस्तार की योजना बनाई है। गौरतलब है कि इसी वर्ष 30 जुलाई को लागू हुए इस कार्यक्रम में अब तक केवल निजी अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से कारीगरों को स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा था, किंतु अब इस मिशन के तहत अगरबत्ती उत्पादन के अन्य पक्षों जैसे इनपुट और कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने आदि पर भी ध्यान दिया जाएगा। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन (KAAM) के रूप में नामित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में बेरोज़गार और प्रवासी श्रमिकों के लिये रोज़गार पैदा करना है, साथ ही इससे घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन (KAAM) कार्यक्रम को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत डिज़ाइन किया है। आँकड़ों के अनुसार, देश में अगरबत्ती की वर्तमान खपत लगभग 1,490 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। फिर भी भारत में अगरबत्ती का उत्पादन प्रतिदिन सिर्फ 760 मीट्रिक टन ही होता है। मांग और पूर्ति के बीच के इस अंतर को चीन तथा वियतनाम से आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।

जॉनी बक्शी

05 सितंबर, 2020 को दिग्गज फिल्म निर्माता जॉनी बक्शी (Johnny Bakshi) का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जॉनी बख्शी ने मुख्य रूप से फिल्मों का निर्माण किया और उन्हें रावण (1984), फिर तेरी कहानी याद आई (1993) तथा मंज़िलें और भी हैं (1974) जैसी फिल्मों के लिये एक निर्माता के तौर पर उनकी भूमिका को याद किया जाता है। निर्देशक के तौर पर उन्होंने कुल दो फिल्मों- वर्ष 1992 की डाकू और पुलिस तथा वर्ष 1994 की खुदाई, में कार्य किया। वर्ष 1938 में जन्मे जॉनी बक्शी ने हार-जीत (1990) और पापा कहते हैं (1996) जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया किया था, हालाँकि अभिनय के क्षेत्र में उन्हें इतनी सफलता नहीं मिल सकी जितनी उन्हें एक फिल्मी निर्माता के तौर पर मिली।

भूपेन हजारिका

08 सितंबर, 2020 को गृहमंत्री अमित शाह ने प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि असम के संगीत सम्राट भूपेन हजारिका ने अपनी रचनाओं से लाखों लोगों के जीवन को समृद्ध किया है। भूपेन हजारिका को एक महान गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि और फिल्मकार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा वे असम की संस्कृति तथा संगीत के भी काफी अच्छे जानकार थे। भूपेन हजारिका का जन्म वर्ष 1926 में असम के तिनसुकिया (Tinsukia) ज़िले के छोटे शहर सादिया (Sadiya) में हुआ था। वर्ष 1942 में गुवाहाटी से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद भूपेन हजारिका वाराणसी चले गए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। भूपेन हजारिका आदिवासी संगीत से काफी ज़्यादा प्रभावित थे। वर्ष 1939 में ही मात्र 12 वर्ष की उम्र में भूपेन हजारिका ने असमिया फिल्म इंद्रमालती के लिये पहला गाना गया था। भूपेन हजारिका केवल असमिया संगीत तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने

कई बंगाली और हिंदी फिल्मों के लिये भी रचना, लेखन और गायन का कार्य किया। भूपेन हजारिका को वर्ष 1976 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि उन्हें वर्ष 1977 में पद्मश्री और वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्ष 1999-2004 तक संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य किया। भूपेन हजारिका को वर्ष 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।

पीवी नरसिम्हा राव

हाल ही में तेलंगाना विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव (PV Narashima Rao) को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। साथ ही प्रस्ताव के माध्यम से हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर उनके नाम पर रखने की भी मांग की गई है। पीवी नरसिम्हा राव यानी पामुलापति वेंकट नरसिंह राव का जन्म 28 जून, 1921 को तत्कालीन आंध्रप्रदेश के करीमनगर ज़िले के एक गाँव में हुआ था, जो कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य का एक क्षेत्र है। नरसिम्हा राव को उनके अभूतपूर्व भाषाई कौशल के लिये भी जाना जाता था, उन्हें 10 भारतीय भाषाओं के साथ-साथ 6 विदेशी भाषाओं में महारत हासिल थी। स्वतंत्रता के पश्चात् नरसिम्हा राव आधिकारिक तौर पर कॉन्ग्रेस में शामिल हुए और वर्ष 1971 से वर्ष 1973 तक तत्कालीन आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी संभाली। वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बने और उन्होंने वर्ष 1996 तक देश के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। पीवी नरसिम्हा राव का 9 दिसंबर, 2004 को हार्टअटैक के कारण निधन हो गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के लिये ऋण समझौता

भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिये 82 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जो कि राज्य में सड़क नेटवर्क की स्थिति, सुरक्षा और इंजीनियरिंग मानकों में सुधार लाने के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा संस्थानों को सुदृढ़ बनाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना, जलवायु एवं आपदा की दृष्टि से लचीली सड़कों का निर्माण करने, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन गलियारों के साथ सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और बेहतर प्रदर्शन करने वाली सड़कें सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी एक कॉरपोरेट इकाई का सृजन करने के लिये सरकार की पहल का समर्थन करेगी। इस परियोजना की मुख्य बात यह है कि इसके तहत एक-तिहाई रखरखाव अनुबंध महिला केंद्रित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को दिये जाएंगे। एक पर्वतीय राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश को प्राय: भूस्खलनों तथा अचानक आने वाली बाढ़ों का सामना करना पड़ता है जो यहाँ के सड़क संपर्क को प्रभावित करते हैं।

विज्ञापन दिशा-निर्देशों का मसौदा

केंद्र सरकार ने विज्ञापनों के संबंध में दिशा-निर्देशों का एक व्यापक मसौदा जारी किया है, जिसके तहत आसानी से न दिखने वाले या सामान्य उपभोक्ताओं के लिये अपेक्षाकृत कठिन डिस्क्लेमर्स (Disclaimers) अथवा अस्वीकरण या खंडन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी विज्ञापन का डिस्क्लेमर स्पष्ट और पढ़ने योग्य होना चाहिये। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों को नवगठित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। इस मसौदे के तहत जारी किये गए नियम उन कंपनियों पर लागू होंगे जिनके उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन किया जा रहा है। साथ ही ये नियम विज्ञापन करने वाली कंपनियों और उत्पादों के प्रचार करने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। मसौदा दिशा-निर्देश के अनुसार, जो लोग व्यक्तिगत ट्वीट, ब्लॉग, पोस्ट और अन्य माध्यमों से किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार करते हैं उन्हें उस उत्पाद अथवा सेवा के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है।

भूपेन हजारिका

08 सितंबर, 2020 को गृहमंत्री अमित शाह ने प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि असम के संगीत सम्राट भूपेन हजारिका ने अपनी रचनाओं से लाखों लोगों के जीवन को समृद्ध किया है। भूपेन हजारिका को एक महान गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि और फिल्मकार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा वे असम की संस्कृति तथा संगीत के भी काफी अच्छे जानकार थे। भूपेन हजारिका का जन्म वर्ष 1926 में असम के तिनसुकिया (Tinsukia) ज़िले के छोटे शहर सादिया (Sadiya) में हुआ था। वर्ष 1942 में गुवाहाटी से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद भूपेन हजारिका वाराणसी चले गए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। भूपेन हजारिका आदिवासी संगीत से काफी ज़्यादा प्रभावित थे। वर्ष 1939 में ही मात्र 12 वर्ष की उम्र में भूपेन

हजारिका ने असमिया फिल्म इंद्रमालती के लिये पहला गाना गया था। भूपेन हजारिका केवल असमिया संगीत तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई बंगाली और हिंदी फिल्मों के लिये भी रचना, लेखन और गायन का कार्य किया। भूपेन हजारिका को वर्ष 1976 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि उन्हें वर्ष 1977 में पद्मश्री और वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्ष 1999-2004 तक संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य किया। भूपेन हजारिका को वर्ष 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।

पीवी नरसिम्हा राव

हाल ही में तेलंगाना विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव (PV Narashima Rao) को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। साथ ही प्रस्ताव के माध्यम से हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर उनके नाम पर रखने की भी मांग की गई है। पीवी नरसिम्हा राव यानी पामुलापति वेंकट नरसिंह राव का जन्म 28 जून, 1921 को तत्कालीन आंध्रप्रदेश के करीमनगर ज़िले के एक गाँव में हुआ था, जो कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य का एक क्षेत्र है। नरसिम्हा राव को उनके अभूतपूर्व भाषाई कौशल के लिये भी जाना जाता था, उन्हें 10 भारतीय भाषाओं के साथ-साथ 6 विदेशी भाषाओं में महारत हासिल थी। स्वतंत्रता के पश्चात् नरसिम्हा राव आधिकारिक तौर पर कॉन्ग्रेस में शामिल हुए और वर्ष 1971 से वर्ष 1973 तक तत्कालीन आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी संभाली। वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बने और उन्होंने वर्ष 1996 तक देश के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। पीवी नरसिम्हा राव का 9 दिसंबर, 2004 को हार्टअटैक के कारण निधन हो गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रुपांतरण परियोजना के लिये ऋण समझौता

भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिये 82 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जो कि राज्य में सड़क नेटवर्क की स्थिति, सुरक्षा और इंजीनियरिंग मानकों में सुधार लाने के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा संस्थानों को सुदृढ़ बनाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना, जलवायु एवं आपदा की दृष्टि से लचीली सड़कों का निर्माण करने, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन गलियारों के साथ सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और बेहतर प्रदर्शन करने वाली सड़कें सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी एक कॉरपोरेट इकाई का सृजन करने के लिये सरकार की पहल का समर्थन करेगी। इस परियोजना की मुख्य बात यह है कि इसके तहत एक-तिहाई रखरखाव अनुबंध महिला केंद्रित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को दिये जाएंगे। एक पर्वतीय राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश को प्राय: भूस्खलनों तथा अचानक आने वाली बाढ़ों का सामना करना पड़ता है जो यहाँ के सड़क संपर्क को प्रभावित करते हैं।

विज्ञापन दिशा-निर्देशों का मसौदा

केंद्र सरकार ने विज्ञापनों के संबंध में दिशा-निर्देशों का एक व्यापक मसौदा जारी किया है, जिसके तहत आसानी से न दिखने वाले या सामान्य उपभोक्ताओं के लिये अपेक्षाकृत कठिन डिस्क्लेमर्स (Disclaimers) अथवा अस्वीकरण या खंडन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी विज्ञापन का डिस्क्लेमर स्पष्ट और पढ़ने योग्य होना चाहिये। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों को नवगठित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। इस मसौदे के तहत जारी किये गए नियम उन कंपनियों पर लागू होंगे जिनके उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन किया जा रहा है। साथ ही ये नियम विज्ञापन करने वाली कंपनियों और उत्पादों के प्रचार करने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। मसौदा दिशा-निर्देश के अनुसार, जो लोग व्यक्तिगत ट्वीट, ब्लॉग, पोस्ट और अन्य माध्यमों से किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार करते हैं उन्हें उस उत्पाद अथवा सेवा के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है।

गोविंद स्वरूप

07 सितंबर, 2020 को देश के महान वैज्ञानिक और रेडियो खगोलशास्त्री गोविंद स्वरूप (Govind Swarup) का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वर्ष 1929 में उत्तरप्रदेश के ठाकुरद्वारा में जन्मे गोविंद स्वरूप को 'भारतीय रेडियो खगोलशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता था। उन्होंने वर्ष 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी मास्टर डिग्री और वर्ष 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट डिग्री हासिल की। वर्ष 1963 में डॉ. होमी जहाँगीर भाभा के निमंत्रण पर गोविंद स्वरूप भारत लौट आए और जल्द ही वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) में शामिल हो गए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) में उन्होंने रेडियो खगोलशास्त्रियों का एक समूह स्थापित किया,

जो कि विश्व में इस तरह का अपना पहला समूह था। वर्ष 1984 से वर्ष 1996 के दौरान गोविंद स्वरूप के निर्देशन में राष्ट्रीय खगोल भौतिकी केंद्र (National Centre for Radio Astrophysics) ने जायंट मीटर-वेव रेडियो टेलीस्कोप (Giant Metrewave Radio Telescope-GMRT) का निर्माण किया, जो कि 25 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई 30 परवलयाकर (Parabolic) रेडियो दूरबीनों (प्रत्येक दूरबीन का व्यास 45 मीटर) की एक श्रृंखला है जो सभी दिशाओं में घूम सकती हैं। यह विश्व की सबसे संवेदनशील दूरबीनों में से एक है और इसे पूरी तरह से गोविंद स्वरूप के नेतृत्त्व में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है।

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

हाल ही में मशहूर प्रकृतिवादी और प्रसारक (Broadcaster) सर डेविड एटनबरो (Sir David Attenborough) को वर्ष 2019 के लिये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 'इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार' पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर दिये जाने वाला एक प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है। इसे वर्ष 1986 से प्रत्येक वर्ष इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को प्रदान किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास सुनिश्चित करने और नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रम बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हों।

किसान रेल सेवा

09 सितंबर, 2020 को देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेलगाड़ी की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से आंध्रप्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक कृषि उत्पादों की ढुलाई की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रेलगाड़ी की शुरुआत करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में किसान रेल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही उन्होंने बागबानी को प्रोत्साहन देने के लिये शीघ्र ही किसान उड़ान कार्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की। किसान रेल का प्रयोग फल-सब्जियों, मछली-मांस और दूध जैसी जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिये किया जाएगा। किसान रेल में वातानुकूलित डिब्बे निर्मित किये गए हैं और इसके माध्यम से देश भर में मछली, मांस और दूध सहित जल्द खराब होने वाली कई खाद्य योग्य वस्तुओं को निर्बाध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाएगा। ध्यातव्य है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में किसान रेल चलाने की घोषणा की थी ताकि जल्द खराब होने वाली कृषि उपज की निर्बाध आपूर्ति की जा सके।

दिल्ली-मेरठ रीज़नल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम कॉरिडोर

अत्याधुनिक एवं हाई-स्पीड 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ रीज़नल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (Regional Rapid Transit System-RRTS) कॉरिडोर के विकास के लिये एशियाई विकास बैंक (ADB) और भारत ने 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये है। इस कॉरिडोर से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ-साथ भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आवाजाही काफी बढ़ जाएगी। 82 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से की जाएगी कि इस पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेंगी। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खाँ को उत्तर प्रदेश के मेरठ के मोदीपुरम से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर से सफर में लगने वाला समय घटकर लगभग 1 घंटा रह जाएगा, जबकि अभी इसमें 3-4 घंटे लगते हैं। ऋण की पहली किस्त का उपयोग विद्युतीकृत पटरियों, सिग्नलिंग प्रणालियों, मल्टीमोडल हब और स्टेशनों के निर्माण में किया जाएगा। इस परियोजना के तहत स्टेशन कुछ इस तरह से बनाए जाएंगे जिससे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों को सहायता मिलेगी।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो

प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) ने हाल ही में अपना 100वाँ अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है, जो कि इस मुकाम पर पहुँचने वाले इतिहास के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। विश्व के बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले 35 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल (Portugal) की ओर से स्वीडन (Sweden) के विरुद्ध खेलते हुए मुकाबले के हाफ टाइम से ठीक पहले एक शानदार फ्री किक (Free Kick) के साथ इतिहास रच दिया, वहीं उन्होंने मुकाबले के दूसरे हाफ टाइम में पुर्तगाल के लिये अपना 101वाँ गोल भी दागा। इसका मतलब है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ईरान के सेवानिवृत्त दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी अली डेई (Ali Daei) द्वारा बनाए गए 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल के सर्वकालिक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड से केवल आठ गोल पीछे हैं। रोनाल्डो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत वर्ष 2003 में कज़ाख्स्तान (Kazakhstan) के विरुद्ध खेलते हुए की थी, उस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी, वहीं उन्होंने अपना पहला गोल वर्ष 2004 में ग्रीस के विरुद्ध खेलते हुए किया था। सक्रिय खिलाड़ियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अंतर्राष्ट्रीय गोलों की सूची में भारत के सुनील छेत्री (72 गोल) और अर्जेंटीना के लियोन मेसी (Lionel Messi) का स्थान है।

नोट :

नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य- हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बीते माह 24 अगस्त को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिये शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में 40 सदस्यों के एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया था। ध्यातव्य है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंज़ूरी दी थी, जिसमें 2035 तक 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (GER) के लक्ष्य समेत उच्च शिक्षा में कई अन्य बड़े सुधार करने का प्रावधान किया गया है। करीब तीन दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंज़ूरी दी गई है। इससे पूर्व वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था।

भारतेंदु हरिश्चंद्र

09 सितंबर, 2020 को देश भर के विभिन्न हिस्सों में भारतेंदु हरिश्चंद्र की 170 वीं जयंती मनाई गई। आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर, 1850 को बनारस में हुआ था। 35 वर्ष तक हिंदी साहित्य की बहुत सेवा करने के बाद 6 जनवरी, 1885 को उनकी मृत्यु हो गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक प्रसिद्ध कवि तथा आधुनिक भारत के सर्वोच्च हिंदी लेखक, उपन्यासकार और नाटककार के रूप में जाना जाता था। हिंदी के अलावा उन्हें कई अन्य भारतीय भाषाओं जैसे- बंगाली, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी आदि का भी काफी ज्ञान था। यह माना जाता है कि उन्होंने मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही काव्य रचना शुरू कर दी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सदैव अपने नाटकों, निबंधों, कविताओं और लघु कथाओं आदि के माध्यम से भारत की गरीबी, आम लोगों की पीड़ा, मानवीय आवश्यकता और निर्भरता, क्रूर शोषण और मध्यम वर्ग के संघर्षों का प्रतिनिधित्त्व करने का प्रयास किया।

स्वनिधि संवाद

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के छोटे दुकानदारों और फेरीवालों (Street Venders) के साथ 'स्वनिधि संवाद' (Svanidhi Samvaad) के तहत बातचीत की। प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश के तीन फेरीवालों से 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (The Pradhan Mantri Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi- PM SVANidhi) या पीएम स्वनिधि के तहत मिले लाभ और लाभ प्राप्त करने में आई कठिनाइयों को लेकर बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है कि छोटे दुकानदार और फेरीवाले डिजिटल अर्थव्यवस्था में पीछे न रह जाएँ, जिसके तहत बैंक अधिकारी क्यूआर कोड प्रदान करेंगे और उन्हें इसका उपयोग करने के दिशा-निर्देश भी देंगे। ध्यातव्य है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार और फेरीवाले 10,000 रुपए तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की ज़मानत या कोलैट्रल (Collateral) की आवश्यकता भी नहीं होती है।

सी.आर. राव

पद्म विभूषण से सम्मानित और देश के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद (Statistician) प्रोफेसर काल्यमपुदी राधाकृष्ण राव या प्रोफेसर सी.आर. राव को उनके 100वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित एक ऑनलाइन संगोष्ठी में सम्मानित किया गया। सी.आर. राव का जन्म वर्ष 1920 को वर्तमान कर्नाटक में हुआ था। आंध्रप्रदेश से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात् उन्होंने वर्ष 1943 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता विश्विद्यालय से सांख्यिकी में मास्टर की डिग्री हासिल की थी। 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने से पूर्व सी.आर. राव ने वर्ष 1931 में स्थापित भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute-ISI) में कार्य किया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) में कार्य करते हुए सी.आर. राव को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा गया जहाँ उन्होंने तकरीबन दो वर्ष (1946–48) तक शोध कार्य किया। इसी दौरान वर्ष 1948 में सी.आर. राव ने गणितीय सांख्यिकी के प्रसिद्ध विद्वान सर रोनाल्ड ए. फिशर के मार्गदर्शन में पीएचडी (Ph.D) की डिग्री हासिल की। भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) से सेवानिवृत्त होने के बाद वे अमेरिका चले गए और वहाँ पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर कार्य किया।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

वरिष्ठ कलाकार परेश रावल को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (National School of Drama-NSD) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में घोषणा करते हुए केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह ने कहा कि 'परेश रावल की प्रतिभा का लाभ देश के कलाकारों एवं छात्रों को अवश्य मिलेगा।' ध्यातव्य है कि परेश रावल ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत वर्ष 1982 में एक गुजराती फिल्म से की थी।

नोट :

परेश रावल उन कुछ चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं, जो फिल्मी दुनिया में सफलता हासिल करने के बाद भी थिएटर में काफी सक्रिय रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) विश्व के अग्रणी नाट्य प्रशिक्षण संस्थाओं में से एक और भारत में अपनी तरह का एक मात्र संस्थान है। इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी (Sangeet Natak Akademi) द्वारा उसकी एक इकाई के रूप में वर्ष 1959 में की गई। वर्ष 1975 में यह एक स्वतंत्र संस्था बनी और वर्तमान में यह संस्था संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित एक शिक्षण संस्थान के रूप में कार्य कर रही है।

धरोहर पर्यटन नीति

गुजरात सरकार ने राज्य की पहली धरोहर पर्यटन नीति (Heritage Tourism Policy) की घोषणा की है। राज्य की इस नई धरोहर पर्यटन नीति में राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आगंतुकों हेतु प्राचीन महलों, किलों और अन्य विरासत स्मारकों को खोलने का प्रावधान किया गया है। नई नीति के मुताबिक वर्ष 1950 से पूर्व की सभी ऐतिहासिक इमारतों को धरोहर होटलों, धरोहर म्यूज़ियम और धरोहर रेस्टोरेंट के रूप में इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का प्रावधान है। यह नीति न केवल राज्य में आने वाले पर्यटकों को राज्य के ऐतिहासिक स्मारकों में ठहरने और उनका अनुभव लेने का अवसर प्रदान करेगी, बल्कि यह स्थानीय रोज़गार और राज्य पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी। इस नीति के अंतर्गत व्यवसायिक गतिविधियों से राज्य की धरोहर इमारतों को किसी तरह का नुकसान न हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। इस निर्णय से राज्य में ऐतिहासिक इमारतों को पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित करने में काफी मदद मिलेगी। इस नीति के तहत राज्य सरकार मौजूदा और नए होटलों के रख-रखाव तथा विस्तार के लिये पाँच से दस करोड़ रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी।

चीन के छात्रों का वीज़ा रद्द

अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए चीन के 1,000 से अधिक छात्रों और शोधकर्त्ताओं का वीज़ा रद्द कर दिया है। इस संबंध में जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, अमेरिका द्वारा वीज़ा रद्द करने की इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य अमेरिका की प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा और सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस निर्णय के संबंध में चीन ने अमेरिका पर नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाया है। आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2018-19 में चीन के तकरीबन 370,000 छात्रों ने अमेरिका के अलग-अलग विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया था। इस प्रकार अमेरिका द्वारा जिन छात्रों का वीज़ा रद्द किया गया है, वे अमेरिका में चीन की छात्र आबादी का बहुत ही छोटा सा हिस्सा हैं। ध्यातव्य है कि शिक्षा अमेरिका-चीन संघर्ष के लिये एक नए क्षेत्र के रूप में सामने आ रहा है। इसके अलावा बीते कुछ वर्षों में उद्योग विकास एवं तकनीक के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के मध्य तनाव में काफी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है।

डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक तथा समस्या मुक्त बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ (Doorstep Banking Services) शुरू की हैं। इस पहल की शुरुआत से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ और दिव्यांग ग्राहकों को लाभ होने की उम्मीद है। बैंकिंग सुधार के एक हिस्से के रूप में डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या मोबाइल एप आदि के माध्यम से ग्राहकों को उनके दरवाज़े पर तमाम तरह की बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। ध्यातव्य है कि वर्तमान में केवल गैर-वित्तीय जैसे- चेक प्राप्त करना, डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर प्राप्त करने जैसी सेवाएँ ही ग्राहकों को घर बैठे उपलब्ध हो पाती हैं, किंतु नए सुधारों के तहत अब बैंक की वित्तीय सेवाएँ भी अक्तूबर, 2020 से घर बैठे उपलब्ध हो जाएंगी। प्रारंभ में डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिये ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जो कि बैंक जाने असमर्थ है। देश भर में 100 केंद्रों पर चयनित सेवा प्रदाताओं द्वारा नियुक्त डोरस्टेप बैंकिंग एजेंटों द्वारा ये सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

12 सितंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मध्यप्रदेश में बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है। इस संबंध में ऑनलाइन माध्यम से 'गृह प्रवेश' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब गरीबों की आय और ग्रामीणों का विश्वास बढ़ेगा, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प और भी अधिक मज़बूत होगा। पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (IAY) को वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के रूप में पुनर्गठित किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन ग्रामीणों और

कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण घर में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है। इस योजना के तहत घर बनाने की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 60:40 और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है।

डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते में मध्यस्थता में उनकी भूमिका के लिये नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिये नामित किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिये डोनाल्ड ट्रंप का नामांकन नॉर्वे के राजनेता क्रिश्चियन टाइब्रिंग-गजेड (Christian Tybring-Gjedde) द्वारा किया गया है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व भी वर्ष 2018 में टाइब्रिंग-गजेड ने डोनाल्ड ट्रंप को उत्तर और दक्षिण कोरिया में सामंजस्य स्थापित करने के उनके प्रयासों के लिये नोबेल शांति पुरस्कार हेतु नामित किया था। नियमों के अनुसार, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, विदेशी नीति संस्थानों के निदेशक, नोबेल पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्त्ता और नॉर्वेजियन नोबेल समिति के सदस्य नोबेल शांति पुरस्कार के लिये नामांकन प्रस्तुत करने हेतु योग्य लोगों में से हैं।

बैंकों के लिये मुख्य अनुपालन अधिकारी

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) की अध्यक्षता में स्वतंत्र कॉर्पोरेट अनुपालन तंत्र की स्थापना करने के निर्देश दिये हैं, जो कि जो प्रभावी ढंग से अनुपालन जोखिम के प्रबंधन का कार्य करेगा। रिज़र्व बैंक द्वारा दिये निर्देश के अनुसार, बैंक द्वारा मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) की नियुक्ति कम-से-कम तीन वर्ष की अवधि के स्थायी कार्यकाल के लिये की जाएगी। मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) को केवल असाधारण परिस्थितियों में पूर्व-निर्धारित और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करके ही स्थानांतरित अथवा अपदस्थ किया जा सकता है। यदि किसी बैंक ने पहले से ही मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) की नियुक्ति कर रखी है तो उन्हें आगामी छह माह के भीतर नए नियमों के तहत अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और यदि उन बैंकों का वर्तमान अधिकारी सभी मापदंडों को पूरा करता है तो उसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

रघुवंश प्रसाद सिंह

13 सितंबर, 2020 को पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वर्ष 2004 और वर्ष 2009 के बीच ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में रघुवंश प्रसाद सिंह ने भारत सरकार की महत्त्वकांक्षी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा (MGNREGA) की सफलता के पीछे महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। रघुवंश प्रसाद सिंह का जन्म 06 जन्म, 1946 को बिहार के वैशाली ज़िले में हुआ था। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत वर्ष 1973-77 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (SSP) में सचिव के तौर पर की थी, जिसके बाद वर्ष 1977 में वे बिहार विधानसभा के सदस्य बने और उन्होंने अपने राजनैतिक कैरियर के दौरान कई बार बेलसंड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1996 में लोकसभा में अपने राजनैतिक कैरियर की शुरुआत करने से पूर्व उन्होंने बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य किया। वे वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुए और उन्हें केंद्रीय पशुपालन और डेयरी उद्योग राज्यमंत्री बनाया गया। ध्यातव्य है कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने पाँचवीं बार जीत दर्ज की थी।

नाओमी ओसाका

जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका (Naomi Osaka) ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एज़ारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। 22 वर्षीय नाओमी ओसाका इस ऐतिहासिक जीत के साथ विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुँच गई हैं। नाओमी ओसाका पहली एशियाई खिलाड़ी (पुरुष अथवा महिला) बन गई हैं जिन्होंने तीन ग्रैंड स्लैम अपने नाम किये हैं। यूएस ओपन चार ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है, अन्य तीन ग्रैंड स्लैम- फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हैं। ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन (ITF) द्वारा संचालित किया जाता हैं।

कल्पना चावला

अमेरिका की एयरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुम्मन (Northrop Grumman) ने अपने एक वाणिज्यिक कार्गो अंतरिक्ष यान का नाम नासा (NASA) की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला (Kalpana Chawla) के नाम पर रखने की घोषणा की है। ध्यातव्य है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला के रूप में कल्पना चावला का इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च, 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिकी इंजीनियरिंग

नोट :

में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद वे अपनी आगे की पढाई के लिये अमेरिका चली गईं। वर्ष 1984 में उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की और वर्ष 1988 मे अमेरिका के कोलोराडो विश्वविद्यालय से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही पीएचडी (PhD) डिग्री हासिल की। इसके बाद एक शोधकर्त्ता के रूप में उन्होंने वर्ष 1988 में नासा (NASA) के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। अप्रैल 1991 में अमेरिकी नागरिक बनने के पश्चात् उन्हें वर्ष 1994 में नासा (NASA) में बतौर अंतरिक्ष यात्री (Astronauts) चुन लिया गया। नवंबर 1996 में उन्हें अंतरिक्ष शटल मिशन STS-87 में मिशन विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके साथ ही वे अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। वर्ष 2001 में कल्पना चावला को अंतरिक्ष शटल मिशन STS-107 के चालक दल का सदस्य बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कल्पना चावला की मृत्यु हो गई।

योशीहिदे सुगा

योशीहिदे सुगा को जापान के सत्तारूढ़ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी के रूप में योशीहिदे सुगा को 377 वोट मिले हैं। ध्यातव्य है कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने बीते माह स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा देने की घोषणा की थी। योशीहिदे सुगा वर्तमान में शिंजो आबे की सरकार में मुख्य कैबिनेट सचिव के तौर पर कार्य कर रहे हैं। योशीहिदे सुगा स्वयं को एक सुधारवादी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिन्होंने नौकरशाही की क्षेत्रीय बाधाओं को तोड़कर नीतियों को लागू करने में सफलता हासिल की है। अपने राजनीतिक कौशल की तुलना में योशीहिदे सुगा ने काफी कम विदेश यात्राएँ की हैं, जिसके कारण उनका राजनयिक कौशल अभी स्पष्ट नहीं है, हालाँकि उम्मीद के अनुसार, वे भी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की प्राथमिकताओं के मुताबिक ही कार्य करेंगे। कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी और आर्थिक गिरावट के अलावा, योशीहिदे सुगा को चीन सहित कई अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा।

बिहार में सात परियोजनाओं का शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में 541 करोड़ रुपए की सात शहरी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इन सात परियोजनाओं में से चार जल आपूर्ति, दो सीवेज उपचार और एक रिवरफ्रंट डवलपमेंट से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य शहरी विकास और आवास विभाग के तहत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (BUIDCO) द्वारा किया जाएगा। ध्यातव्य है कि पटना नगर निगम के तहत आने वाले बेउर और कर्मलीचक में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्थापित किये गए हैं। साथ ही सीवान नगर परिषद (Municipal Council Siwan) और छपरा नगर निगम में अमृत मिशन (AMRUT) के तहत शुरू की गई जलापूर्ति परियोजनाओं से स्थानीय निवासियों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बनाई गई मुजफ्फरपुर रिवरफ्रंट डवलपमेंट स्कीम का शिलान्यास भी किया है।

प्याज़ के निर्यात पर प्रतिबंध

हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से प्याज़ की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिये हैं। ध्यातव्य है कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में अब तक 328 मिलियन डॉलर मूल्य के ताजे प्याज़ (Fresh Onions) और 112.3 मिलियन डॉलर के सूखे प्याज़ (Dried Onions) का निर्यात किया है। इस वर्ष अप्रैल-जुलाई की अवधि में बांग्लादेश को होने वाले प्याज के निर्यात में 158 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह प्रतिबंध ऐसे समय में अधिरोपित किये गए हैं जब इस वर्ष अगस्त माह में प्याज के थोक और खुदरा मूल्य क्रमश: 35 प्रतिशत और 4 प्रतिशत गिर गए थे। इस अवधि के दौरान राजधानी दिल्ली में प्याज का खुदरा मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुँच गया था।

ग्रेफीन मास्क

हाल ही में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉन्गकॉन्ग ने जीवाणुरोधी क्षमता वाला एक ग्रेफीन मास्क (Graphene Masks) विकसित किया है, जो कि तकरीबन 80 प्रतिशत जीवाणुओं को समाप्त कर सकता है। शोध के मुताबिक यदि इस ग्रेफीन मास्क को 10 मिनट के लिये सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह 100 प्रतिशत जीवाणुओं को समाप्त कर सकता है। शोधकर्त्ताओं के मुताबिक यह ग्रेफीन मास्क काफी आसानी से और कम लागत पर उत्पादित किया जा सकता है, और यह गैर-बायोडिग्रेडेबल मास्क के प्रबंधन की समस्या को समाप्त करने में मदद कर सकता

है। कोरोना वायरस की दो प्रजातियों पर किये गए प्रारंभिक परीक्षणों में ग्राफीन मास्क ने तकरीबन पाँच मिनट में 90 प्रतिशत से अधिक वायरस और 10 मिनट में लगभग 100 प्रतिशत वायरस को निष्क्रिय कर दिया। ग्रेफीन (Graphene) कार्बन परमाणुओं की एक एकल परत होती है, जो कि तकरीबन एक परमाणु जितना मोटा होता है। इसे ग्रेफाइट का बिल्डिंग-ब्लॉक माना जाता है।

अभियंता दिवस

देश भर में प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस (Engineer's Day) के रूप में मनाया जाता है। भारत में यह दिवस देश के सुप्रसिद्ध इंजीनियर और भारत रत्न से सम्मानित डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस वर्ष उनकी 160वीं जयंती मनाई जा रही है। डॉ. एम. विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर, 1861 को कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में एक तलुगु परिवार में हुआ था। डॉ. एम. विश्वेश्वरैया न केवल भारत के सबसे महान सिविल इंजीनियरों में से एक थे, बल्कि उन्होंने वर्ष 1912 से वर्ष 1919 तक मैसूर के 19वें दीवान के रूप में भी कार्य किया। लोकहित में उनके कार्यों को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका और तंज़ानिया में भी 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी सबसे उल्लेखनीय परियोजनाओं में से एक कृष्णा राजा सागर झील और बांध है, जो कि कर्नाटक में स्थित हैं। वर्ष 1955 में उनकी अभूतपूर्व तथा जनहितकारी उपलब्धियों के लिये उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाज़ा गया। भारत सरकार ने वर्ष 1968 में उनकी जन्म तिथि को 'अभियंता दिवस' घोषित किया था।

दृष्टि The Vision